खण्ड-378, अंक-7
सोमवार, 17 भाद्रपद, शक संवत् 1908
(8 सितम्बर, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 378 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3–82
मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (अस्वीकृत) ..	82–179
नत्थियां ..	181–184

सत्यमेव जयते

Legal Proof

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 8 सितम्बर, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
कृष्णा रावत, कुमारी (लखनऊ)
निर्भय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मान बहादुर सिंह, श्री (गोण्डा)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राम पाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम सागर राव, श्री (बहराइच)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
हरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 8 सितम्बर, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री जे0डी0 शुक्ला की अध्यक्षता में नैतिक शिक्षा के प्रशिक्षण देने की संस्तुति

**1--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 जे0 डी0 शुक्ला ने जिन-जिन संस्थाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा के प्रशिक्षण देने की संस्तुति की थी उसका कार्यान्वयन सरकार द्वारा अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है तथा राज्य सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया ?

शिक्षा मन्त्री (श्री सिब्ते रजी)--

डा0 जे0 डी0 शुक्ला की अध्यक्षता में गठित नैतिक शिक्षा समिति मे अध्यापकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सत्य साईं बाल विकास ट्रस्ट प्रशानिध विलियय आंध्र प्रदेश तथा राम कृष्ण मिशन कालेज, मैसूर या नैतिक शिक्षा के काय में लगी अन्य संस्थायें जिन्हें शासन उपयुक्त समझे, में प्रशिक्षण दिये जाने की संस्तुति की थी ।

प्रदेश में प्रशिक्षित किये जाने वाले अध्यापकों की संख्या तथा अन्य प्रदेशों में अध्यापकों के प्रशिक्षण में निहित व्यय को दृष्टिगत रखते हुये शासन ने शान्ति कुन्ज, हरिद्वार में प्रशिक्षण का निर्णय लिया । जहां विभिन्न सत्रों में शिक्षक प्रतिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि शान्ति कुंज, हरिद्वार में प्रशिक्षण का निर्णय लिया गया है, तो इसके अतिरिक्त और कहां-कहां पर प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

जो रिसोर्स प्रशिक्षक हैं, उनका प्रशिक्षण शान्ति कुंज, हरिद्वार में दिया गया, बाकी जो जनपद स्तर पर दीक्षा विद्यालय और जी0 आई0 सीज0 हैं वहां पर दिया गया।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि डा0 जे0 डी0 शुक्ल की अध्यक्षता में गठित नैतिक शिक्षा समिति की रिपोर्ट कब आयी है और कितने अध्यापकों का प्रशिक्षण हरिद्वार में दिया जा चुका है और वहां पर प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, जो डा0 जे0 डी0 शुक्ला की अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी, उसने 6-5-1983 को अपनी रिपोर्ट दी थी । माननीय सदस्य जो प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में पूछा है, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि शान्ति कुंज, हरिद्वार में प्रथम चरण में 21-11-1985 से 29-1-1986 तक 200 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 80 प्रधान अध्यापकों को प्रथम चरण में प्रशिक्षित किया जा चुका है, इनको 7 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है । दूसरे चरण में फरवरी, 1986 से अप्रैल, 1986 तक प्रत्येक बी0 एड0 के महाविद्यालयों से प्राचार्य तथा 3-3 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है और इस प्रकार 245 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस

शान्ति कुंज, हरिद्वार में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है, क्या इसी प्रकार की व्यवस्था प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी की जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

शान्ति कुंज, हरिद्वार जहां पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है वह इसके लिये बहुत ही अच्छा स्थान है, केन्द्र है। प्रशिक्षण के काम का विस्तार कर दिया गया है। 21 हजार जूनियर हाई स्कूल, और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं के 20 हजार माध्यमिक स्तर के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, और 52 हजार प्राइमरी स्कूलों के जो अध्यापक हैं, उनका प्रशिक्षण आगामी अक्तूबर, 1986 में समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार लगभग 93 हजार शिक्षकों को इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है।

श्री देव कुमार यादव—

माननीय, मैंने यह सवाल पूछा था कि जिस तरह से शांति कुंज, हरिद्वार में यह प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, क्या उसी तरह की संस्थायें प्रदेश के अन्य हिस्सों में यहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये खोलने के लिये शासन के पास कोई योजना है ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि हरिद्वार इस हेतु उपयुक्त जगह है। मैं संजस्ट कर सकता हूं कि बांदा जनपद और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बार्डर में चित्रकूट ऐसी जगह है जहां प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये ऐसी संस्थायें खोली जा सकती हैं। क्या मन्त्री जी ऐसी जगहों में भी ऐसी संस्थायें खोलने का विचार कर रहे हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

सम्प्रत्ति में ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि डाक्टर जे0 डी0 शुक्ला की अध्यक्षता में नैतिक शिक्षा के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जो समिति बनाई गई थी क्या सरकार जे0 डी0 शुक्ला जैसे नागरिक ही पैदा करना चाहती है ? क्या सरकार को उनके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी है ?

श्री सिब्ते रजी—

माननीय सदस्य के प्रश्न का मन्तव्य मैं समझ नहीं पाया। जे0 डी0 शुक्ला काफी सीनियर अधिकारी थे, उनके संदर्भ में जो बात कही गई है शायद वह मैं समझ नहीं पाया।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं चाहता हूं कि नैतिक शिक्षा के कार्यान्वयन और उन्नयन के लिये उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनायी गई थी क्या सरकार ने उन्हीं की तरह से आई0 सी0 एस0 पैदा करने के लिये वह कमेटी बनायी है या यहां के नवयुवकों को नैतिक शिक्षा देने के लिये बनाया है ? दूसरी बात यह है कि क्या सरकार को उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी है, या नहीं ? यदि है, तो जैसा श्री जे0 डी0 शुक्ला का व्यक्तिगत जीवन था वैसे ही नागरिक क्या सरकार पैदा करना चाहती है ?

श्री सिब्ते रजी—

किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में माननीय सदस्य की कोई सूचना हो सकती है लेकिन शासन स्तर पर इस तरह की कोई पत्रावली नहीं रखी जाती है जिसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी का लेखा-जोखा हो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार में नैतिक शिक्षा का जो प्रशिक्षण दिया जाता है

उनमें कई बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करके वे दूसरे लोगों को नैतिक शिक्षा की ट्रेनिंग दे सकें, इसका थ्योरिटीकल आस्पेक्ट क्या है ? साथ ही क्या उनको व्यावहारिक ज्ञान का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ?

श्री सिब्ते रजी—

माननीय, इस आश्रम में जिन बिन्दुओं पर प्रशिक्षण कराया गया है वह निश्चित ही नैतिक मूल्यों के साथ-साथ व्यक्तिगत आचरण से सम्बन्धित भी है । हरिद्वार में जो आचार्य थे उनके द्वारा जो वक्तृतायें दी गई उनके सम्बन्धित जो विषय थे, वह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं । उनसे पता चल जायेगा कि हम किस तरह का प्रशिक्षण देना चाहते थे । उसमें थे—नैतिकता क्यों, आध्यात्म दर्शन, वातावरण, मानव जीवन की गरिमा, पंचशील, उपासना, आचार्य की गरिमा, आत्म विकास के चार सोपान, चरित्र एवं व्यवहार, स्वाध्याय, अभिभावक, रचनात्मक स्वावलंबन-प्रधान शिक्षा, स्वास्थ्य परक शिक्षा, अणुव्रत ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वहां पर आचार व्यवस्था, आचरण और आध्यात्मिक दर्शन आदि इन सारी बातों की शिक्षा दी जा रही है । इनमें काफी गिरावट दिखाई पड़ती है । तो क्या माननीय मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे मन्त्रि-मंडल के सदस्यों को भी वहां पर नैतिकता की शिक्षा के लिए भेजा जा सके ?

श्री सिब्ते रजी—

माननीय, यह प्रश्न माननीय मुख्य मन्त्री जी से करें तो वह इसका उत्तर दे सकते हैं । मैं इस समय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के बारे में उत्तर देने के लिये खड़ा हूं ।

मथुरा एवं आगरा जनपदों में राजस्थान के रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने हेतु किये गये प्रयास

**2—श्री सरदार सिंह—

क्या वन मन्त्री की जानकारी में है कि राजस्थान का रेगिस्तान, मथुरा एवं आगरा जनपदों की ओर तेजी से बढ़ रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? शासन इस बढ़त को रोकने के लिये क्या नियोजन कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन राज्य मन्त्री (श्री जफर अली नकवी)—

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान, जोधपुर से सूचना प्राप्त की गई थी जिन्होंने विगत 25 वर्षों में किये गये शोध कार्यों का हवाला देते हुये सूचित किया है कि राजस्थान के रेगिस्तान के उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपद मथुरा व आगरा की ओर बढ़ने के कोई भी लक्षण नहीं दिखायी दिये हैं ।

राजस्थान सरकार ने यह भी सूचित किया है कि रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने तथा मरुस्थल की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से मरुस्थल क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा चरागाह विकास आदि कार्यों हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाये जा रहे ह । भारत सरकार द्वारा मरुस्थल विकास कार्यक्रम की विशेष योजना भी राजस्थान के मरुस्थल के विकास के लिये चलाई जा रही है ।

जहां तक प्रदेश सरकार का सम्बन्ध है, राजस्थान के रेगिस्तान को उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की सम्भावनाओं को रोकने की दिशा में प्रयास करने के उद्देश्य से आगरा व मथुरा जनपदों में सड़क, नगर, रेलवे लाइन, ग्राम समाज एवं वन भूमि पर व्यापक रूप से वृक्षा-रोपण किया जा रहा है ।

यहां पर यह भी कहना असंगत न होगा कि राजस्थान के रेगिस्तान के बारे में आम धारणा यह है कि इसका विस्तार उत्तर प्रदेश की ओर हो रहा है और इसी आधार पर विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित माननीय सदस्य द्वारा पूंछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर में यह बात स्वीकार की गई थी कि राजस्थान का रेगिस्तान उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान से अब प्राप्त की गई सूचना से वस्तुस्थिति स्पष्ट हो गई है।

श्री सरदार सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम प्रश्न है। 3 साल पहले इसी सरकार ने कहा था कि राजस्थान का रेगिस्तान उत्तर प्रदेश की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 3 साल बाद यह कह रहे हैं कि अब नहीं बढ़ रहा है। तो उस समय जो उत्तर दिया था उसका क्या आधार था और आज के उत्तर का क्या आधार है?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, उस समय की जो बात है कि राजस्थान का रेगिस्तान तेजी से बढ़ रहा है किसी रिसर्च की रिपोर्ट नहीं थी बल्कि प्लानिंग कमीशन ने भी इस बात को कहा था, माननीय सदस्यों ने भी कहा था तथा काफी लोगों ने कहा था और उसको मान लिया गया लेकिन माननीय सदस्य के सवाल के बाद जी हमारे सेंट्रल एडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है उससे रिसर्च करवाई गई, सैटेलाइट से भी प्रयास किया गया तथा भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से भी मालूम किया गया। सब का यही कहना है कि राजस्थान का रेगिस्तान नहीं बढ़ रहा है जिसके आधार पर यह जवाब दिया जा रहा है।

प्रधान प्रभुदयाल—

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे यह नापा गया कि राजस्थान का रेगिस्तान अब नहीं बढ़ रहा है और उस वक्त यह क्यों नजर नहीं आये?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, जो लक्षण की बात है उसकी सेंट्रल एडेड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च होती है उसके बिना पर यह जाहिर हुआ कि रेगिस्तान नहीं बढ़ रहा है।

श्री बदन सिंह—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में उन्होंने स्वीकार किया कि इस सम्बन्ध में रिसर्च करवाई गई जिससे मालूम हुआ कि रेगिस्तान नहीं बढ़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आगरा जिले के जो गांव राजस्थान से लगे हुये हैं उनमें से किन-किन गांवों में रिसर्च करवाई गई और वह किसने करवाई?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो मथुरा और आगरा की बात कहीं उसमें राजस्थान के बार्डर पर लगे हुये बार्डर एरिया की रिसर्च हो चुकी है।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, जैसा कि इस प्रश्न द्वारा यह संभावना व्यक्त की गयी है कि राजस्थान का रेगिस्तान मथुरा और आगरा की ओर बढ़ रहा है। इस संदेह के पीछे एक कारण यह है कि इन जनपदों में जो वन अर्थात् जंगल है उनका ह्रास हो रहा है। अतः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन जंगलों के ह्रास के क्या कारण हैं और इसको दूर करने के लिये क्या कोई ऐसे विशेषज्ञों का दल या आयोग नियुक्त करेंगे जो इसका अध्ययन करे और अपनी रिपोर्ट दे जिससे पर्यावरण में जो प्रभाव पड़ रहा है वह रुक सके?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव होगा उस पर भी जांच करवा लेंगे।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी का उत्तर संदिग्ध है क्योंकि माननीय सदस्य के प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है उसमें कहा है कि रेगिस्तान नहीं बढ़ रहा है जबकि 1983 में प्रथम सत्र के प्रश्न संख्या 12 के उत्तर में कहा गया था कि बराबर रेगिस्तान बढ़ रहा है। जब माननीय सदस्य ने पूछा कि आधार क्या है तो कहा गया कि रिसर्च करवाई गयी है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि फतेहपुर सीकरी ब्लाक के मंगौली खुर्द, मंगौली कलां, सिरौली, ओनलैण्डा, नगला मंगौली, नगला सराय, अछनेरी ब्लाक में हसैला गांव जो नदी के किनारे बसे हैं वहां रेगिस्तान बढ़ रहा है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन गांवों में जो रेगिस्तान बढ़ रहा है वहां योजनाबद्ध तरीके से रिसर्च करवायेंगे और फिर उसकी रिपोर्ट क्या सदन में प्रस्तुत करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने 1983 की रिपोर्ट के बारे में कहा है, तो मैंने स्वीकार किया है कि उस सम्बन्ध में हमने बहुत स्पष्ट रूप में कहा था कि इस सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा कोई जानकारी नहीं है, इसको माननीय सदस्य छिपा गये। मान्यवर, 1983 में स्वीकार किया है कि कोई जानकारी नहीं है। अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि क्या जांच करवायेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की कमेटी ने, राजस्थान की कमेटी ने रिसर्च किया है जिसकी रिपोर्ट आयी है जिसके अनुसार कहीं राजस्थान से रेगिस्तान नहीं बढ़ रहा है। फिर भी माननीय सदस्य ने जिन-जिन जगहों का नाम दिया है उनकी जांच करवाकर रिपोर्ट पेश कर दूंगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आपने जिस संस्था का नाम लिया है उस संस्थान से जांच करवाई है भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने। किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे कौन से उपाय बरते हैं जिनसे प्रदेश में रेगिस्तान का बढ़ना रुके। दूसरी बात मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से उत्तर प्रदेश का जो इलाका लगा है उनका कोई आपने सर्वेक्षण कराने के सम्बन्ध में कब-कब कार्यवाही किया है, इसका उत्तर दे दें ?

श्री जफर अली नकवी—

माननीय सदस्य ने हमारे जवाब के ऊपर फिर घुमा फिराकर वही सवाल किया है, तो इस सम्बन्ध में हम पूर्व ही कह चुके हैं कि हमारी कमेटी ने जांच की है, यह भारत सरकार और राजस्थान सरकार की कमेटी है। फिर भी राजस्थान बार्डर से कोई बढ़ता है या कुछ होता है तो वृक्षारोपण का एक अभियान हमने चलाया है, जिसके अन्तर्गत एक हजार से दो हजार वृक्ष हम प्रति वर्ष लगवा रहे हैं, जिससे इस चीज की अगर कोई सम्भावना होती है तो वह भी न रह जाए।

श्री सरदार सिंह—

मंत्री जी ने कहा था कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार रेगिस्तान को रोकने के लिये ग्राम समाज और रेलवे लाइन के आस-पास की जमीन पर पेड़ लगवा रही है, किन्तु वहां पर पानी के साधन या कोई सुविधा नहीं है, सरकारी ट्यूब-वेल नहीं है तो जो आपने 83 से अब तक पेड़ लगवाये हैं, उनके सिंचाई के लिए पानी कहां से लाया जाता है ?

श्री जफर अली नकवी—

इन की हम टैंकर्स से सिंचाई करते हैं, बारिश से सिंचाई करते हैं और यहां

पर हमारे तालाब व पोखर हैं, हम वहां उनसे सिचाई करते हैं ।

श्री भोपाल सिंह--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रेगिस्तान फैलने के लक्षण क्या हैं ? और यदि यह नहीं पाया गया तो यह विकास योजना भारत सरकार द्वारा क्यों चलाई जा रही है ?

श्री जफर अली नकवी--

जो विकास योजना हमारी चल रही है, यह सोशल फारेस्ट्री का एक कार्यक्रम ह और चूंकि वहां के रहने वालों ने कहा कि रेगिस्तान भविष्य में बढ़ सकता है, इसलिए हम तेजी से वहां वृक्षारोपण कर रहे हैं ।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, प्रदेश में राजस्थान की तरफ से रेगिस्तान के प्रसार का प्रश्न बहुत गम्भीर समस्या है और यह दोनों प्रदेशों के लिए बहुत बड़ा मानव संकट का कारण बन सकता है यदि यह बढ़ता है, तो क्या मंत्री जी इस गम्भीर समस्या को देखते हुए राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञों का कोई संयुक्त आयोग गठित करके इस समस्या पर लगातार दृष्टि रखने और इसे रोकने के लिए कोई कारगर उपाय किया जायगा ?

श्री जफर अली नकवी--

इसकी मान्यवर, कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हजारों पेड़ राजस्थान की सरहद पर लगवाये गये हैं । मैंने यह जानना चाहा था कि वहां पर पानी का अभाव है जिससे वह पेड़ सूख गये हैं । जिस तरह से पूर्वी जिलों में जहां पर जमीन अच्छी है और जहां सड़कों के किनारे आम और शीशम के पेड़ लगाये जाते थे वहां आपके राज्य में झाड़ीदार बबूल के पेड़ लगाये जा रहे हैं । तो क्या इन बबूलों को राजस्थान के बार्डर पर लगवाने की कृपा करेंगे जहां पानी की कमी है और इससे डकैतों को भी आश्रय मिल जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

वहां ऐसे पेड़ लगायेंगे जिनमें पानी की आवश्यकता ही नहीं होगी ।

श्री अमर चन्द्र शर्मा--

मान्यवर, बाह विधान सभा क्षेत्र राजस्थान से लगा हुआ है । वहां वन विभाग ने बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई की है जिससे पर्यावरण में पर्याप्त सुधार नहीं हो रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वे कोई उच्च स्तरीय जांच समिति बैठायेंगे जो यह जांच करे कि यह अवैध कटाई क्यों की जा रही है और किसके आदेश से की जा रही है । ताकि पर्यावरण की स्थिति में सुधार हो सके ।

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रस्ताव देंगे तो हम जांच करा लेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि शुष्क शोध संस्थान, जोधपुर की रिपोर्ट के आधार पर मंत्री जी ने कहा है कि रेगिस्तान नहीं बढ़ रहा है । क्या इस संस्थान की रिपोर्ट को आपकी सरकार अंतिम रिपोर्ट मानती है । यदि नहीं तो क्या किसी दूसरी एजेंसी से इसका परीक्षण करायेंगे । दूसरी बात में यह कहना चाहूंगा कि मंत्री जी ने कहा कि रेल लाइन तथा सड़कों के किनारे पेड़ लगवाये गये हैं । तो क्या रेगिस्तान रेल या बस में बैठकर चलता है । इस पूरी बेल्ट में रेगिस्तान को रोकने के लिये क्या व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री जफर अली नकवी---

मान्यवर, समस्त सदस्यों के सवाल का केवल एक ही जवाब है कि रेगिस्तान नहीं बढ़ रहा है। उसके लिये हम कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्य संचालन एवं कुलपति के विरुद्ध प्रशासनिक तथा वित्तीय भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पैनल कमीशन की नियुक्ति

*1--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध प्रशासनिक तथा वित्तीय भ्रष्टाचार की जांच हेतु एक निरीक्षण आयोग (इन्स-पेक्शन कमीशन) का गठन करके 2 जुलाई, 1986 से प्रभावी कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसके बाद से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जुलाई माह में सम्पन्न विभिन्न उद्घाटनों, शिलान्यासों एवं सेमिनार में शासन स्तर के कौन-कौन से पदाधिकारियों ने भाग लिया तथा उनका औचित्य क्या था एवं क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)--

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्य संचालन की सही, वास्तविक और स्वतंत्र सिंहावलोकन प्राप्त करने की दृष्टि से उसका निरीक्षण करने के लिए 2 जुलाई, 1986 को अधिसूचना द्वारा निरीक्षण पैनल गठित किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री एवं एक राज्य मंत्री तथा भारत सरकार के एक राज्य मन्त्री ने भाग लिया।

इन मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था।

जी नहीं।

विश्वविद्यालय के निरीक्षण का मंत्रियों के विश्वविद्यालय के समारोहों में भाग लेने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, विश्वविद्यालय कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्यगण तथा इलाहाबाद के सम्मानित साहित्यकार, बुद्धिजीवियों आदि ने इलाहाबाद विश्व-विद्यालय के कुलपति द्वारा धन के दुरुपयोग, अनियमित नियुक्तियों, भ्रष्टा-चार और जातिवाद बढ़ाने के विरुद्ध ज्ञापन देने के बाद ही यह पैनल कमीशन नियुक्त किया गया था और इस पैनल कमीशन को नियुक्ति करने के लिए जो आदेश जारी किया गया था, उसको पढ़ने का कष्ट करेंगे ? कृपया उसका पहला और दूसरा पैरा पढ़ दें ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्य संचालन तथा कुलपति के विरुद्ध प्रशासनिक तथा वित्तीय भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शासन को विभिन्न स्रोतों से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय तथा कुलपति के कार्य संचालन की सही वास्तविक और स्वतंत्र सिंहावलोकन प्राप्त करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय का निरीक्षण कराने के लिए 2 जुलाई, 1986 को

अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों का एक पेनल नियुक्त किया गया है जिसके अध्यक्ष--

न्यायमूर्ति एस0 एन0 सिंह,
सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हैं । और

श्री जी0सी0 चतुर्वेदी, आई0ए0एस0
(सेवा निवृत्त)
भूतपूर्व कुलपति, गोरखपुर विश्व-विद्यालय, गोरखपुर । एवं

डा0 ए0 पी0 मेहरोत्रा,
सेवा निवृत्त कुलपति,
अवध विस्वविद्यालय, फैजाबाद ।

निरीक्षण पैनल विश्वविद्यालय या उसके कुलपति के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना की तिथि व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए उसके कार्य-संचालन के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेगा तथा अधिसूचना के दिनांक से 3 मास की अवधि के भीतर निरीक्षण पूरा करेगा और अपनी निरीक्षण रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

राज्य सरकार को प्राप्त समस्त शिकायती पत्रों को पैनल के अध्यक्ष को दिनांक 8 जुलाई, 1986 को भेज दिये गये हैं । निरीक्षण पैनल कार्य कर रहा है और आशा है कि निर्धारित अवधि के अन्दर निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो जायगी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से इस पेनल के गठन के विषय में नहीं, बल्कि उसकी शब्दावली के विषय में जानना चाहता हूं । मेरा प्रश्न यह था कि इस सदन की जो परम्परा बनती जा रही है कि इन कुछ पूछा जाता है और उत्तर माननीय मंत्री जी कुछ और ही देते हैं । मैंने उनसे निवेदन किया था कि जो पैनल गठित किया गया था, जो आदेश पारित किया गया है, उसका पहला और दूसरा पैरा बताने का कष्ट करें, जिससे कि उस पैनल के गठित करने का उद्देश्य सदन के समक्ष आ सके । लेकिन मा0 मंत्री जी पैनल के गठन और उनके चरित्रों के विषय में व्याख्यान दे रहे हैं । माननीय मंत्री जी क्या बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा अनुभाग संख्या 3526/15-16-86-3113/11-86, लखनऊ, दिनांक 2 जुलाई, 1986 को क्या यह आदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया था ? चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न स्रोतों से अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें ऐसे कार्य-संचालन के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा कार्यलोपों और कार्यों (ओमिशन एण्ड कमीशन) के आरोप निहित हैं और चूंकि राज्य सरकार की राय है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण राज्य सरकार के लिए उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कार्य-संचालन की सही और वास्तविक जांच कराना आवश्यक है आदि-आदि । तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2 जुलाई, 1986 को जब इस प्रकार से राज्य सरकार ने इन आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित कर दिया, जो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एक दम नया है, इसके पहले कई विश्वविद्यालय में जांच के लिए आयोग गठित किये गये थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी हैं, पता नहीं किन परिस्थितियों में इस प्रकार का यह निरीक्षण पैनल नियुक्त किया गया है ? जब 2 जुलाई, 1986 को एक निरीक्षण पैनल नियुक्त कर दिया गया, तो उसके बाद कौन-कौन से मंत्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समारोहों में, जिसकी अध्यक्षता कुलपति कर रहे थे, मुख्य-मुख्य अतिथि के रूप में गये

और उनकी प्रशंसा की, जिससे जांच प्रभावित होगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, मैं प्रश्न कर रहा हूं समारोह में मंत्रियों ने भाग लिया । इलाहाबाद के कुलपति ने उस समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने कुलपति की तारीफ में बहुत सी बातें कहीं, क्या यह सही है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकारके माननीय राज्य मंत्री, ऊर्जा पर्यटन विभाग, भारत सरकार के राज्य मंत्री समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के मंत्री ग्राम्य विकास विभाग, यह उस समारोह में आमंत्रित थे, जो ऊर्जा पर्यटन मंत्री थे वह इलाहाबाद में सेन्ट्रल इन्समेंटेशन काम्पलेक्स का उद्घाटन करने गये थे और समाज कल्याण मंत्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय शताब्दी महिला छात्रावास का शिलान्यास करने गये थे। ग्राम्य विकास मंत्री रसायन विभाग के नव निर्मित विस्तार भवन का उद्घाटन करने गये थे । यह लोग आमंत्रित किए गये थे इसलिए यह लोग गये थे । विश्वविद्यालय के निरीक्षण का और विश्वविद्यालय समारोह में भाग लेने का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर में सब आ गया है ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, जैसा इन्होंने कहा कि इस समारोह में दो या तीन माननीय मंत्रियों ने भाग लिया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस कुलपति के खिलाफ विभिन्न जांच के लिए पैनल आया हुआ है जो निमंत्रण आया होगा वह उसी कुलपति के माध्यम से होकर आया होगा जिसके खिलाफ जांच का पैनल बैठा हुआ है, उसी कुलपति के निमंत्रण पर माननीय मंत्री जो वहां गये, तो उन मंत्रियों को इस जांच कमीशन की जानकारी थी या नहीं ? अगर थी तो जिस कुलपति के खिलाफ जांच चल रही है उसके निमंत्रण पर क्यों गये ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, पहले मैं अपने बहुत ही सम्मानित सदस्य ऐरी जी से कहूंगा कि वह अपने सवाल में संशोधन कर लें । यह जांच का पैनल नहीं है वह निरीक्षण का पैनल गठित हुआ है । और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8 को उठाकर देखें उसमें निरीक्षण है । तो यह निरीक्षण के लिये पैनल गठित किया गया है इसमें सुयोग्य से सुयोग्य लोग रखे गये हैं । इसमें जो शिकायतें हुई थीं वह विश्वविद्यालय के संचालन के बारे में, विश्वविद्यालय का सत्र नियमित न होने के बारे में थीं इसलिए यह पैनल गठित किया गया था । इसका समारोह से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह मंत्री आमंत्रित होने पर उस समारोह में भाग लेने के लिये गये थे ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी संविधान के अनुच्छेद–164 को देखें । इसमें मंत्रि परिषद् राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है ऐसे मंत्री जो राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की जांच करने के बाद उनके समारोह में गये, उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसका प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

यह ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

*2—श्री हृदय नारायण दीक्षित, डा0 दिनेश जौहरी—

[दिनांक 1-9-86 को सदन में चर्चा हो जाने के कारण निरस्त।]

[सोमवार, दिनांक 8 सितम्बर, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

* 1—श्री राम आसरे वर्मा—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित।]

चांदा रजबहा नहर से छापार गांव तक सड़क का निर्माण तथा व्यय

* 2—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चांदा-सुल्तानपुर के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के द्वारा चांदा रजबहा नहर से छापार गांव तक जो सड़क का निर्माण कराया गया उस पर कितनी मात्रा में कंकड़ की कुटायी की गयी, कितना व्यय हुआ? क्या कंकड़ की कुटाई न करने से ग्रामीणों के आने जाने का मार्ग बन्द हो गया है। इसका ठेकेदार कौन है क्या सम्बन्धित अधिकारी ने बिना मार्ग को देख धन का भुगतान कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

चांदा रजबहा नहर से छापार गांव तक 1100 मीटर लम्बे तथा 3.30 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण कराया गया है जिस पर चार इंच कंकड़ कुटाई का कार्य प्राविधान के अनुसार किया गया है। कंकड़ की कुटाई का कार्य मार्च, 1986 में पूरा कराया जा चुका है। इस मार्ग के निर्माण पर रु0 43,926.50 नकद तथा 79.64 कुन्तल गेहूं के रूप में व्यय आया है। ग्रामीणों के आने जाने का मार्ग बन्द नहीं है।

उक्त मार्ग का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी पर विभागीय देख-रेख में कराया गया है। भुगतान सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण के बाद किया गया है।

श्री शिव नारायण मिश्र—

मान्यवर, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि इस मार्ग का निर्माण स्थानीय छापार गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा कराया गया है न कि विभाग से। मान्यवर, कंकड़ डालकर मिट्टी तक उस पर नहीं डाली गयी है, आवागमन का रास्ता बिलकुल बन्द है इसी संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 43,926.50 रु0 नकद तथा 179.64 कुन्तल गेहूं जो इस मार्ग के निर्माण में व्यय हुआ है, तो उन मजदूरों के नाम क्या है तथा इस मार्ग का निर्माण कितने दिनों में पूरा किया गया है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मस्टर रोल मेरे पास नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य विधान सभा ने जो प्रश्न किया है और विभाग को एक निश्चित सूचना दी है तथा माननीय मंत्री जी के विभाग ने जो सूचना दी है, वह परस्पर विरोधी है तो क्या माननीय सदस्य की सूचना को सही मानकर पूरे प्रकरण की खुली जांच माननीय सदस्य जो प्रश्नकर्ता है, उनके सामने करवाने का आश्वासन माननीय मंत्री जी देंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य को जिज्ञासा है तो मैं इसकी जांच टी० ए० सी० से करवा दूंगा ।

श्री जय नारायण तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस सहायक अभियन्ता का नाम क्या है तथा वह सुल्तानपुर जनपद में कितने दिनों से तैनात है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, यह सूचना तो मेरे पास नहीं है कि कितने दिनों से तैनात हैं या नाम क्या है ? डी० आर० डी० ए० का का सहायक अभियन्ता है, उसी की देख-रेख में काम कराया गया है ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की इस बात को देखते हुए मान्यवर, पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य हो रहा है, सड़कों का, स्कूलों का वह सारा काम ठेकेदारों के माध्यम से हो रहा है और कागज में दैनिक मजदूरी पर व्यय दिखलवाया जा रहा है तो क्या इस बात की जांच करवायेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रथा को बन्द करके जो शासनादेश है, उसी के मुताबिक काम हो ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, इस प्रकार की जितनी शिकायतें मिलती है उनकी जांच हम करवाते हैं । मनेजर सिंह जी अगर किसी सड़क का, स्पेसिफिक काम का नाम बतायेंगे तो मैं उसकी जांच करा लूंगा ?

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, बलिया में जांच करवा लें

श्री श्याय सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, जहां भी यह प्रथा है वहां दैनिक मजदूरी पर काम होना चाहिए, ठेकेदारी प्रथा नहीं चलनी चाहिए । मान्यवर, एन० आर० ई० पी० और आर० एल० जी० पी० में शासन के आदेश हैं कि ठेकेदारी प्रथा से काम नहीं करवाया जायेगा । अगर कहीं पर ठेकेदारी के जरिये काम हो रहा है और उसकी कोई सूचना माननीय सदस्य देंगे तो उसकी जांच करवाकर जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

माननीय अध्यक्ष जी, जो आरोप माननीय मैनेजर सिंह ने लगाये हैं आज पूरे प्रदेश में वही स्थिति है । क्या माननीय मंत्री जी इस सदन के 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर 57 जिलों म से सिर्फ 5 जिलों का मौतिक निरीक्षण करवायेंगे । क्या स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए सदन की एक कमेटी बनाकर उसकी जांच करवायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा कि शिकायत प्राप्त होने पर हम जांच करवायेंगे, कार्यवाही करायेंगे तो उसमें सदन की जांच समिति बनाने की क्या आवश्यकता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी इस सूचना को सही मानकर कि माननीय मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में जो काम हुआ है वह ठेकेदारी से हुआ है, क्या इसकी जांच कर लेंग ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, यह योजनाएं रोजगार सृजन करने के लिए हैं । सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कोई ठेकेदार इस व्यवस्था में न आये और हमें जहां-जहां भी शिकायत मिली, हमने जांच करवायी और कार्यवाही की है । इस सदन के माननीय

सदस्य जब भी इस प्रकार की सूचना देंगे कि कहीं पर ठेकेदारी से काम हो रहा है तो उसकी हम जांच करवायेंगे ।

श्री दीप चन्द्र सोनकर--

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद जौनपुर में जो ठेकेदारी प्रथा इस योजना के अन्तर्गत चल रही है, माननीय मंत्री जी क्या उसकी जांच करवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

माननीय सदस्य लिखकर दे दें, अवश्य जांच करवाऊंगा ।

श्री जय नारायण तिवारी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न किया था कि जिस सहायक अभियन्ता के द्वारा उस मार्ग का निर्माण करवाया जा रहा है, उसका नाम क्या है तथा कब से तैनात है, परन्तु माननीय मंत्री जी को उसकी जानकारी नहीं है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी जानकारी करने के बाद और यह जानकारी हो जाने के बाद कि वह कब से तैनात है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, माननीय ओझा जी के प्रश्न के उत्तर में हमने कहा कि इस सड़क के निर्माण की जांच टी० ए० सी० से करवा लूंगा और अगर कोई दोषी पाया जायगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

लखनऊ बरेली मुरादाबाद जाने वाली रोडवेज बसों का बस स्टाप सिम्भावली में घोषित किया जाना

*3--श्री कनक सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-2-86 जिस में दिल्ली से लखनऊ बरेली-मुरादाबाद जाने वाली रोडवेज बसों का बस स्टाप सिंभावली शुगर मिल, जिला गाजियाबाद पर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में था, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर संजय सिंह)--

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-2-86 के संदर्भ में सिम्भावली को 1-4-86 से फेयर स्टापेज घोषित कर दिया गया है ।

श्री कनक सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि केवल बरेली रूट की बसें रुकने के आदेश हैं, क्या मंत्री जी बसें रोककर यात्री लेकर चलने के आदेश देंगे, यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि 1-4-86 के उनके आदेश अभी लागू नहीं हुए हैं तथा कर्मचारी स्टाप की कोई व्यवस्था, किराया निर्धारण एवं स्टाफ को कोई आदेश नहीं दिये गये हैं । वहां पर कब तक बसें रुकना शुरू हो जायेंगी ।

डाक्टर संजय सिंह --

मुरादाबाद क्षेत्र की 8, बरेली की 5, नैनीताल की 6 तथा टनकपुर की 3 बसें वहां रुकती हैं, जो लम्बे रूट की बसें हैं उनको रोकना सम्भव नहीं है क्योंकि उससे यात्रियों को परेशानी होती है । माननीय सदस्य ने कहा कि आदेश नहीं गये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि ये बसें वहां रुक रही हैं और आवश्यकतानुसार कर्मचारी वहां नियुक्त है ।

श्री कनक सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो सूचना उनको दी गई है वह बिल्कुल असत्य सूचना है । मैं वहां का रहने वाला हूं । मेरे पास टिकट हैं, वहां टिकट नहीं बनाये जाते हैं । मेरे पास सबूत हैं । मेरा अनुरोध है कि स्टापेज तो बना दिया लेकिन वहां स्टाफ नहीं है । मैं माननीय मन्त्री जी से से जानना चाहता हूं कि जो बसें वहां से

गुजरती है क्या उन्हें वहां रुकने का आदेश देने का कष्ट करें ।

डाक्टर संजय सिंह--

माननीय सदस्य अपनी जानकारी को को बढ़ा लें । पांचों क्षत्र की 25 बसें वहां रुक रही है ।

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को प्रदान की गई सुविधायें

*4--श्री शारदा प्रताप--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा अधिनियम के अध्याय 3 विनियम 99 तथा राजाज्ञा संख्या 480/पन्द्रह-8--3099/ 1973 दिनांक 24-1-84 के द्वारा 1-1-73 से वेतनादि की पैरिटी प्रदान कर देने के उपरान्त शासन बचन वद्ध है कि जो सुविधायें राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों को प्रदान कर दी जायेगी वही सुविधायें तुरन्त सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों को प्रदान कर दी जायेगी ? यदि हां, तो क्या नकदीकरण, सलेक्शन ग्रेड, पारिवारिक पेंशन, स्टाफिंग पेटर्न की सुविधाएं अभी तक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत इसी श्रेणी के कर्मचारियों को क्यों नहीं प्रदान की गयी है ? तथा उक्त सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जायेगी ।

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं, राजाज्ञा सं0 480/पन्द्रह-8-3099/1973 दिनांक 24-1-74 न कि 24-1-84 द्वारा 1-11-73 न कि 1-1-73 से राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों के समान सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को जो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पदों पर कार्य कर रहे हैं, को केवल वेतनमान की समानता अनुमन्य की गई है । इसी प्रकार इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अध्याय 3 विनियम 99 के अन्तर्गत आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, प्रसूति अवकाश, व्यक्तिगत कार्य अवकाश तथा असाधारण अवकाश की सुविधा राजकीय कर्मचारियों के समान शिक्षणेतर कर्मचारियों को प्राप्त है ।

नकदीकरण, सेलेक्शन ग्रेड, पारिवारिक पेंशन, स्टाफिंग पेटर्न की सुविधाओं के लिए शासन वचनबद्ध नहीं है ।

श्री शारदा प्रताप--

जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि नगदीकरण, सेलेक्शन ग्रेड, पारिवारिक पेंशन, स्टाफिंग पेटर्न की सुविधाओं के लिये शासन बचन बद्ध नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि सहायता प्राप्त राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों को नकदीकरण, सेलेक्शन ग्रेड, पारिवारिक पेंशन और स्टाफिंग पेटर्न की सुविधा देने पर शासन विचार करेगा ? यदि करेगा तो कब तक और नहीं करेगा तो क्यों ।

श्री सिब्ते रजी--

एक तो शासन की वित्तीय बहुत अच्छी नहीं है । किन्तु सहानुभूतिपूर्वक मानवीय आधार पर पारिवारिक पेंशन और चयन वेतन मान दिये जाने के सम्बन्ध में शासन विचार कर रहा है ।

*5--श्री काशी सिंह ऐरी--

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित वार्षिक परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति

*6--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री की जानकारी में है कि प्रदेश के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की छात्रों को माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित वार्षिक परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है ?

यदि हां, तो शासन परीक्षाओं की पवित्रता को कायम रखने हेतु परीक्षा पद्धति में सुधार अथवा परिवर्तन करने जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ? क्या शासन परीक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों के प्रवेश पर भी विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं । परिषद् परीक्षाओं में विगत तीन वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार छात्रों में नकल की प्रवृत्ति कम हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

ह—

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह केवल सदन को गुमराह करने वाला नहीं है बल्कि सरकार को भी गुमराह करने वाला है ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो गुमराह नहीं हो रहे हैं ।

श्री सरदार सिंह—

गुमराह हो रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि सुधार हो रहा ह । मेरी इस सुनिश्चित जानकारी को सही मानते हुए कि नकल का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, पाठ्य पुस्तकें परीक्षा में एलाउ करेंगे ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, तजुर्बे के तौर पर नवीं कक्षा की वार्षिक एवं अर्ध वार्षिक परीक्षा में पाठ्य पुस्तक एलाउ करने के आदेश दिये गये है । दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कहा कि गुमराह कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है । यदि आप नकल में पकड़े जाने वाले लोगों के आंकड़ों को देख तो स्पष्ट हो जायेगा कि इसमें सुधार हो रहा है । सन् ५५ में हाई स्कूल में 35096, सन् 85में 25,132 और 86 में 26,969 लड़के पकड़े गये । इस प्रकार आप देखें बराबर इसमें सुधार हो रहा है । लेकिन शासन 'इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं है । शासन इस बात पर विचार कर रहा है कि नकल करने वालों को और नकल कराने वालों को दोनों को दण्डनीय अपराध की परिधि में लाया जाय ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में कहना चाहता हूं । मंत्री जी ने आंकड़ों को देकर इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि नकल में कमी आयी है । क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि शासन को और माननीय मंत्री को जन-प्रतिनिधियों से सरकार की शिकायत मिली है कि स्कूलों में इस बात की व्यवस्था होती है कि प्रथम श्रेणी में पास होना है तो 5 सौ रुपये दीजिये और अलग कमरे में बैठिये, उनकी कापियां दूसरे लोग लिखते हैं । सेन्टर भी उसी स्कूल को कराते हैं जहां ऐसी व्यवस्था हो । मान्यवर, नकल म बराबर वृद्धि हो रही है और शिक्षा विभाग में भी इससे भ्रष्टाचार बढ़ा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस दिशा में जो व्यवहारिक पहलू है उस पर विचार करके कोई कारगर कदम उठायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

शिक्षा परिषद् इस बात का प्रयास कर रही है कि नकल को कसे रोका जाये । हमने उड़न दस्ते भी बनाये हैं जो निरीक्षण भी करते हैं । मैंने स्पष्ट किया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कुरीति को रोका जाय । हमारे अधिकारी शिक्षा परिषद् में इस सम्बन्ध में काम कर रहे हैं । जहां तक आंकड़ों का सवाल है जो लड़के व्यक्तिगत रूप से पकड़े जाते हैं, उनकी संख्या तो बढ़ी है लेकिन जो सामूहिक नकल कराई जाती है, या सुनियोजित

ढंग से नकल कराने की प्रथा में कमी आयी है ।

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान—

यह एक सामाजिक समस्या है । इस समस्या का निदान नियमों में फेरबदल करके निकाला जा सकता है । जो प्रश्न-पत्र दिये जाते हैं वह लम्बे दिये जायं और किताब की छूट देकर इसको रोका जा सकता है । क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है । नवीं कक्षा में विद्यार्थी 35 प्रतिशत अंक के उत्तर किताब के सहारे दे सकता है । बाकी प्रश्न ऐसे होंगे कि उसमें स्वाध्याय नहीं किया है तो प्रश्न-पत्र का जवाब ठीक से नहीं दे सकता है । यह तजुर्बे के रूप में शुरू कर रहे हैं और आशा है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी ।

श्री अचल सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर के गुरगौल इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य और प्रबन्धकों ने इस सम्बन्ध में छात्रों से कई लाख रुपये वसूल किये, जिसकी लिखित शिकायत उस क्षेत्र के लोगों ने लिख कर जिलाधिकारी से की थी ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराएंगे ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, इस सवाल का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन यदि माननीय सदस्य लिखकर देंगे, तो जैसे और माननीय सदस्य समय-समय पर लिखकर देते हैं, हम इसकी भी जांच करा लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करने की कृपा करेंगे कि जो नकल की प्रक्रिया है, बढ़ती रहे या घटती रहे, लेकिन इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि बड़े पैमाने पर नकल हो रही है और परीक्षाओं में अबंध तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं । मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो विचार करन की बात कही तो क्या उन्होंने इस पर विचार किया है कि इस पूरी प्रक्रिया में परीक्षा प्रणाली के अलावा परीक्षण भी शामिल है ? यदि हां, तो परीक्षा प्रणाली में सम्पूर्ण रूप से सुधार करने के लिये क्या व्यापक रूप से कोई अध्ययन समिति बनाई जा रही है और क्या शासन इसमें और सुधार करने के लिये और कोई प्रयास कर रहा है ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, सम्प्रति नवें दर्जे में पुस्तकें ले जा करके परीक्षा देने की अनुमति दी गयी है । इसको हम देखेंगे और सोचेंगे कि किस तरह से इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है । यदि इसके नतीजे अच्छे रहे तो निश्चय ही हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ायेंगे ।

*7—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[दिनांक 1-9-86 के ता० प्र० सं० 6 द्वारा उत्तरित] ।

कालविन तालुकेदार कालेज, लखनऊ की प्रबन्ध समिति को जारी 'कारण बताओ' नोटिस

*8—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कालविन तालुकेदार कालेज, लखनऊ की प्रबन्ध समिति को तत्कालीन शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश श्री पृथ्वी राज चौहान ने दिनांक 17-2-83 को साधिकार नियंत्रक

नियुक्त करने हेतु कारण बताओ में नोटिस जारी किया था ? यदि हां, तो उसमें दर्शित आरोप क्या थे ? क्या उक्त कारण बताओ नोटिस का क्रियान्वयन किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

कारण बताओ नोटिस में दिये आरोपों की सूची संलग्न है ।

विद्यालय के प्रबन्धक को इण्टर-मीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 घ (3) के अन्तर्गत दिये गये कारण बताओ नोटिस का प्रबन्धक ने कोई उत्तर नहीं दिया । शिक्षा निदेशक ने उक्त अधिनियम की धारा 16 घ (4) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति किये जाने का प्रस्ताव अपने पत्र दिनांक 23-3-85 द्वारा शासन को भेजा । प्रकरण में आयुक्त, लखनऊ मण्डल से आख्या एवं संस्तुति मांगी गयी है जिसके प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, कांग्रेस की समाजवादी सरकार में अभी भी कालिवन तालुकेदार्स कालेज नाम की संस्था चल रही है, जिसके अध्यक्ष कमिश्नर होते हैं और कलेक्टर सदस्य होते हैं । जो आरोप पत्र मंत्री जी ने संलग्न किया है, इसमें 14 आरोप सरकार की ओर से लगाये गये हैं और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है 1983 में कि उनके यहां क्यों न प्राधिकार नियंत्रक नियुक्त कर दिया जाये । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कालिवन तालुकेदार्स इण्टर कालेज की प्रशासनिक योजना इण्टरमीडिएट ऐक्ट के प्राविधान 16 क-1 के अनुसार बनी है या नहीं, यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की ? दूसरी बात यह कि 1-10-1958, जबसे यह ऐक्ट बना, तबसे 14 बार शिक्षा निदेशक ने बाडी एडमिनिस्ट्रेशन एप्रूव कराने के लिये पत्र लिखा, क्या उसके बाद अनुमोदन कराने के लिये उनकी प्रशासनिक योजना शिक्षा निदेशक को मिली ? यदि नहीं, तो इसमें ढिलाई बरतने का क्या कारण है और सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो सतत प्रयास किये गये, उससे मैंने सदन को अवगत किया उत्तर के द्वारा । शासन ने यह निर्णय लिया था कि आयुक्त लखनऊ मण्डल से प्रकरण में आख्या एवं संस्तुति मांगी जाय । अतः उन्हें आवश्यक पत्र भेजे गये और यह अपेक्षा की गयी कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपनी आख्या प्रस्तुत कर दें । पहले जो जांच करने के लिए कहा गया था, उसमें यह कहा गया कि विभाग के द्वारा जांच करायी जाय । लेकिन शासन ने अपना मत व्यक्त किया कि चूंकि शासन के ही कमिश्नर वहां चेयरमैन हैं, वे स्वयं प्रकरण में अपनी आख्या दें । उन्हें इस सम्बन्ध में काफी सख्ती के साथ लिखा गया है ।

मान्यवर, प्रकरण में जैसे ही उनकी आख्या प्राप्त हो जायेगी, निश्चय ही जो आवश्यक कार्यवाही है, वह की जायेगी । जो माध्यमिक शिक्षा के अधिनियम हैं, उनके अन्तर्गत ही कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, जो स्वयं जिम्मेदार हैं उन्हीं को जांच सौंपी गयी है । इसमें आर्थिक अनियमितता के आरोप हैं । मंत्री जी ने स्वीकार किया कि आयुक्त लखनऊ मंडल वहां की प्रबन्ध समिति के चेयरमैन हैं । वे भी इसमें दोषी हैं । शासन उसी दोषी व्यक्ति से प्रकरण में जांच करा रहा है । उनसे जांच कराना न्यायसंगत नहीं होगा । अतः क्या माननीय मंत्री जी उनसे जांच कार्य को वापस लेकर शासन स्तर पर इसकी जांच कराने के प्रश्न पर विचार

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 181 पर) ।

करेंगे ? आयुक्त तो जांच में ढिलाई बरतेंगे ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, आयुक्त शासन के प्रतिनिधि हैं, उनसे प्रकरण में आख्या मांगी गयी है । यदि उन्होंने आख्या शीघ्र नहीं दी, तो उनसे समयवद्ध आख्या प्राप्त की जायेगी । उसके बाद भी अगर उनका सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो निश्चय ही ऐसी कार्यवाही का प्रयास किया जायेगा जिससे माननीय सदस्य संतुष्ट हो सकें ।

श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, उत्तर में यह उल्लेख है कि शिक्षा निदेशक ने 23 मार्च, 1985 के पत्र द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति का प्रस्ताव शासन में भेजा था । लेकिन अब तक यह नियुक्ति नहीं हुई । इसे एक वर्ष तीन माह बीत गये हैं, अब तक इसे न करने के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, यह सही है कि 23 मार्च, 1985 के पत्र द्वारा शासन में प्राधिकृत नियंत्रक को नियुक्ति की संस्तुति निदेशालय से आयी है । संस्तुति का परीक्षण करने के बाद शासन ने यह मुनासिब समझा कि अपने आयुक्त जो वहां चेयरमैन हैं, उनसे प्रकरण में आख्या प्राप्त कर ली जाय । उसके बाद कार्यवाही की जाय । मान्यवर, इसके पहले की स्थिति मैंने आपके समक्ष स्पष्ट कर दी है ।

श्री सुखपाल पान्डे—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आयुक्त के पास यह रिपोर्ट परीक्षण करने के लिए कब भेजी गयी है ? दूसरे इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, यह पत्र दिनांक 7 अक्तूबर, 1985 को भेजा गया, उसके बाद स्मरण पत्र 5 मई, 1986 को भेजा गया । 26 अगस्त, 1986 को पुनः पत्र लिखा गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, शिक्षा अधिनियम के सेक्शन 16 जी की जो विधिक जानकारी मुझे है, उसके आधार पर मैं यह जानना चाहता हूं कि निदेशक ने शासन को नियंत्रक की नियुक्ति की संस्तुति कर दी, शासन ने किस नियम के तहत आयुक्त फिर आख्या मांगी ? मान्यवर, अभी एक प्रश्न किया गया था कि जब आयुक्त जो स्वयं इस विद्यालय से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हैं पदेन अधिकारी होते हैं, उनसे आख्या मांगने का क्या औचित्य है । मान्यवर, निदेशक ने उसकी आवश्यकता को महसूस करके ही प्रस्ताव भेजा कि नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाय । शासन को यह मेन्डेटरी प्राविजन है कि तत्काल एक साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाय । मैं यह जानना चाहता हूं कि सेक्शन 16 (जी) में कौन सी धारा है जिसके अन्तर्गत आपने आयुक्त से जांच आख्या मांगी है जबकि वे उस विद्यालय की प्रबन्ध समिति के चेयरमैन हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री गुप्ता जी स्वयं एक शिक्षक हैं और नियमों के बारे में जानकारी रखते हैं । संस्तुति शब्द स्वयं में स्पष्ट करता है कि वह बन्धक नहीं है । यह जरूरी नहीं है कि संस्तुति को मान ही लिया जाय । सरकार को यह अधिकार है कि वह संस्तुति को निरस्त भी कर सकती है या संस्तुति के बारे में और ज्यादा आख्या प्राप्त कर सकता है । जो भी कार्यवाही की गयी है सरकार के अधिकार की परिधि के अन्दर ही की गयी है । यह सही है कि निदेशालय ने कई बार प्रबन्धतंत्र को पत्र लिखे । लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया । प्रबन्धतंत्र के हमारे कमिश्नर पदेन अध्यक्ष हैं ।

निश्चित ही हम ऐसा महसूस करते हैं कि पहले हम उनसे आख्या प्राप्त कर लें। आख्या प्राप्त हो जाने के बाद नियमानुसार हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, शिक्षा निदेशक ने जो सी काज़ नोटिस दिया उसके विन्दु–2 पर आप देखें। उसमें यह लिखा है कि आयुक्त अध्यक्ष संबधित विद्यालय ने 28 अगस्त, 1980 को विद्यालय की प्रबन्ध समिति के प्रधानाध्यापक को यह निर्देश दिया था कि आडिट कराने हेतु पत्रावली सुलभ करायी जाय। इस संबंध में 1980 से लेकर लखनऊ मन्डल के आयुक्त ने अध्यक्ष, सम्बन्धित विद्यालय को बार–बार निर्देश दिया उसके बावजूद भी आडिट अभी तक नहीं कराया गया। लखनऊ मन्डल के कमिश्नर ने खुद इस तरह के निर्वेश दिये हैं। तो उसके बावजूद भी उनसे पुनः जांच कराने का औचित्य क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, मे माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सम्बन्धित विद्यालय के अध्यक्ष जो कमिश्नर होता है वह बदलते रहते हैं। लेकिन यह कहना कि हमारे आयुक्त को इसमें कोई गलत मंशा है ठीक नहीं है। जो भी प्रकरण है उसमें और आख्या प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि मैं पूर्व में ही कह चुका हूं कि आख्या प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी प्रबन्धतंत्र के खिलाफ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, 16–डी के तहत नोटिस दे दिया गया। फिर उस विद्यालय के अध्यक्ष से आप जांच करा रहे हैं। यदि आप ऐसा करायगे तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। अन्य इस प्रकार के कालेजों की मेनेजमेन्ट कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, वह डायरेक्टर्स के आदेशों की अवहेलना करेंगे। आयुक्त जो सम्बन्धित विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं मैं उन्हें शासक दल का आदमी नहीं मानता। अब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 16–डी के तहत नोटिस के बावजूद भी किन परिस्थितियों और किस नियम के तहत आयुक्त से जांच कराने के लिए कहा गया। यह सारी परिस्थिति इसलिये है कि इसमें शब्द "तालुकेदार" लगा हुआ है। जबकि शासन की वह नीति है कि किसी स्कूल का किसी विशिष्ट जाति से नाम नहीं होगा इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए क्या शासन शब्द "तालुकेदार" जिसमें से फंड्यूलिज्म की बू आती है इस विद्यालय के नाम से हटाने की कृपा करेंगे।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, नियमों के तहत निदेशक द्वारा दी गयी थी वह प्रबन्धक को दी गयी थी उन्हीं से नियमों के बारे में पूछा गया था। कमीश्नर से जांच कराने की बात कही गई है। कमीश्नर से जांच के लिए नहीं उनसे इन आरोपों के संबंध में आख्या मांगी गई है। तीसरी बात यह है कि जहां तक आपने "काल्विन तालुकेदार" नाम की बात कही है, इससे न तो किसी जाति का पता चलता है और न किसी धर्म का पता चलता है।

बलिया में विश्वविद्यालय की स्थापना

*9—श्री विक्रमादित्य पान्डेय—

(अनुपस्थित)

क्या सरकार बलिया में विश्वविद्यालय की स्थापना उस स्थान पर नहीं करने जा रही है जहां इसका शिलान्यास दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दिनांक 23 मई, 1984 को किया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

बलिया में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की जा रही है।

दिनांक 23 मई, 1984 को दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शिलान्यास नहीं किया था अपितु शेरे बलिया चित्तू पान्डेय जंगली बाबा शिक्षण संस्थान, गड़वार, बलिया का शिलान्यास किया था ।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों के प्रधान अध्यापक और अध्यापकों का स्थानान्तरण समायोजन प्रस्ताव

*10—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी —

क्या शिक्षा मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से समय के अन्दर अध्यापकों/अध्यापिकाओं के समायोजन स्थानान्तरण तथा प्रोन्नति की सूची तैयार न किये जाने के कारण पूरे जनपद में वर्ष 1985 में उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका जिसके कारण बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित बहुत सी प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक नहीं हैं और बहुत से स्कूल लगभग अध्यापक विहीन हैं जबकि बहुत से विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक अध्यापक हैं जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों छात्राओं के अध्ययन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और बेरोजगार बी० टी० सी० प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति भी नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो जिले में समायोजन स्थानान्तरण तथा प्रोन्नति का कार्य पूरा करके बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त करने तथा इस बारे में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)—

स्थानान्तरण /समायोजन प्रस्ताव तैयार किये गये थे, किन्तु स्थानान्तरण समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अनुमोदित न किये जाने के कारण वर्ष 1985 में अध्यापकों का समायोजन/स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद के लिए स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों पर बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यार्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, इस प्रश्न के सम्बन्ध में आपका संरक्षण चाहता हूं । माननीय मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है पहले पराग्राफ में कि समायोजन और स्थानान्तरण की लिस्ट बनी थी, बाकी के उत्तर में "जी नहीं", "जी नहीं" कह दिया । माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि समायोजन की लिस्ट तभी बनती है जब कहीं पर ज्यादा और कही पर कम अध्यापक होते हैं, तब जहां ज्यादा होते है वहां से जहां कम होते है, वहां ट्रांसफर होता है, इसी को समायोजन कहते हैं । जब समायोजन की लिस्ट बनी थी तब इसका क्या औचित्य है कि कहीं पर न ज्यादा थ न कम थे ? माननीय मन्त्री जी, यह जो विरोधाभास है इसको स्पष्ट करने की कृपा करें ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

सन 1983 में 103 अध्यापक अधिक नियुक्त कर दिये गये थे, जिसकी शिकायत

मिलने पर जांच-पड़ताल की गई, शिकायतें सही मिलीं, इस वजह से बी० एस० ए०, डी० आई० और डीलिंग क्लर्क को ससपेण्ड कर दिया गया, डीलिंग क्लर्क ने रिकार्ड गायब कर दिया था, इसीलिय 85 में समायोजन नहीं किया जा सका। फिर 85 में निदेशक, बेसिक शिक्षा दौरे पर गये। वहां पर उन्होंने देखा कि जो लोग पदोन्नति पा चुके हैं, उसके आधार पर जो उससे पहले के तीन साल के जो अध्यापक नियुक्त हैं, उनके आधार पर नियुक्ति की सूची और पूरा रिकार्ड मांग लिया गया, उसके बाद स्तर निर्धारित किया गया। उसकी सूचना प्रसारित की गई कि अगर कोई एतराज हो तो दाखिल करें, कोई एतराज नहीं हुआ तो पदोन्नति कर दी गई। ऐसी स्थिति में अब इसमें इस समय हर जगह अध्यापक हैं, पदोन्नति हो गई है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है।

श्री मित्रसेन--

जो नियुक्तियां की गई हैं उसमें फैजाबाद जनपद में अभी तक माननीय मन्त्री जी के पास बी० टी० सी० प्रशिक्षित लोगों की सूची में कितने लोग हैं और ऐसे कितने हैं जो ओवर-एज हो गये हैं और नियुक्ति नहीं हुई है? ऐसे लोगों के सम्बन्ध में क्या योजना है, इनकी नियुक्ति कब तक हो जायेगी?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

जहां तक उन बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की ओवर एज का सवाल है, उस सम्बन्ध में 45 वर्ष तक की सामान्य छूट दे दी गई है और यदि इससे भी अधिक उम्र होगी 46 वर्ष या 47 वर्ष तो उस पर भी विचार किया जा रहा है कि 50 साल तक यदि सम्भव हो तो दे दिया जाय। जहां तक बी० टी० सी० की सूची का सवाल है, 145 सहायक अध्यापकों की पदोन्नति की जा चुकी है, 60 नये बी० टी० सी० के स्थान जो रिक्त थे उस पर भी भर्ती कर दी गई है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

फैजाबाद में बी० टी० सी० प्रशिक्षित आज भी कितने बेरोजगार अध्यापक हैं, जिन्हें स्कूल में लिया जाना है और अब तक जितने लिये हैं उसमें किस वर्ष तक के ट्रेनिंग शुदा लोगों को लिया गया है? कब से ट्रेनिंग किये हुए अध्यापक अभी लिये जाने हैं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

माननीय, हमने बताया कि जो स्थान रिक्त होते जाते हैं सन वार उनकी नियुक्ति हम करते जा रहे हैं। इस साल साठ लोगों की नई नियुक्ति की गई है। जो भी स्थान रिक्त हो जायेंगे उनकी नियुक्ति हम करते जायेंगे।

काशी विद्यापीठ द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य मेरिट प्रमोशन योजना

*11-श्री कौशिक रमाशंकर--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि काशी विद्यापीठ, वाराणसी के कुलपति ने शासनादेश के विपरीत मेरिट प्रमोशन योजना के अन्तर्गत कुछ अध्यापकों को प्रोन्नति प्रदान की है? यदि हां, तो क्या शासन ने उक्त प्रोन्नतियों को निरस्त करने की कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां।

शासन ने काशी विद्यापीठ को सूचित किया कि विद्यापीठ द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मेरिट प्रोमोशन योजना के कार्यान्वयन का कार्य शासन

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

को मान्य नहीं है। शासनादेश के निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर व देहात क्षेत्र के इन्टरमीडिएट एवं हाई स्कूलों को मान्यता व वित्तीय सहायता

*12-श्री जौहरी लाल त्रिवेदी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में कानपुर नगर व देहात क्षेत्र के जिन इन्टरमीडिएट एवं हाई स्कूलों को मण्डलीय मान्यता समिति ने मान्यता दी है और उनको वित्तीय सहायता की सूची में शामिल करने हेतु शासन को भेजा गया, उन्हें मान्यता प्राप्त हुई और क्या शासन ने वित्तीय स्वीकृति दे दी है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां।

कुल 13 प्रकरण मान्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त शासन को प्राप्त हुए हैं, जो वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में अभी तक शासन स्तर पर लम्बित हैं।

भूतपूर्व परिचालकों को पुनः सेवा में रखे जाने तथा मृतकों के आश्रितों को नियुक्ति से सम्बन्धित मांगों पर कृत कार्यवाही

*13--श्री विष्णु देव--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रोडवेज मजदूर सभा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री रामसूरत यादव वर्ष 1980 से 1983 तक भू0पू0 परिचालकों को पुनः सेवा में रखे जाने तथा मृतकों के परिवार वालों को नियुक्ति की मांग को लेकर 10 फरवरी, 1986 से विधान भवन के समक्ष आमरण अनशन कर रहे थे, जिसके अनशन को माननीय परिवहन मन्त्री ने 17 फरवरी, 1986 को समाप्त कराया ? यदि हां, तो मांगें क्या थीं और कौन-कौन सी मांगों को पूरा किया जा रहा है ?

डा0 संजय सिंह--

जी हां।

किन्तु यह प्रकरण वर्ष 1980 से 1982 की प्रतीक्षा सूची के परिचालकों से सम्बन्धित था। मांगे प्रश्न के अनुसार ही थीं। दोनों ही मांगों को पूरा करने की दिशा में निगम प्रशासन द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

प्रदेश में वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था

*14--श्री अकबर हुसैन डाबर--

क्या वक्फ मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में सर्वेक्षण के दौरान करोड़ों रुपये की मिलकियत की खोजी गई वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु जिला स्तर पर कोई स्थायी व्यवस्था है या कोई स्थायी व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी--

प्रदेश में वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा, कुशल प्रशासन एवं प्रबन्ध हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर के अधीन वक्फ कर्मचारियों की अन्तरिम व्यवस्था के तौर पर तैनात करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है और इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश वक्फ आयुक्त, उत्तर प्रदेश एवं समस्त जिलाधिकारी आदि को भेजे जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद् के प्रतिनिधियों से हुई वार्ता

*15--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत 14 मई, 1985 को उत्तर प्रदेश

प्रधानाचार्य परिषद् के प्रतिनिधियों से उनकी कुछ बातें हुई थी एवं कतिपय आश्वासन भी दिये गये थे ? यदि हां, तो दिये गये आश्वासनों के पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

वार्ता हुई थी ।

आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद आगरा के विकास खंड नारखी (कोटला) की गांव सभा भीकमपुर, मेघपुर में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत परिवारों का चयन

*16--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास क्षेत्र नारखी (कोटला) की ग्राम सभा भीकमपुर, मेघपुर में क्या वर्ष 1984 में आई0 आर0 डी0 योजना में 90 लाभार्थियों का चयन हुआ ? यदि हां, तो उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक न लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद आगरा के विकास खंड नारखी (कोटला) की गांव सभा भीकमपुर, मेघपुर में वर्ष 1984-85 में 75 परिवारों का चयन एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु किया गया । इनमें से अभी तक किसी परिवार को बैंक से ऋण की सुविधा न मिलने के कारण लाभान्वित नहीं किया जा सका है क्योंकि वर्ष 1985-86 से नये लाभार्थियों की संख्या कम कर पुराने लाभार्थियों को दूसरी खुराक देकर गरीबी की सीमा पार करने पर अधिक बल दिया जा रहा है । ऋण प्रार्थना-पत्रों की संख्या नये लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के लक्ष्य से अधिक होने के कारण इनको अभी तक योजनान्तर्गत लेना सम्भव न हो सका । वर्ष 1986-87 में इन्हें परियोजना में लाभान्वित करने का प्रयास किया जायेगा ।

*17--श्री राम सरन--

[9वें शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद बलिया के जय प्रकाश नगर में पुस्तकालय/वाचनालय भवन निर्माण की कथित योजना

*18--श्री मैनेजर सिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि जयप्रकाश नगर, जनपद बलिया में कोई पुस्तकालय, वाचनालय भवन निर्माण की योजना है ? यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

जनपद बलिया के जय प्रकाश नगर में सरकार की ओर से पुस्तकालय या वाचनालय भवन निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

जिला बाराबंकी, ब्लाक निन्दूरा की अनवारी, टिकैतगंज और कतुरी खुर्द ग्राम सभाओं में प्रधानों के विरुद्ध थानों में दर्ज रिपोर्ट

*19--श्री राम गोबिन्द चौधरी--

क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी ने नवम्बर, 85 के 3रे सप्ताह में उस जिले के ब्लाक निन्दूरा की अनवारी टिकैतगंज और कतूरी खुर्द गांव सभाओं के प्रधानों के विरुद्ध धारा 409 ता0 हि0 के मुकदमें थाना कुर्सी व थाना बड्डूपुर में कायम कराये ? यदि हां, तो उन सभाओं के विरुद्ध अलग-अलग आरोप

क्या थे और क्या एस0 डी0 एम0 फतेहपुर/जिला अधिकारी, बाराबंकी ने भी उनके हटाने की दिशा में कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी द्वारा नवम्बर, 1985 के तीसरे सप्ताह में जिले के विकास खंड निन्दूरा की गांव सभा अनवारी, मोसण्ड (टिकैतगंज) और कतुरी खुर्द के प्रधानों के विरुद्ध धारा 409 ता0 हि0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कुर्सी तथा बड्डूपुर में दर्ज कराई गई । प्रत्येक प्रधान के विरुद्ध निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग के आरोप थे ।

परगनाधिकारी, फतेहपुर / जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा इन प्रधानों को हटाने सम्बन्धी कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया क्योंकि प्रत्येक मामले में अभियोग साबित न होने पर अन्तिम रिपोर्ट लगा कर प्रथम सूचना रिपोर्ट समाप्त कर दी गई ।

मांट क्षेत्र के मानागढ़ी व लोहई में जिला परिषद्, मथुरा द्वारा चलाये जा रहे आयुर्वेदिक अस्पताल तथा डाक्टरों का रिक्त पद

*20—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मांट क्षेत्र के मानागढ़ी व लोहई में जिला परिषद्, मथुरा द्वारा आयुर्वेदिक अस्पताल चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? क्या यह सत्य है कि इन अस्पतालों में 8 साल से डाक्टर के स्थान पर केवल वार्ड—ब्वाय ही है ? यदि हां, तो डाक्टरों की अब तक नियुक्ति न करने के कारण क्या है ? क्या सरकार इन अस्पतालों को सुचारु रूप से चलाने के लिए अविलम्ब डाक्टरों की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जिला परिषद् लोहई अस्पताल जून, 1949 से तथा जिला परिषद् अस्पताल मानागढ़ी फरवरी, 1956 से चलाये जा रहे हैं ।

जिला परिषद् चिकित्सालय मानागढ़ी में कार्यरत चिकित्साधिकारी (वैद्य) के दिनांक 1 जनवरी, 1982 से एवं जिला परिषद् औषधालय लोहई में कार्यरत चिकित्साधिकारी (वैद्य) के दिनांक 1 फरवरी, 1982 से सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप इन औषद्यालयों में उक्त तिथियों से वार्ड ब्वाय कार्य कर रहे हैं ।

एकीकृत मानव चिकित्सालय बरसाना में कार्यरत चिकित्साधिकारी को मानागढ़ी औषधालय में तथा मानव चिकित्सालय रया के चिकित्साधिकारी को लोहई चिकित्सालय के लिए स्थानान्तरित कर तैनात किया गया था किन्तु स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों ने माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिसके कारण उक्त अस्पतालों में चिकित्साधिकारी का पद रिक्त है । अध्यक्ष जिला परिषद् मथुरा को लिखा जा चुका है कि स्थगन आदेश निरस्त कराने की तत्काल प्रभावी कार्यवाही करें ।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम उदनपुर, तहसील कालपी, जिला जालौन में प्राइमरी पाठशाला के भवन का पुनर्निर्माण, बालिका विद्यालय के पृथक निर्माण की मांग

1—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री जो यह बतायेंगे कि ग्राम उदनपुर, विकास खण्ड कदौरा (बावनी स्टेट), तहसील कालपी, जिला जालौन में प्राइमरी पाठशाला भवन जो कि पूर्णरूप से जीर्णशीर्ण हो चुका है

जिसमें छात्रों के बैठने की पर्याप्त जगह भी नहीं है, के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन विद्यालय का भवन अपने कोष से निर्मित करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

प्रश्नगत विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण की प्रस्तावना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जिला योजनान्तर्गत वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर प्रश्न नहीं उठता ।

2--श्री यदुनाथ सिंह--

उक्त ग्राम में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कोई बालिका विद्यालय उपलब्ध नहीं है ? क्या शासन बालिका विद्यालय को पृथक रूप से बनवायेगी ? यदि हां, तो कितनी अवधि के अन्दर ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

जी नहीं । प्राइमरी स्तर तक मिश्रित विद्यालय का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय अंचलों में प्रान्तीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों का वेतनक्रम

3--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचलों में प्रान्तीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्व से एल0 टी0 वेतनक्रम में स्थायी एवं परिवीक्षा में चल रहे कला अध्यापकों को भी प्रान्तीयकरण की तिथि में ही पूर्व में उनके द्वारा लिये जा रहे वेतनमान में ही अनमन्य किया गया है ? यदि नहीं, तो उन्हीं के साथ समकक्ष अन्य विषयों के अध्यापकों को शिक्षा योग्यता में छूट एवं प्रशिक्षण सुविधा देकर प्रान्तीयकरण की तिथि से प्रान्तीयकरण से पूर्व उन्हें मिलने वाला वेतनक्रम किस आधार पर किया जाता रहा है ? क्या सरकार कला अध्यापकों के साथ इस अन्याय/पक्षपात को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां, पद हेतु निर्धारित योग्यता अनुसार अर्ह सभी अध्यापकों को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के क्रीड़ा अधिकारियों का पदनाम व स्वीकृत वेतनमान

4--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद विश्व-विद्यालयों में निदेशक, उप निदेशक, फिजिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि विविध पद-नामों पर कार्यरत खेल-कूद व क्रीड़ा अधिकारी को प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा के पदनाम पर नियुक्त करते हुए उन्हें 700-1600 रु0 का वेतनमान दिया गया है ? यदि हां, तो कुमायूं, गढ़वाल, बुन्देलखण्ड, आगरा व मेरठ विश्वविद्यालयों पर इसी कार्य हेतु समान शिक्षा योग्यता प्रतिभा पर पूर्व में कार्य करते आ रहे क्रीड़ा अधिकारियों को उपरोक्त पदनाम व वेतनक्रम स्वीकृत न करने का क्या कारण है ? इन्हें कब तक समान पद व समान वेतन दिलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

संलग्न सूची में उल्लिखित विश्व-विद्यालयों में उनके समक्ष अंकित पदों के लिए 700-1600 रु0 का वेतनमान तथा प्रवक्ता पद नाम दिया गया है । प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में क्रीड़ा-

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 182पर)

धिकारियों को प्रवक्ता पदनाम तथा यू0 जी0 सी0 वेतनमान 700–1600 रु0 नहीं दिया गया ।

प्रश्नगत विश्वविद्यालयों तथा अन्य विश्वविद्यालयों के क्रीड़ाधिकारियों के कार्य की प्रकृति शैक्षिक नहीं है । अत: इन्हें 700–1,600 रु0 का यू0 जी0 सी0 वेतनमान तथा प्रवक्ता पद नहीं दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारकों को चयन में प्राथमिकता देने का निर्देश

5––श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री जी एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन करते समय अन्य अर्हताओं के समान होते हुए उन लाभार्थियों को निश्चित प्राथमिकता देने का निर्देश देंगे जिन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वेच्छा से नसबंदी कराई हो ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार कल्याण कार्यक्रम के ग्रीन कार्ड धारकों को चयन में प्राथमिकता देने के निर्देश शासनादेश संख्या यू0ओ0–263/38–6–85, दिनांक 24 अक्तूबर, 1985 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं ।

श्री अब्दुल वहीद, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, जू0 हाई स्कूल सिधौली, विकास खन्ड मीरगंज को भुगतान दिलाने हेतु पत्र

6––श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, तृतीय मंडल, बरेली के पत्र संख्या ई–3–विविध––बेसिक 417–18/85–86, दिनांक 10–4–85 द्वारा जो श्री अब्दुल वहीद सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, जू0 हा0, सिधौली, विकास खन्ड मीरगंज, जिला बरेली के देय भुगतानों को उन्हें दिलाने हुतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली को लिखा गया है पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या प्रश्नगत प्रधानाध्यापक का देय भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या माननीय मंत्री जी अविलम्ब उक्त धन का भुगतान कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री––

जी हां ।

जीवन बीमा का भुगतान हो गया है शेष के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है । कार्यवाही प्रक्रिया में है ।

जनपद बिजनौर के कादरीबाद भूतपूर्व सैनिक इन्टर कालेज की कार्यकारिणी के चुनाव

7––श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर विकास खण्ड अफजलगढ़ के कादरीबाद भूतपूर्व सैनिक इन्टर कालेज की कार्यकारिणी के चुनाव वर्ष 1972 से आज तक क्यों नहीं कराये गये जब कि विधान के अनुसार उक्त चुनाव प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए ? क्या माननीय मंत्री जी अविलम्ब उक्त चुनाव करवाने तथा आज तक समय–समय पर विधि अनुसार चुनाव न कराने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के स्पष्टीकरण प्राप्त करके उनके खिलाफ एक निश्चित समय के भीतर कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त सूचना के अनुसार 1974 के चुनाव नहीं कराये गये हैं। चुनाव न कराने के सम्बन्ध में कार्यकारिणी के प्रस्तावों द्वारा ही समय-समय पर चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं।

इस प्रकरण से सम्बन्धित सभी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

उन्नाव जिले के कतिपय ब्लाकों में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना हेतु स्वीकृत धनराशि

8--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह जानकारी देंगे कि उन्नाव जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए वर्ष 1985-86 में हिलौली, असोहा, सुमेरपुर व बांघापुर ब्लाकों में अलग-अलग कितना धन स्वीकृत हुआ और प्रति ब्लाक अलग-अलग कितना आबंटित हुआ? इस सम्बन्ध में क्या यह भी जानकारी देंगे कि पुरवा विकास खंड के प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले हिस्से व शेष भाग एन0 आर0 ई0 पी0 का अलग-अलग कितना धन व्यय किया गया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

9--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उन्नाव जिले के हिलौली ब्लाक के प्रमुख राम सिंह का बी0 डी0 ओ0 के आचरण का दुर्व्यवहार संबंधी शिकायती-पत्र

10--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह जानकारी देंगे कि उनको उन्नाव जिले के हिलौली ब्लाक के प्रमुख राम सिंह का बी0 डी0 ओ0 के आचरण के दुर्व्यवहार संबंधी शिकायती-पत्र व प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र पत्रांक 238/86, दिनांक 4 अप्रैल, 1986 सहित प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है? क्या मन्त्री जी को प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 17 मार्च, 1986, पत्रांक 196/86 भी प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

लघु सिंचाई विभाग के मुख्यालय स्तर पर कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की लिपिक वर्ग में पदोन्नति

11--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग के मुख्यालय स्तर पर कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को लिपिक वर्गीय पदों का लाभ दिया गया? यदि हां, तो क्या पदोन्नति का विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां।

पदोन्नति का विवरण संलग्न है।

उन्नाव जिले के पुरवा विधान सभा निर्वाचन क्षत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाएं

12--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 184 पर)।

के पुरवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1985–86 में एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजना स्वीकृत हुई थी ? इनमें कितनी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं ? योजनाएं समय पर पूरी न किए जाने से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वर्ष 1985–86 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पुरवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड असोहा पुरवा व हिलोली में स्वीकृत की गई योजनाओं एवं पूर्ण, अपूर्ण कार्यों का विवरण संलग्न† है ।

योजनायें अपूर्ण रहने का प्रमुख कारण स्वीकृत धनराशि एवं आवंटित की धनराशि में अन्तर होना है । वित्तीय कठिनाई के कारण धन अवमुक्त नहीं किया जा सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बी0टी0सी0 प्रशिक्षित बेरोजगारों का संख्या, सेवायोजित किये जाने के उपाय

13--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है और इनको सेवायोजित किए जाने के क्या उपाय किए जा रहे हैं ? क्या यह सही है कि उन्नाव जिले के प्राइमरी स्कूलों में एक ओर अध्यापकों की संख्या कम है और दूसरी ओर बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षितों को सेवा में नहीं लिया जा रहा है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

लगभग 48,000 परिषदीय विद्यालयों में समय-समय पर नये पद सृजित करके तथा वर्षानुवर्ष होने वाली रिक्तियों में नियुक्ति प्रदान करके इन्हें सेवायोजित किया जाता है । 40:1 मानक के आधार पर सहायक अध्यापकों के मात्र 75 पद उन्नाव जनपद में रिक्त हैं । उन पर बी0 टी0 सी0 बेरोजगारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

उन्नाव जिले के के0एन0पी0एन0 इन्टर कालेज में हरिजन छात्रावास हेतु स्वीकृत धनराशि

14—श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले के के0एन0पी0एन0 इन्टर कालेज के हरिजन छात्रावास में बिजली, पानी, लैट्रीन आदि की कोई व्यवस्था नहीं है और विगत 10–15 साल से कमरों की सफाई-पुताई नहीं की गयी है और फर्जी वाउचर लगाकर धन हड़पा गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री सिंहते रजी--

जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव से प्राप्त सूचना अनुसार प्रश्नगत विद्यालय में हरिजन विभाग द्वारा स्थापित कोई हरिजन छात्रावास नहीं है । विद्यालय परिसर में दो छात्रावास हैं, जो क्रमशः प्राचीन छात्रावास व नवीन छात्रावास के नाम से जाने जाते हैं । प्रबन्ध तंत्र ने आंतरिक व्यवस्था स्वरूप प्राचीन छात्रावास में विज्ञान छात्रों को तथा नवीन छात्रावास में हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को रखने की व्यवस्था की है । नवीन छात्रावास की मरम्मत बाढ़ से प्रभावित होने के कारण गत वर्ष पूर्ण की गई है ।

शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए जा रहे हैं कि मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक इसकी स्वयं जांच करें तथा तदुपरान्त शिक्षा निदेशक इसमें आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

†छापा नहीं गया ।

प्राइमरी विद्यालयों का निरीक्षण, निरीक्षकों को क्षेत्र में ही निवास करने के आदेश

15—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों के निरीक्षण के लिए नियुक्त प्रति उप विद्यालय निरीक्षक स्कूलों में जाकर निरीक्षण न करके घर बैठे रजिस्टर मंगाकर निरीक्षण करते हैं ? यदि नहीं, तो क्या इससे निरीक्षण का उद्देश्य सुनिश्चित नहीं हो पाता ? यदि हां, तो क्या निरीक्षकों को क्षेत्र में ही निवास करने के आदेश निर्गत करेंगे ? क्या माननीय मन्त्री जी कृपया यह भी जानकारी देने का कष्ट करेंगे कि उन्नाव जिले के असोहा, पुरवा व हिलौली क्षेत्रों के निरीक्षक जनपद से बाहर क्यों रहते हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी नहीं ।

उद्देश्य सुनिश्चित होता है ।

ब्लाक मुख्यालय पर रहने के आदेश हैं ।

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत क्षेत्रों के प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अपने सम्बन्धित ब्लाक मुख्यालय पर ही रहते हैं ।

16-18—श्री जयदीप सिंह बरार—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

19-22—श्री जयदीप सिंह बरार—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

23-26—श्री जयदीप सिंह बरार—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

27-30—श्री जयदीप सिंह बरार—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

31-34—श्री जयदीप सिंह बरार—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

35—श्री जपदीप सिंह बरार—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

36—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[दिनांक 2 सितम्बर, 1986 को अता० प्र० सं० 197 द्वारा उत्तरित।]

एस० एन० जे० एन० डिग्री कालेज, हरिद्वार में कुमारी ऋचा शर्मा द्वारा बी०ए० की परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का औचित्य

37—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस० एन० जे० एन० डिग्री कालेज, हरिद्वार में कुमारी ऋचा शर्मा जो इन्टर की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो बी० ए० में प्रवेश लेकर बी० ए० की परीक्षा कैसे दे रही है जिनका रोल नं० 352210 है ? क्या इस प्रकार की असत्य कार्यवाही में विद्यालय के प्राचार्य का विशेष योगदान है ? क्या तथ्यों की जानकारी कराने के पश्चात् दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचनानुसार कु० ऋचा शर्मा ने महाविद्यालय को शपथ-पत्र दिया था कि उसने इन्टर की परीक्षा में पुनः मूल्यांकन हेतु आवेदन किया है तथा यदि उसे एक अंक और प्राप्त हो जाता है तो वह स्वतः उत्तीर्ण हो जायेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो महाविद्यालय उसका प्रवेश निरस्त कर सकता है । इस आधार पर इन्हें प्राविजनल रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गयी थी तथा छात्रा को चेतावनी दी गयी थी कि यदि परीक्षा समाप्ति पर भी मूल्यांकन का परिणाम नहीं आता तो विश्वविद्यालय

द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा । छात्रा को उक्त अनुमति प्राकृतिक न्याय के आधार पर दी गयी थी जिससे उसका एक वर्ष खराब न हो। ऋचा शर्मा ने इन्टर के मूल्यांकन का परिणाम नहीं प्रेषित किया । अतः परीक्षा फल रोक लिया गया है । महा-विद्यालय के अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित लिपिक को चेतावनी दे दी गयी है तथा कार्य-वाहक प्राचार्य को सतर्कता से कार्य करने हेतु लिखित निर्देश दे दिया गया है ।

ग्राम सभा गड़ेर, जनपद देवरिया में आय के स्रोत

38—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा गड़ेर, जनपद देवरिया में आय के क्या-क्या साधन है ? अब तक क्या ग्राम सभा के आय-व्यय का आडिट कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब आडिट कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्राम सभा गड़ेर जनपद देवरिया के आय के निम्न स्रोत हैं :—

1—दुकान किराया ।

2—तालाबों की नीलामी ।

3—ग्रामीण बैंक को उठाए गये पंचायत भवन का किराया ।

4—पंचायत घर ।

वर्ष 1972 तक का आडिट किया जा चुका है । तत्पश्चात् अवधि सम्बन्धी आडिट कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद ललितपुर के प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या, भवन का निर्माण बनाने पर विचार

39—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में कितने ऐसे प्रा0 विद्यालय हैं जिनमें अध्यापकों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए कम है तथा कितने विद्यालय भवनों के बिना चल रहे हैं ? क्या उक्त विद्यालयों का भवन निकट भविष्य में बनाने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जनपद ललितपुर में 184 प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या छात्रों की संख्या को देखते हुये कम है । 60 विद्यालय भवनहीन हैं ।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद क्षेत्र में लिपिक संवर्ग में रिक्त पद, अभ्यर्थियों का चयन एवं योग्यता, अनियमित नियुक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

40—श्री रमेश यादव—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद क्षेत्र में 1 जुलाई, 1981 को लिपिक संवर्ग में कितने पद रिक्त थे, कुल कितने लोगों को तिथिवार चयन हेतु बुलाया गया, तिथिवार कितने चयनित हुये, कितने नियुक्त किये गये, चयन समिति गठन के सम्बन्ध में अनुमति हेडक्वार्टर से ली गयी अथवा नहीं, यदि नहीं, तो क्या कारण है तथा अनियमित रूप से गठित चयन समिति के आधार पर की गयी नियुक्तियों को समाप्त करने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह—

दिनांक 1 जुलाई, 1981 को मुरादाबाद क्षेत्र में स्वीकृत जनशक्ति के विरुद्ध कोई पद रिक्त नहीं था ।

दिनांक 5 जुलाई, 1981 को कुल 233 अभ्यर्थियों को चयन हेतु बुलाया गया ।

कुल 170 अभ्यर्थियों की योग्यता सूची बनाई गयी ।

चयनित अभ्यर्थियों में से 126 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गयी ।

जी नहीं ।

कर्मचारी सेवा नियमावली, 1981 के भाग-5 में उल्लिखित सीधी भर्ती की प्रक्रिया के अनुच्छेद-20 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के गठन हेतु सक्षम हैं । प्रस्तुत प्रकरण में नियुक्ति प्राधिकारी से उच्च अधिकारी द्वारा चयन समिति का गठन किया गया ।

स्वीकृत जनशक्ति में रिक्ति न होने पर भी चयन करने एवं नियुक्तियां किये जाने के आरोपों के संदर्भ में मुरादाबाद के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के अनुसार स्थगित कर दिया गया है । अन्य दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद हरदोई के विकास खंड कोथवां के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री भास्कर त्रिपाठी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

41--श्री रामपाल वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र 6 नवम्बर, 1986 जनपद हरदोई के विकास खंड कोथवां के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री भास्कर त्रिपाठी के विरुद्ध प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

श्री भास्कर त्रिपाठी, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, कोथावां के विरुद्ध पायी गयी शिकायतों के लिए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं । यह भी निर्देश दे दिये गये हैं कि इनका अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया जाये ।

[4थे सोमवार के लिये स्थगित] जनपद फैजाबाद में श्री संतराम जूनियर हाई स्कूल, दिलासी-गंज के अध्यापकों के बकाया वेतन

42--श्री शिव नारायण मिश्र--

43--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में श्री संतराम जूनियर हाई स्कूल दिलासीगंज के अध्यापकों को अक्तूबर, 1984 से फरवरी, 1985 की अवधि का वेतन किन कारणों से अभी तक नहीं मिल सका है ? क्या यह भी सही है कि जनवरी, 1986 से पुनः उक्त विद्यालय के अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो उक्त विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों को दण्डित करने और अध्यापकों का बकाया वेतन तुरन्त दिलाने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद से सूचना मांगी गयी है ।

गुसाईगंज बस स्टेशन पर अनधिकृत संचालन आय में कमी

44--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में रोडवेज के

गुसाईगंज बस स्टेशन पर अनधिकृत टैक्सियों, बसों तथा अन्य गाड़ियों के रुकने, अधिकांश रोडवेज की बसों के कन्डक्टरों और ड्राइवरों द्वारा बसों को न रोकने तथा यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के कारण उक्त बस स्टेशन की आमदानी बहुत घट गयी है ? यदि हां, तो इस विषय में नवम्बर, 1985 से दिसम्बर, 1985 के बीच उक्त बस स्टेशन के बुकिंग क्लर्क द्वारा विभागीय अधिकारियों से की गयी लिखित शिकायतों पर की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है ? और उससे स्थिति में कितना सुधार हुआ है ?

डा0 संजय सिंह--

जी हां ।

गुसाईगंज बस स्टेशन पर अनधिकृत संचालन के कारण आय घटी है । निगम के कन्डक्टरों तथा ड्राइवरों द्वारा बसों को न रोकने तथा यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की कोई शिकायत प्रश्नगत अवधि में नहीं प्राप्त हुयी । अनधिकृत संचालन के सम्बन्ध में उक्त बस स्टेशन के बुकिंग लिपिक को लिखित शिकायत प्राप्त होने पर जिला/पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त चेकिंग भी की गयी, जिसके फलस्वरूप माह नवम्बर 85, दिसम्बर 85 तथा जनवरी 86 की अवधि में बस स्टेशन की आय में अपेक्षाकृत बढ़ोत्तरी हुई ।

प्रदेश के ब्लाक प्रमुखों को अनुमन्य दैनिक भत्ते/यात्रा भत्ता के संशोधन का निर्णय

45--श्री विष्णु देव--

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के ब्लाक प्रमुखों को अनुमन्य दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता (डी0 ए0 टी0ए0) के संशोधन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इसका निस्तारण कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं, संशोधन का निर्णय लिया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

46--श्री विष्णु देव--

[4 थे सोमवार के लिए स्थगित]

आजमगढ़ व दोहरीघाट बस डिपो को आवंटित नई बसें

47--श्री विष्णु देव--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यात्रियों को यातायात की सुविधा बढ़ाने के लिये कई बसें चलाने की सरकार की घोषित नीति के अनुसार आजमगढ़ बस डिपो व दोहरीघाट बस डिपो को गत मार्च 1985 से आज तक कितनी नई बसें दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह--

मार्च 1985 से दिनांक 31-7-86 तक की अवधि में आजमगढ़ डिपो को 25 व दोहरीघाट डिपो को 11 नई बसें दी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रीमती फूलमती देवी, सहायक अध्यापिका, दरगाह विकास खण्ड, दोहरीघाट, जनपद आजमगढ़ को बकाया घनराशि का भुगतान

48--श्री विष्णुदेव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1972 के वेतन आयोग को

संस्तुति के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली बकाया धनराशि का भुगतान श्रीमती फूलमती वी, सहायक अध्यापिका, बरगाह स खण्ड दोहरीघाट, जनपद आजमगढ़ प्राप्त न होने का क्या कारण है

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

प्राप्त सूचना पूर्ण एवं स्पष्ट न होने के कारण शिक्षा निदेशक (बेसिक) से स्थिति स्पष्ट कराई जा रही है ।

जूनियर हाई स्कूल लखनी, जनपद आजमगढ़ में श्री बेचनराम चपरासी का मासिक वेतन

49--श्री विष्णु देव--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जूनियर हाई स्कूल लखनी, जनपद आजमगढ़ में श्री बेचनराम चपरासी के पद पर सन् 1978 से कार्यरत है और उन्हें केवल 15 रुपया वेतन मिलता है ? यदि हां, तो उन्हें अन्य चपरासियों के समान वेतन देने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

जी नहीं, इन्हें 305 रुपया मासिक नियत वेतन का भुगतान किया जा रहा है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

शांतानन्द स्वतंत्र भारत इन्टर कालेज, अमिला, जनपद आजमगढ़ के इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का प्रमाण-पत्र

50--श्री विष्णुदेव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शांतानन्द स्वतंत्र भारत इन्टर कालेज, अमिला, जनपद आजमगढ़ के वर्ष 1979 में बोर्ड की इन्टरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का प्रमाण-पत्र अब तक नहीं प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त उत्तीर्ण छात्रों का प्रमाण-पत्र कब तक मिल जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिन्हे रजी--

हां प्रश्नगत संस्था को इन्टरमीडिएट परीक्षा 1979 के प्रमाण-पत्र छात्रों को वितरण हेतु नहीं भेजे जा सके हैं ।

मुद्रित प्रमाण-पत्र राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त हो जाने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इन्हें यथाशीघ्र लिखवाकर, छात्रों के वितरण हेतु भेज दिया जायगा ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम कठघरा शंकर प्राइमरी पाठशाला के शिक्षकों का कर्तव्य-हीनता के सम्बन्ध में पत्र

51--श्री विष्णु देव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फतहपुर भँडाकाव, ग्राम कठघरा शंकर प्राइमरी पाठशाला के शिक्षकों की कर्तव्यहीनता के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक अगस्त, 1985 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्य-वाही की गयी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

जी हां ।

प्रकरण शिक्षा निदेशक (बेसिक) को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ।

52--श्री विष्णु देव--

[दिनांक 2-9-86 को अता0 प्र0 सं0 196 द्वारा उत्तरित]

श्री राम नरेश यादव, ग्राम सेवक, सुल्तानपुर द्वारा की गयी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

53--श्री अफजाल अन्सारी तथा श्री राम सजीवन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री राम नरेश यादव,

ग्राम सेवक, न्याय पंचायत वकई, ब्लाक भदैया (दोमुहवा) सुल्तानपुर द्वारा की गयी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिनांक 12-2-86 को श्री राज किशोर सिंह, एम0 एल0 ए0 ने कोई शिकायती-पत्र आपके पास भेजा था ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र में वर्णित तथ्य क्या थे ? क्या दोषी ग्राम सेवक को निलम्बित कर उसके विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां । उक्त शिकायती-पत्र में ग्रामीण व किसानों के उत्पीड़न की शिकायत की गयी थी । शिकायती-पत्र को आवश्यक जांच हेतु भेजा जा रहा है जांच के उपरान्त दोषी पाये जाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

गोरखपुर में परमिट वितरण हेतु कमेटी की बैठक, श्री श्याम देव मिश्र, भूतपूर्व सैनिक तथा जय प्रकाश मिश्र चालक को परमिट न दिये जाने का कारण

54--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले महीने गोरखपुर में परमिट वितरण के लिए कमेटी की बैठक हुई थी ? क्या यह सच है कि कमेटी में केवल दो ही आदमी थे ? यदि हां, तो इस अपूर्ण कमेटी में परमिट वितरण करने का क्या औचित्य था ? क्या इस सम्बन्ध में श्री त्रियुगी नारायण मिश्र, विधायक ने अभी हाल में ही कोई शिकायती-पत्र मंत्री जी को भेजा है तो शिकायत-पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही हुई ? शासन द्वारा भू0 पू0 सैनिक एवं परिचालकों को परमिट स्वीकृति में अधिमान्यता प्रदत्त है ? क्या उसका पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह--

आर0टी0ओ0, गोरखपुर द्वारा परमिट वितरण के लिए बैठक 6 जनवरी, 1986 तथा 9 जनवरी, 1986 को हुई थी ? उसके बाद कोई बैठक जून, 1986 तक नहीं हुई । 6 जनवरी, 1986 को हुई बैठक में अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित थे ? जिसमें नैत्यक प्रकृति के मामलों में विचार किया गया । 9 जनवरी, 1986 की बैठक में अध्यक्ष श्री एस0 के0 विश्वास, श्री सी0 बी0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, सा0 नि0 वि0, सदस्य तथा श्री एम0 सी0 पाण्डेय, आर0टी0ओ0, सदस्य सचिव उपस्थित थे और सर्व सम्मति से परमिट वितरण पर निर्णय लिया गया । श्री त्रियुगी नारायण मिश्र विधायक का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच कराई जा रही है । परिचालकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को परमिट में प्राप्त अधिमान्यता को ध्यान में रखते हुए ही कार्यवाही की गयी थी ।

55--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या यह सच है कि श्री श्याम देव मिश्र, भू0 पू0 सैनिक तथा जय प्रकाश मिश्र, चालक हैं तथा इन लोगों ने संयुक्त रूप से बरहज-प्रतापपुर मार्ग के लिए आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो परमिट न दिये जाने का क्या कारण है ?

डा0 संजय सिंह--

जी हां ।

श्री श्याम देव मिश्र, भूतपूर्व सैनिक तथा जय प्रकाश चालक अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में अधिमान्यता प्राप्त करने योग्य उपयुक्त नहीं पाये गये ।

शिक्षित बेरोजगार की सरकारी नौकरी में नियत आयु

56--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या परिवहन मंत्री शिक्षित बेरोजगार को परिभाषित करने की कृपा करेंगे ?

क्या शिक्षित बेरोजगार की आयु सरकारी नौकरी में नियत उम्र से अधिक वालों को शिक्षित बेरोजगार कहा जा सकता है ? क्या 30 वर्ष से अधिक आयु वाले स्नातक को शिक्षित बेरोजगार के परिधि में रखा जा सकता है ? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में आर0 टी0 ओ0, गोरखपुर द्वारा ऐसे व्यक्तियों को अधिमान्यता दी गई ?

डाक्टर संजय सिंह--

केवल बेरोजगार स्नातक शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं ।

शिक्षित बेरोजगारों के मामलों में परमिट देने में आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय दीक्षा विद्यालय गोरखपुर में बी0 टी0 सी0 ग्रेड में नियुक्त अध्यापिकाओं के वेतन में असमानता

57--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय, गोरखपुर में बी0 टी0 सी0 ग्रेड में एक साथ नियुक्त दो अध्यापिकाओं को अलग-अलग वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किन कारणों से ऐसी अनियमितताएं की जा रही है ? सरकार उक्त अनियमितता हेतु दोषी कर्मचारी को दण्डित करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

जी हां ।

त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण ।

जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जाएगी ।

58--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य सुविधायें

59--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान तथा अवकाश नगदीकरण की सुविधा अनुमन्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

विकास आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर के ज्येष्ठ वरिष्ठ सहायकों को प्रत्यावर्तित किए जाने के विरुद्ध कार्यवाही

60--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभागाध्यक्ष के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी उप विकास आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर के कनिष्ठ कर्मचारी (श्री राधेश्याम तिवारी) को न हटाकर उससे ज्येष्ठ दो वरिष्ठ सहायकों को जिनकी लगभग 11 वर्षों की नियमित एवं संतोषजनक सेवा होते हुए भी अनियमित ढंग से प्रत्यावर्तित किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है तथा उनके विरुद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उप विकास आयुक्त कार्यालय गोरखपुर में कार्यरत श्री शारदा नन्द श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय जांच

61–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

क्या यह सही है कि उप विकास आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर में कार्यरत श्री शारदा नन्द श्रीवास्तव के विरुद्ध फाइल चोरी के आरोप में अब विभागीय जांच चल रही है ? यदि हां, तो उन्हें वरिष्ठ सहायक पद पर स्थायी करने व सलेक्शन ग्रेड देने तथा अधीक्षक पद पर पदोन्नति देने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–-

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उप विकास आयुक्त गोरखपुर द्वारा नियमित आडीटर श्री राम दरस चौबे की प्रधान लिपिक पद पर पदोन्नति किये जाने का औचित्य

62––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

क्या यह सही है कि उप विकास आयुक्त, गोरखपुर मे अपने कार्यालय के नियमित आडिटर श्री राम दरस चौबे को जिला विकास कार्यालय गोरखपुर के प्रधान लिपिक पद पर पदोन्नति दी है तथा उन्हें आडिटर पद का सेलेक्शन ग्रेड दिया है ? यदि हां, तो क्या उप विकास आयुक्त आडिटर को सलेक्शन ग्रेड पदोन्नति देने उसे हस्तान्तरित करने एवं जिला विकास कार्यालय में प्रधान लिपिक पद पर किसी को नियुक्त करने के लिए अधिकृत है ? यदि नहीं, तो इस अनियमितता के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री दयाल दास श्रीवास्तव, आशुलिपिक जिला विकास अधिकारी, बलिया की समाप्त सेवायें

63––श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री दयाल दास श्रीवास्तव आशुलिपिक जिला विकास अधिकारी बलिया की सेवाएं जिलाधिकारी बलिया द्वारा दिनांक 28–8–1976 को समाप्त कर दी गई ? यदि हां, तो क्या श्री दयालदास श्रीवास्तव ने माननीय लोक सेवा न्यायाधिकरण तृतीय लखनऊ में याचिका संख्या 647 (यफ)/79 दाखिल किया था ? यदि हां, तो राजस्व और विकास विभाग के किन–किन अधिकारियों को पदेन प्रतिपक्ष बनाया गया था ? यदि ग्राम्य विकास विभाग का कोई अधिकारी पदेन प्रतिपक्ष नहीं था तो ग्राम्य विकास विभाग पर वह निर्णय कैसे लागू माना जाता है और ग्राम्य विकास विभाग गाजीपुर से श्री दयाल दास श्रीवास्तव को 1,29,114.00 रु0 का भुगतान क्यों कराया जा रहा है ? क्या इस केस की परवी में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने मण्डलायुक्त वाराणसी को दिनांक 13–2–1986 को कोई निर्देश दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम सोनहिता, विकास खंड सुजानगंज, जनपद जौनपुर के कृषकों को ऋण का वितरण

64––श्री नेक चन्द्र पाण्डेय––

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के 3रे सोमवार के तारांकित प्रश्न

संख्या--10 के उत्तर के सन्दर्भ म क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सोनहिता जनपद जौनपुर के कुल कितने कृषकों को सम्बन्धित ऋण वितरित किया गया ? क्या मन्त्री जी उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इयाम सूरत उपाध्याय--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1986 के तीसरे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि ग्राम सोनहिता, विकास खंड सुजानगंज, जनपद जौनपुर के निम्न-लिखित 5 कृषकों का कुल 461.35 रु0 की धनराशि का ऋण वितरित किया गया :--

3--श्री चन्द्र पाल पुत्र श्री महाबीर ।

2--श्री राज बहादुर पुत्र श्री महाबीर ।

3--श्री लक्ष्मी नरायन पुत्र श्री महाबीर ।

4--श्री कुतुबुद्दीन पुत्र श्री यूसुफ ।

5--श्री हीरा सिंह पुत्र श्री देव नरायन ।

श्री राजबहादुर सिंह, श्री हीरा सिंह आदि कृषकों के फर्जी हस्ताक्षर की जांच

65--श्री नेक चन्द्र पान्डेय--

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत राजबहादुर सिंह, हीरा सिंह आदि कृषकों के फर्जी हस्ताक्षर की जांच किन-किन तिथियों में किसके द्वारा करायी गयी ? क्या उनके हस्ताक्षरों की जांच हैन्ड राईटिंग स्पेशलिस्ट द्वारा कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इयाम सूरत उपाध्याय--

प्रश्नगत श्री राज बहादुर सिंह, श्री हीरा सिंह आदि कृषकों के कृषि विभाग को फर्जी ऋण वसूली व उनके फर्जी हस्ताक्षर के बाबत शिकायती-पत्र की जांच अपर जिला कृषि अधिकारी द्वारा दिनांक 29-3-1984 एव 2-7-1986 को कराई गई थी । जांच के उपरान्त जांच अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार उनके हस्ताक्षर फर्जी प्रतीत नहीं होते हैं। फिर भी न्यायिक दृष्टिकोण से हस्ताक्षरों की जांच हैन्ड राईटिंग स्पेशेलिस्ट द्वारा करा ली जायगी ।

राजकीय इन्टर कालेज पुजारगांव सकलाना (टिहरी गढ़वाल), कर्ण प्रयाग (चमोली), पांखू (पिथौरागढ़) में अध्यापकों कर्ण स्थानान्तरण तथा यात्रा बिलों का बकाया भुगतान

66--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, पुजारगांव सकलाना (टिहरी गढ़वाल) राजकीय इन्टर कालेज, कर्ण प्रयाग (चमोली) तथा राजकीय इन्टर कालेज, पांखू (पिथौरागढ़) में जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1982 तक कितने अध्यापक स्थानान्तरित होकर आये ? क्या इन्होंने अपने स्थानान्तरण के यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किए ? यदि हां, तो उन सभी अध्यापकों के बिलों का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन बिलों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

राजकीय इन्टर कालेज, पुजारगांव, सकलाना (टिहरी गढ़वाल) में जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1982 तक 13 अध्यापक स्थानान्तरित होकर आये । इनमें से दो अध्यापक निजी व्यय पर

स्थानान्तरित होकर आये, शेष ग्यारह अध्यापकों ने अपने स्थानान्तरण यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किये। सम्बन्धित वित्तीय वर्षों में यात्रा भत्ता मद में पर्याप्त धनराशि आवंटित न होने के कारण किसी भी अध्यापक के बिल का भुगतान नहीं हो पाया। अब प्रिआडिट की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर बिलों का भुगतान किया जायेगा।

राजकीय इण्टर कालेज पांखू पिथौरागढ़ में जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1982 तक अठारह अध्यापक स्थानान्तरित होकर आये इनमें से सोलह अध्यापकों ने अपने स्थानान्तरण यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किये। शेष दो अध्यापकों का स्थानान्तरण निजी व्यय पर होने के कारण उनको स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता देय नहीं था। स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता बिल प्रस्तुत करने वाले 16 अध्यापकों में से 6 अध्यापकों को उनके बिलों का भुगतान हो चुका है। शेष 10 अध्यापकों को उनके स्थानान्तरण यात्रा भत्ता-बिलों का भुगतान विद्यालय के लिये यात्रा-भत्ता मद में धनराशि उपलब्ध न होने तथा यात्रा-भत्ता का क्लेम कालातीत होने के कारण नहीं किया जा सका इन कालातीत यात्रा-भत्ता बिलों की प्रोआडिट की कार्यवाही के उपरान्त देय धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

राजकीय इण्टर कालेज, कर्ण प्रयाग (चमोली) से सम्बन्धित सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक, चमोली से प्राप्त नहीं हुई है, उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

67--श्री रणजीत--

[4थे सोमवार में अता० प्र० सं० 200 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित]

सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु पर आश्रितों की नियुक्ति

68--श्री राम सरन--

क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि क्या शासन की नीति के अनुसार सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य को उसकी जगह पर नियुक्त कर दिया जाता है ? यदि हां, तो स्व० श्री वीर सिंह स० अध्यापक नेशनल इण्टर कालेज, साठौली कदीम, सहारनपुर की मृत्यु सेवाकाल में 3-5-83 को हो जाने पर उक्त मृतक के परिवार के सदस्य को नियुक्ति कर दी गई है ? यदि नियुक्ति कर दी गई है तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां, शिक्षणेत्तर पद पर नियुक्ति दी जाती है।

जी नहीं।

विद्यालय में लिपिक का पद रिक्त न होने के कारण स्व० श्री वीर सिंह के परिवार के सदस्य को अभी नियुक्ति नहीं दी जा सकी है।

जनपद शाहजहांपुर के न्याय पंचायत खेड़ारठ के ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र

69--श्री राम सरन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर क्षेत्र जैंतीपुर की न्याय पंचायत खेड़ारठ के ग्राम विकास अधिकारी ने किसानों के नाम पर लूट मचा रही है रखी है जिसकी अनेक शिकायतें लिखित मंत्री जी को आयुक्त, बरेली मंडल को तथा जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को जनवरी, 86 में ग्रामीणों द्वारा भेजी गयी है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या मौके पर जाकर अधिकारियों ने जांच की ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

कथित आरोपों सहित शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे। प्रश्नगत शिकायतों की जांच अपर जिला कृषि अधिकारी से करायी गयी जांच अधिकारी द्वारा जांचोपरान्त शिकायतें निराधार एवं असत्य पायी गयी।

बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद सहारनपुर में प्रस्तावित विद्यालयों के स्थानान्तरण हेतु निर्गत किये गये आदेश

70--श्री राम सरन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद सहारनपुर ने अपने पत्र संख्या ई-1/ 1920, दिनांक 13-7-84 द्वारा 69 विद्यालयों को जहां उनकी आवश्यकता है ऐसे स्थानों पर स्थानान्तरित करने हेतु सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद को प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो एक वर्ष बीतने के उपरान्त भी उसका अनुमोदन अभी तक न होने का कारण क्या है ?

श्री संठा प्रसाद शास्त्री--

जी हां,

सर्वेक्षण में प्रस्तावित 25 विद्यालयों को स्थानान्तरण हेतु आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। शेष विद्यालयों तथा कर्मोत्तर कक्षाओं के शिक्षण सर्वेक्षण में प्रस्तावित न होने के कारण उनके स्थानान्तरण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गई शिक्षा की योजना व प्रारूप

--श्रीमती चारु शीला--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई शिक्षा की नई योजना प्रदेश में जाने वाली थी उस योजना का प्रारूप क्या होगा तथा कब तक में प्रवेश लागू किया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 माह मई, 1986 में संसद द्वारा पारित हुई है भारत सरकार से प्राप्त इसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को डाक द्वारा भेज दी गई थी।

प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा विभिन्न समितियां गठित की गई हैं। इनके द्वारा तयार किये प्रस्ताव प्राप्त होने पर क्रियान्वयन के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया का निर्धारण हो सकेगा।

72-73--श्रीमती चारु शीला--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय के अधीक्षक द्वारा आयोजित विकास गोष्ठी व उस पर व्यय

74--श्री भगौती सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि ग्राम गुरुगुचपुर विकास खंड जगतपुर जनपद रायबरेली में दिनांक 29 व 30 अक्तूबर, 1985 को कोई विकास गोष्ठी कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय के एक अधीक्षक द्वारा एक राजनैतिक दल के संरक्षण में आयोजित की गई थी और इस की शिकायत भूतपूर्व विधायक श्री मंजूर अहमद ने अक्तूबर, 1985 में की थी ? यदि हां, तो उस शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई तथा विकास गोष्ठी पर जो धन व्यय किया गया वह कितना था और उसका स्रोत क्या था ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय के एक अधीक्षक जो उक्त ग्राम के निवासी हैं के द्वारा दिनांक 29 व 30 अक्तूबर, 1985 को विकास गोष्ठी आयोजित की गयी जो किसी राजनैतिक संरक्षण में नहीं थी श्री मंजूर अहमद भूतपूर्व विधायक के शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी। शिकायतें जांचोपरान्त निराधार पायी गयी इस विकास गोष्ठी पर कोई शासकीय धन व्यय नहीं हुआ।

कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय लखनऊ में दैनिक वेतन पर व्यक्तियों की नियुक्ति

75--श्री भगौती सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि शासनादेश दिनांक 20 मई, 1982 के स्पष्ट आदेशों के बावजूद कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय लखनऊ में दैनिक वेतन पर लगभग 21 व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया है और उन्हें वेतन के रूप में लगभग 6,000 रु० माहवार भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिए कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां। दैनिक वेतन पर नियुक्त सभी कर्मचारियों को जुलाई 1986 में हटा दिया गया। चूंकि उक्त अल्प-कालिक व्यवस्था शासकीय कार्य हित में स्वीकृत पदों के विरुद्ध की गयी थी। अतः इसके लिए किसी को दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

आगरा क्षेत्र में सोभना-नौहझील मार्ग पर प्राप्त पर परमिट तथा बसों का संचालन

76--श्री कुशलपाल सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर० एम० आगरा ने सोमना नौहझील मार्ग पर 6 परमिट जून, 1984 में 14 परमिट, 9 नवम्बर, 1985 में कुल 20 परमिट अस्थाई प्राप्त कर रखे हैं ? यदि हां, तो क्या इन परमिटों पर परिवहन निगम के आदेशों व शर्तों के अनुसार बसों का संचालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह--

जी हां।

आगरा क्षेत्र में सोमना-नौहझील मार्ग पर दिनांक 5 जुलाई, 1984 को 6 परमिट थे, तथा दिनांक 28 दिसम्बर, 1985 को 14 परमिट सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा से प्राप्त हुए। इन परमिटों पर 20 बसों का संचालन नियमानुसार हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

आर्य विद्यालय जू० हा० स्कूल ऊंचागांव रसमई जिला मथुरा के अध्यापक श्री राजवीर सिंह के वेतन रोकने के आदेश

77--श्री कुशलपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा ने अपने पत्र दिनांक 5 अक्तूबर, 1985 के द्वारा आर्य विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, ऊंचागांव रसमई जिला मथुरा के अध्यापक श्री रनवीर सिंह का शिक्षा निदेशक (बेसिक) आगरा ने भी वेतन रोकने के आदेश कर दिए हैं ? यदि हां, तो किस आदेश से उपरोक्त अध्यापक को वेतन भुगतान किया जा रहा है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

इस विद्यालय में श्री रनवीर सिंह नाम का कोई अध्यापक नहीं है। श्री राजवीर सिंह नाम का अध्यापक है जिसे भुगतान न करने हेतु जांच पूरी होने तक के लिए मंडलीय सहायक शिक्षा

निदेशक (बेसिक) आगरा द्वारा दिनांक 2 जनवरी, 1986 को आदेश दिये गये थे। बाद में म0 स0 शि0 नि0 (बेसिक) आगरा ने अपने पत्रांक बे0/2016/85–86, दिनांक 30 जनवरी, 1986 द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया। अतः जिला (बेसिक) शिक्षा अधिकारी, मथुरा द्वारा पत्रांक 1108–108/86–87, दिनांक 2 जुलाई, 1986 द्वारा भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया जिसके अनुसार भुगतान किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधा बढ़ाने हेतु हुडको से लिया गया कथित ऋण

78––श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधा बढ़ाने अर्थात् भवन बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार के संगठन हुडको से वित्तीय वर्ष 1984–85 में कोई कर्ज लिया गया है ? यदि हां, तो कितना है तथा यह भी बतायेंगी कि क्या उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद जिसका गठन ग्रामीण अंचल में आवासीय सुविधा दिलाने हेतु किया गया है क्या उसने हुडको से कोई कर्ज लिया है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अध्यापकों को नैतिक शिक्षा में प्रशिक्षित किए जाने की योजना

79––श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यापकों को नैतिक शिक्षा दिए जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा वह कब से लागू की जा रही है ?

श्री सिन्हे रजी––

जी हां।

अध्यापकों को नैतिक शिक्षा में प्रशिक्षित किए जाने की योजना नवम्बर, 1985 से लागू की गई है। योजना के प्रथम चरण में शान्ति कुंज, हरिद्वार में 121 दीक्षा विद्यालयों के एक-एक प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिक एवं 2–2 शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इसी प्रकार बी0 एड/एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लगभग सभी प्रधानाचार्यों तथा तीन-तीन प्रवक्ताओं को फरवरी से अप्रैल 1986 में प्रशिक्षित किया गया।

दूसरे चरण में उपरोक्त प्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा प्रदेश के 121 दीक्षा विद्यालयों में लगभग 15,000 जूनियर हाई स्कूल तथा 6,000 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के जूनियर कक्षाओं के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। बी0एड/एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षक, प्रशिक्षकों द्वारा भी 108 केन्द्रों पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 20,000 अध्यापकों को प्रशिक्षित किये जाने की योजना कार्यान्वित की गई है।

बलिया स्थित मुरली मनोहर टाउन इन्टर कालेज के सहायक अध्यापक श्री राजेश्वर लाल को पेंशन न मिलना

80––श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया स्थित मुरली मनोहर टाउन इन्टर कालेज से 1970 में अवकाश प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापक श्री राजेश्वर लाल को अभी तक पेंशन मिलना प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ? पेंशन कब से मिलना प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री सिन्हे रजी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजेश्वर लाल द्वारा विद्यालय से सम्पर्क कर पेंशन पत्रजात पूर्ण न कराये जाने के कारण ।

पत्रजात प्राप्त होने पर पेंशन शीघ्र स्वीकृत की जायेगी ।

बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों को पुराने पेंशन सम्बन्धी विकल्प पत्रों के परिवर्तन की सुविधा दिये जाने विषयक मांग पत्र

81--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों को पुरानी पेंशन सम्बन्धी विकल्प पत्रों के परिवर्तन की सुविधा दिये जाने विषयक कोई मांग पत्र श्री राम भरोसे शर्मा, मंत्री नगर बेसिक शिक्षक संघ, सीतापुर की ओर से प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ दिनांक 7 अप्रैल, 1986 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन शिक्षा सचिव को मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

जी हां, शिक्षा निदेशक (बेसिक) से आख्या मांगी गई है ।

गोरखपुर जिले के विकास खंड पाली में सेवानिवृत्त प्रति उप विद्यालय निरीक्षक श्री कृष्ण बिहारी गुप्ता की पेंशन व सामूहिक बीमा धनराशि का भुगतान

82--श्री धनराज यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के विकास खंड पाली में कार्यरत प्रति उप विद्यालय निरीक्षक श्री कृष्ण बिहारी गुप्ता 31 दिसम्बर, 1977 को रिटायर हो गये थे ? यदि हां, तो उन्हें पेंशन एवं सामूहिक बीमा धनराशि प्राप्त हुई है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि पेंशन एवं सामूहिक बीमा धनराशि न पाने के कारण श्री गुप्त ट्रिबुनल कोर्ट, लखनऊ में आवेदन किये और ट्रिबुनल ने 28 अगस्त, 1985 को अपने निर्णय में 90 दिन के अन्दर पेंशन एरियर अब तक का एवं सामूहिक बीमा धनराशि देने को निर्देशित किया है ? यदि हां, तो ट्रिबुनल कोर्ट का सम्मान करते हुए श्री गुप्त को सामूहिक बीमा धनराशि एवं पेंशन एरियर कब तक दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

जी हां ।

पेंशन/ग्रेचुटी के आदेश महालेखाकार द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं । जीवन बीमा का क्लेम पत्र निदेशक राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशक, लखनऊ को भेजा गया है ।

जी हां ।

यथा शीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय कन्या इंटर कालेज, तेतरी, जनपद बस्ती में अध्यापिकायें

83--श्री धनराज यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इंटर कालेज, तेतरी, जनपद बस्ती में शिक्षण कार्य हेतु कितनी अध्यापिकाओं की आवश्यकता है और वर्तमान समय में कितनी अध्यापिकायें कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कालेज में प्रत्येक विषय को सुचारु रूप से पढ़ाने हेतु कितनी अध्यापिकाओं की आवश्यकता है, उनकी नियुक्ति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

कुल उन्नीस अध्यापिकाओं को ।

बारह अध्यापिकायें ।

सात और अध्यापिकाओं को ।

जी हां ।

आयोग से चयनित अभ्यर्थिनियों की सूची प्राप्त होने पर ।

राजकीय कन्या इंटर कालेज, तेतरी का भवन

84--श्री धनराज यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में राजकीय कन्या इंटर कालेज, तेतरी का भवन जूनियर हाई स्कूल स्तर का है ? यदि हां, तो सरकार इंटर कालेज स्तर तक भवन कब तक बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

हां ।

जिला योजना के अन्तर्गत इसके लिए प्राविधान न होने तथा धनाभाव के कारण भवन बनवाना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

बस्ती जिले के प्राइमरी पाठशाला मिठवल बाजार के अध्यापक श्री त्रियुगी नारायण की जीप दुर्घटना में मृत्यु

85--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के प्राइमरी पाठशाला, मिठवल बाजार के अध्यापक श्री त्रियुगी नारायण सन् 1978 में एक जीप दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उनके पुत्र श्री बेचन प्रसाद जो कि बालिग हैं और हाईस्कूल पास हैं उन्हें अब तक सेवा में क्यों नहीं लिया गया ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

जी हां ।

उनकी योग्यतानुसार स्थान रिक्त न होने के कारण ।

86--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम मकरई, तहसील हैदरगढ़ जिला बाराबंकी में कुंआ बनवाने की मांग

87--श्री किशन लाल दिलेर--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23-4-84 को तत्कालीन विधायक श्री नन्द राम द्वारा एक पत्र प्रेषित किया था जिसमें ग्राम मकरई, थाना सुबेहा, तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी को स्वच्छ जल प्रदान करने के सम्बन्ध में एक कुआं शासन द्वारा बनवाने के लिए मांग की गयी थी और उसका कार्य भी शासन द्वारा आधा किया जा चुका है ? यदि हां, तो अब तक कुआं पूरा न बनवाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

उक्त कूप का निर्माण अब पूर्ण हो गया है, ग्रामवासी उसके स्वच्छ जल का प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री राम अवतार लाल सेवा निवृत कर्मचारी जिला परिषद् बस्ती की पेंशन के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

88--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या मुख्य बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम अवतार लाल सेवा निवृत्त

कर्मचारी जिला परिषद्, बस्ती निवासी ग्राम/पोस्ट पीपर सण्डी, जिला गोरखपुर के पेंशन के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 26 फरवरी, 1986 के साथ मिला है ? यदि हां, तो 31-1-82 को सेवा निवृत्त एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के इतनी लम्बी अवधि तक पेंशन न पाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां । श्री राम अवतार लाल सेवा निवृत्त पीण्ड कीपर जिला परिषद् बस्ती के पेंशन प्रपत्र निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को भेजे गए हैं । उनकी स्वीकृति प्राप्त होते ही श्री लाल के पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा ।

89--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

बस्ती जिले के ग्राम पकरैल में पोखरे की खुदाई के लिए मजदूरों की मजदूरी का बकाया भुगतान

90--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के मिठवल विकास खंड के ग्राम पकरैल में पोखरे की खोदाई के लिए मजदूरों की बकाया मजदूरी के भुगतान सम्बन्धी प्रश्न कर्त्ता का पत्र दिनांक 12-1-86 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रायबरेली जिले में स्थित फिरोज गांधी डिग्री कालेज में प्राचार्य का रिक्त पद

91--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में स्थित फिरोज गांधी डिग्री कालेज में प्राचार्य का पद कितने वर्षों से रिक्त है ? वर्तमान समय में कालेज के अध्यापकों में वरिष्ठतम कौन है और कालेज में कार्यवाहक प्राचार्य का कार्य किन से लिया जा रहा है ?

श्री सिब्ते रजी--

कालेज में प्राचार्य का पद गत तीन वर्ष से रिक्त है ?

कालेज द्वारा प्रेषित स्टाफ स्टेटमेंट के आधार पर डा० महेश चन्द्र जौहरी वरिष्ठतम हैं । वरिष्ठता का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में लम्बित है ।

डा० महेश चन्द्र जौहरी ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रवक्ताओं के वेतनमान सम्बन्धी बकाये की राशि का भुगतान

92--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाद संख्या 28 (1970) बुद्धि बल्लभ पाठक एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य का निर्णय तृतीय अतिरिक्त सिविल जज, वाराणसी से, हो जाने के बावजूद वादियों जो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याख्यातागण हैं, वेतनमान सम्बन्धी बकाये की राशि का भुगतान अब तक न करने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी--

तृतीय अतिरिक्त सिविल जज, वाराणसी के निर्णय के पश्चात् जिला जज वाराणसी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा

उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी हुए जिनमें अन्ततोगत्वा विश्वविद्यालय के सात शिक्षकों को 1 जनवरी 1962 से प्रवक्ता का वेतनमान अनुमन्य किया गया । शासन ने इनके प्रवक्ता के वेतनमान की अवशिष्ट धनराशि विश्वविद्यालय को स्वीकृत कर दी है । विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सम्बन्धित प्रवक्ताओं ने आयकर अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके बकाये की राशि पर एक मुश्त आयकर न लगा कर वर्षवार आयकर लगाया जाय, जो आयकर अधिकारी के विचाराधीन है अतः प्रवक्ताओं के अनुरोध पर ही विश्वविद्यालय द्वारा उनके बकाये की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया जा सका ।

गोला बाजार टाउन एरिया में बसों का दुर्व्यवस्था तथा प्रबन्धकों तथा चालकों के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

93—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत गोला बाजार टाउन एरिया में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन बसों की दुर्व्यवस्था तथा वहां के प्रबन्धकों तथा चालकों के मनमानी पर, के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 16-12-1986 को जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित करके भेजा गया उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उक्त शिकायतों का निराकरण कब तक सम्पन्न करायेगी ?

डा0 संजय सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइमरी से लेकर इंटर कालेज तक सभी शिक्षकों को स्वीकृत चयन वेतनमान

94—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्राइमरी से लेकर इंटर कालेज तक के सभी शिक्षकों को चयन वेतनमान प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो राजकीय आदर्श विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को चयन वेतनमान न देने का कारण क्या है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

अधिकांश श्रेणी के अध्यापकों को चयन वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है ?

राजकीय आदर्श विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों को 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् रु0 450-720 का उच्चतर वेतनमान अनुमन्य होने के कारण चयन वेतनमान का प्रश्न नहीं उठता । प्रधानाध्यापकों को रु0 700-910 का चयन वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है ।

95—हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत किये गए कार्यों में भूमि का उपयोग

96—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्य हेतु जिनकी खड़ी फसल बाग-बगीचे खोदे जाने में नष्ट कर दिए जाते हैं तथा मिट्टी ली जाती है उस फसल का तथा मिट्टी का मुआवजा किस दर से दिया जाता है ? यदि नहीं, दिया जाता है ? तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत किए गए कार्य में ग्रामवासी अपनी सहमति से भूमि के उपयोग को अनुमति देते हैं । इस योजना के अन्तर्गत मुआवजा दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

उपरोक्त कारणों से ।

97--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

[4थे सोमवार के लिये स्थगित ।]

वाराणसी स्थित सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के सेवारत प्राध्यापक श्री कृष्ण देव के वेतनमान के सम्बन्ध में विवाद

98--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी स्थित सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में वर्ष 1962 से 1980 तक सेवारत प्राध्यापक स्वर्गीय श्री कृष्ण देव के वेतनमान के सम्बन्ध में विवाद का कोई फैसला तृतीय अति० सिविल जज वाराणसी द्वारा 1970 में तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1980 में हुआ है ? यदि हां, तो वह फैसला क्या है और उसका क्रियान्वयन अभी तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

श्री कृष्ण देव तथा अन्य को 1-1-62 से प्रवक्ता का वेतनमान अनुमन्य किया गया है ।

शासन ने प्रवक्ता वेतनमान की अवशिष्ट धनराशि विश्वविद्यालय को स्वीकृत कर दिया है । विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि सम्बन्धित प्रवक्ताओं ने आयकर अधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिया है कि उनके एरियर को धनराशि पर एक मुश्त आयकर न लगाकर वर्षवार आयकर लगाया जाय, जो आयकर अधिकारी के विचाराधीन है । अतः प्रवक्ताओं के अनुरोध पर ही विश्वविद्यालय द्वारा अभी एरियर का भुगतान नहीं किया जा सका ।

वाराणसी डिपो के अन्तर्गत परिचालक पद पर कार्य करने हेतु साक्षात्कार

99--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 26-6-81 के साक्षात्कार के आधार पर वाराणसी डिपो के अन्तर्गत परिचालक पद पर कार्य करने के लिए कुल कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ था ? इसमें से कितने अनुसूचित जाति के थे तथा चयनित लोगों में से अभी तक कितने अनुसूचित जाति के तथा कितने अन्य अभ्यर्थियों को सेवा कार्य में लिया जा सका है ? शेष को न लेने का क्या कारण है ?

डा० संजय सिंह--

दिनांक 26-6-81 को वाराणसी डिपो के अन्तर्गत परिचालक पद पर कार्य करने हेतु कोई साक्षात्कार नहीं किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

100--डा० दिनेश जौहर--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

दरबारी लाल शर्मा इंटर कालेज रिठौरा केन्द्र पर परीक्षा में भ्रष्टाचार एवं आम नकल के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

101--डा० दिनेश जौहरी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाई स्कूल की 1986 की दरबारी लाल शर्मा इंटर कालेज, रिठौरा केन्द्र (जनपद बरेली) पर हो रही परीक्षा में भ्रष्टाचार एवं खुले आम नकल के सम्बन्ध में वहां के नागरिकों द्वारा 20-4-86 को भेजा गया शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री ने इस मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

हां । शिकायती-पत्र के आधार पर दरबारी लाल शर्मा इंटर कालेज, रिठौरा केन्द्र की समस्त विषयों की समस्त उत्तर पुस्तकों का सम्बन्धित मूल्यांक

केन्द्रों से मार्जन कराये जाने के फल-स्वरूप शून्य सूचना प्राप्त हुई ।

शून्य सूचना प्राप्त होने पर किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षाफल नकल करने के आरोप में नहीं रोका जा सका केन्द्र के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध न होने के कारण किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

बल्देव वैदिक विद्यालय इंटर कालेज पलियाकलां, जनपद खीरी के प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायती पत्र

102--डाक्टर बंगाली सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बल्देव वैदिक विद्यालय इंटर कालेज पलियाकलां जनपद लखीमपुर खीरी के प्रधानाचार्य के खिलाफ अब तक कितनी शिकायतें भ्रष्टाचार को उनके पास प्राप्त हो चुकी हैं तथा उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1985-86 में छः शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं । पांच की जांच पूर्ण हो चुकी है तथा एक की जांच चल रही है ।

चार शिकायती-पत्र के आरोप की पुष्टि नहीं हुई है । एक शिकायती-पत्र के आरोप जो कृषि फार्म के लेख सम्बन्धी है, की पुष्टि हुई है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रशासक को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

वक्फ विकास निगम की स्थापना की घोषणा

103--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में शासन द्वारा वक्फ सम्पतियों के विकास हेतु मुतवल्लियों को ऋण की सुविधा देने के लिए एक करोड़ रुपयें की पूंजी से, वक्फ विकास निगम की स्थापना की जो घोषणा की गयी थी, उसका कार्यान्वियन अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो निगम कब से अपना कार्य प्रारम्भ करेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

वक्फ विकास निगम को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अन्तर्गत इनकारपोरेशन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके पूर्ण होने पर निगम अपना कार्य प्रारम्भ कर सकेगा ।

वक्फ सर्वेक्षण में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों को अन्यत्र नियोजित करने पर विचार

104--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1977 से हो रहे वक्फ सर्वेक्षण में कार्यरत स्थायी कर्मचारी, मार्च, 1987 में सर्वेक्षण समाप्त होने पर कहां नियोजित किये जायेंगे ? क्या इन्हें स्थायी वक्फ स्टाफ में नियोजित करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

वक्फ सर्वेक्षण में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों को अवकाफ के कुशल प्रशासन, प्रबन्ध एवं वक्फ सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिये जिलों में कलेक्टर के अधीन अन्तरिम व्यवस्था के तौर पर तैनात कर दिया गया है ।

सेवा आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काजी कलामपुर जिला सीतापुर के सेवानिवृत अध्यापक श्री रामदत्त बाजपेयी की पेंशन

105--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेवा आश्रम उ० मा० विद्यालय

काजी कमालपुर जिला सीतापुर से 30 जून, 1985 में सेवा निवृत्त अध्यापक (श्री राम दत्त बाजपेयी) को अब तक पेंशन मिलना प्रारम्भ न हो पाने का क्या कारण है ? पेंशन मिलना कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

श्री राम दत्त बाजपेयी को अब तक पेंशन न स्वीकृत होने का मुख्य कारण उनके द्वारा भरे गये नवीन पेंशन योजना के विकल्प के अनुसार प्राविधायी निधि का नियमानुसार देय प्रबन्धकीय अंशदान राजकोष में जमा न करना है । उक्त की पूर्ति होने पर उन्हें पेंशन स्वीकृत हो जायगी । आपत्ति का निवारण न होने की दशा में श्री बाजपेयी को तदर्थ रूप से पेंशन स्वीकृत की गयी है ।

नरेन्द्र देव एकाडमी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, सीतापुर के प्रबन्ध में व्याप्त अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की जांच

106—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव एकाडमी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, सीतापुर के प्रबन्ध में व्याप्त अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की जांच कराने के बारे में प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ श्री सुधीर तिवारी (सीतापुर) का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 6-2-1986 के आस-पास उन्हें मिला । यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच किससे कराई गई और क्या तथ्य प्रकाश में आए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में जांच करायी गयी है । इस शिकायती-पत्र में मुख्य शिकायतें निम्नवत् थी :—

(1) बी० एड० प्रवेश में प्राचार्य एवं श्रीमती इन्द्रा श्रीवास्तव, प्रवक्ता द्वारा जाली टी० सी० एवं अंक पत्र के आधार पर 5,000 से 10,000 रुपया लेकर प्रवेश करना । बी० एड० में राजस्थान के 50 प्रतिशत छात्र हैं । जिनसे धन लिया गया है ।

(2) 20 प्रतिशत प्रबन्धकीय सेवा की आय-व्यय पंजिका नहीं बनाई गई है ।

(3) प्रवेश लेने वाले छात्रों से 1,200 रु० प्रवेश शुल्क लिया गया है जबकि नियमित शुल्क 450 रु० है ।

(4) महाविद्यालय में कोई छात्रावास नहीं है जबकि प्रत्येक छात्र विगत पांचवर्षों से 400 रु० छात्रावास शुल्क लिया जाता रहा है ।

(5) प्रत्येक छात्र से 20 रु० प्रयोगिक शिक्षण शुल्क अनियमित रूप से वसूला गया है ।

(6) फाशनमनी/विज्ञान शुल्क 1972 से आज तक बराबर वसूली गई है और प्राचार्य द्वारा अवैधानिक रूप से पैसा निकाल कर हड़प लिया गया है ।

(7) छात्र निधियों में बड़े पैमाने पर प्राचार्य द्वारा अपहरण किया गया है ।

उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक डा० सुरेश चन्द्र तिवारी द्वारा जांच करायी गयी है । अभी जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु तथा ग्रेच्युटी

107--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय सहायता प्राप्त इंटर कालेजों के जो शैक्षिक कर्मचारी 58 वर्ष की आयु सीमा पार करके रिटायर होते हैं तथा राजकीय इंटर कालेजों के गैर शिक्षक कर्मचारी जो 58 वर्ष की आयु सीमा पार करके रिटायर होते हैं उन सभी को सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी दी जाती है ? यदि हां, तो राजकीय सहायता प्राप्त इंटर कालेजों में कार्यरत गैर शिक्षक कर्मचारियों को ग्रेच्युटी न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इनको भी ग्रेच्युटी दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष है तथा ग्रेच्युटी देय नहीं है ।

श्री शकरुल्ला द्वारा सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड आदि के विरुद्ध दायर की गयी याचिका

108--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि खसरा नं0 3741 रकबा 68 डि0 स्थित मो0 गौहपुरा शहर खांस जनूबी को वक्फ सं0 121 शहजहांपुर में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में आपत्ति प्रकट करने हेतु श्री शकरुल्ला पुत्र फुन्दा, शाहजहांपुर का कोई आपत्ति पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ 23-2-1986 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां । माननीय सदस्य महोदय का पत्र दिनांक 25-2-1986 प्राप्त हुआ । इस मामले में श्री शकरुल्ला द्वारा सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड आदि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है जो विचाराधीन है ।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के कतिपय ग्रामों को जोड़ने हेतु स्वीकृत सड़क

109--श्री अफजल अन्सारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम चन्दपुर, बेलसड़ो, रेवसड़ा को जोड़ने हेतु गलहां मुलिकपुरा, मोड़ से कोई रोड पिछले वर्षों में स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो किस योजना के अन्तर्गत कितनी लागत से मार्ग बनवाने की योजना स्वीकृत हुई थी ? क्या उक्त गांवों को सड़क से जोड़ने का विचार अब त्याग दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त मार्ग पर कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य गवर्निंग बाडी के अनुमोदन के उपरान्त ही कराया जाता है । इसलिये उक्त मार्ग पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है ।

जनपद गाजीपुर के राजकीय बालिका इन्टर कालेज, मुहम्मदाबाद में कार्यरत अध्यापिका, प्रवक्ता वेतनक्रम के पद

110—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर के राजकीय बालिका इन्टर कालेज, मुहम्मदाबाद में कुल कितनी अध्यापिका कार्यरत हैं। लेक्चरर ग्रेड के और एल0 टी0 ग्रेड के कुल कितने पद हैं तथा इन दोनों पदों पर कितने अध्यपाक कार्यरत हैं तथा कितने स्थान रिक्त हैं और कब से रिक्त पड़े हैं ? उक्त विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु वर्तमान समय में कितने कमरों की आवश्यकता है ? क्या माननीय मंत्री जी आवश्यकता के अनुसार कमरों को बनवाने की व्यवस्था शीघ्र कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

कुल चौदह अध्यापिकायें कार्यरत हैं।

प्रवक्ता वेतनक्रम के 6 पद तथा स्नातक वेतन क्रम के 7 पद सृजित हैं।

उक्त वेतनक्रमों में आठ अध्यापिकायें कार्यरत हैं।

प्रवक्ता वेतनक्रम के 3 पद क्रमशः 10-10-79, 8-7-85 तथा 8-7-85 से रिक्त हैं स्नातक वेतनक्रम के दो पद दिसम्बर, 1985 एवं जुलाई, 1986 से रिक्त हैं।

कुल आठ कमरों की।

जिला योजना के अन्तर्गत इसके लिये परिव्यय स्वीकृत न होने के कारण आवश्यकता के अनुरूप कमरों की व्यवस्था किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

सीनियर बेसिक विद्यालय, मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर में छात्र तथा नये कमरे निर्माण करवाने की मांग

111—श्री अफजाल अन्सारी

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीनियर बेसिक विद्यालय मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में एथलेटिक्स तथा शिक्षण कार्य में स्थान रखता है ? इस विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं ? क्या कमरों की कमी के कारण छात्रों को फील्ड में पढ़ाया जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त विद्यालय की उपयोगिता को दृष्टि में रखकर 5 नये कमरे बनवाने की व्यवस्था शीघ्र करने की घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां।

555 छात्र।

जी हां।

वर्तमान वर्ष 1986-87 में जिला योजनान्तर्गत जनपद गाजीपुर म अतिरिक्त कक्ष निर्माण की कोई योजना नहीं है।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में अधिक आबादी वाले गांवों को सम्पर्क मार्ग द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव

112—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर जनपद की तहसील मुहम्मदाबाद में 1981 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक जनसंख्या वाले कौन-कौन से गांव हैं और इनमें से कौन-कौन गांव सम्पर्क मार्ग द्वारा मुख्य मार्गों

से जोड़ दिये गये हैं तथा वर्ष 1986–87 में किन–किन गांवों को सम्पर्क मार्ग द्वारा जोड़ दिया जायेगा ? क्या क्षेत्रीय विधायकों द्वारा जिन ग्रामों को सम्पर्क मार्ग के द्वारा मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु जो सुझाव दिया जायगा उसे प्राथमिकता दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

गाजीपुर जनपद की मुहम्मदाबाद तहसील में सन् 1971 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी वाले कुल 80 ग्राम हैं। उपरोक्त ग्रामों में से 38 ग्राम सम्पर्क मार्ग द्वारा मुख्य मार्ग से जोड़ दिये गये हैं। वर्ष 1986–87 में 10 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव है।

इस सम्बन्ध में गवर्निंग बाडी ही निर्णय लेती है जिसमें माननीय विधायक भी सदस्य हैं।

तहसील मुहम्मदाबाद में बेसिक प्राइमरी पाठशाला ग्राम सिलाई में छात्र प्रधानाध्यापक का निवास स्थान तथा तैनाती

113––श्री अफजाल अन्सारी––

विधान सभा प्रथम सत्र 1986 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 116 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में बेसिक प्राइमरी पाठशाला ग्राम सिलाई में कितने छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे ह ? प्रधानाध्यापक किस गांव के रहने वाले हैं तथा कितने समय से उक्त पाठशाला में तैनात हैं ? उक्त पाठशाला में हरिजन, भरविन्द व अहीर मुसलमान आदि जातियों के छात्र इस पाठशाला में पढ़ते हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या किस प्रकार है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री––

कुल 55 छात्र।

ग्राम मुतुर्जीपुर के रहने वाले तथा दिनांक 8–10–84 से तैनात हैं।

इस विद्यालय में पढ़ने वाले विभिन्न जातियों के छात्रों की संख्या निम्नवत् है :––

हरिजन	भर	अहीर	मुसलमान	अन्य
4	50	×	×	1

114––श्री अफजाल अन्सारी––

[2रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 196 पर स्थानान्तरित।]

115––श्री अफजाल अन्सारी––

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 205 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्राम करवनियां बरैजपुर, गम्भीरपुर पडैनियां, हुस्सेपुर की जनसंख्या तथा पानी पीने का साधन

116––श्री अफजाल अन्सारी––

विधान सभा 1986 के प्रथम सत्र के चौथे सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम करवनियां बरैजपुर, गम्भीरपुर पडैनियां हुस्सेपुर आदि ग्रामों की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार कितनी है तथा इन ग्रामों में पीने के कौन–कौन से कितनी संख्या में साधन उपलब्ध हैं ? इन ग्रामों में पेयजल समस्या ग्रस्त ग्रामों की सूची में न रखने का आधार क्या है ? इन ग्रामों में पीने के पानी के समस्या का समाधान कब तक हो जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ग्राम करवनियां, बरंजपुर, गम्भीरपुर पड़ैनियां, (करनपुरा) हुस्सेपुर की जनसंख्या सन् 1981 की जनगणना के अनुसार क्रमशः 242, 500, 165, 915 तथा 645 है । इन ग्रामों में पानी पीने के साधन निम्न प्रकार हैं :--

करवनियां में 4 निजी नलकूप तथा 4 कूप, बरंजपुर में 4 कूप, गम्भीरपुर में 1 सरकारी, 5 निजी नलकूप, 4 कूप व 1 जलनिगम का हैण्ड पम्प है । पड़ैनियां में 4 निजी नलकूप तथा 4 कप हैं और यह ग्राम गौसपुर पेयजल टंकी से सम्बद्ध है । हुस्सेपुर में 4 निजी नलकूप तथा 4 कूप है । वर्तमान समय में किसी गांव में पेयजल की समस्या नहीं है ।

117--श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

ललितपुर जनपद में पोस्ट ग्रेजुएट कालेज

118--श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में कितने पोस्ट ग्रेजुयेट डिग्री कालेज है ? यदि नहीं हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी शिक्षा प्रसार हेतु उक्त जनपद में नये पोस्ट ग्रेजुयेट कालेज की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि पोस्ट डिग्री कालेज की भूमि हेतु धारा 4/1 के अन्तर्गत भूमि अर्जन का प्रकाशन हो गया है तथा धारा 6/1 के अन्तर्गत भूमि अर्जन प्रकाशन में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ?

श्री सिब्ते रजी--

ललितपुर में दो महाविद्यालय हैं । जिनमें से एक नेहरू महाविद्यालय को अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ करने हेतु जुलाई, 1986 से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान कर दी गई है । उक्त जनपद में नेहरू महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर का कालेज हो गया है । सम्प्रति किसी अन्य नये पोस्ट-ग्रेजुयेट कालेज का आवश्यकता नहीं है । जो नहीं, धारा 4/1 का प्रकाशन राजकीय डिग्री कालेज, ललितपुर के लिये भूमि अर्जन हेतु किया गया है तथा धारा 6/1 की अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करने हेतु राजकीय प्रेस भेजी जा चुकी है ।

ललितपुर जनपद में पाली तथा नाराहट के इंटरमीडिएट कालेजों को शासनान्तर्गत लेने का विचार

119--श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में पाली तथा नाराहट में चल रहे जिला परिषद् के इंटरमीडिएट कालेजों को शासनान्तर्गत लेने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

मैवानी क्षेत्र में विद्यालयों के प्रान्तीयकरण की कोई योजना वर्तमान में नहीं है । प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत संस्थाओं का एतद् विषयक कोई प्रस्ताव भी उपलब्ध नहीं है । अतः प्रान्तीयकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

120--श्री हृदय नारायन दीक्षित--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

गोरखपुर जनपद में फरेन्दा में बस स्टेशन का भवन बनवाने का कथित विचार

121--श्री हर्ष वर्धन--

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में फरेन्दा में बस स्टेशन

का भवन बनवाने हेतु उ0 प्र0 रा0स0प0 नि0 क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि निर्माण का कोई प्रस्ताव इस निमित्त नहीं है तो जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में क्या अब कार्यवाही की जायेगी ?

डाक्टर संजय सिंह--

गोरखपुर जनपद में फरेन्दा में बस स्टेशन का भवन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

फरेन्दा में फिलहाल जनता की सुविधा हेतु किराये के भवन में एक बुकिंग कार्यालय खोला गया है । यहां से विभिन्न गन्तव्य स्थानों के लिए टिकट सुविधा प्राप्त करने वाले यात्रियों की दैनिक संख्या औसतन 50 है । अतः यहां पर निगम द्वारा बस स्टेशन भवन बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गोरखपुर-धानी ककरहवा मार्ग पर बस सेवा का संचालन

122--श्री हर्ष वर्धन--

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में परिवहन निगम ने वर्ष 1986 के माह मार्च, अप्रैल एवं मई में धानी-गोरखपुर मार्ग पर कुल कितने दिन परिवहन सेवा उपलब्ध करायी ? यदि माह में आधे दिवस भी परिवहन सेवा नहीं उपलब्ध रही तो जनता को हुए कष्ट को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

डाक्टर संजय सिंह--

गोरखपुर-धानी ककरहवा मार्ग पर एक बस सेवा दिनांक 15-5-86 से चलायी गयी । मई, 1986 में बस को खराबी के कारण उक्त सेवा 18-5-86 व 31-5-86 को स्थगित रहीं । इस प्रकार मई, 1986 में इस सेवा का संचालन 15 दिन किया गया । मार्च, 1986 से 14 मई, 1986 तक अपरिहार्य कारणों से यह सेवा स्थगित रहीं । धानी-गोरखपुर मार्ग पर एक बस सेवा दिनांक 14-7-86 से नियमित रूप से संचालित की जा रही है ।

श्री हसन वाजिद खां, लिपिक वक्फ देवरिया की वक्फ निरीक्षक के पद पर पदोन्नति किये जाने हेतु पत्र तथा पदोन्नति का आधार

123--श्री जंग बहादुर--

क्या मुस्लिम वक्फ मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र श्री हसन वाजिद खां, प्रधान लिपिक वक्फ देवरिया का पदोन्नति वक्फ निरीक्षक के पद पर किये जाने हेतु दिनांक 4-9-85, 18-1-86 तथा 10-5-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी--

माननीय सदस्य महोदय के पत्र दिनांक 4-9-85 तथा 10-5-86 जो श्री हसन वाजिद खां, लिपिक की पदोन्नति के विषय में है, प्राप्त हुए, जो आवश्यक कार्यवाही हेतु वक्फ आयुक्त, उत्तर प्रदेश को भेजे गये ।

124--श्री जंग बहादुर--

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वक्फ आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र सं0 2067/एम0 डब्लू0-24 (128)/84, दिनांक 18-6-85 के अंतिम ज्येष्ठता सूची में टंकक वरिष्ठता सूची में श्री हसन वाजिद खां का नाम क्र0सं0 2 पर था तथा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति न करके उनसे कनिष्ठ मुहम्मद अकबर, मुजाहिद अजीम, अलीम जहर हसन की पदोन्नति कर दी गई है ? सूची में कनिष्ठ के पदोन्नति का आधार क्या है ? क्या शासन जांच कराकर नियमानुकूल सूची के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही करेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां । वक्फ आयुक्त, उत्तर प्रदेश के नियमानुसार ही हसन वाजिद खां की पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त पाते हुए सर्वश्री मुहम्मद अकबर, मुशाहिद अजोम व अली मजहर हसन को जो उनसे कनिष्ठ थे, को दिनांक 25-4-1979 से प्रोन्नत किया । श्री हसन वाजिद खां को भी दिनांक 15-12-1979 से लिपिक के पद पर प्रोन्नत किया जा चुका है ।

125--श्री जंग बहादुर--

क्या माननीय मुस्लिम वक्फ मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि श्री हसन वाजिद खां, प्रधान लिपिक देवरिया के पदोन्नति का आदेश भूतपूर्व वक्फ मंत्री श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर ने माह नवम्बर, 1982 में आदेश पारित किया था और वक्फ कमिश्नर, उत्तर प्रदेश ने भी पदोन्नति के आदेश पारित किये थे, जिसका क्रियान्वयन अब तक न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में हाजी जफर हमीद खां एडवोकेट जौनपुर का कोई पत्र दिनांक 31-8-85 को मंत्री जी को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी--

श्री हसन वाजिद खां की पदोन्नति के सम्बन्ध में भूतपूर्व वक्फ मंत्री जी अथवा वक्फ आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किये गये थे । श्री जफर हमीद खां, एडवोकेट, जौनपुर का कथित पत्र दिनांक 31-8-85 माननीय सदस्य महोदय के पत्र दिनांक 4-9-85 के साथ प्राप्त हुआ था, जिसमें श्री हसन वाजिद खां को वक्फ निरीक्षक के पद पर पदोन्नत करने का अनुरोध किया गया था और उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु वक्फ आयुक्त, उत्तर प्रदेश को भेज दिया गया था ।

लघु/सीमान्त कृषकों को निःशुल्क बोरिंग की सुविधायें

126--श्री हर्ष वर्धन--

क्या सरकार बतायेगी कि लघु तथा सीमान्त कृषकों का निःशुल्क बोरिंग की सुविधा प्रदान करने की योजना से अन्तर्गत कृषकों को कौन-कौन सी सुविधायें सरकार उपलब्ध कराती है ? क्या सम्बन्धित सुविधायें गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड-फरेन्दा में निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सरकार द्वारा लघु/सीमान्त कृषकों को निःशुल्क बोरिंग की निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही हैं :--

(1) एक एकड़ से 2-1/2 एकड़ तक के जोत वाले कृषकों को 3000 रु0 तक की सीमा तक निःशुल्क बोरिंग तथा पम्पसेट/नलकूप हेतु 50 प्रतिशत अनुदान ।

(2) 2-1/2 एकड़ से 5 एकड़ तक के जोत वाले कृषकों को 3000 रु0 तक की सीमा तक निःशुल्क बोरिंग तथा 33-1/3 प्रतिशत की दर से पम्पसेट/नलकूप हेतु अनुदान ।

(3) एक एकड़ से कम की जोत वाले ऐसे एक से अधिक कृषकों को सम्मिलित रूप से "जिनकी कुल जोत एक एकड़ से कम न रहे" बोरिंग कराकर पम्पसेट/नलकूप का संयुक्त प्रोजेक्ट लगाने पर निःशुल्क बोरिंग के साथ ही पम्पसेट/नलकूप पर 50 प्रतिशत अनुदान ।

(4) डी0 पी0 ए0 पी0 क्षेत्रों के लिये 4000 रु0 तक तथा जनजाति के कृषकों के लिये 5000 रु0 तक की सीमा तक निःशुल्क बोरिंग ।

(5) पम्पसेट/नलकूप पर लघु कृषकों को एक तिहाई तथा सीमान्त

कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान। उपर्युक्त सुविधायें गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड फरेन्दा में प्रदान की जा रही हैं।

ललितपुर जनपद की ग्राम सभाओं में प्राथमिक पाठशालाएं

127--श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे की ललितपुर जनपद में कुल कितनी ग्राम सभाओं में प्राथमिक पाठशालायें हैं तथा कितने में नहीं हैं ? जिन ग्राम सभाओं में प्राथमिक पाठशाला नहीं हैं उसमें उक्त विद्यालय खोले जाने का शासन का कब तक विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

प्रश्नगत जनपद की कुल 458 ग्राम सभाओं में से 423 ग्राम सभाओं में प्राथमिक पाठशालाएं हैं शेष 35 ग्राम सभाओं में प्राथमिक पाठशाला नहीं है।

जिला योजनान्तर्गत पूर्ण आर्थिक संसाधनों के उपलब्ध होने पर।

उपशिक्षा निदेशक वेतनक्रम में की गयी प्रोन्नतियों में आरक्षित वर्ग की उपेक्षा किये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कायवाही

128--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा मई, 85 से सितम्बर 85 के मध्य उपशिक्षा निदेशक वेतनक्रम 1360-2125 रु0 में की गयी कुल 17 प्रोन्नतियों में अनूसूचित जाति के लिये 18 प्रतिशत निर्धारित कोटे में 4 पद रिक्त होते हुये भी किसी हरिजन अधिकारी की प्रोन्नति न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-2-86 उन्हें प्राप्त हुआ जिसकी प्राप्ति को उनके निजी सचिव ने अपने पत्र सं0 एल0 एल0/380/ई0 एम/86, दिनांक 14-2-86 द्वारा स्वीकार किया है ? यदि हां, तो पत्र के मुख्य बिन्दू क्या हैं और उनपर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां।

पत्र में उल्लिखित मुख्य बिन्दु तथा उन पर कृत कार्यवाही निम्नवत् है :

मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही
1--कोटे के अनुसार अनु0 जाति के चार आरक्षित पद होते हैं जिनके विरुद्ध आरक्षित वर्ग के अधिकारियों को तदर्थ प्रोन्नति नहीं दी गई है।	तदर्थ प्रोन्नति हेतु उपयुक्त न पाये जाने के कारण आरक्षित कोटे की इन रिक्तियों को तदर्थ पदोन्नति नहीं दी जा सकी।
2--उक्त आरक्षित रिक्तियों पर सामान्य अभ्यर्थियों को तैनात नहीं किया जाना चाहिये था।	कार्य के हित में आरक्षित कोटे की रिक्तियों पर सामान्य अभ्यर्थियों की केवल काम चलाऊ तदर्थ व्यवस्था ही की गई है।

3--प्रश्नगत चयनों में आरक्षित वर्ग को अलग पात्रता सूची बनाई जानी चाहिये ।

चूंकि प्रश्नगत चयन श्रेष्ठता के आधार पर किये गये थे इसलिए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को पृथक पात्रता सूची नहीं बनाई जानी थी और नहीं बनाई गई।

4--कतिपय रिक्तियों से अधिक संख्या में चयन किया गया जिसके कारण रिक्तियां अग्रनीत न होंगी जिसके परिणामस्वरूप अनु0 जाति के अधिकारी पदोन्नति से वंचित रह जायेंगे ।

पिछले तदर्थ चयन संभावित रिक्तियों के प्रति किये गये । चूंकि यह काम चलाऊ तदर्थ व्यवस्था थी, अतः इन आरक्षित रिक्तियों को अग्रेनीत किये जाने में कोई कठिनाई नहीं है तथा आगामी तदर्थ/नियमित चयन में अनुसूचित जाति के पात्रता क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थियों के उनके कोटे की दशा में उन्हें पदोन्नति से वंचित नही किया जायेगा ।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फरेन्दा (आनन्द नगर) में विषयों की शिक्षा तथा नियुक्त अध्यापिकायें

129--श्री हर्ष वर्धन--

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फरेन्दा (आनन्द नगर) में कुल कितने विषयों की शिक्षा दी जाती है ? क्या सम्बन्धित विषयों की अध्यापिकाये वहां गत सत्रों में नियुक्त रही हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

प्रश्नगत विद्यालयों में हाई स्कूल तथा इण्टर में निम्न विषयों को शिक्षा दी जाती है :

इण्टर	हाई स्कूल
1--नागरिक शास्त्र	1--विज्ञान-1
2--इतिहास	2--सामाजिक शास्त्र
3--हिन्दी	3--नागरिक शास्त्र
4--संस्कृत	4--इतिहास
5--गृह विज्ञान	5--हिन्दी
6--अंग्रेजी	6--अंग्रेजी
7--कला	7--गृह विज्ञान
	8--कला
	9--संस्कृत
	10--संगीत (गायन)
	11--भूगोल
	12--उर्दू

प्राप्त आख्यानुसार इन्टर कक्षाओं में संस्कृत, गृह विज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी विषयों की चार प्रवक्ताओं तथा हाई स्कूल कक्षाओं में सामान्य विषयों की दो अध्यापिकाओं (कुल छः) को छोड़ कर 21 प्रवक्ता/अध्यापिकायें कार्यरत हैं ।

ग्राम रामपुर जौंगा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की लिंक रोड का निर्माण

130--श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

क्या ग्राम विकास मन्त्री कृपया बतायेंग कि ग्राम रामपुर जौंगा, प0 देवा 40 देग, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की लिंक रोड का भूमि संरक्षण विभाग रहीमनगर लखनऊ द्वारा वर्ष 1985 मे निर्माण प्रारम्भ किया गया था ? क्या यह सही है कि उस पर 100 मीटर मार्ग पर अब भी काम होना बाकी है ? इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान का प्रार्थना, पत्र दिनांक 30-12-85

जिलाधिकारी बाराबंकी एवं 9 जनवरी, 86 को भूमि संरक्षण अधिकारी, रहीम नगर लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मार्ग के पूरा न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ था । परन्तु परगना अधिकारी, नवाबगंज को ग्राम प्रधान का दिनांक 30-12-85 का पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर तहसीलदार, नवाबगंज द्वारा जांच कराई गई ।

प्रस्तावित मार्ग में श्री रामेश्वर सिंह का बाग पड़ने तथा उनके असहयोग के कारण मार्ग का निर्माण संभव नहीं है ।

जनपद बाराबंकी में जनपद इण्टर कालेज, हरख में साधिकार नियंत्रक की अवधि तथा चपरासी श्री राम अधार यादव का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में तैनाती का औचित्य

131--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में जनपद इण्टर कालेज हरख में प्रबन्धक कमेटी को भंग कर दिया गया था और मई 77 से वहां पर साधिकार नियंत्रक की देख रेख में स्कूल चल रहा है ? क्या यह सही है कि 5 वर्ष से अधिक साधिकार नियंत्रक नहीं रह सकता है ? यदि हां, तो उस स्कूल में चुनाव न कराने तथा प्रबन्ध कमेटी न बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रिजी--

जी हां ।

वैध-प्रबन्ध समिति के गठन के अभाव में 5 वर्ष से अधिक की अवधि में साधिकार नियंत्रक रह सकता है । साधारण सभा के वैध सदस्यों का सत्यापन न होने के कारण प्रबन्ध समिति का गठन नहीं हो सका है ।

132--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इण्टर कालेज, हरख जनपद बाराबंकी का चपरासी (श्री राम आधार यादव) विगत तीन वर्षों से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अटैच्ड है और वहीं हाजिरी लगाता है तथा वेतन उपरोक्त कालेज से निकलता है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है तथा इसके लिये कौन दोषी है ?

श्री सिब्ते रजी--

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी, प्रश्नगत कालेज के पदेन प्राधिकृत नियंत्रक हैं । प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालय के कार्य हेतु प्राधिकृत नियंत्रक के समक्ष प्रधानाचार्य द्वारा पत्रादि हस्ताक्षर हेतु आये दिन प्रस्तुत करने होते हैं । इस प्रयोजन से प्रधानाचार्य द्वारा श्री राम आधार यादव, चपरासी को तैनात किया गया । चपरासी का वेतन प्रश्नगत विद्यालय से निकाला जाता है ।

शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया जा रहा है कि वह इस प्रकरण की जांच करके आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें ।

प्रधान ग्राम सभा दान्दूपुर द्वारा खड़ंजा नाली निर्माण हेतु जमा किया अंशदान तथा स्वीकृत धनराशि

133--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा दान्दूपुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के प्रधान भगवान दास ने सन् 83-84 व 84-85 में गांव सभा में ईंट खड़ंजा

लगाने हेतु अंशदान योजना में 7,500 रु0 जमा कर दिया है, फिर भी ब्लाक से अब तक सिर्फ 8 हजार ही प्राप्त हुआ, जिस कारण अधूरा खड़ंजा लग सका है ? यदि हां, तो ब्लाक बड़ागांव तारा अब तक 9 हजार रु0 का भुगतान न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर तुरन्त भुगतान करायेगी ताकि खड़ंजा लग जाय ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रधान गांव सभा दान्दूपुर द्वारा वर्ष 1983-84 में खड़ंजा नाली निर्माण हेतु 7,500 रुपये का अंशदान जमा किया गया था। इस गांव सभा में खड़ंजा एवं नाली निर्माण हेतु अंशदान सहित 30,000 रुपया स्वीकृत किया गया जिसकी प्रथम किस्त 8,000 रुपया तथा द्वितीय किस्त 15,000 रुपये स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रधान द्वारा द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने तथा अवशेष धनराशि मु0 7,000 रुपये की मांग किये जाने पर उसे स्वीकृत कर दिया जायेगा।

कोई अनियमितता नहीं हुई है। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

विधुर/विधवाओं राजकीय कर्मियों को विशेष वेतन वृद्धि न दिये जाने के शासनादेश

134--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 2667/16-11-80-9/155/79, दिनांक 11-6-80 के द्वारा विधुर/विधवाओं राजकीय कर्मियों को विशेष वेतन वृद्धि न दिये जाने का प्राविधान होने के बाद भी श्री एम0 एम0 अलवी लिपिक, अपर जिलाधिकारी (विकास) बाराबंकी के आदेशांक 690/1-स्था0/वि0 वे0 वृ0/80-81, दिनांक 17 जून, 1980 द्वारा उक्त लाभ प्राप्त कर रहे हैं और श्री अलवी आज भी विधुर हैं ? यदि हां, तो शासनादेश के विपरीत गलत तथ्य प्रस्तुत करके विशेष वेतन वृद्धि लेने के लिए सम्बन्धित लिपिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

शासनादेश के अभिज्ञान में न आने के कारण अपर जिलाधिकारी (विकास) द्वारा श्री अलवी को सम्बन्धित लाभ दिया गया था जिसे अब नहीं दिया जा रहा है।

जी हां।

शासनादेश के विपरीत प्राप्त लाभ की वसूली श्री अलवी से की जा रही है।

जनपद बाराबंकी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों पर श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

135--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में वर्ष 1984-85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों पर श्रमिकों को मजदूरी का गेहूं वितरण न होने तथा गेहूं का आवंटन कार्य स्थल से 60-70 कि0मी0 दूर किये जाने की शिकायत श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, महामंत्री जिला युवक कांग्रेस (इ) द्वारा दिनांक 29-4-85 को जिलाधिकारी से की गयी थी, जिसकी जांच श्री अजयद्वीप सिंह अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वारा करके जांच आख्या प्रस्तुत की जा चुकी है ? जिसमें गेहूं का वितरण फर्जी पाया गया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद बाराबंकी में वर्ष 1984-85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों पर श्रमिकों को मजदूरी का गहूं वितरण न होने तथा गेहूं का आवंटन कार्य स्थल से 60-70 कि0मी0 दूर किये जाने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी। इसकी जांच श्री अजयद्वीप सिंह, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से कराई गई तथा जांच आख्या प्रस्तुत की जा चुकी है।

जांच में गेहूं का वितरण फर्जी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खंड रामनगर, जनपद बाराबंकी में लघु कृषि कार्यक्रमों के अन्तर्गत कतिपय व्यक्तियों का ऋण की पत्रावलियां गायब होने के विरुद्ध कार्यवाही

136--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड रामनगर जनपद बाराबंकी में लघु कृषि कार्यक्रमों के अन्तर्गत वितरित सर्व श्री गंगा प्रसाद, रुद्रपाल सिंह, रामदत्त बाबा बिशुन दास रतनरघुनाथ, शिवरतन, रघुनाथ, जय सिंह, उदय भान प्रताप सिंह शासकीय ऋण की पत्रावलियां गायब कर दी गयी थीं, और न्यायालय द्वारा सम्बन्धित लिपिक श्री मुहम्मद मुख्तार अलवी को दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो उस लिपिक के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी, तथा वितरित ऋण की वसूली हुई ? यदि नहीं, तो शासकीय ऋण की वसूली किससे की जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां।

सम्बन्धित व्यक्तियों को शासकीय ऋण की पत्रावलियां श्री मोहम्मद मुख्तार अलवी ज्येष्ठ लिपिक के चार्ज से गायब हो गयी थीं।

श्री अलवी के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा कोई निर्णय निर्गत नहीं किए गये थे किन्तु विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत श्री अलवी को दोषी पाये जाने के कारण इन्हें प्रत्यावर्तित एवं निलम्बन अवधि में आधा वेतन व 3 वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित किया गया। इनसे 3,500 रु0 की वसूली के आदेश निर्गत किए गये हैं। वसूली 100 रु0 प्रति माह की दर से की जा रही है।

श्री अयोध्या सिंह अध्यापक, सार्वजनिक इन्टर कालेज, काशीपुर की अतिरिक्त वेतनवृद्धि रोका जाना तथा पत्नी के असफल आपरेशन के प्रकरण की जांच

137--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री अयोध्या सिंह सार्वजनिक इन्टर कालेज, काशीपुर जनपद देहात में प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम के अध्यापक श्री जगरूप सिंह गौर ने 11-10-1983 को ए0 एच0 खंड डफिरन हास्पिटल परेड कानपुर में अपनी पत्नी का नसबन्दी आपरेशन करवाया था जो अस्पताल की प्रमुख चिकित्सक डा0 उर्मिला कुशवाहा द्वारा किया गया था ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि राजाज्ञा संख्या 4270/15-8-3113/1980, दिनांक 10 फरवरी, 1981 के अनुसार प्रोत्साहन के रूप में उपरोक्त अध्यापक गौर को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि देना स्वीकृत किया गया था ? क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि उपरोक्त नसबन्दी आपरेशन असफल होने के फलस्वरूप श्री गौर के तीसरा बच्चा दिनांक 13-6-1985 को पैदा हो जाने के कारण दिनांक 22-9-1985 को विद्यालय के प्रधानाचार्य ने एक पत्र लिखकर अध्यापक गौर

का व्यक्तिगत वेतन रोक दिया तथा प्रदत्त सम्पूर्ण धनराशि वसूल करने का आदेश दिया ? यदि हां, तो असफल आपरेशन के लिए अध्यापक गौर को दंडित करने का क्या औचित्य है ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचनानुसार श्री जगरूप सिंह गौर ने 11–10–1983 को अपनी पत्नी का नसबन्दी आपरेशन ए0 एच0 एम0 डफिरिन अस्पताल परेड, कानपुर में कराया था । इसके आधार पर उन्हें प्रश्नगत राजाज्ञा के अनुसार उनकी अगली वेतनवृद्धि की धनराशि के बराबर वैयक्तिक वेतन देने की स्वीकृति प्रदान की गई । दिनांक 13–6–1985 को तीसरे बच्चे के जन्म होने के कारण उसी दिनांक से वैयक्तिक वेतन की उक्त सुविधा बन्द कर दी गई है ।

आपरेशन का प्रकरण जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सन्दर्भित किया जा रहा है ।

जनपद मैनपुरी के शिव आदर्श इन्टर कालेज, के केन्द्र व्यवस्थापक के विरुद्ध आरोपों की जांच

138—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के शिव आदर्श इन्टर कालेज, पेंडित के हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट के विद्यार्थियों ने हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा, 1985 के वहां के केन्द्र व्यवस्थापक के विरुद्ध यह शिकायत की है कि उन्होंने रंजिश के कारण 7 इन्टरमीडिएट तथा 19 हाई स्कूल के छात्रों को कापिया बदलवा कर उन्हें विषय में शुन्य नम्बर दिलवा-कर फेल करवा दिया है ? उपरोक्त विषय में उनकी लिखित शिकायतें शिक्षा मन्त्री को रजिस्ट्री संख्या 1539 व 5265, दिनांक 27–1–1986 तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहा-बाद को रजिस्ट्री संख्या 5141 व 5266, दिनांक 17–1–1986, प्राप्त हुई ? यदि हां, तो शिकायत के मुख्य विन्दु क्या है और शासन उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

हां, प्राप्त आक्षेप में हाईस्कूल के 17 तथा इन्टर के 09 परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक हैं ।

आरोपित किया गया है कि परीक्षा-थियों द्वारा लिखित उत्तर-पुस्तिका के कवर पृष्ठ को छोड़कर अन्दर सादी उत्तर-पुस्तिका जोड़ दी गयी है अथवा प्रश्नों के उत्तर काट दिये गये हैं । आरोप की जांच की जा रही है । जांचोपरान्त प्रकरण माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निस्तारण समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ।

जनपद बाराबंकी के विकास खंड बनीकोपडर में राष्ट्रीय ग्रामीण योजनान्तर्गत क्षेत्र समिति एवं गवर्निंग बाडी के अनुमोदन से कराया गया निर्माण कार्य

139—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतायेंगे कि जनपद बराबंकी के विकास खंड बनीकोपडर में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत रुपया 5844.00 बिना गवर्निंग बाडी एवं क्षेत्र समिति के अनु-मोदन के निर्माण कार्य कराये जाने तथा रुपया 18927.31 का अधिक भुगतान किये जाने की रिपोर्ट तत्कालीन अवर जिलाधिकारी परियोजना ने दिनांक 15–6–1985 को जिलाधिकारी बारा-बंकी को प्रस्तुत की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (परियोजना) की जांच आख्या के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का पुनः अवलोकन करने के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत रुपया 54,990.00 का निर्माण कार्य क्षेत्र समिति एवं गवर्निंग बाडी के अनुमोदन से कराया गया है। केवल 3,540.00 रुपये का पत्थरों पर व्यय बिना क्षेत्र समिति एवं गवर्निंग बाडी के अनुमोदन से कराया गया है।

जहां तक निर्माण कार्य पर रुपये 18,927.31 के अधिक भुगतान का प्रश्न है, अवलोकन के पश्चात यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि मात्र 9,893.31 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

राजकीय इन्टर कालेज, के सहायक अध्यापक श्री विष्णु सागर श्रीवास्तव की तदर्थ नियुक्ति तथा नियमितीकरण

140--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के राजकीय इन्टर कालेज में श्री विष्णु कुमार श्रीवास्तव स0 अ0 (अंग्रेजी) एल0 टी0 वेतनक्रम में दिनांक 20-1-1978 को तदर्थ नियुक्त हुए थे? यदि हां, तो क्या उनका विनियमितीकरण शासनादेश संख्या 19-5-1981 कर्मिक दिनांक 22-3-1984 के अनुपालन में कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी--

इस विद्यालय में श्री विष्णु कुमार श्रीवास्तव नाम का कोई अध्यापक नहीं है वरन् श्री विष्णु सागर श्रीवास्तव नामक सहायक अध्यापक (अंग्रेजी) एल0 टी0 वेतनक्रम में दिनांक 20-1-1978 को तदर्थ रूप से नियुक्त हुए थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमितीकरण का प्रकरण विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा वेतन क्रम में कार्यरत अधिकारियों की निर्धारित ज्येष्ठता

141--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में राजाज्ञा संख्या 8067-1/15-23(3) (15)/-70, दिनांक 19-1-84 द्वारा उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा (कनिष्ठ) वेतनक्रम 850 से 1720 में कार्यरत अधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है या ज्येष्ठता निर्धारण हेतु उक्त अधिकारियों की सूची प्रस्तावित की गयी है? यदि हां, तो उक्त सूची में वर्ष 1970, 71 व 1975 एवं उसके बाद के वर्षों में सीधी भर्ती से आये अधिकारियों के नाम उक्त सूची में सम्मिलित कर उनकी ज्येष्ठता निर्धारित या प्रस्तावित की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? 10 से 15 वर्ष बाद भी आज तक इन सीधी भर्ती वाले अधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारित न किये का क्या कारण एवं औचित्य है? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? और इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सिब्ते रजी--

राजाज्ञा संख्या 8067-1/15-1-23(3) (15)/70, दिनांक 19-1-84 का अतिक्रमण करते हुये, राजाज्ञा संख्या 1765/15-1-85-23(3)(15)/70, दिनांक 22-7-85 द्वारा उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा (कनिष्ठ वेतनक्रम) में विभागीय प्रोन्नति, सीधी भर्ती एवं

एकाकी पदों आदि पर नियुक्त अधिकारियों की सम्मिलित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रसारित करते हुये आपत्तियां आमंत्रित की गई थी । उक्त सम्मिलित ज्येष्ठता सूची को राजाज्ञा संख्या 5137/15-1-23(3) (15)/70, दिनांक 14-10-85 द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया जा चुका है । तत्सम्बन्धी वर्षों में कनिष्ठ वेतनक्रम में विभागीय पदोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों के प्रति नियमित चयन सम्पन्न न हो सकने के कारण अनुवर्ती सम्मिलित ज्येष्ठता निर्धारित करना अर्थात् सम्मिलित ज्येष्ठता सूची प्रसारित करना नियमानुसार संभव ही नहीं है ।

इस स्थिति के लिये कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है । अतः ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

142--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

[दिनांक 10-2-86 को ता0 प्र0 सं0 16 द्वारा उत्तरित]

श्री राम सिंह, व्यक्तिगत परीक्षार्थी का कृषि प्रयोगात्मक के अंक न भेजे जाने से अपूर्ण परीक्षाफल

143--श्री राम चद्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंग कि चौधरी अजीमउद्दीन अशरफ इंटर कालेज, बाराबंकी से सन् 1984 में श्री राम सिंह व्यक्तिगत परीक्षार्थी की हैसियत से हाई स्कूल परीक्षा में शामिल हुआ था और जिसका रोल नं0 1392271 था ? क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा उससे कृषि प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक अभी तक चौ0 अजीम उद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कालेज में नहीं भेजे गये हैं जिसके कारण उसका अंक पत्र अपूर्ण है और उसका अगली कक्षा में दाखिला नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और यह अंक कब तक भिजवा दिय जायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

हां । हाई स्कूल परीक्षा, 1984, के परीक्षार्थी श्री राम सिंह अनुक्रमांक 1392271 के कृषि प्रयोगात्मक के अंक चढ़ा कर परीक्षाफल सम्बन्धित संस्था को परिषद द्वारा दिनांक 3-8-85 को भेजा जा चुका है ।

144--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

(4थे सोमवार के लिए स्थगित)

नेशनल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल बाराबंकी की शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता एवं अनुरक्षण अनुदान की बकाया धनराशि

145--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, बाराबंकी की शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता एवं अनुरक्षण अनुदान के लिए दिनांक 1-2प-84 से 31-3-84 के बीच प्राप्त धनराशि 1,10,493.00रु0 के भुगतान के लिए मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद ने कोई आदेश दिये है ? यदि हां, तो उन आदेशों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या शासन विद्यालय के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां, स्वीकृत धनराशि में से वेतन वृद्धि आदि की धनराशि के भुगतान के आदेश मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा दिये गये किन्तु विभागीय संप्रेक्षकों द्वारा विशेष संप्रेक्षण में उठाई गई आपत्तियों के बेश का पालन पूर्ण न हो सका ।

नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, बाराबंकी में निलम्बित कर्मचारियों की निलम्बन अवधि तथा निर्णय

146--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे की नेशनल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, बाराबंकी में निलम्बित कर्मचारियों की निलम्बन अवधि दिनांक 1-12-85 को कितनी हो चुकी हैं और इन निलम्बित कर्मचारियों के सेवा प्रकरण में आवश्यक निर्णय करने हेतु दिनांक 14-10-85 को जिला विद्यालय निरीक्षक, कार्यालय, बाराबंकी में कोई लिखित निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो इस निर्णय में कौन-कौन अधिकारी उपस्थित थे और इस निर्णय का कार्यान्वयन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धे रजी--

संस्था के एक लिपिक को वर्ष 1983 में निलम्बित किया गया था। निलम्बन अवधि दिनांक 1-12-85 को लगभग दो वर्ष हो चुका था।

जी हां।

निम्न अधिकारी उपस्थित थे :-

1--परगनाधिकारी, नवाबगंज बाराबंकी।

2--मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद।

3--जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी।

4--श्री सुरेश चन्द्र सक्सेना, भूतपूर्व सदस्य, विधान परिषद्।

5--श्री सुरेश चन्द्र वैसवार, जिला मंत्री, माध्यमिक शिक्षा कल्याण परिषद्, बाराबंकी।

6--मो0 इलियास खां संयोजक।

निर्णय का कार्यान्वयन दिनांक 7-4-86 को किया गया।

स्व0 श्री मंशाराम वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी की सेवा पुस्तिका का फैजाबाद न पहुंचने से पुराने वेतनमान में वेतन का भुगतान होना, विभाग द्वारा देय धनराशि

147--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मंशाराम वर्मा ग्राम विकास अधिकारी का स्थानान्तरण अक्टूबर, 76 में जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड हरख से टाण्डा जनपद फैजाबाद हो गया तथा जनपद बाराबंकी से फैजाबाद उनकी सर्विस बुक अभी तक नहीं भेजी गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और सर्विस बुक कब तक भेज दी जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां।

स्व0 श्री मंशाराम वर्मा ग्राम्य विकास अधिकारी की सेवा पुस्तिका दिनांक 3-5-86 को जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड हरख से जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड टाण्डा को प्राप्त करायी जा चुकी है प्रश्न नहीं उठता।

148--श्री राम चन्द्र बक्स सिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उपरोक्त मंशाराम वर्मा विकास अधिकारी की मृत्यु सर्विस पीरियड में ही दिनांक 30-1-86 को टांडा में हो गयी ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि सर्विस बुक फैजाबाद न पहुंचने के कारण उपरोक्त मंशाराम वर्मा को उनके जीवन तक पुराने वेतनमान से ही वेतन मिलता रहा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

149--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि मृत्यु के समय उक्त मंशाराम वर्मा का वेतन कितना था सर्विस बुक मुकम्मल हो जाने पर उनको क्या वेतन मिलता ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मंशाराम का विभाग के ऊपर कितना वेतन बाकी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

श्री मंशाराम वर्मा ग्राम्य विकास अधिकारी का वेतन मृत्यु के समय रुपया 450/प्रतिमाह था सर्विस बुक पूर्ण हो जाने पर उनको रु0 684/प्रतिमाह वेतन मिलता । श्री वर्मा को कुल देय रु0 36430.70 पैसे मिलना शेष है ।

श्री अजय कुमार संस्थागत छात्र का हाई स्कूल परीक्षा में नाम गलत छप जाने व प्रमाण पत्र में दुरूस्ती करवाने के सबंध में पत्र

150--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि अजय कुमार अनुक्रमांक 594613 ने संस्थागत हा0 स्कूल परीक्षा वर्ष 1983 में उत्तीर्ण की (अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामियां इन्टर कालेज बाराबंकी) परन्तु अंक-पत्र में नाम अजय कुमारी मुद्रित है ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-7-85 आपको प्राप्त हुआ जिसकी स्वीकार प्रति श्री यदुनन्दन प्रसाद उप सचिव प्रमाण-पत्र ने पत्रांक मा0 शि0 प0/प्रमाणपत्र/33/हाई/952/85-86 दि0 2-9-85 द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो उपरोक्त छात्र के अंक पत्र व प्रमाण-पत्र में दुरुस्ती करने में परिषद् को क्या कठिनाई है ?

श्री सिब्ते रजी--

हां । हाईस्कूल परीक्षा 1983 अनुक्रमांक 594613 श्री अजय कुमार का मूल प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामियां इण्टर कालेज बारा-बंकी से माध्यमिक शिक्षा परिषद को दिनांक 26-7-86 को संशोधन हेतु प्राप्त हुआ था ।

नियमानुसार छात्र के नाम में संशोधन करके मूल प्रमाण-पत्र छात्र को वितरण हेतु परिषद कार्यालय के पत्र संख्या 1005, दिनांक 17-8-86 रजि0 संख्या 4005 दिनांक 18-8-86 द्वारा प्रधानाचार्य, अजीमुद्दीन अशरफ इलामियां इण्टर कालेज बाराबंकी को भेज दिया गया है ।

लाला रामकुमार इण्टर कालेज पटरंगा, जनपद बाराबंकी में किए गए कक्ष का निरीक्षण कार्य का निरीक्षकों को भुगतान

151--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाईस्कूल तथा इण्टर वर्ष 1980 की परीक्षा में लाला रामकुमार इण्टर कालेज पटरंगा, जनपद बाराबंकी में किये गये कक्ष निरीक्षण कार्य का पारिश्रमिक कक्ष निरीक्षकों को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

हां, भुगतान नहीं हुआ । बिल पारित कर समय से भुगतान हेतु प्रधानाचार्य को प्रेषित किया गया था परन्तु भुगतान निश्चित तिथि तक कोषागार बाराबंकी से प्रधानाचार्य द्वारा न प्राप्त कर सकने के कारण देयक कालातीत हो गयी और फलस्वरूप प्रीआडिट हेतु प्रेषित किया गया ।

पूर्व जांचोपरान्त सक्षम अधिकारी से अधिकार पत्र प्राप्त होते ही देयक भुगतानार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा ।

जनपद बाराबंकी के अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षा शुल्क से मुक्ति के कारण हुई क्षति का क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान

152--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के कक्षा 6 के बालक/बालिकायें कक्षा 7-8 की छात्राओं की शिक्षा शुल्क से मुक्ति के कारण हुई क्षति का क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान सन् 1976 से लेकर अब तक का नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

इस हेतु प्राप्त विद्यालयों के मांग पत्रों में से जिन विद्यालयों के मांग पत्र पूर्ण थे उन्हें क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान किया गया है ।

जिन विद्यालयों के मांग पत्र अपूर्ण थे उनसे पूर्ण मांग पत्र प्राप्त होने पर उनके क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान कर दिया जायगा ।

ग्राम मछली, गांव विकास खंड बदलापुर, तहसील शाहगंज, जिला परिषद्, जौनपुर में अवैध ईंट भट्ठे के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्पष्टीकरण

153--श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 78-79 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, तथा उक्त मामले की जांच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ग्राम मछली गांव विकास खंड बदलापुर तहसील शाहगंज जिला परिषद् जौनपुर में अवैध ईट भट्ठे के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद् जौनपुर द्वारा जांच कराई जा रही है जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है । जिलाधिकारी को शीघ्र जांच को कार्यवाही पूण कराने के निर्देश दे दिए गए हैं ।

ग्राम असोड़ा, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ में पाठ-शाला के भवन का ठेका

154--श्री दीप नारायण--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम असोड़ा तहसील लालगंज जिला आजमगढ़ में प्राइमरी पाठशाला के भवन का ठेका श्री लक्ष्मी शुक्ल निवासी लालगंज ने लिया था । यदि हां, तो क्या उक्त स्कूल का भवन बना ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त स्कूल का भवन सरकार बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

प्रश्नगत विद्यालय के भवन निर्माण का ठेका श्री लक्ष्मी नारायण उपाध्याय को दिया गया है । विद्यालय भवन का निर्माण कार्य हो रहा है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सभाओं एवं ग्रामों को पक्के मार्ग से जोड़ने हेतु योजना

155--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बदायूं में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी ग्राम सभायें एवं ग्राम ऐसे हैं जो 1000 से 1500 तक की आबादी वाले होते हुए भी अभी तक पक्के मार्ग से नहीं जोड़े जा सके हैं ? क्या सरकार वर्ष 1986-87 में इन तमाम ग्राम सभाओं एवं ग्रामों को पक्के मार्ग से जोड़ने हेतु योजना स्वीकृत करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद बदायूं में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1000 से 1500 तक की आबादी वाले 254 ग्राम सभायें हैं जिनमें से मार्च, 1986 तक 93 ग्राम सभायें पक्की सड़कों से जोड़ी जा चुकी हैं ।

चालू वित्तीय वर्ष 1986-87 के अन्तर्गत 23 ग्राम स्वीकृत योजनाओं में जोड़े जाना प्रस्तावित हैं । शेष ग्राम सभाओं को जोड़ने हेतु धन उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा ।

गोविन्द बल्लभ पन्त डिग्री कालेज कछला बदायूं के प्रिंसिपल डा0 मनीराम मिश्र के अवशेष वेतन भुगतान के आदेश

156--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोविंद वल्लभ पन्त डिग्री कालेज कछला बदायूं के प्रिंसिपल डा0 मनीराम मिश्र की कुलपति, रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के आदेश दिनांक 11-10-1985 के परिप्रेक्ष्य में कार्यभार क्यों नहीं ग्रहण कराया गया तथा उनके विगत अवधि अर्थात् दिनांक 22 दिसम्बर, 1980 से 27 अक्तूबर, 1985 तक के अवशिष्ट वेतन का भुगतान बार-बार शिक्षा विभाग को लिखने पर भी अभी तक न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी--

कुलपति ने आदेश दिनांक 11-10-1985 द्वारा प्रबन्धक के दिनांक 21-12-1980 के निलम्बन आदेश को निरस्त किया तथा आदेश दिनांक 8-11-1985 के तहत अवशेष वेतन भुगतान के आदेश दिए ।

प्रबन्धक ने पुनः श्री मिश्र को आदेश दिनांक 28-10-1985 से निलम्बित कर दिया तथा श्री मिश्र को कार्यभार नहीं ग्रहण कराया । कुलपति के दिनांक 8-11-85 के आदेश के विरूद्ध प्रबन्धतंत्र द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 18963/85 में दिनांक 12-12-85 को माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश द्वारा श्री मिश्र का अवशेष वेतन का भुगतान अवरूद्ध कर दिया गया । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुच्छेद-2 के आधार पर दिनांक 28-10-85 से श्री मिश्र को निलम्बन की तिथि से प्राचार्य पद का नियमित वेतन भुगतान किया जा रहा है ।

श्री जगदीश प्रसाद सक्सेना, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, अमरोहा जनपद मुरादाबाद को पेंशन, जीवन निर्वाह निधि की बकाया धनराशि तथा सतर्कता विभाग द्वारा जांच

157--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश प्रसाद सक्सेना

अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, अमरोहा, जनपद–मुरादाबाद जो 30 जून 1980 को रिटायर हो गये थे उनको आज की तिथि तक किसी प्रकार की पेंशन तथा जीवन निर्वाह धन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इससे शासनादेश दिनांक 28–10–80 तथा 24–10–81 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है ?

श्री सिब्ते रजी––

स्थिति ऐसी नहीं है जैसी कि प्रश्न में अंकित है । श्री जगदीश प्रसाद सक्सेना के विरुद्ध उनके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा के पद के कार्य काल में उनके द्वारा किये गये कतिपय कथित अपराधों के सम्बन्ध में शासन के आदेश दिनांक 19–2–1980 द्वारा अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा उन्हें शासन के आदेश दिनांक 21–2–1980 द्वारा निलंबित भी किया गया था । श्री सक्सेना निलम्बन के दौरान ही दिनांक 30–6–80 को सेवा निवृत्त हो गये । उक्त अभियोजन की कार्यवाही के गतिमान रहते इन्हें ग्रेच्यूटी तथा पेंशन स्वीकृति नहीं की जा सकती थी और नहीं की गई । निलम्बन अवधि में श्री सक्सेना जीवन निर्वाह भत्ता पाते रहे । प्रश्न में शासनादेशों की संख्या अंकित नहीं है, अतः इसके सम्बन्ध में कोई उत्तर दिया जाना संभव नहीं है ।

158—श्री मोहम्मद अबरार अहमद––

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इनके केस में सर्तकता विभाग द्वारा की जा रही जांच की अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 10–10–85 को शिक्षा सचिव को प्राप्त हो गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी पेंशन स्वीकार किये जाने हेतु तुरन्त आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी––

सर्तकता विभाग द्वारा की गई किसी जांच की कोई अन्तिम रिपोर्ट शिक्षा सचिव को दिनांक 10–10–1985 को प्राप्त नहीं हुई है । परन्तु श्री सक्सेना की अन्तिम पेंशन की स्वीकृति में अब एक मात्र व्यवधान सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस के अनुच्छेद 470(बी) के अन्तर्गत इनको मासिक पेंशन में कटौती करने हेतु इन्हें दी गई कारण बताओ नोटिस दिनांक 31–7–1986 है जिसका उत्तर श्री सक्सेना से हाल ही में प्राप्त हो गया है और प्रकरण अन्तिम निर्णय हेतु शासन के विचाराधीन है ।

मास्टर मुमताज अहमद, निवासी ग्राम कोइलाड़ी, जिला आजमगढ़ का बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में दिया गया प्रार्थना–पत्र

159––श्री मोहम्मद मसूद खां––

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मास्टर मुमताज अहमद, निवासी ग्राम कोइलाड़ी, ब्लाक–मोहम्मदपुर, जिला आजमगढ़ जो इस समय जूनियर हाई स्कूल जहनियापुर, ब्लाक मोहम्मदपुर, जिला आजमगढ़ में कार्यरत हैं, का अगस्त सन् 78 का वेतन बकाया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उन्होंने उस वेतन बकाया के भुगतान हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में कोई प्रार्थना–पत्र दिया है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री––

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ पर्वतीय मार्गों पर यात्री कर

160––श्री मोहम्मद मसूद खां––

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि बरेली–पीलीभीत में चलने वाली प्राइवेट

बसों से यात्री-कर के अतिरिक्त, 25 प्रतिशत के हिसाब से सरचार्ज लिया जाता है और वही पड़ोस के जिलों में नैनीताल तथा अल्मोड़ा में सरचार्ज 15 प्रतिशत लिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह--

जी हां ।

नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ पर्वतीय मार्गों पर संचालित यात्री वाहनों से यात्रीकर, बे-बिल के आधार पर लिया जाता है और उ0 प्र0 मोटरगाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा 3 के अन्तर्गत एक रुपये के टिकट या उससे अधिक के टिकट पर 10 पैसे प्रति यात्री अतिरिक्त यात्रीकर लिये जाने का प्राविधान है ।

15% अतिरिक्त यात्रीकर लिये जाने का प्रश्न ही नही उठता है ।

प्रदेश के अरवी फारसी मदरसों के अध्यापकों को नये वेतन मान के अनुसार देय वेतन

161--श्री मोहम्मद मसूद खां--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पे कमीशन की सिफारिश के अनुसार अरवी व फारसी मदरसों के अध्यापकों को नये वेतनमान के अनुसार तनख्वाहों का अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या इसी प्रकार अनुदान प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

प्रदेश के अरवी-फारसी के अध्यापकों के लिये द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार नये वेतनमान जुलाई, 1979 से लागू किये गये हैं । जिन अध्यापकों ने नये वेतनमान का विकल्प दिया था, उनके लिये नये वेतनमान के अनुसार वेतनानुदान दिया जा रहा है । जिन अध्यापकों ने नये वेतनमान के लिये अपना विकल्प नहीं दिया उनके लिये गये वेतनमान के अनुसार अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्व परियोजना निदेशक श्री राम पाल सिंह यादव के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

162--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व परियोजना निदेशक श्री राम पाल सिंह यादव के विरुद्ध ठा0 भगवन्त सिंह प्रमुख, क्षेत्र समिति परसेन्डों एवं अध्यक्ष, प्रमुख संघ, जनपद सीतापुर द्वारा मास जुलाई, 1985 से समय-समय पर की गई शिकायती-पत्रों की जांच पूर्ण कराई जा चुकी है, अथवा नहीं, यदि नहीं तो क्या कारण रहा है ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां । प्राप्त शिकायती पत्रों पर जांच कराई जा चुकी है ।

जांच में इनके विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये ।

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण का शासनादेश

163--श्री मित्रसेन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का शासनादेश निहित हैं ? यदि हां, तो लघु सिचाई विभाग फैजाबाद मंडल में कितने ज्येष्ठ लिपिक अनुसूचित जाति के वरिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत हैं ?

क्या शासनादेशानुसार अधिशासी अभियंता (ल0 सि0) फैजाबाद द्वारा अनुसूचित जाति के कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति वरिष्ठ लिपिक के पद पर की गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? अल्प सिंचाई विभाग में अनुसूचित जातियों का आरक्षण कोटा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का फैजाबाद मंडल में पूर्ण है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

कोई नहीं ।

अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति वरिष्ठ लिपिक के पद पर नहीं की गई है ।

जी नहीं । फैजाबाद मण्डल के लघु सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सं0 9 प्रतिशत है ।

डा0 कैलाश नाथ काटजू, इन्टर-मीडिएट कालेज, कीटगंज इलाहाबाद के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री गिर प्रसाद मिश्र को, जीवन बीमा का भुगतान तथा भविष्य निधि एवं अपूर्ण पेंशन पत्रजात को पूर्ण कराने का प्रयास

164--श्री मित्र सेन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि डा0 कैलाश नाथ काटजू इन्टरमीडिएट कालेज, कीटगंज, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य श्री गिर प्रसाद मिश्र को सेवा निवृत्त हुए काफी समय हो गया है परन्तु उनको सेवा निवृत्तिक लाभ (भविष्य निधि), सामूहिक जीवन बीमा एवं पेंशन का नियमित भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ?

श्री सिब्ते रजी--

कथित विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री गिरजा प्रसाद मिश्र को जीवन बीमा का भुगतान किया जा चुका है परन्तु भविष्य निधि एवं पेंशन के कागजात विद्यालय से प्राप्त न होने के कारण उसका भुगतान नहीं हो सका है ।

165--श्री मित्रसेन--

क्या यह भी सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने उक्त कालेज के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य को अभी तक 6 आदेश पेन्शन पेपर्स आदि अग्रसारित करने के लिए भेजे हैं परन्तु वांछित प्रपत्र अभी तक नहीं भेजे गये ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

संस्थाधिकारियों को एक पत्र तथा 5 अनुस्मारक भेजे गए किन्तु अभी केवल पेन्शन के अपूर्ण पत्रजात ही प्राप्त हुए हैं ।

166--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार श्री मिश्र को पेन्शन शीघ्र भुगतान हेतु आदेश देने की कृपा करेंगी तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अपूर्ण पेन्शन पत्रजात को पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है । भविष्य निर्वाह निधि के अन्तिम भुगतान हेतु भी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबंध तन्त्र को लिखा गया है । पत्रजात प्राप्त होने पर शीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जाएगी । जिला विद्यालय निरीक्षक को भी शीघ्रता करने हेतु निर्देश दिए गए ह ।

जिला परिषद् बहराइच में नियुक्त अवर अभियन्ता को गबन एवं सार्वजनिक धन के आरोप में कारागार की सजा

167–श्री मित्रसेन–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, बहराइच में नियुक्त अवर अभियन्ता को गबन एवं सार्वजनिक धन के आरोप में जिला न्यायालय, बहराइच द्वारा वर्ष 1965 में 5 वर्ष के कारागार की सजा दी गई थी ? यदि हां, तो उक्त सजा के उपरान्त भी श्री मिश्र को किस आधार पर अभी भी परिषद् की सेवा में रखा गया है ? क्या सरकार श्री मिश्र को तत्काल सेवा मुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्थायी मान्यता प्राप्त संजय स्मारक विद्यालय डीला सरैया जदवीपुर, फैजाबाद में आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायती पत्र की जांच

168–श्री मित्रसेन–

प्रश्नकर्ता के प्रथम सत्र के 7वें सोम के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 45 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, फैजाबाद की प्रतीक्षित जांच आख्या किन बिन्दुओं पर प्राप्त हो गई है ? जांच किस अधिकारी से कराई गई और जांच करते समय शिकायतकर्ता से भी पूछताछ की गई ? जांच में कौन–कौन सी अनियमितताएं प्रकाश में आई और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

प्रश्नगत मामले में उप विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद को जांच अधिकारी नियक्त किया गया है । जांच आख्या एवं वांछित अन्य सूचना शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश से मांगी गई है ।

जनपद गोरखपुर के ग्राम अमडीहा में स्थित प्राथमिक पाठशाला के प्रधान अध्यापक श्री रमा शंकर उपाध्याय के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

169–श्रीमती शारदा देवी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के ग्राम अमडीहा में स्थित प्राथमिक पाठशाला के प्रधान अध्यापक श्री रमा शंकर उपाध्याय के विरुद्ध दिनांक 5–2–86 को एक टेलीग्राम व शिकायती रजि0 पत्र, ग्राम प्रधान श्री राम वृक्ष तिवारी का दिनांक 30–1–86 को बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उस पर अभी तक कोई कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां ।

जांच करके अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई तथा श्री रमाशंकर उपाध्याय को कड़ी चेतावनी देकर अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रौढ़ शिक्षा परियोजना हाटा जनपद देवरिया के तत्कालीन नैत्यक लिपिक श्री बी० डी० शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही

170--श्रीमती शारदा देवी--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1982-83 में प्रौढ़ शिक्षा परियोजना हाटा, जनपद देवरिया के तत्कालीन नैत्यक लिपिक श्री बी० डी० शर्मा द्वारा अनुदेशकों का फर्जी हस्ताक्षर बना कर मानदेय एवं मार्ग व्यय हड़प लिया गया था जो आडिट के समय प्रकाश में आया था जिसके आधार पर तत्कालीन जि० प्रौ० शि० अ० श्री एम० ए० अंसारी ने इनके विरुद्ध कार्यवाही के लिये प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, लखनऊ को सूचित किया था एवं प्रतिकूल प्रविष्ट दी थी ? यदि हाँ, तो श्री शर्मा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

परियोजना कार्यालय हाटा, देवरिया का वर्ष 1982-83 में निदेशालय की आडिट पार्टी द्वारा आडिट कराया गया था। आडिट पार्टी ने श्री बी० डी० शर्मा को अनुदेशकों के मानदेय व मार्ग व्यय हड़प लेने के सम्बन्ध में दोषी नहीं पाया था।

तत्कालीन जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, देवरिया श्री एम० ए० अंसारी के द्वारा श्री शर्मा को उक्त वर्ष में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है परन्तु उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर, सरदार नगर एवं खोराबार में गोबर गैस संयत्र हेतु पात्र व्यक्तियों को सीमेन्ट और कर्ज का आवंटन

171--श्रीमती शारदा देवी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर, सरदार नगर एवं खोराबार में वर्ष 1984-85 व 1985-86 के दौरान गोबर गैस संयत्र हेतु कितने पात्र व्यक्तियों को चयनित कर कितना-कितना सीमेन्ट और कर्ज दिया गया तथा उसमें से कितने गोबर गैस संयत्र बने हैं ? क्या यह सच है कि अधिकांश लोगों ने सीमेन्ट एवं कर्ज का उपयोग दूसरे कार्यों में किया है ? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ब्लाक वार एवं वर्षवार विवरण निम्नवत् है :--

ब्लाक	चयनित व्यक्तियों की संख्या	सीमेन्ट की दी गयी बोरियां	दिया गया कर्ज	निर्मित संयंत्रों की संख्या
1	2	3	4	5
		1984-85	रुपये	
ब्रह्मपुर	20	823	1,14,850.00	20
सरदार नगर	33	1,665	11,00,850.00	33

1	2	3	4	5
खोरावार	31	1,135	1,24,000.00	31
		1985-86		
महमपुर	26	575	77,600.00	16
सरदार नगर	29	1,020	97,000.00	29
खोरावार	30	1,530	1,79,000.00	30

जी नहीं। कर्ज एवं सीमेन्ट का उपयोग संयंत्र निर्माण में ही किया गया है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

देवगढ़-लखनऊ व मदनपुर से लखनऊ मार्ग पर बस चलाये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र

172--श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जनपद ललितपुर के देवगढ़ व मदनपुर से लखनऊ बस चलाने हेतु दिनांक 18 फरवरी, 1986 को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्राइवेट बस चालकों को उक्त रूट पर बसें चलाने हेतु परमिट देने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह--

प्रश्नकर्ता द्वारा देवगढ़-लखनऊ व मदनपुर से लखनऊ मार्ग पर बस चलाये जाने हेतु दिनांक 18 फरवरी, 1986 को दिया गया कोई प्रार्थना-पत्र राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

देवगढ़ से लखनऊ व मदनपुर से लखनऊ के मार्ग के अधिकांश भाग राष्ट्रीयकृत है, जिस पर निजी बस मालिकों को बस परमिट स्वीकृत किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। उक्त मार्गों पर केवल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा ही बसें संचालित की जा सकती हैं।

इंटर कालेज में छात्रावास भवन निर्माण का विचार

173--श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के शासकीय इंटर कालेज में पढ़ने वाले विभिन्न ग्रामों से आये छात्रों के लिये छात्रावास भवन निर्माण का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

नहीं।

वर्ष 1986-87 की जिला योजना में इसके लिए कोई प्रस्तव नहीं है।

जिला हरदोई के अन्तर्गत ब्लाक साण्डी हरपालपुर व बिलग्राम में अधिक आबादी वाले गांव

174--श्री हरि शंकर तिवारी (बिलग्रामी)--

विधान सभा के द्वितीय सत्र (1984) के पहले सोमवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता

के अ0 ता0 प्रश्न संख्या 157 के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ब्लाक साण्डी हरपालपुर, बिलग्राम, जिला हरदोई में 1500 से अधिक आबादी के कुल कितने गांव हैं तथा कितने को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जिला हरदोई के अन्तर्गत ब्लाक साण्डी हरपालपुर व बिलग्राम में 1500 से अधिक आबादी वाले कुल क्रमशः 16, 12 व 14 ग्राम हैं ।

इनमें से जुलाई, 1986 तक ब्लाक साण्डी हरपालपुर व बिलग्राम के क्रमशः 6, 7 व 10 ग्रामों को मुख्य मार्गों से जोड़ दिया गया है ।

जूनियर हाई स्कूल मझौव-कला, विकास खंड साऊ घाट, जिला बस्ती का निर्माणाधीन भवन

175--श्री शारदा नंद अंचल--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जूनियर हाई स्कूल मझौव-कला, विकास खंड साऊ घाट, जिला बस्ती का निर्माणाधीन भवन 1979 से अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उसे पूरा कराने में कितना समय और लगेगा ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

जी हां ।

आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने के बाद तीन माह का समय अनुमानित है ।

176--श्री बलराम यादव तथा श्री राम सागर--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

श्री धर्म नारायण, कैम्प क्लर्क कार्यरत कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

177--श्री बलराम यादव तथा श्री राम सागर--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि श्री धर्म नारायण कैम्प क्लर्क, कार्यरत, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद के विरुद्ध उनके द्वारा स्वयं तथा अधिकारियों से विधान सभा प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में झूठी आख्या भिजवाने के आरोप में श्री रवीन्द्र कुमार आजाद, संयोजक युवा लोकदल मंडल, फैजाबाद का शिकायती-पत्र माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक 13-1-86 पृष्ठांकन के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद श्री राम कृष्ण जायसवाल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में अंकित शिकायतों के आधार पर श्री धर्म नारायण को फैजाबाद मंडल से अन्यत्र दूर हटाकर सम्बन्धित विद्यालय में की गयी अनियमितताओं एवं घपलेबाजों की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करके प्रबन्ध तंत्र का उत्पीड़न तथा अतिक्रमण समाप्त करा-कर अध्यापक वर्ग को कब तक राहत दिलायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

श्री धर्म नारायण को फैजाबाद से बाराबंकी स्थानान्तरित किया जा चुका है । शिकायतों की जांच की जा रही है ।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पकड़ी भोजपुर, जनपद फैजाबाद की प्रबन्ध समिति के कार्य-काल की समाप्ति तथा अमान्य प्रबन्ध समिति के विरुद्ध शिका-यती-पत्र

178--श्री बलराम यादव, श्री राम सागर तथा श्री फरीद महफूज किदवई--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी भोजपुर, जनपद फैजाबाद की प्रबन्ध समिति के कार्यकाल की समाप्ति पर शिक्षा प्रसार समिति पकड़ी भोजपुर के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण न होने तथा प्रबन्ध समिति में शिक्षक प्रतिनिधि के अभाव में अमान्य प्रबन्ध समिति द्वारा 23-8-85 को श्री शिव प्रसाद वर्मा, स० अ० के विरुद्ध पारित किये गये निलम्बन प्रस्ताव का जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद के पत्रांक शि० स० (1)/5355/56/85-86, दिनांक 14-10-85 द्वारा अनुचित एवं अवैधानिक तौर पर अनुमोदन देकर हरेसमेंट करने के सम्बन्ध में उक्त अध्यापक का शिक्षा मंत्री को सम्बोधित शिकायती-पत्र दिनांक 3-4-86 पृष्ठांकन के रूप में शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन तथा मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में अंकित सम्पूर्ण शिकायतों का विवरण क्या है तथा क्या सरकार पत्र में अंकित सम्पूर्ण शिकायतों को शिकायत कर्ता के साक्ष्य व बयान लेकर निष्पक्ष तौर पर जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां।

शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है :--

(1) जून, 1984 से अब तक वेतन भुगतान न किया जाना तथा वेतन की मांग करने पर विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करना एवं 23-8-85 को प्रबन्धक द्वारा निलम्बित किया जाना।

(2) सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना जि० वि० निरीक्षक द्वारा निलम्बन का अनुमोदन प्रदान करना।

(3) अधिकारिता विहीन प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये निलम्बन प्रस्ताव का जि० वि० नि० द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना।

(4) दिनांक 23-8-85 से अब तक के निलम्बन भत्ते का भुगतान न होना।

जी हां, जांच आरम्भ कर दी गई है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पकड़ी भोजपुर, जनपद फैजाबाद में पूर्व प्रधानाध्यापक, श्री राम सहाय मिश्र द्वारा दिया गया त्याग-पत्र तथा ज्येष्ठतम अध्यापक, श्री त्रिभुवन नाथ वर्मा के प्रधानाध्यापक पद पर की गई नियुक्ति के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना

179--श्री बलराम यादव, श्री राम सागर तथा श्री फरीद महफूज किदवई--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के पांचवें

सोमवार को निर्धारित श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री राम शरण दास के अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के उत्तर के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री ने सदन में बताया है कि प्रश्नगत विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक, श्री राम सहाय मिश्र के अपने पद से त्याग-पत्र देने के उपरान्त श्री त्रिभुवन नाथ वर्मा को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो विधान सभा प्रथम सत्र 86 के चौथे सोमवार को निर्धारित श्री शारदा नन्द अचल के अतारांकित प्रश्न-17 के परिप्रेक्ष्य में श्री मिश्र का त्याग-पत्र सदन पटल पर प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी को यह कहने का क्या औचित्य है कि संस्था प्रबन्धक के कथनानुसार विद्यालय में श्री मिश्र का त्याग-पत्र उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में श्री राय सहाय मिश्र के साक्ष्य तथा बयान लेकर इसका निस्तारण करायेगी कि वे दिनांक 15-7-76 अथवा उसके बाद आज तक अपने पद से त्याग-पत्र दिये हैं अथवा नहीं ? यदि दिये हैं तो कब और यदि नहीं, तो विभागीय अधिकारियों द्वारा संस्था के प्रधानाध्यापक को संरक्षण देते हुए इतनी झूठी आख्या शासन को भेजकर सदन को गुमराह करने के आरोप में उनके विरुद्ध आज तक कठोर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

180--श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री राम सागर तथा श्री फरीद महफूज किदवई--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के पांचवें सोमवार को निर्धारित श्री बनी प्रसाद वर्मा तथा श्री राम शरण दास के अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत विद्यालय के वर्तमान प्रधानाध्यापक, श्री त्रिभुवन नाथ वर्मा की प्रधानाध्याक पद पर दी गयी प्रोन्नति के विधिक होने के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के पत्रांक श0 स0 1997/80-81, दिनांक 9-7-80 द्वारा दी गयी पृच्छा के परिप्रेक्ष्य में श्री वर्मा की जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर की गयी नियुक्ति को विधि निहित होने के कारण, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के जिस पत्र द्वारा मान्यता प्रदान की गई ? क्या सरकार उस पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

प्रश्न में वांछित सूचना शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद से मांगी गई है ।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पकड़ी भोजपुर, जनपद फजाबाद के अन्तर्गत कार्यवाहक प्रबन्धक को दिये गये वित्तीय अधिकार

181--श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री राम सागर--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पांचवें सोमवार को निर्धारित श्रीमती शारदा देवी, विधायक के अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यवाहक प्रबन्धक को वित्तीय मामले में अपने हस्ताक्षर से वेतन आदि सरकारी अनुदान आहरित करने का अधिकार है ? यदि हां, तो एजूकेशन कोड के किस अधिनियम व धारा के अन्तर्गत आता है ? यदि नहीं, तो प्रश्नगत विद्यालय के कार्यवाहक श्री राम लखन वर्मा द्वारा लाखों रुपये का सरकारी अनुदान आहरित करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी--

जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त सूचना के अनुसार किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पकड़ी भोजपुर, फजाबाद की इंटरमीडिएट शिक्षा अधि-नियम की धारा 16-क (5) के अन्तर्गत उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद द्वारा अनुमोदित प्रशासन योजना की धारा 16-2 (क) के अन्तर्गत प्रबन्धक को संस्था के लिये समस्त अनुदानों आदि प्राप्त करने का अधिकार है। प्रबन्धक की अनुपस्थिति में प्रशासन योजना की धारा 16-3(2) के अंतर्गत मंत्री को प्रबन्धक के सम्पूर्ण अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार है।

वर्तमान जिला विकास अधिकारी, इटावा का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

182--श्री औसान सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान जिला विकास अधिकारी, इटावा विगत लगभग दस वर्षों से इटावा जनपद में ही विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्यरत हैं ? शासन की नीति के अनुकूल इनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां।

शासन की नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण जनपद इटावा से किया जा चुका है।

श्री बंजनाथ पांडे, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कालेज, सुल्तानपुर के योग्यता प्रमाण-पत्रों के फर्जी होने की शिकायत

183--श्री रणजीत--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बंजनाथ पाण्डेय, सहायक अध्यापक (भाषा), राजकीय इंटर कालेज, सुल्तानपुर ने शिक्षा विभाग में अपनी योग्यता के फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर सी० टी० ग्रेड से एल० टी० ग्रेड में प्रोन्नति प्राप्त कर लिया था और उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में भी उन्हीं फर्जी योग्यताओं के आधार पर परीक्षक तथा डिप्टी परीक्षक तथा डिप्टी हेड परीक्षक का पारिश्रमिक कार्य भी प्राप्त करते आ रहे हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं।

श्री बंजनाथ पाण्डे के योग्यता प्रमाण-पत्रों के फर्जी होने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच कराई गई। प्रकरण अभी विचाराधीन है।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित परीक्षकत्व हेतु अर्हता की पूर्ति होने पर ही वर्ष 1975 की परीक्षा के लिये हाई स्कूल हिन्दी प्रथम प्रश्न-पत्र में श्री बंजनाथ पाण्डे को सहायक परीक्षक नियुक्त किया गया था। नियमानुसार वे वर्ष 1975-1978 तक 4 वर्ष तक सहायक परीक्षक रहे। वर्ष 1984 से उप प्रधान परीक्षक का कार्य कर रहे हैं।

परीक्षकत्व हेतु अर्हता की जांच विद्यालय से प्राप्त अध्यापक सूची में उपलब्ध विवरणों के आधार पर की जाती है जो सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारित होता है।

कु० फहमीदा खातून की उर्दू अध्यापिका के रूप में नियुक्ति

184--श्री हरिशंकर तिवारी (बिलग्रामी)--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी कि कु० फहमीदा खातून की उर्दू

अध्यापिका के रूप में नियुक्ति जू0 हा0 स्कूल धियर महोलिया, हरदोई में की गयी जहां उर्दू की कोई छात्रा नहीं है ? यदि हां, तो शासनादेश की अवहेलना करने में बे0 शि0 अ0 (महिला) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

जूनियर हाई स्कूल धियर महोलिया, जनपद हरदोई में उर्दू पढ़ने वाली छात्राएं उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

साण्डी विकास खण्ड में लगाये गये बायो गैस संयंत्र

185--श्री हरि शंकर तिवारी (बिल-ग्रामी)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खंड साण्डी, जिला हरदोई में 1-1-84 से 28-2-86 की अवधि में कितने गोबर गैस संयंत्र लगाये गये एवं इस समय कितने चालू हालत में हैं ? क्या यह सत्य है कि अधिकांश गोबर गैस संयंत्र अपूर्ण हैं और फर्जी आंकड़े देकर अनुदान का दुरुपयोग किया है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रश्नान्तर्गत अवधि में साण्डी विकास खण्ड में 101 बायोगैस संयंत्र लगाये गय हैं एवं इस समय 72 चालू हालत में हैं। शेष में गोबर भरा जा रहा है ।

जी नहीं ।

ब्लाक साण्डी व माधवगंज, जिला हरदोई में लगाये गये बायोगैस संयंत्र हेतु दिया गया अनुदान

186--श्री हरिशंकर तिवारी (बिल-ग्रामी)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी कि ब्लाक साण्डी व माधवगंज, जिला हरदोई में गत दो वर्षों में क्रमशः 70 व 30 गोबर गैस संयंत्र लगाया जाना बताया जाता है इसमें से अधिकांश संयंत्र बनाये नहीं गये हैं और अनुदान लेकर शासन के धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ब्लाक साण्डी व माधवगंज, जिला हरदोई में गत दो वर्षों (1984-85 व 1985-86) में 91 व 72 बायोगैस संयंत्र लगाये गये हैं उनमें से कोई भी संयंत्र अपूर्ण नहीं है और फर्जी अनुदान नहीं दिया गया है । जांच अथवा कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम मगहर जिला हरदोई के प्रधान द्वारा धन के दुरुपयोग की जांच

187--श्री हरिशंकर तिवारी (बिल-ग्रामी)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राममगहर, पर0 साण्डी, जिला हरदोई के प्रधान ने वर्ष 1984-85 में आवंटित 4410.00 रु0 का दुरुपयोग व गबन किया है जैसा कि ख0 वि0 अधि0 साण्डी के पत्रांक 2405/ कू0 नि0 दिनांक 28-2-86 जो प्रधान को सम्बोधित है, से स्पष्ट है ? इस सम्बन्ध में प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रधान द्वारा धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है ।

श्री रामदयाल पुत्र पुत्तू की मृत्यु के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई का अन्तिम निर्णय तथा खंड विकास अधिकारी, माधोगंज के विरुद्ध कार्यवाही

188–श्री हरिशंकर तिवारी (बिलग्रामी)––

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई द्वारा रामदयाल पुत्र पुत्तू, नि0 रोशनपुर की मृत्यु तिथि के बारे मे पारित आदेश दिनांक 24–2–86 का पंजीकरण खण्ड विकास अधिकारी ने किस तिथि में कराया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

श्री रामदयाल पुत्र पुत्तू, नि0 रोशनपुर की मृत्यु के बारे में पारित मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई के आदेश दिनांक 24–2–86 का पंजीकरण अभी तक नहीं कराया गया है । उनको स्थिति स्पष्ट करते हुए एक पत्र भेजा गया है । जिसमें अपने आदेश पर पुनर्विचार कर अंतिम निर्णय देने की प्रार्थना की गई है । उनके अंतिम निर्णय की प्राप्ति के बाद ही कार्यवाही सम्भव होगी ।

189–श्री हरिशंकर तिवारी (बिलग्रामी)––

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि मु0 चि0 अधिकारी एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) हरदोई के जिला अधिकारी हरदोई को सम्बोधित पत्र संख्या वी0 एस0/ ज0 मु0 पंजी/रामदयाल/86/1168 दिनांक 24–2–86 के परिप्रेक्ष्य में खंड विकास अधिकारी, माधोगंज के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

चूंकि मुख्य चिकित्साधिकारी ने अभी तक अंतिम निर्णय से सूचित नहीं किया है अतः इस संदर्भ में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

190––श्री हरिशंकर तिवारी (बिलग्रामी)––

क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि खंड विकास अधिकारी, माधोगंज, जिला हरदोई ने रामदयाल पुत्र पुत्तू, निवासी रोशनपुर की गलत मृत्यु तिथि सितम्बर, 1985 में अंकित की जो जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) द्वारा शुद्ध की गई ? यदि हां, तो खन्ड विकास अधिकारी, माधोगंज के विरुद्ध सरकारी कागजात में हेराफेरी करने पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

प्रश्नगत मृत्यु तिथि खंड विकास अधिकारी द्वारा अंकित नहीं की गई है । इसे ग्राम पंचायत अधिकारी ने अंकित किया है जिसको शुद्ध करने का आदेश जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा दिया गया । उक्त आदेश पर पुनिवचार का अनुरोध उनसे किया जा चुका है ।

सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी माधोगंज द्वारा सरकारी कागजात में हेराफेरी नहीं की गई है अतः इनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

स्वर्गीय ईश्वरदत्त पन्त, भूतपूर्व ग्राम्य विकास अधिकारी, जनपद पिथौरागढ़ के पेन्शन प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही

191–श्री काशी सिंह ऐरी––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 ईश्वरदत्त पन्त, भू0 पू0 ग्राम विकास अधिकारी, जनपद पिथौरागढ़

के परिवारिक पेन्शन के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (विकास), अल्मोड़ा के पत्रांक 1423/बजट (व) पेन्शन सेल/85, लखनऊ, दिनांक 3-1-86 के परिपेक्ष्य में श्री पन्त के परिवारजनों को पेन्शन दिए जाने विषयक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? कब तक श्री पन्त के परिवार को नियमित पेन्शन मिलनी प्रारम्भ हो जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

स्व0 श्री ईश्वरदत्त पन्त, भू0 पू0 ग्राम्य विकास अधिकारी के पेन्शन प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही की गई :--

अपर जिलाधिकारी (विकास), अल्मोड़ा ने प्रश्न में संदर्भित पत्र के संदर्भ में उत्तर अपने पत्रांक 6475/3199/स्था0/पेन्शन/ईश्वरी दत्त/86, दिनांक 21-1-86 द्वारा दिया। स्व0 श्री पन्त की सेवा पुस्तिका में कई त्रुटियां पाई गईं जिसका निराकरण करने हेतु सेवा पुस्तिका खण्ड विकास अधिकारी, चम्पावत (अब पिथौरागढ़ में) को भेजी गई। पेन्शन प्रकरण में आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् अपर जिलाधिकारी (विकास), पिथौरागढ़ ने आवश्यक विवरण अपने पत्र दिनांक 31-7-86 द्वारा महालेखाकार, इलाहाबाद को भेजा। उनके द्वारा परीक्षण पूर्ण कर लिए जाने पर स्व0 श्री पन्त के परिवार को परिवारिक पेन्शन के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

जनपद कानपुर देहात में तैनात भूमि संरक्षण अधिकारी, रूरा द्वारा किए गए घोटाले के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

192-श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर देहात में तैनात भूमि संरक्षण अधिकारी, रूरा के विरुद्ध नालियों के निर्माण में दी जाने वाली सीमेन्ट बाहर बेच लेने तथा पत्थर की खरीद में किए गए घोटाले के सम्बन्ध में श्री गणरूप सिंह गौर, निवासी रूरा का शिकायती पत्र दिनांक 19-12-85 आयुक्त एवं परियोजना प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा जांच में क्या पाया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां।

शिकायती पत्र की जांच श्री हरानन्द त्रिपाठी, तत्कालीन उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, रामगंगा कमान्ड परियोजना, कानपुर-पूर्व द्वारा कराई गई। जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

जनपद सुल्तानपुर के जायस रजबहा के कुछ पक्की गूलों के घटिया किस्म के निर्माण की शिकायत

193--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि उप निदेशक, भूमि संरक्षण, इकाई द्वितीय मंडल, रायबरेली को सम्बोधित श्री तेज भान सिंह, भू0 पू0 विधायक, सुल्तानपुर का दिनांक 17-2-86 का रजिस्टर्ड पत्र जिसमें जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत जायस रजबहा के कुछ पक्की गूलों के घटिया किस्म के निर्माण की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की तथा जांच के बाद क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां।

शिकायती-पत्र की जांच भूमि संरक्षण अधिकारी, जायस द्वारा कराई गयी। शिकायती-पत्र में उल्लिखित

कुलाबों 33, 34 व 36 पर निर्मित पक्की गूल के निर्माण में प्रयुक्त की गई निर्माण सामग्री का स्तर एवं निर्माण कार्य ठीक पाया गया । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राम कलप पाण्डेय, ग्राम पूरे यदुराम मजरे वर्रा, जिला सुल्तानपुर का चक के बगल से नाली बनान तथा हरी फसल को काटकर नुकसान करने सम्बन्धी दिया गया शिकायती–पत्र

194––श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी जायस, जिलाधिकारी रायबरेली, उप निदेशक, भूमि संरक्षण इकाई, द्वितीय मंडल, रायबरेली, प्रशासक, शारदा सहायक समादेश, लखनऊ, मुख्य मंत्री व कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित श्री राम कमल पाण्डेय पुत्र श्री तुंगनाथ पाण्डेय, ग्राम पूरेयदुराम मजरे वर्रा, पो0 हरदी, जिला सुल्तानपुर का दिनांक 11–2–86 का रजिस्टर्ड प्रार्थना–पत्र जिसमें अपने चक के बगल बगैर सरकारी नाली के नाली बनाने तथा बगल से ही स्थित नाली चकरोड को न बनाने तथा हरी फसल को काटकर नुकसान करने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की ? क्या उक्त किसान के खेत से खोदी गयी नाली व नुकसान सरकार किसान को दिलायेगी तथा दोषी कर्मचार के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

जी हां ।

श्री राम कलप पाण्डे पुत्र श्री तुंग नाथ पाण्डेय ग्राम पूरे यदुराम, मजरे वर्रा, पो0 हरदी, जिला सुल्तानपुर से प्राप्त शिकायती–पत्र दिनांक 11–2–86 की जांच भूमि संरक्षण अधिकारी, जायस से करायी गयी । जांच के दौरान पाया गया कि नाली जिला समिति द्वारा अनुमोदित मानचित्र के अनुसार 2 मेड़ों के मध्य बनाई गयी है जिसमें किसी की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है । अतः मुआवजा देने व किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

195–198––श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त) ।

भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों के संबंध में शिकायती–पत्र व तार की जांच

199––श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भू0 पू0 एम0 एल0 ए0 श्री अशर्फी लाल यादव द्वारा जनपद बाराबंकी के राम सनेही घाट से दिनांक 25–1–86 को माननीय मुख्य मत्री जी को भेजा गया तार और 4–2–86 को भेजा गया रजिस्टर्ड पत्र जिसमें भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों की शिकायत की गयी है, शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो शिकायतों का विवरण क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

जी हां ।

शिकायती–पत्र व तार भूमि संरक्षण इकाई, राम सनेही घाट, बाराबंकी के कार्य क्षेत्र की सरयशाह आलम, लालगंज कोटवा, पतुलकी व मथुरा नगर अल्पिकाओं पर प्रक्षेत्र विकास कार्य में अवैध ईट के स्थान पर पक्का व दोमा ईट अधिक मूल्य पर क्रय करके लगाये जाने तथा सीमेन्ट एवं बालू 1:8 लगाये

जाने की शिकायत है । इस सम्बन्ध में जांच मुख्य अभियन्ता, शारदा सहायक कमाण्ड से करायी जा रही है । जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

200--श्री काशी सिंह ऐरी--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

जनपद जौनपुर में छात्रों की छात्रवृत्ति की कथित वापसी

201--श्री अर्जुन सिंह यादव--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर में वर्ष 1983-84 के कुछ छात्रों की छात्रवृत्ति डायरेक्टर शिक्षा विभाग द्वारा वापिस मंगा ली गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी वापिस कराकर जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली उन्हें पुनः 1983-84 की छात्र-वृत्ति दिलाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

वर्ष 1983-84 में जनपद जौनपुर में किसी भी छात्र की छात्रवृत्ति शिक्षा निदेशक द्वारा वापस नहीं मंगाई गई । अतः छात्रवृत्ति की वापसी का प्रश्न नहीं उठता ।

मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, नियम 275 के अन्तर्गत मैं आपसे अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रस्ताव को पढ़ दीजिये ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुज्ञा चाहता हूं कि यह सदन वर्तमान मंत्रि परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है" ।

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य नेता विरोधी दल को प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों, वह कृपा करके खड़े हो जायं ।

(खड़े हुए माननीय सदस्यों की संख्या 124 रही ।)

श्री अध्यक्ष--

124 सदस्य अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हैं, अतः अनुज्ञा प्राप्त हुई । माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आपको कुछ कहना है इस सिलसिले में ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा इसी समय से प्रारम्भ कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

तो इस प्रस्ताव पर चर्चा अभी से प्रारम्भ होगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन वर्तमान मंत्रि परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, आप कृपया जरा बैठने की तकलीफ करें । इस प्रस्ताव पर 45 मिनट माननीय नेता सदन को और 45 मिनट का समय माननीय नेता विरोधी दल को, अन्य नेतागणों को 20-20 मिनट और माननीय मन्त्रियों को भी 20-20 मिनट का समय तथा

अन्य माननीय सदस्यों को 10-10 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है ।

मैं माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि अब वे अपना भाषण शुरू करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, मैं 12 घन्टे की चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आठ घंटे इसकी चर्चा होगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा नहीं है कि मन्त्रि परिषद पर अविश्वास का प्रस्ताव आये और उस समय सदन में नेता सदन न हों । यह मैं अच्छा नहीं समझता हूं ।

एक सदस्य --

आ गये, आ गय ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, जो समय के सम्बन्ध में आपने निर्देश दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि आपने जितना समय निश्चित किया है, उतने ही समय में अपनी बात कहूं । लेकिन अगर कुछ समय अधिक लग जाये तो मुझे माफ कर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पिछले अधिवेशन के पश्चात् उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के काले कारनामों में इतनी जबरदस्त वृद्धि हुई है कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है । जिस सरकार ने स्थानीय निकाय, सहकारिता और जिला परिषद के चुनावों के लिये बार-बार आश्वासन दिया और घोषणायें कीं, उसके बाद भी अभी तक चुनाव नहीं करा सकी । इस सरकार से जनता का पूरा विश्वास उठ गया है और जब जनता का पूरा विश्वास उठ गया है, तो हम लोगों का भी पूरा विश्वास इस सरकार पर से उठ गया है, हमारा इस सरकार पर विश्वास नहीं रह गया है । प्रदेश की स्थिति गिरती जा रही है और दूसरी ओर माननीय मुख्य मन्त्री जी घोषणायें करते हैं कि इस प्रदेश ने हिन्दुस्तान में 20 सूत्री कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है और पुरुस्कार पाया है । दूसरी और शांति और व्यवस्था के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि शांति और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई है, बेहतर हो गयी है । कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है । माननीय मुख्य मन्त्री जी अगर यह दो घोषणायें न करते तो विपक्ष इस बात पर सोचता कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाये या न लाया जाये । यह सरकार अगर कम से कम विधान सभा के वर्किग डेज 15 दिन भी रखती तो भी हम विचार करते कि अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाये या न लाया जाये । मान्यवर, पूरे प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं है । गरीब और गरीब होता चला जा रहा है । आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में सरकार विफल हो गयी है । आज प्रदेश भर में आप देखें, जो निर्बल लोग हैं, हरिजन हैं और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और अल्प संख्यक हैं, तथा जो पिछड़े लोग हैं, आज उनका प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं रह गया है, उनका प्रतिनिधित्व पूरी तरह से नहीं हैं, पर्याप्त नहीं है, मामूली है और दूसरी तरफ जुर्म और अत्याचार उन पर सबसे अधिक हो रहा है । आज हमारे प्रदेश के जो लोग हैं, वह महसूस कर रहे हैं कि बीर बहादुर की सरकार में उनकी कोई सुरक्षा नहीं है ।

आज मान्यवर, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है । किसान लूटा जा रहा है । प्रदेश में सूखा पड़ गया है और उसके लिये सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया है और सरकार इसको गम्भीरता से नहीं ले रही है । इस कारण जनता

का विश्वास वीर बहादुर सिंह की सरकार से उठ गया है। सत्ता दल के जो लोग बैठे हैं उनका भी विश्वास इन पर नहीं रह गया है, मन्त्रियों का विश्वास इन पर से उठ गया है। इस प्रदेश के जो आई० ए० एस० और नौकरशाह हैं, उसका भी विश्वास इनके ऊपर से उठ गया है।

श्री अध्यक्ष—

आपका तो विश्वास है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय, अगर इन पर विश्वास रह गया है, तो एक आदमी का विश्वास रह गया है, उनका नाम है अरुण नेहरू उनके अतिरिक्त किसी का कोई विश्वास नहीं रह गया है।

और जब किसी को विश्वास नहीं रहा तो हम समझते हैं, विपक्ष के सारे लोग समझते हैं कि मुख्य मन्त्री जी, नैतिकता का तकाजा है कि आप इस्तीफा दे दें। जब इन्होंने बेशर्मी की चादर ओढ़ ली है तो हम लोगों का, विपक्ष का नैतिक दायित्व था कि इस सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लायें और इसीलिये हम लोग, विपक्ष के लोग इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाये हैं। इस प्रस्ताव को पेश करके इस सरकार के जो काले कारनामे और क्रियाकलाप हैं, उनके सम्बन्ध में हम चर्चा करना चाहते हैं। माननीय, हर क्षेत्र में यह सरकार विफल रही है। राजनैतिक क्षेत्र देख लीजिए। इसमें पूरी तरह से विफल रही है। आज यह हालत हो गई है कि जिस तरह से इस देश के प्रधान मन्त्री जितना दौरा विदेशों का करते हैं उससे ज्यादा हमारे मुख्य मन्त्री दिल्ली खर्चों का दौरा करते हैं। मेरी राय यह है कि इस प्रदेश की राजधानी दिल्ली बना दिया जाय तो उससे कम से कम फिजूल कम होगी। आज हमारे मुख्य मन्त्री जी ने हेलीकाप्टर को और जहाज को स्कूटर बना लिया है। स्कूटर लिया और सुबह दिल्ली शाम को लखनऊ, शाम को दिल्ली सुबह लखनऊ। इसलिये दिल्ली को इस प्रदेश की राजधानी बना दिया जाय तो फिजूल खर्ची जो हो रही है, वह कम होगी।

20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान में सबसे प्रथम रहा है। यदि हिन्दुस्तान में प्रथम रहा है तो परकैपिटा इनकम के अनुसार भी उत्तर प्रदेश को प्रथम होना चाहिए। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को गुमराह किया जा रहा है। बिहार को छोड़कर आज उत्तर प्रदेश सबसे गरीब है और जैसा कि मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जो उत्तर प्रदेश से पीछे थे, वे भी आज आगे निकल गये हैं। अगर यही गति रही आपके काले कारनामों और गलत नीतियों की, तो वह दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान के इतिहास में सबसे पिछड़ा हुआ सूबा होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आपका नाम इतिहास में न लिखा जाय कि आपकी गलत नीतियों के कारण यह प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे गरीब प्रदेश हो गया है, इसलिये आप इस्तीफा दे दें, वरना आपका नाम लिखा जायेगा कि आपकी गलत नीतियों के कारण आज पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। यहां पर 40 प्रतिशत सूखा पड़ा हुआ है, 40 सैकड़ा ट्यूबवेल खराब पड़े हुये हैं, उनमें बिजली नहीं है। 50 प्रतिशत औद्योगिक कारखाने बन्द पड़े हैं बिजली की कमी के कारण, पूरा आर्थिक ढांचा चरमरा रहा है। विकास के कार्यों के लिये भी पैसा दिया जाना चाहिए था वह क्षेत्रों में नहीं पहुंच रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की आज यह स्थिति हो गयी है। दूसरी तरफ मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के गांव वालों का बचत का पैसा बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग अपने रोजगार की खातिर, अपनी जीविका की खातिर जो बम्बई, कलकत्ता, पंजाब और बंगाल जा रहे हैं, उनको

खदेड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बचत का पैसा कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई में जा रहा है, यहां के लोगों की झुग्गी-झोपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है, उनको गोलियों से भूना जा रहा है। इस सरकार के रहते यहां की जनता को जानमाल का खतरा पैदा हो गया है। यह सरकार उनको सुरक्षित रखने म बिलकुल असमर्थ रही है, उत्तर प्रदेश के लोगों के पैसे को नहीं रोक पायी है दूसरी जगह जो रोजगार के खातिर गये हुये हैं, उनको बचा नहीं पायी है तो हम समझते हैं कि इससे ज्यादा कमजोर और कोई दूसरी सरकार नहीं हो सकती है।

आज गावों की हालत यह हो गई है, मैं कहना चाहता हूं कि आज घाघरा नदी के किनारे के सौ-डेढ़ सौ गांव कटाव पर हैं, हमारे गांवों का बचत का पैसा दूसरी जगह जा रहा है। गांव की बचत का पैसा जो गांव कट रहे हैं उनको बचाने में खर्च नहीं हो रहा है।

लेकिन लखनऊ कटने पर, जब यहां बाढ़ आई तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने 13 करोड़ रु० दिया, लखनऊ को कटने से बचाने के लिये। जब मान्यवर, 13 करोड़ एक जिले को बचाने के लिय दिया गया तो हम लोग सोचने के लिये विवश हो गये कि गांव के लिये क्यों पैसा नहीं दिया जाता है। आजादी के बाद आप देखेंगे जमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है आगरा बसा हुआ है, गंगा के किनारे, इलाहाबाद, कानपुर और बनारस बसे हुये हैं, गोमती के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, घाघरा के किनारे फैजाबाद अयोध्या बसा हुआ है जब बाढ़ आती है तो शहर नहीं कटते हैं लेकिन गांव कट जाते हैं। गांव इसलिये कटते हैं कि सन् 47 की आजादी के बाद शहर आजाद हुये, गांव आजाद नहीं हुये हैं उसका कारण इस कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियां रही है। घाघरा नदी के किनारे गांव कट रहे हैं, लेकिन उन्हें यह सरकार रोक नहीं पा रही है, और गांव के बचत का पैसा भी बाहर चला जा रहा है।

इसी तरह से सामाजिक स्तर पर भी विषमता दूर करने में यह सरकार असफल रही है, कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, वे पीड़ित हैं और सताये जा रहे हैं, उनको ज्यादा ही सताया जा रहा है उसका उदाहरण बलिया में जैतपुर कांड, बनारस में सिकदरा कांड जिसमें गोपाल यादव की हत्या कर दी गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी के जिले गोरखपुर में पुलिस दीवान ने एक बी० ए० पास लड़के को गोली मार दी। इसी तरह से इटावा में भी पुलिस ने एक व्यक्ति को मार दिया जिसका नाम पातीराम है, जो एक गरीब आदमी था: तो ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं, जो गरीब और कमजोर लोग हैं, उन पर अत्याचार इस सरकार के समय में हुये हैं, जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं उन पर भी अत्याचार हो रहे हैं। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों पर सरकार द्वारा पूरी तरह से अत्याचार हो रहे हैं।

मैं सूखा के सम्बन्ध में सबसे पहले आपके सम्मुख बात रखना चाहता हूं। आज पूरा उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में है। चार दिन पानी बरसता है तो बाढ़ आ जाती है और चार दिन बाद सूखा पड़ जाता है। उसका कारण सत्ता में बैठे लोग गम्भीरता से इसे रोकने के लिये विचार नहीं करते हैं जबकि अन्य प्रदेशों में इस पर काबू पा लिया है। आप देखेंगे कि यमुना गंगा, घाघरा, गंडक आदि नदियों के कारण प्रतिवर्ष जो बाढ़ आती है उसमें अरबों रुपया बरबाद हो जाता है, गंगा का हमारे यहां से ज्यादा पानी बिहार और बंगाल में जाता है, लेकिन उसके बावजूद वहां की सरकारों ने उस पर नियत्रण पा लिया है बिहार ने 47 प्रतिशत क्षेत्र और बंगाल ने 44 प्रतिशत क्षेत्र पर काबू पा लिया है, लेकिन आपने केवल 18 परसेन्ट क्षेत्र पर ही काबू पाया है तो

बिहार से ज्यादा पानी बंगाल में जाता है और आपसे ज्यादा पानी बिहार में जाता है। उसका कारण यह है कि यहां पर बैठी सरकार जनहित में कोई कार्य नहीं करती है केवल अपनी पार्टी के हित में सत्ता में बैठे लोग अपने परिवार के हित में काम करते हैं।

यही हालत सूखे की है, आज पूरा उत्तर प्रदेश सूखाग्रस्त है, लेकिन इस सरकार ने केवल 22 जिले सूखाग्रस्त दिखाये हैं। मैं सत्ता पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं उनमें से कोई खड़ा होकर कह दे कि उनका जिला सूखाग्रस्त नहीं है। मेरी बात को छोड़िये आप अपने सदस्यों से जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, उनसे ही पूछ लीजिये तो कोई जिला ऐसा नहीं है जहां सूखा न हो लेकिन गलत बयानी देकर सरकार कहती है कि 22 जिलों में ही सूखा है। जहां के माननीय मंत्री जी हैं मैं पूछना चाहता हूं कि वहां क्या सबसे ज्यादा सूखा नहीं है? मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में सूखा है लेकिन अफसोस की बात है कि यह कार्य, यह सूखा इसलिये भी है, कि आन्ध्र प्रदेश में जो बाढ़ आयी उसके लिये वहां की सरकार ने दिल्ली सरकार से 50 करोड़ रुपया ले लिया और दिल्ली सरकार ने दे दिया है किन्तु आज तक जैसा कि मुझे खबर है उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखा है, किन्तु केन्द्र सरकार ने एक कौड़ी भी नहीं दी है। क्यों नहीं दिया है? मुख्य मंत्री जी भाषण तो बहुत देते थे कि दिल्ली और यहां, दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें होगी तो प्रदेश की ज्यादा सेवा होगी, तो अब दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकारें हैं तो भी उत्तर प्रदेश को दिल्ली सरकार ने एक कौड़ी भी सूखा के लिए नहीं दिया है। जबकि श्री एन0 टी0 रामाराव को सरकार ने दिल्ली सरकार से 50 करोड़ रुपये ले लिया है इस प्रकार गैर कांग्रेसी सरकारें टकराव करके पैसा मांगती और लेती हैं किन्तु कांग्रेसी सरकारें हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर पैसा मांगती हैं। श्री एन0 टी0 रामाराव ने केन्द्र सरकार से कहा था कि हमारे आन्ध्र प्रदेश की जनता संकट में है इसलिये हिस्से से ज्यादा केन्द्र सरकार दे, केन्द्र सरकार की कोई बपौती नहीं है। लेकिन आपको ऐसा कहने की हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश की 13 करोड़ जनता सूखे से पीड़ित है आप मदद करें आपकी बपौती नहीं है। इससे साबित होता है कि जहां गैर कांग्रेसी सरकारें हैं वहां ज्यादा पैसा हिस्से से मिलता है और जहां कांग्रेस सरकारें हैं वहां कम पैसा मिलता है या मिलता ही नहीं है।

मान्यवर, आज आश्चर्य की बात है कि, जबकि संसदीय लोकतन्त्र में मंत्री लोग नीतियां तय करते हैं किन्तु आज उत्तर प्रदेश में उल्टा हो रहा है कि नीतियां सचिव तय कर रहे हैं और मंत्री लोग केवल ट्रान्सफर और पोस्टिंग कर रहे हैं। आप बतायें इसके अलावा क्या करते हैं। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जैसा सामान्य प्रशासन पर भाषण के जवाब में कहा था कि 30 जून के बाद कोई ट्रान्सफर नहीं होगा लेकिन 30 जून के पहले आप ट्रान्सफर नहीं कर पाये। यदि आपकी नीति बन जाती है कि 30 जून के बाद ट्रान्सफर नहीं होंगे तो माननीय सदस्य आपको ट्रान्सफर के लिए मजबूर न करते। मान्यवर, आज हालत यह हो गयी है कि ट्रान्सफर के कारण जो ईमानदार, सक्षम और योग्य अधिकारी हैं उनको आज प्रताड़ित किया जा रहा है और जो निकम्मे, नकारा और भ्रष्ट लोग हैं वह तिकड़म करके अच्छी-अच्छी जगहों पर बैठ रहे हैं। उसका नतीजा हुआ कि अन्य विभागों पर असर पड़ा है जैसे कोआपरेटिव, कृषि और बिजली विभागों पर इसका असर पड़ा है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से ईमानदार लोगों को

आज सताया जा रहा है ।

मान्यवर, 19 जुलाई, 1985 को सहकारिता मंत्री की व्यक्तिगत दिलचस्पी के कारण एक महिला को इलाहाबाद में जनता बाजार का प्रशासक नियुक्त किया गया और उसने एक साल के अन्दर कुछ अधिकारियों से मिलकर दो-ढाई लाख रुपये का घपला किया । जब डिप्टी रजिस्ट्रार को पता चला तो कमेटी बिठाई गयी जिसकी रिपोर्ट 16 जून, 1986 को आ गयी जिससे पता चला कि घपला किया गया है । डिप्टी रजिस्ट्रार, इलाहाबाद ने तुरन्त प्रशासक को बरखास्त, किया और जनता बाजार, इलाहाबाद के सचिव को मुअत्तल कर दिया गया और इसके साथ ही दोषी एक अन्य कर्मचारी को भी मुअत्तल किया गया, किन्तु प्रशासक का बर्खास्तगी से सहकारिता मंत्री जी उप निबन्धक से इतने ज्यादा नाराज हो गये कि उन्होंने उप निबन्धक, इलाहाबाद को पौड़ी गढ़वाल भेज दिया । ईमानदारी से काम करने की वजह से उसे पौड़ी-गढ़वाल भेजा और यही नहीं उसकी गलत शिकायतें करवाने के बाद मुख्य मंत्री ने उसे मुअत्तल करने की कोशिश की है । मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी हालत में कोआपरेटिव विभाग में कोई ईमानदारी से काम कैसे कर सकता है । अब उसको मुअत्तल करने की साजिश कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब कर रहे हैं ।

इसी तरह से मान्यवर, मैं आपके सामने एक और बात कहना चाहता हूं । एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है और संवैधानिक संकट दुर्भाग्यपूर्ण है किन्तु यह पैदा हो गया है । मैं सत्तारूढ़ दल के लोगों से कहना चाहता हूं कि अब यह यहां तय होना है संसदीय लोकतन्त्र में माननीय वीर बहादुर सिंह नम्बर एक पर हैं या मुख्य सचिव नम्बर एक पर हैं । मैं देख रहा हूं कि मुख्य सचिव नम्बर एक पर हैं । आज माननीय वीर बहादुर सिंह नम्बर दो पर हैं । इसका एक उदाहरण है, 12 मई, 86 को पी० सी० एस० अधिकारी संघ के एक वार्षिक सम्मेलन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो घोषणाएं कीं एक यह कि 2300 से 2700 के उच्चत्तर विशेष वेतन मान के 30 पद होंगे और दूसरे यह कि 2,700 से 3000 के उच्चत्तर विशेष वेतनमान के 6 पद पी० सी० एस० अधिकारियों के लिए सृजित किये जावेंगे । यह दोनों घोषणाएं उन्होंने की थीं, किन्तु दो में से एक का भी आज तक पालन नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में मुझे मालूम हुआ है कि मुख्य सचिव ने मुख्य मंत्री की घोषणाओं को किसी भी हालत में मानने से साफ इन्कार कर दिया है । उनका कहना है कि मुख्य मंत्री कौन होते हैं घोषणा करने वाले, क्या घोषणा करने से पहले मुझ से पूछा था, इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं और इसी कारण उन्होंने आज तक उसे स्वीकार नहीं किया है जब मुख्य सचिव ने आपकी घोषणाओं का पालन नहीं किया है तो आपको एक घंटे भी मुख्य मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। इसलिए नहीं रहना चाहिये कि आज इसके चलते संसदीय लोकतन्त्र में आदरणीय सदनों में बैठे सभी माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा गिर गई है ।

आज लोकतन्त्र की और उनकी मर्यादा का सवाल इससे पैदा हो गया है । इसका नतीजा यह निकला है कि अफसर शाही निरंकुश होती चली जा रही है । इसका असर सभी विभागों पर पड़ा है और इसका विशेष असर मुख्यतः तीन विभागों--कृषि, विद्युत् और सहकारिता पर पड़ा है । क्योंकि इन तीनों विभागों के मंत्रियों का ध्यान आपकी कुर्सी की ओर है । सबसे पहले मैं बिजली के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । 25 फरवरी, 1986 को अपने बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा था वही मैं कोट कर रहा हूं "सबसे पहला हमारा प्रयास जो है वह यही है कि ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाय जिससे प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो सके । इसके लिये हमने कुछ चीजों की तरफ खास तौर से ध्यान दिया है, जैसे बिजली है, इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि

हमारे प्रदेश का मुख्य कार्य खेती करना है । इसमें बिजली की बहुत आवश्यकता होती है । इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि किसानों को इससे सम्बन्धित कोई परेशानी न हो ।" मंत्री जी का ध्यान गया और बिजली के दाम बढ़ गए । अब आप देखें कि मुख्यमंत्री जी किसका ख्याल करते हैं । मुख्य मत्री जी जितना ध्यान देते हैं, बिजली के दाम बढ़ जाते हैं । मैंने अनेक बार कहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाना है तो बिजली में सुधार करना होगा । लेकिन आप देखेंगे कि 1985–86 में 3 अरब 11 करोड़ रुपयों का बिजली विभाग में घाटा था । इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है । इस पर बिना ध्यान दिए हुए उपभोक्ताओं पर रेट बढ़ाकर करोड़ों रुपये का भार डाल दिया गया है ।

मान्यवर, प्रदेश में 30 से लेकर 50 प्रतिशत बिजली लाइन लासेज और बिजली की चोरी के कारण बरबाद होती है । माननीय विद्युत मंत्री और इनके विभाग के अनुसार 1985–86 में 40 प्रतिशत बिजली लाइन लासेज और चोरी में चली गई । जब आपका इतना बड़ा विजिलेंस विभाग है तो इन चोरियों को क्यों नहीं रोका जा रहा है । दूसरी तरफ आप देखें एक अग्रवाल पेपर मिल है मुजफ्फरनगर में । तीन साल पहले 70 लाख की चोरी का मामला इस मिल के सम्बन्ध में आया । इसका विजीलेंस विभाग भी है और माननीय मंत्री जी भी ह इसके बावजूद भी आजतक न तो रुपया वसूला गया है और न मिल पर कार्यवाही की गयी है और न किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है । अब 70 लाख रुपये बिजली की चोरी का मामला आया तो आपने किसी अधिकारी से क्यों नहीं पूछा और क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्यवाही की । न तो आपने इस रुपये को वसूला है और न किसी अधिकारी के खिलाफ ही कार्यवाही की है न किसी अधिकारी को दंडित किया गया है । इसी तरह से 30 प्रतिशत मीटर आज खराब हैं । कमीशन के लिए रद्दी समान खरीद लिया जाता है । जब मीटर खराब होता है तो उपभोक्ता से मनमाने ढंग से बिजली की कीमत वसूल की जाती है । मान्यवर, इसी तरह से कई सौ सहायक अभियंताओं के ट्रांसफर किए गए । माननीय मंत्री जी ने और इनके एक अधिकारी ने मिलकर किए । लेकिन पता चला है कि वह सब रद्द कर दिए गए । इतने बड़े पैमाने पर सहायक अभियन्ताओं के ट्रांसफर करना और फिर रद्द कर देने से माननीय मंत्री जी की बुद्धिमता और उनकी ईमानदारी पर संदेह होना स्वाभाविक है । मान्यवर, इस तरह से आप देखेंगे विद्युत परिषद् में इन दिनों भ्रष्टाचार मजबूती पकड़ गया है । घटिया से घटिया सामान कमीशन लेने के लिए खरीदा जाता है । करोड़ों रुपये का सामान खरीद लिया जाता है सारे माननीय सदस्य जानते हैं कि कहीं कहीं पर वह सड़कों के किनारे पड़ा रहता है उसका इस्तेमाल नहीं होता है । कमीशन पाने के लिए सामान खरीद तो लिया जाता है जो गर्मियों और बरसात में पड़े पड़े खराब होता रहता है ।

मान्यवर, इसी तरह से आप देखेंगे कि कृषि विभाग द्वारा किसानों की लूट पूरे प्रदेश में हो रही है । पिछले कई भाषणों में इसी विधान सभा में मैंने तमाम जो इस प्रदेश के अर्थ शास्त्री हैं और विशेषज्ञ हैं उनके प्रमाण देकर कहा था कि इस प्रदेश में किसानों की लूट हो रही है । आज आप देखेंगे कि एक शोध पत्र तैयार हुआ है शोध पत्र तैयार करने वाले हैं डा0 दिलीप सिंह स्वामी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के विजनेस इकनोमिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, दूसरे हैं देशबन्धु कालेज के प्रवक्ता डा0 अशोक गुलाटी । इन दोनों ने मिलकर शोधपत्र तैयार किया है और कई अर्थशास्त्रियों की इसमें मदद ली है । उन्होंने इसमें साबित किया है कि 1970–80 के बीच में किसानों को 45 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ है । उत्तर प्रदेश के किसानों को इसी अवधि में 31 अरब रुपये का

घाटा हुआ है। उसका कारण यह रहा है कि जो खेती के लिए किसानों के उपयोग की वस्तुयें हैं उनका लागत मूल्य ज्यादा रहा है और जो किसान का उत्पादन है उसका मूल्य उसको कम मिला है। इसका नतीजा यह हुआ है कि 1970–80 के बीच इस प्रदेश के किसानों को 31 अरब रुपये का घाटा हुआ है। आप देखेंगे कि खाद बीज और कीट नाशक दवाओं के सम्बन्ध में करोड़ रुपयों का घपला किस तरह से हो रहा है विगत साल केन्द्र ने 17 करोड़ रुपये दिये थे ताकि किसानों को सब्सिडी मिल सके। नाइट्रोजन खाद पर छूट नहीं थी। कमीशन के नाते नाइट्रोजन पर भी छूट दे दी गयी और 3 प्रतिशत खाद ज्यादा खरीद ली गयी। नतीजा यह हुआ कि इस वक्त कम्पनी का 35 करोड़ रुपया खाद का चाहिये। चूंकि किसान विरोधी तथा कथित जन प्रतिनिधि सरकार में बैठे हैं, इसलिए अनेकों तरह से किसानों को लूटा जा रहा है। पूरे राज्य में घटिया व फर्जी खाद धड़ल्ले से बिक रही है। कृषि विभाग ऊपर से लेकर नीचे तक अपने निजी स्वार्थों के कारण इस तरफ आंख बन्द किए बैठा है। गत वर्ष खाद पर जिस छूट का ऐलान किया गया था, वह खाद रिजेक्टेड थी और घटिया किस्म के खाद के साथ–साथ खाद के रंग में कलर्ड किया गया पत्थर बोरियों में भर कर किसानों को बेचा गया। किसानों के साथ इतना धोखा–धड़ी और उपेक्षा पूर्ण बर्ताव किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहां की खेती की उपज अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। 18 मार्च, 1985 को लोक सभा में एक प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री ने बताया था कि 1983–84 में भारत में फसलों वाली खेती का कुल क्षेत्रफल था 13 करोड़ हेक्टेयर और कुल खाद्यान्न उत्पादन था 15 करोड़ टन जबकि चीन में फसलों वाली खेती का क्षेत्रफल था 10 करोड़ हेक्टेयर और खाद्यान्न उत्पादन का 35 करोड़ टन अर्थात् भारत में प्रति हेक्टेयर सवा टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ और चीन में प्रति हेक्टेयर साढ़े तीन टन।

किसान की लूट का एक नया सिलसिला प्रारम्भ हुआ है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि आलू उत्पादकों ने जब शीतगृहों में आलू रखा था तो एग्रीमेंट 19 रु0 प्रति बोरे के हिसाब से हुआ था, किन्तु जब सरकार और शीतगृह मालिकों के षड़यन्त्र के कारण आलू उत्पादकों से 28 रु0 प्रति बोरे के हिसाब से वसूला जा रहा है। इस प्रकार हर कोल्ड स्टोरेज को 4 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये का अतिरिक्त सीधा लाभ पहुंचा दिया गया है। यह आम चर्चा है कि इस सौदेबाजी में शीतगृह मालिकों को सरकार में बैठे लोगों को 50 लाख रुपया देना पड़ा। सत्ता के दलालों ने एक बार फिर किसान को लूट में दलालों को और पूंजीपतियों को करोड़ों रुपये का लाभ पहुंचाया।

मैंने अभी सबसिडी वाली जिस खाद की चर्चा की थी, उसको पूरे उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से भी बांटा गया था। कुछ जिलों में छूट से सम्बन्धित कागजात तीस जून के बाद पहुंचे। नतीजा यह हुआ कि 30 अप्रैल को बनने वाली डिमान्ड लिस्ट में किसान के नाम पूरा कर्जा चढ़ा दिया गया और 30 जून से पहले ज्यादातर लोगों से पूरा पैसा वसूल कर लिया गया। मुझे पता चला है कि फर्रुखाबाद और मैनपुरी में इस छूट के पैसे को कर्जदार की अमानत में दिखा दिया गया और फिर फर्जी हस्ताक्षरों के जरिये ए0 आर0 की साजिश से सचिवों व सुपरवाइजरों के द्वारा वह पैसा निकाल लिया गया। इस तरह से अकेले फर्रुखाबाद व मैनपुरी जनपद में ही जो छूट का पैसा किसानों को मिलना चाहिए था, उसको लूट कर ली गयी और दसों लाख रुपया सहकारिता विभाग के सहायक निबंधकों, सचिवों, और सुपरवाइजरों की जेब में चला गया।

यह चर्चा है कि अब उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर वही व्यक्ति आ सकता है जो दिल्ली दरबार में सबसे अधिक भेंट पूजा करे और इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पद के दावेदार ये मंत्रीगण

कुछ सीधे किसानों को लूट कर और कुछ अधिकारियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इस होड़ में उत्तर प्रदेश का बेचारा गरीब किसान व उपभोक्ता मारा जा रहा है।

आज उत्तर प्रदेश के किसानों के पास खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो दूसरे साल सबसीडी दी गयी थी, वह सबसीडी छोटे-छोटे किसानों को नहीं मिली थी। वह सबसिडी बड़े-बड़े अधिकारियों और बड़े-बड़े किसानों को मिली और उसमें 36 करोड़ रुपए का घपला हुआ था। इस तरह से जो पूरे उत्तर प्रदेश के छोटे-छोटे किसान थे, उनको सबसिडी नहीं मिल पाई। बड़े-बड़े अधिकारियों और बड़े-बड़े किसानों को सबसिडी मिली। देवरिया के अधिकारियों ने बिहार को खाद बेच दिया था और उनका प्रमोशन कर दिया गया। जिन अधिकारियों ने इतना जबरदस्त घपला देवरिया में किया था, उन अधिकारियों को दण्ड देने के बजाय माननीय मंत्री जी ने उनका प्रोमोशन कर दिया, किसी को ज्वाइंट डायरेक्टर बना दिया, किसी को जिला कृषि अधिकारी और किसी को डिप्टी डायरेक्टर बना दिया। इसी तरह से अनेकों के प्रोमोशन कर दिया गया। क्लास (1) की जो नौकरियां थीं, उनमें कैसे प्रोमोशन्स कर दिए गए?

मैंने अभी आलू के उत्पादकों के बारे में चर्चा किया। मान्यवर, आलू के उत्पादक किसान चौपट हो गये। उनको किस तरह से लूटा जा रहा है, मैं लाया हूं किसानों की रसीदों को फोटो स्टेट मैं जल्दी से नहीं करा पाया। मैं इसकी फोटो स्टेट कापी करा कर भेजवा दूंगा। फर्रुखाबाद के आलू उत्पादक के अध्यक्ष थे श्री राजेन्द्र सिंह गंगवार, उन्होंने मुख्य मंत्री से कहा, लिखकर भी दिया। 50 हजार लोगों ने वहां पर आंदोलन किया। 8-9 रु० प्रति बोरा किसानों से ज्यादा लिया गया। जो लोग हाई कोर्ट से स्टे लाये थे उनसे और जो लोग स्टे नहीं लाये थे उनसे भी ज्यादा लिया गया। मैं उधर के बैठे हुए अपने नवजवान दोस्तों से कहना चाहता हूं, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। आज माननीय राजीव गांधी जी कहते हैं कि क्या कांग्रेस में सत्ता के दलाल घुसे हैं। माननीय कमला पति त्रिपाठी जी कहते हैं कि आज कांग्रेस राज्य सत्ता के दलालों का हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि ये सत्ता के दलाल कौन हैं। इनको बेनकाब करें।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसी तरह से मान्यवर, किसानों की लूट में सहकारिता विभाग भी पीछे नहीं है। किसानों को सबसिडी 30 अप्रैल तक मिल जानी चाहिए थी लेकिन सबसिडी नहीं पहुंच। 30 अप्रैल को बनने वाली डिमांड लिस्ट में किसान के नाम पूरा कर्जा चढ़ा दिया गया। इस सरकार ने पुलिस के बल पर अत्याचार करके किसानों से पूरा का पूरा रुपया वसूल लिया और सबसिडी 30 जून के बाद आई, जबकि पैसा ज्यादा लोगों से 30 जून के पहले ही वसूल लिया गया। मान्यवर, मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा मैनपुरी और फर्रुखाबाद के बारे में। मान्यवर, मैनपुरी और फर्रुखाबाद में इस छूट के पैसे को बैंकर की अमानत में दिखा दिया गया और फिर फर्जी हस्ताक्षरों के जरिये ए० आर० की साजिश से सचिवों और सुपरवाइजरों द्वारा वह पैसा निकाल लिया गया। मैंने यह दो उदाहरण आपको दिए पूरी की पूरी खाद की सबसिडी लूट ली गई।

मान्यवर, इसी तरह मैं कहना चाहूंगा कि 19 मार्च, 1986 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि "माननीय सदस्य जब कभी कोई बात बतायेंगे जैसे माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे, तो उन्होंने कुछ विभागों के बारे में कहा कि गलतियां हैं, मैं उनकी जांच करूंगा। जांच के बाद जो भी गलत पाया जायेगा किसी को छोड़ने का कोई सवाल नहीं है।" मान्यवर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है।

कार्यवाही तो दूर की बात है जांच की प्रक्रिया तक नहीं शुरू हुई।

मुख्य मंत्री जी से सम्बद्ध विभाग के बारे में एक मामला उठाना चाहता हूं। एक मामला पी0 डब्लू0 डी0 निर्माण खंड उरई का है। इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला है। एक जूनियर इंजीनियर महोदय न पूरे प्रदेश की सरकार को पराजित कर दिया है। इतनी नपुंसक और कमजोर सरकार और कोई हो नहीं सकती है। इस जूनियर इंजीनियर ने अपराधियों और गुन्डों को ठेके दिलाकर बन्दूक की नोक पर फर्जी भुगतान कराके पचासों लाख लाख रुपया पैदा कर लिया। मान्यवर, जब एक सहायक अभियन्ता धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता ने फर्जी पेमेन्ट से मना किया तो उसे जान से मारने की धमकियां दी जाने लगीं। श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता ने मुख्य मंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिया कि यह लोग मुझे गोली मार देंगे। इस पर 7 अप्रैल, 1986 को मुख्य मंत्री जी ने सहायक अभियन्ता का ट्रांसफर करने और उसकी सुरक्षा का प्रबन्ध करने के आदेश दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने तथा माननीय राज्य मंत्री जी ने भी इस संबंध में मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के लिखने के बावजूद भी श्री धर्मेन्द्र गुप्ता सहायक अभियन्ता का ट्रांसफर नहीं हुआ। न ही उसको शैडो दिया गया। 14 मई, 1986 को सहायक अभियन्ता को गोली मारकर घायल कर दिया गया जब उस पर चार्ज शीट लगाई गई तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश करके चार्ज शीट वापस मंगा ली। चार्जशीट लगाने की बात सी0 आई0 डी0 की जांच में भी लिखी हुई है। उसमें लिखा है कि जूनियर इंजीनियर की असामाजिक तत्वों से सांठ-गांठ है। कहा जाता है कि रासुका उस पर लागू नहीं हो सकती है, फिर रासुका किसके लिए है। उस जूनियर इंजीनियर को रासुका में बन्दी नहीं किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी खुद उसकी मदद कर रहे हैं। मान्यवर, ये गैंगस्टर में बन्द होने चाहिए। यहां गैंगस्टर किसके लिये है अच्छे भले लोगों के लिए है।

दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं एक इंजीनियर है पी0 डब्लू0 डी0 का। मुख्य मंत्री जी के विभाग की मैं बात कह रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं कि मैंने 16 मार्च को एक पत्र लिखा उसके भ्रष्टाचार के, उसकी बेइमानी के बारे में, उसके बाद मैंने 6 जून को फिर लिखा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया कि एक महीने के अन्दर जांच आ जाय। जब 45 दिन हो गये जांच नहीं हुई और न मुझको खबर दी गयी तो मैंने 21 जुलाई को फिर लिखा और 21 जुलाई को मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया कि एक हफ्ते में इसकी जांच हो जानी चाहिए उनके भ्रष्टाचार की, बेईमानी की लेकिन आज 90 दिन होने जा रहे हैं उस बेईमान इंजीनियर के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई। इसके ऊपर लाखों रुपयों का घोटाला है जो सामने रख दिया। यह भी लिखा है कि पहले जब इंजीनियर था तो वहां से रिपोर्ट आई है कि इसकी सेवायें समाप्त कर दी जायं। मैंने मुख्य मंत्री जी को भी लिखा था कि सचिवालय में फाइल पड़ी है तो इसकी सेवायें समाप्त की जाय, लेकिन उसकी सेवायें समाप्त नहीं की गयी। एक यहां पर बैठे हुए अफसर हैं पी0 डब्लू0 डी0 के जो 15 हजार रुपये से 25 हजार रुपया महीना उससे ले रहे हैं। मुख्य मंत्री की हिम्मत नहीं है कि फाइल मंगा लें। वह फाइल सचिवालय में दबी पड़ी है। 7 लाख रुपया उस इंजीनियर के द्वारा यहां सचिवालय में पहुंचाया गया है अगर 7 लाख रुपया नहीं आया तो फाइल कहां चली गयी, जिसमें सेवा समाप्ति की सिफारिश आई है। 7 लाख रुपया उसने दिया है सत्ता में बैठे हुए लोगों को। अगर मेरी बात गलत हो तो साबित करें।

इसी तरह से मान्यवर, आप देखेंगे कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार छिपाने का प्रयास हो रहा है। आज पूरी तरह से

आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही ह । जो हमारे निगम हैं, निगमों में किस तरह से भ्रष्टाचार है राजनीति में बैठे हुए लोग, बड़े बड़े आई० ए० एस० आज किस तरह से निगमों को लूट रहे हैं । मान्यवर, आप देखेंगे कि मार्च, 1984 तक निगमों में कुल लागत थी पूंजी थी 39 अरब रुपये की और उस वक्त घाटा था 8 अरब 86 करोड़ रुपया । मान्यवर, मार्च 1986 तक इनकी पूंजी हो गयी 53 अरब 95 करोड़ और घाटा हो गया 21 अरब 85 करोड़ रुपया । इस प्रकार दो वर्ष में लगभग 13 अरब रु० का घाटा हुआ है । इस तरह से मान्यवर, आपके ही जमाने में प्रति दिन निगमों में एक करोड़ रुपया रोज घाटा हो रहा है । मान्यवर, आज देखने में बड़ा दुख होता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गयी उस समय अंग्रेज इस सचिवालय में कुर्सी पर बैठकर काम चलाता था और आज एयरकंडीशन में बैठे हुए लोग एक करोड़ रोज का घाटा दे रहे हैं । दुनिया में इतना कहीं सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जाता तो सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने वाले आज जेलों के शिकंजे में होते । आज दुर्भाग्य है कि मुख्य मंत्री ऐसे हैं । इन निगमों से सम्बद्ध अधिकारी और राजनेता इन्हें लूटने में लगे हुए हैं और अय्याशी कर रहे हैं । एयरकंडीशन में बैठे हुए हैं ।

मान्यवर, जो यहां पर एक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो था, वह मैं आपको बाद में बताऊंगा । मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं कि उनकी नजर के सामने किस तरह से भ्रष्टाचार है । उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम और उसकी सहायक कम्पनियों की पूंजी पूरी तरह से डूब चुकी है । मुख्य मंत्री ने उसका बिना आडिट किये हुए, अगर कोई संस्था खत्म की जाती है तो आडिट के रिपोर्ट के बाद । सरकार ने 30 लाख रुपये के गबन पर सरकारी मोहर लगा दी इसी तरह से मान्यवर, प्रतापगढ़ में आटो ट्रैक्टर की फैक्टरी लगी । प्रताप ट्रैक्टर की उत्पादन लागत 1 लाख 88 हजार है और बाजार में इसे केवल 57 हजार रुपये का बेचा जा रहा है । यह इतनी घटिया किस्म का है कि 57 हजार में भी कोई लेने को तैयार नहीं है । इस तरह से एक ट्रैक्टर पर 1 लाख 31 हजार रु० का घाटा हो रहा है । आगरा मण्डलीय विकास निगम ने मैनपुरी जिले के अन्तर्गत कुसमरा में वर्ष 80-81 में माडर्न राइस मिल लगाई गई थी जिसकी उस समय लागत थी 15 लाख 35 हजार रुपया और ट्रायल प्रोडक्शन के बाद आज तक वह नहीं चली । इस तरह के सैकड़ों मामले हैं । मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि आप सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों को खत्म कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में निदेशक (वित्त) को बर्खास्त कर दिया गया है । यह भी पता चला है कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को समाप्त करने के लिए सम्बन्धित कागजात पर माननीय मुख्य मन्त्री की सहमति भी प्राप्त कर ली गई है । माननीय सदस्यों को याद होगा कि श्री नारायण दत्त तिवारी ने इस सम्मानित सदन को आश्वासन दिया था कि निगमों की अनुश्रवण रिपोर्ट प्रति वर्ष सदन के पटल पर रखी जाया करेगी लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इसको नहीं माना । इसका नतीजा यह हुआ कि यह सारे बड़े अधिकारी और राजनैतिक नेता मिल कर खा रहे हैं । आप अगर सदन की जितनी कमेटियां हैं उनकी सारी सिफारिशों को स्वीकार कर लें, और यदि स्वीकार नहीं करते हैं, तो खड़े हो कर सम्मानित सदन के सामने कहें कि उनकी सरकार बेईमान है और बेइमानी करना उनका नैतिक कर्तव्य है ।

मान्यवर, आप देखें कि इसी प्रकार अनुसूचित जाति निगम में 18 लाख रु० का घोटाला पकड़ा गया लेकिन उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसी तरह से मान्यवर, फर्जी मुठभेड़ के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है । सन् 80 के बाद

एनकाउन्टर्स में दिनों दिन वृद्धि हो रही है और इसका एक उदाहरण पिछले दिनों करहना गांव में 11 लोगों को निर्दोष मार दिया गया। इस सम्बन्ध में सारे समाचार पत्रों और गैर सरकारी संस्थाओं तथा राजनैतिक दल के नेताओं जिनमें कांग्रेस के भी कुछ लोग थे, स्वीकार किया कि यह सामूहिक हत्या हुई है और किस तरह से यह हत्या हुई, किस तरह से गोली चली वह आप देखें। बलराम नामक नवयुवक थाना बांदा का केवल 18 साल का इण्टर का फेल छात्र था और दुबारा एडमिशन लेने के लिए जा रहा था, उसको गोली से मार दिया गया। श्री सहदेव पुत्र शिव बरन को मार दिया गया, उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। श्री परमात्मा उर्फ बारा पुत्र मतन दूबे को मार दिया गया। कृष्णा पुत्र मतन को मार दिया गया। मुख्तार पुत्र दोस्त मोहम्मद, ग्राम करमुआ पाण्डे, थाना बांसी को मार दिया गया। दूसरा मान्यवर, उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं था, 500 रुपये लेकर बकरी खरीदने गया था, उसको पकड़ कर गोली मार दी गई। उसके छोटे भाई ने जब सुना तो उसका हार्ट अटैक हो गया। भुस्सन लोध अपने खेत की निराई कर रहा था उसको पकड़ कर गोली मार दिया। महेन्द्र जी श्रीवास्तव मान्यवर, ठेले पर कपड़ा बेचता था, उसका बाप सेना में है, उसके हाथ में गोली लगी थी, वह जिंदा था उसको दूसरे दिन मार दिया। मान्यवर, इन हत्याओं का सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, वहां का डी0 आई0 जी0, एस0 पी0 और डी0 एम0। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस निरंकुश हो गई है, इसके थोड़े दिन बाद करहना में काण्ड हो जाता है। पुलिस ने फैजाबाद में 6 लोगों को फर्जी तरीके से मार दिया। पुलिस आज उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में नहीं है। अरुणाचल में विदेशी लोगों ने 10 किलो मीटर पार अन्दर घुस कर हेलीपेड बना लिया तो चिट्ठी लिखाते हैं। फैजाबाद और करहना में गोली चलवा रहे हैं, लेकिन चाइना पर गोली नहीं चला सकते हैं। मान्यवर, आप देखें भारत माता कहने वाले लोग जितने बैठे हुए हैं, यह मैं उधर बैठने वालों के लिए कह रहा हूं, चाइना के लोग हमारी धरती पर आ गये तो चिट्ठी लिख कर भेजते हैं, मेरी माता का हाथ क्यों पकड़ा, उसको बेईज्जत क्यों किया। करहना और बस्ती में गोली चलती है।

मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं कि रामू के पुरवा में जो डी0 आई0 जी0 दंगा गिरोह के आपरेशन में लगा था यह मनी आपरेशन कर रहा था वहां पर 4 करोड़ रुपया खर्च हुआ। वहां पर जो काण्ड हुआ वह डी0 आई0 जी0 के कारण हुआ, जिस दरोगा के बारे में यह कहा गया था कि यह उस गिरोह से मिल गया है, उसी को वहां पर नियुक्त किया गया। रामू के पुरवा के लोग डकैत के बाप को पकड़वा दिये तो आप उनको सुरक्षा नहीं कर पाये। आप देखें काल्पी में एक व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने आता है कि मेरे खेत पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट लिखाते ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया और मारते-मारते मार डाला। गोरखपुर में एक बी0 ए0 के छात्र को पुलिस ने मार दिया सरकार ने 20 हजार रुपया उसके परिवार वालों को दे दिया। माननीय मुख्य मन्त्री जी आपके बेटे को या आपके भाई को पुलिस मार दे और 20 हजार रुपया दिया जाय तो आपको कैसा लगेगा। 20 हजार रुपया औकात रह गई है एक व्यक्ति की। इतना ही नहीं उस पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई जब गोरखपुर में आन्दोलन हुआ तो गिरफ्तारी हुई, काल्पी में रास्ता रोका गया तो दरोगा पकड़ा गया। बुलन्दशहर में एक सम्मानित व्यक्ति की पुलिस हत्या कर देते हैं और जब आन्दोलन हुआ तब गिरफ्तारी की गई। बिना आन्दोलन के कहीं भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। रामू का

पुरवा के लोग आज भी भयभीत हैं। आपने तीन लोगों को लाइसेन्स तो दे दिया लेकिन जिस प्रकार से बेहमई में हत्या हुई थी तो आपको सरकार ने मुफ्त म हथियार दिये थे, मैं चाहता हूं कि इनको भी मुफ्त हथियार दिये जायं इनके साथ पक्षपात क्यों किया जा रहा है। इन लोगों की औकात नहीं हैं, कि वह हथियार खरीद सके। 50 सकड़ा लोग आज भी वहां से भागे हुए हैं। पुलिस वहां रहती हैं, इसके बावजूद। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो यह गणतंत्र 15 अगस्त को क ा गया गणतन्त्र वास्तव में गोली तन्त्र है। गणतन्त्र माने गोली तन्त्र, बन्दूक तन्त्र। दक्षिण के लोग जो कहते थे कि हिन्दी व्याकरण हीन भाषा है, उसको आपके नेता ने साबित कर दिया। दून स्कूल के पढ़ने वालों ने यह साबित कर दिया कि हिन्दी व्याकरण विहीन भाषा है, बोलने का सहूर नहीं है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि शान्ति व्यवस्था अच्छी है। आपके जमाने में जितनी हत्यायें हुई हैं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी कभी नहीं हुई। 3 हजार 934 हत्यायें यानी 20 हत्या रोज हो रही है। दंगे 5 हजार 804 यानी 27 दंगे प्रतिदिन, कुल अपराध 10 हजार 378 यानी 490 प्रतिदिन। मैंने मा0मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखे कि हमको अपराध की स्थिति दे दें। रात में साढ़े 10 बजे यह सूचना मुझे मिली है आज साम्प्रदायिक तनाव पूरे उत्तर प्रदेश में है। आजादी के बाद इतना साम्प्रदायिक तनाव कभी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में सद्भावना समाप्त हो गई है। सरकारी सूत्रों के आधार पर 42 जिलों में साम्प्रदायिक तनाव है। 1947 में भी इतना तनाव नहीं था। इसका कारण कांग्रेस है। माननीय चौधरी चरण सिंह का 28 अक्तूबर, 1982 का एक पत्र है, जिसको मैं उद्धरित करना चाहूंगा जो महत्वपूर्ण है 15 अगस्त, 1947 के बाद पहली चीज हमें यह करनी चाहिए थी कि हम ऐसे संगठनों पर राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करने पर पाबन्दी लगा देते जिसकी सदस्यता विशेष समुदाय जाति धर्म या भाषाय समूह के लिए ही खुली हो। इस कानून के तहत मुस्लिम लोग हिन्दू महासभा और अकाली दल जैसी संस्थाओं पर रोक लगायी जा सकती थी महात्मा गांधी की मृत्यु के दो महीने बाद 3 मार्च, 1948 को संविधान सभा ने इस आशय का एक प्रस्ताव भी पास किया था लेकिन शासक दल कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का नोटिस लेने से इंकार कर दिया और केवल यही नहीं उल्टे कांग्रेस ने 1960 में केरल में मुस्लिम लीग से मिल कर मिली-जुली सरकार बना ली और आज भी केरल में कांग्रेस के मुख्य मन्त्री के साथ उपमुख्य मन्त्री मुस्लिम लीग का पदाधिकारी है।

बाबरी मस्जिद का झगड़ा जानबूझ कर सरकार ने बढ़ाया है। 1949 में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य मन्त्री इसको निपटाना चाहते तो निपटा सकते थे। वर्ष 1982 में जब विश्व हिन्दू परिषद् ने आन्दोलन प्रारम्भ किया तो कांग्रेस ने नोटिस नहीं लिया। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। मैंने उसी समय भी कह दिया था कि कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। इसका नतीजा यह हुआ कि बाराबंकी में 16 लोगों को मारा गया। इलाहाबाद में जिस क्षेत्र में दंगा हुआ, उस क्षेत्र में 47 से लेकर आज तक दंगा नहीं था।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, इलाहाबाद, बस्ती, फैजाबाद में निर्दोष लोगों पर गोली चलाई गयी और आज हालत यह है कि आपने दलित पैंथर के एक नेता डी0 के0 आनन्द को बन्द कर दिया। उसको जेल में क्यों आपने बन्द किया? उसको आपने रासुका में बन्द किया। उसने एक मामूली सा भाषण दिया कि यह सरकार धर्म के नाम पर आपस में फूट डालती है। उसके इस अपराध के लिए आप उसको जेल में डालकर रासुका में सड़ा रहे हैं। इससे यहां पर बैठे हुए अधि-

कारी भी सहमत हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग हिन्दू राष्ट्र की बात करके साम्प्रदायिक तनाव फैला रहे हैं, तो अगर हिन्दू राष्ट्र की बात कहते हैं तो मिजोरम, नागालैंड और पंजाब को हिन्दुस्तान में रखना मुश्किल हो जायेगा। ऐसे लोग जो हिन्दुस्तान की अखंडता के लिये बात कहते हैं, ऐसे डी० के० आनन्द जैसे लोगों के खिलाफ आप कार्यवाही करते हैं। उसको जेल में डाल रखा है।

अन्त में मैं दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा। आज हिन्दुस्तान में दईया चैरिटेबिल सोसाइटी की बड़ी चर्चा है। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार है। इस ट्रस्ट में भ्रष्टाचार है या नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि 27-6-59 को दइया चैरिटेबिल सोसाइटी का गठन हुआ था। फिर 29-6-59 को दइया चेरिटेबिल सोसाइटी में चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह ने, जो माननीय वित्त मन्त्री, भारत सरकार के बड़े भाई हैं, 3,673 बीघा जमीन दइया चेरिटेबिल सोसाइटी में हस्तांतरित कर दी। इसके बाद 1968 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जनपद मिर्जापुर में अपनी 3,041 बीघा जमीन इस सोसाइटी को हस्तांतरित कर दी। जिन उद्देश्यों के लिये इस सोसाइटी का गठन हुआ था उसके अनुसार स्कूल और अस्पताल बनने थे जो नहीं बने। वर्ष 1979 में इस सोसाइटी का डीड बदल दिया गया, जिनके अनुसार विश्वनाथ प्रताप सिंह की मां राजमाता बृज राज कुमारी (असली मालिक) को इस सोसाइटी का सर्वे सर्वा बना दिया गया और स्कूल और अस्पताल के बजाय रामगढ़ के पास एक कृषि अनुसंधान केन्द्र बनाया जाना तय किया गया, लेकिन वह भी आज तक नहीं बना। वर्ष 1969 से 1974 के बीच सोसाइटी ने 900 बीघे जमीन का विक्रय किया, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। वर्ष 1973 में श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे, तो उन्होंने भूमि हदबन्दी अधिनियम, 1960-61 में संशोधन किया कि 1-5-59 के बाद प्रदेश में जितनी भी चेरिटेबिल सोसाइटी या ट्रस्ट बनाए गये हों, उनको भूमि हदबन्दी अधिनियम से मुक्त नहीं किया जायेगा। इसके बाद दईया चेरिटेबिल सोसाइटी को करीब 6,400 बीघा जमीन अतिरिक्त घोषित की गयी। इस पर जब सोसाइटी ने 900 बीघा जमीन के बारे में आपत्ति की तो उसको घटाकर 5,458 बीघा जमीन अन्तिम रूप से अतिरिक्त घोषित की गयी। इसमें 2,797 बीघा जमीन इलाहाबाद में और 2,660 बीघा जमीन मिर्जापुर में थी। वर्ष 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो इलाहाबाद वाली जमीन पर कब्जा ले लिया गया। इलाहाबाद में मेजा तहसील की लगभग 1,400 बीघा और 944 बीघा जमीन मिर्जापुर की, जिन दोनों का योग मिलकर 2,344 बीघा होती है, वन विभाग को दे दी गयी और 3,114 बीघा जमीन रास्ते और नदियों को छोड़कर भूमिहीनों को पट्टे पर दे दी गयी। लेकिन आज तक किसी भी भूमिहीन को जिनको जमीन का पट्टा दिया गया था, उस पर कब्जा नहीं देने दिया गया। जबकि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह भूमिहीनों के बड़े हिमायती रहे। पेड़ों की गिनती को लेकर व्यापक पैमाने पर विवाद चला। उसमें 4 लाख 80 हजार पेड़ बताए गये, जिसमें शीशम, सागौन, चन्दन, खैर और कंरा आदि के पेड़ बताए गये, लेकिन मौके पर सिवाय चिऊल के पेड़ के इनमें से कोई भी पेड़ नहीं था। राजस्व विभाग के सचिव द्वारा मिर्जापुर के जिलाधिकारी को इस सम्बन्ध में पत्र लिखने के बाद भी पेड़ों की पूरी तरह से गिनती नहीं की गयी। कुल 1.83 लाख पेड़ ज्यादा बताए गये। जिससे 25 लाख रु० के राजस्व का नुकसान हुआ है सरकार को राजस्व का 1 करोड़ रु० की जमीन की लागत के सम्बन्ध में शासन के राजस्व की क्षति हुई। शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में ढिलाई बरती गयी। मेजा तहसील में

कताई मिल के सामने वाली जमीन को बिना केन्द्र सरकार से अनुमति लिये वन विभाग को दी गई । वह बड़ोखर की जमीन से अदला-बदली कराई गयी।

श्री अध्यक्ष--

15 मिनट हो गये हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, बस थोड़ा समय और चाहूंगा । मैं सरकार की भूमि के सम्बन्ध मे कहना चाहता हूं । जब सोसाइटी ने अपने उद्देश्य पूरे नहीं किये तो सोसाइटी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । जब माननीय मुख्य मन्त्री जवाब दें तो बतायें कि स्कूल अस्पताल क्यों नहीं बने । 900 बीघा जमीन सोसाइटी के द्वारा बेची गयी लेकिन उसका हिसाब न मिलने पर सोसाइटी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी । पेड़ों की गिनती के मामले में किसी भी बड़े अधिकारी को न तो मौके पर भेजा गया और न ही पेड़ों की कौन-कौन सी किस्में हैं इसकी जांच कराई गयी । भूमिहीनों को जिन्हें पट्टे दिये गये थे उन्हें उस पर कब्जा नहीं दिलाया गया मिला । इसके लिये कौन जिम्मेदार है, उसके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की इसे बताइयेगा । दोषी अधिकारियों को आज तक दण्डित नहीं किया गया । सोसाइटी के द्वारा बगैर केन्द्र सरकार के इजाजत के मेजा में कताई मिल के सामने वाली जमीन बड़ोखर से आपस में अदला-बदली की गयी तो सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की । मान्यवर, इससे सिद्ध होता है कि सरकार भ्रष्टाचार में सहायक है । मान्यवर, माननीय राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के सम्बन्ध में जो बात कही जाती है कि उनकी छवि ईमानदारी की है जो आज तक बनी हुई है, इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री मुईद अहमद--

रही है और रहेगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अगर उनकी छवि ईमानदारी की है और रहेगी तो इसे साफ कर दीजिये चर्चा करके ।

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, अब आपका समय समाप्त ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, केवल 10 मिनट दे दें और मुझ पर प्रतिबन्ध न लगायें । मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मुझ पर प्रतिबन्ध न लगायें । मैं थोड़ी ही समय में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप 5 मिनट ले लें और अपनी बात समाप्त करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, राम जानकी ट्रस्ट मांडा में 10 अरब रु0 का सोना, चांदी, हीरा जवाहरात है । सम्पत्ति कर से बचने

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

के लिए इन्होंने ट्रस्ट में शामिल कर लिया। ट्रस्ट को 26 हजार रुपया साल में रामलीला और ताजिया निकालने के लिए सरकार देती है। मुझे पता है कि उसके द्वारा 2 हजार रु0 से अधिक कभी भी खर्च नहीं किया गया। भगवान का भी पैसा खा जाते हैं राम जानकी ट्रस्ट का मंदिर हरिद्वार में है, जिसका 10 हजार रुपया माहवारी आता है।

[× × ×]

ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, नेता विरोधी दल जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के खिलाफ तमाम गम्भीर आरोप लगा रहे हैं। जब माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं, तो क्या ये दईया चेरीटेबिल ट्रस्ट की बात कह सकते हैं। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की कितनी जमीन कहां है और इन्हें कहां से आमदनी होती है. मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आरोप उचित नहीं है। आपके ही आसन से इस पर व्यवस्था भी पूर्व में दी जा चुकी है कि जो व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उन पर आरोप इस सदन में नहीं लगाये जाने चाहिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो बातें माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में कही गई है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं चूंकि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी एक ट्रस्टी हैं....

(शोर)

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेता विरोधी दल ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा। लेकिन यह समीचीन था कि वे केवल उस सरकार के कामों तक ही सीमित अपनी बात कहते। यह मौजूदा वीर बहादुर सिंह की सरकार जो एक वर्ष से है उसी के कामों के बारे में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है इसीलिये उसी काल तक सीमित रहना चाहिये। लेकिन बार-बार श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का नाम लिया जा रहा है। इस सदन की परम्परा है उसका पालन होना चाहिये। नियानुसार सदन चले तथा जो भी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के लिए कहा गया है उसे कार्यवाही से निकाल दीजिये।

(शोर)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस सदन की जो परम्परा रही है और पीठ से भी निर्णय दिये जाते रहे हैं और जो इस सदन की एक नियमावली बनी हुई है, उसके अनुसार प्रस्ताव होना चाहिये। माननीय मन्त्री जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर आप पहले अपनी व्यवस्था दे दें कि यह मुनासिब है कि नहीं कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है और यहां पर सफाई नहीं दे सकता है। उसके बारे में इस प्रकार से चर्चा की जा सकती है, जब कि इस मामले में इससे पहले भी सदन में अव्यवस्था पैदा हो चुकी है। जैसा वासुदेव सिंह जी ने कहा कि यह प्रस्ताव शासन के खिलाफ आया है, इस मन्त्रि-परिषद् के खिलाफ आया है, उससे सम्बन्धित जितनी चीजें हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन उसके अतिरिक्त किसी चीज पर चर्चा नहीं कर सकते। बिल्कुल स्पष्ट व्यवस्था दें कि यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा और इसे कार्यवाही से खारिज किया जायगा।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं निर्णय दूंगा, आप लोग शान्त रहें और बैठें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मन्त्री, ग्राम्य विकास ने एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उस पर माननीय वासुदेव सिंह जी और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री बोले। एक बिन्दु की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा, आप अपनी व्यवस्था देने के पहले इस बात पर भी ध्यान दें कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जो विषय चर्चाधीन है, वह अविश्वास का प्रस्ताव है वर्तमान मन्त्रिमन्डल के खिलाफ। यह बात सही है। सरकार और उनकी मन्त्रिपरिषद्, कार्यपालिका जिस-जिस काम के लिये जिम्मेदार है, जो-जो काम इसके संरक्षण में किया गया है, उस प्रत्येक क्रिया-कलाप का उस व्यक्ति का उल्लेख किया जायगा और उसका उल्लेख किया जाना, मैं समझता हूं कि चर्चा का विषय है..

(घोर व्यवधान)

अगर थोड़ी देर के लिये तर्क के लिये मान लिया जाय कि आप कहते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नाम की चर्चा नहीं की जायगी, तो उनके चैरिटेबिल ट्रस्ट की बात कही गयी है, पेड़ गिनने की बात कही गयी है, अगर उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते तो बदुआ भी तो इस विधान सभा का सदस्य नहीं है, क्या उसके बारे में भी चर्चा करने का अधिकार हमें नहीं है ? इस प्रकार, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके क्रिया-कलाप की चर्चा हम यहां कर सकते हैं क्योंकि नियंत्रण करना कार्यपालिका का काम है कि यह डाकुओं के खिलाफ कार्यवाही करे और उनको दण्ड दे। इसीलिये बदुआ का नाम लेते हैं, अन्य असामाजिक तत्वों का नाम लेते हैं। इसीलिये जहां-जहां सरकार की विफलता है, मेरे ख्याल से वह समस्त नाम और बातें यहां आनी चाहिये।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस सदन की परम्परा यही रही है कि जो माननीय सदस्य इस सदन के मेम्बर नहीं हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी,

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट के कारण घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

राम जानकी ट्रस्ट, मांडा में जो 10 अरब रु0 का सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात भरे पड़े हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। आप दिल्ली को खबर करिए, आज ही तत्काल छापा मारा जाय तो अरबों-अरबों रुपये की सम्पत्ति मांडा में मिलेगी। खून का खून और पानी का पानी हो जायगा। मैं कुछ माननीय सदस्यों के नाम लेता हूं, माननीय नेता, सदन जब खड़े हों तो अपनी तरफ के नाम भी बता दें। इनकी एक जांच कमेटी बिठा दें। जिसमें श्री राम सरन, श्री शत्रुघ्न प्रसाद, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री प्रताप शाही, श्री राज किशोर सिंह, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह तथा श्री कौशिक, रमाशंकर आदि आठ सदस्यों को रखा जाय मेरी तरफ से और माननीय मुख्य मंत्री जी भी जब खड़े हों तो इस जांच कमेटी के लिये अपनी तरफ से सदस्य के नाम की घोषणा करें। मैंने तो सदस्य ही बताये हैं, वे चाहें तो सदस्य रख लें। न हो तो इसके लिये दिल्ली सरकार को लिखें। चरण सिंह के लिये "वेदान्त" इन्तेजाम किया गया था, उसी के लिये, देश के लिये हित की बी और कानूनी

*सभा ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का इस्तेमाल करते हैं ? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब चौधरी चरण सिंह देश के लिये कुर्बानी दे रहे थे उस समय राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह अंग्रेजों का साथ दे रहे थे ।

मैं मांग करता हूं कि यह सदन तत्काल दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेजे कि मांडा ट्रस्ट में तत्काल छापा मारा जाय । माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह से मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है , मैं चाहता हूं कि उनकी छवि ईमानदारी की ही बनी रहे, और उसके लिये यह छापा मारना जरूरी है । इसलिये मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह से राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की तुलना न की जाय । मुख्य मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह कहते हैं कि मुझमें बड़ी हिम्मत है और गलत काम करने वाले के विरुद्ध मैं कार्यवाही करूंगा । तो मैं कहता हूं कि आज ही आप मांडा ट्रस्ट पर छापा मारने की घोषणा कीजिये । मैं चाहता हूं कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ईमानदार बने रहें इसलिये कृपया आप इसकी जांच अवश्य करा लीजिये । इसकी जांच के बाद आपको पता चल जायेगा कि वहां करोड़ों रु0 के हीरा और जवाहरात छिपा कर रखे हुए हैं । मुझे विश्वास है कि सारे लोग मेरे अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ।

श्री बासुदेव सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सावधानी से, बहुत गौर से माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को, तारतम्य विहीन भाषण को, विशृंखल भाषण, अस्त-व्यस्त भाषण को, इतस्ततः भाषण सुन रहा था । वह परम्परा के अनुकूल नहीं है जहां चौधरी चरण सिंह विराजमान हुआ करते थे और वहीं से अपनी बात को प्रस्तुत किया करते थे । मर्यादा के अनुरूप वह भाषण करते थे । लेकिन मौजूदा विरोधी दल के नेता तो उनकी परम्परा से दूर, बिलकुल अलग-थलग पड़ गये हैं । चौधरी चरण सिंह ने इस सदन के अन्दर कुछ मूल्यों का समर्थन किया था, मान्यताएं स्थिर की थी ।

एक सदस्य--

आप तो हिन्दी के समर्थन में बोलिये ।

श्री बासुदेव सिंह--

हां, मैं हिन्दी का समर्थक हूं । देश की राज भाषा हिन्दी है और हिन्दी ही रहेगी । उर्दू इस देश की राज भाषा नहीं हो सकती है । उर्दू की तरक्की का मैं हामी हूं । उसकी पढ़ाई-लिखाई का हिमायती हूं ।

(व्यवधान)

बात को सुनने का धैर्य न हो तो अधीर लोगों को मैं अपनी बात सुनाना भी नहीं चाहता हूं । लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का, अपनी बात को चुटीले ढंग से भी रखने का अधिकार होता है उसी से लोकतंत्र सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं ।

एक सदस्य--

जरा माईक पर आकर बोलिये ।

श्री बासुदेव सिंह--

अध्यक्ष महोदय, यह सारा सदन जानता है कि यहां से बोलने का मैं बहुत अभ्यस्त नहीं हूं । इसलिये माननीय सदस्यों को अपनी इतनी अधीरता का परिचय नहीं देना चाहिये । तो मैं आपसे कह रहा था कि किसी आरोप-प्रत्यारोप को किसी अविश्वास के प्रस्ताव के जरिये से या सदन में अन्यथा उठाने के लिये आवश्यक है तथ्यों को पूर्ण छानबीन कर स्वयं आश्वस्त हो करके ही यहां उठाया जाये । यह बात सही है । लोहिया जी के बारे में जो नहीं कुछ जानता है, वह उनके बारे में क्या

कहेगा । कम से कम मैं तो लोहिया जी को जानता हूं और जितना मैं उनको जानता हूं, उतना शायद ही और कोई सदस्य जानता हो । जो लोहिया जी के बारे में नहीं जानता है, और उनके विचार सुनना चाहता है, तो मैं समझता हूं कि उसके लिये यह स्थान नहीं है, किसी आयोजन में या मेरी सभा में आयें तो मेरे भाषण को सुन सकते हैं । मैं आपको इसके लिये दावत देता हूं । तो मैं निवेदन करूंगा कि यह तो बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत से विकास खण्ड हैं, ढाई सौ तहसील हैं और 57 जिले हैं, अनेक समस्यायें हैं रहनी भी चाहिये । उनको हल करना हमारा काम है । एक-एक जगह पर नहीं पहुंचा जा सकता है । विरोधी दल के नेता तफसीली सवाल उठाये हैं । प्रशासन की नीति में और नीति के प्रशासन में फर्क है, इसको नेता विरोधी दल समझ लें । तो उनका भ्रम दूर हो जाये । मैं चौधरी चरण सिंह को बड़ी कद्र करता हूं और बड़ी इज्जत करता हूं । उन्होंने आम सभाओं में मेरी तारीफ की है और मैं उनकी तारीफ करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जिस मर्यादा की स्थापना के लिये चौधरी चरण सिंह चेष्टावान थे उसका एक तिहाई या आधा भी उधर के साथी अपनाये तो अच्छा हो ।

(विपक्ष की ओर से आवाजें, आप इधर आ जायें)

उधर में बहुत दिनों तक था । जब बहुत माननीय सदस्य संसदीय ढंग से पैदा भी नहीं हुये थे, तब मैं वहां पर था और मैंने 14 वर्ष तक विरोध की राजनीति किया है अगर माननीय सदस्य वह जानना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि हमारे देश के समाजवादी नेता आचार्य नरेन्द्र देव और लोहिया जी कांग्रेस से अलग नहीं होना चाहते थे, दूसरे लोगों ने अलग करवा लिया और हमको जंगल में ले गये । बनवास सहा 14 वर्ष तक कांग्रेस के अन्दर हमने त्याग किया है, तपस्या किया है, अब हम फिर अपने स्थान पर घर में आ गये हैं । एक स्कूल के बच्चे की तरह कुछ लोग कहते हैं कि यह-यह यहां-यहां खामियां हैं, जो उसको दिखती हैं, मैं मानता हूं कि खामियां हैं, इतना बड़ा प्रदेश हम चलायेंगे तो कहीं न कहीं पर कोई खामी हो सकती है, गलती भी हम करेंगे । हम गिरेंगे, लड़खेंगे और फिर चलेंगे, तो इस तरह प्रदेश में चल रहा है । देश की योजना की पूरी बात से मैं सहमत नहीं हूं, मेरे दूसरे विचार हैं, लेकिन जो योजना का स्वरूप है, उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है या नहीं यह हमें देखना चाहिये । इस दिशा में कुछ हुआ है ।

श्री रामआसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब माननीय बासुदेव सिंह जी बोल रहे थे तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे थे या विपक्ष में बोल रहे थे, यह किस विषय पर बोल रहे थे ।

श्री सभापति--

वर्मा जी, यह तो आपकी समझ पर है ।

श्री बासुदेव सिंह--

मैं इस सवाल को उनकी बुद्धि पर छोड़ता हूं । मैं बैठा नहीं हूं, तो भी वह खड़े हो गये । मसला है गांव में एक लड़के ने कहा कि दादा अफीम खा ब, तो बाप ने कहा कि बेटवा पहले नाम लेव तो सीख लेते ता खाने । सदस्य महोदय पर लागू होता है मैं नहीं कहूंगा । समझे वे । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ कठिनाइयां आती हैं, प्रदेश को बनाने के रास्ते में कुछ कठिनाइयां आती हैं । कोई भी मुख्य मन्त्री हो, कोई भी सरकार हो उसे उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । चाहे वह गांवों की कठिनाइयां हो, या शहर की कठिनाइयां हों, समाज के

अन्दर व्याप्त हिंसा की भावना हो, वह कैसे दूर हो यह मात्र सरकार का काम नहीं होना चाहिये । हिंसा का वातावरण पैदा करके ये कठिनाइयां दूर होंगी, इस भ्रम को आपको निकालना होगा । समाज के अन्दर मेल-जोल तथा आदर का वातावरण पैदा हो, अहिंसा की भावना हो, इस तरह से प्रदेश आगे बढ़ सकता है । कुछ गड़बड़ियां होती हैं और होती रहेंगी । सवाल इस बात का है कि प्रशासन के ढांचे में किस तरह से सुधार लाया जाय । इस विषय में नेता विरोधी दल ने कुछ नहीं कहा । उन्हें कहना चाहिये था कि यहां पर पुलिस का प्रबन्ध किस तरह से होना चाहिये, उसमें क्या घटाव-बढ़ाव करने चाहिये, यहां के लोगों के जानमाल की रक्षा के लिये क्या व्यवस्था होनी चाहिये, शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये क्या-क्या काम करने चाहिये जिनसे कि हम प्रशासन में आमूल परिवर्तन कर सकें, ऐसा कोई सुझाव उनके भाषण से झलका नहीं । रही बात इसकी कि जो व्यक्ति यहां पर नहीं है अपना बचाव नहीं कर सकता, उसके बारे में परम्परा से चर्चा नहीं होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने जो निर्णय दिया, वह शिरोधार्य है, वह तो एक मान्य परम्परा है विरोधी दल के नेता अगर यह समझें कि सदन में ऐलान करके तस्करों को पकड़ा जाय, तो वह भ्रम में हैं, यह नहीं हो सकता है । आपने यहां बात उठाई और धावा बोलने को कहा । ऐलान करके छापा कैसा ? तो यह हो नहीं सकता । हमें इससे कुछ जनजीवन आगे बढ़े, मिलीजुली भगत लगती है । उसका रहस्य खुले तो । इन शब्दों के साथ

(व्यवधान)

एक सदस्य--

अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री बासुदेव सिंह--

वह आपको मुबारक हो । निरर्थक बात करने के लिये आप मुक्त हैं । मुबारक हो । मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, घोर विरोध करता हूं और सरकार के प्रति विश्वास प्रकट करने और उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय नेता विरोधी दल ने पुरजोर शब्दों में इस सरकार की खामियों के बारे में बताया । मेरा तो मानना यह है कि इस देश में और प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इस सदन में केवल तबला बजा देने से आप अपनी बात को अभिव्यक्ति नहीं कर सकते । आप जो प्रशासन चला रहे हैं, जो शासन आज आप प्रदेश की जनता को दे रहे हैं, वह सर्वविदित है । आपकी न कोई नीति है न कोई रीति है । यह रीति-नीति विहीन सरकार है । जो बात यह सरकार सदन में कहती है, उस बात का कार्यान्वयन नहीं होता है । इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है । इस सदन में एक बार नहीं, उनके बारे में घोषणा की गई कि हम चुनाव करायेंगे - कोआपरेटिव के, हम चुनाव करायेंगे - लोकल बाडीज के । लेकिन आज तक उन चुनावों का कहीं अता-पता नहीं है । आप यहां बिल लाकर उनका समय बढ़ा देते हैं । आप अध्यादेश से कर लेते हैं और सदन में लाने का भी कष्ट नहीं करते । सरकार संवेदनशील भी नहीं है और यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है । माननीय राजस्व मन्त्री उस दिन वक्तव्य पेश कर रहे थे जिसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देखन से और सुनने से शर्म से सिर झुक गया । मान्यवर, जब यहां पर अंग्रेजों की सरकार थी, विदेशी सरकार थी, विदेश के लोग थे वे भी यदि 22 जून के बाद पानी नहीं बरसता था तो सूखा घोषित कर देते थे लेकिन आज प्रदेश की सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी जब कि आज 8 सितम्बर हो गया है । उन्होंने एक फेहरिस्त पढ़ दी और कहा कि जिले के कलेक्टर सक्षम हैं काम करने के लिये और उनको निर्देश दे दिये गये हैं । तो अगर कलेक्टर ही सब कुछ करने के लिये सक्षम हैं तो आप किस लिये बैठे हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है । माननीय गौरी शंकर जी कह रहे हैं कि 8 करोड़ रु० भेज दिया है । मैं उधर के बैठे हुए माननीय सदस्यों से ही पूछना चाहता हूं कि किसी भी जिले में बता दें कि कोई काम शुरू हुआ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, एक जिले में भी काम शुरू नहीं हुआ है ।

श्री गौरी शंकर--

काम प्रारम्भ करने के निर्देश दिए गये हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

आज मान्यवर, स्थिति इतनी विषम हो गयी है कि गांव का किसान गांव छोड़ कर जा रहा है, गांव में मजदूर को आज कहीं काम नहीं मिल रहा है, वह यहां से दूसरे प्रदेश में जा रहा है । कोई राहत का कार्य यह सरकार नहीं कर रही है तो कितनी शर्म की बात है 8 करोड़ रुपया इन्होंने पूरे प्रदेश के लिये भेज दिया है । आप भी प्रतापगढ़ से आते हैं तो आप ही बता दें कि वहां क्या कोई काम शुरू हुआ है, आप ही फैसला कर दें । यह सरकार दिशाहीन है जिसका अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है जो इनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, ऐसी सरकार के लिये लानत है । मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जब यह जवाब दें तो यह 8 करोड़ की बात न कहें बल्कि यह कहें कि प्रदेश में कल से सूखा राहत कार्य शुरू कर दिये जायेंगे । कहिये कि गरीबों के लिये सस्ते अनाज की दुकानें खोल दी गई हैं या सड़कों पर कार्य शुरू हो गया है यह भी आप एलान करिये कि सारी वसूली बंद हो गयी है, जो किसानों ने बैंकों से ऋण लेकर ट्रैक्टर लिये हैं उनकी नीलामी रोक दी गयी है, मालगुजारी माफ कर दी गयी है जहां-जहां भी सूखा पड़ा है वहां कोई वसूली नहीं होगी । आप जनता की सरकार हैं, उनके लिये उत्तरदायी हैं । केवल ढपोर शंख की घोषणा मत करिये जो कभी बजता ही नहीं है, जो घोषणायें कभी लागू ही नहीं होती हैं ऐसी घोषणा मत करिये । सरकार की तरफ से सूखे के संबंध में निदेश जारी हो जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि 40 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब पड़े हैं । मेरा दावा है कि 60 से 70 परसेंट ट्यूबवेल खराब पड़े है । आपके आंकड़े जो अधिकारी बना कर दे देंगे वह आ जायेंगे कि 20 परसेंट या 10 परसेंट खराब हैं । आज एक ट्यूबवेल बनता है लेकिन दूसरे दिन वह खराब हो जाता है तो वह भी ठीक की सूची में आ जाता है । आपने कभी खेतों पर जाकर देखा कि क्या स्थिति है यहां सचिवालय में बैठे फरमान जारी करने से कोई काम होने वाला नहीं है आपका फरमान कहां तक लागू होता है उसे भी जरा देखिये । आज किसानों की धान की लहलहाती खेती सूख रही है, नहरों में पानी नहीं है, ट्यूबवेलों में बिजली नहीं है जिससे किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है । आपने जो एलान किया उस पर कहां अमल हो रहा है क्या कलेक्टर के दफ्तर में हो रहा है या इंजीनियर की जेब में हो रहा है । आज आपको सत्ता के गुमान में बैठे होने के कारण कुछ नहीं पड़ रहा है । समय जल्दी आने वाला है सन् 1990 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा उससे पहले जनता की अदालत के सामने आना पड़ेगा । इसी तरह से बिजली की हालत है । माननीय शास्त्री जी जो मेरे छोटे भाई हैं यहां

बैठे हैं मैं बताना चाहता हूं कि मैं 25 जिलों में गया तो कहीं पर भी 4, 5, 6 या 8 घंट से ज्यादा बिजली नहीं मिलती है यह शहरों की हालत है देहात की बात क्या कहूं। मान्यवर, कानपुर सर्किट हाउस एक सप्ताह पहले में गया था और उस दिन माननीय कृषि मंत्री जी वहां आने वाले थे किन्तु सीधे किसी मीटिंग में चले गये थे। सर्किट हाउस के अधिकारियों ने मुझे बताया कि वहां की बिजली कई घंटे गायब रही। तो हालत क्या होगी। आप कहेंगे कि बिजली की कोई कमी नहीं है, 10 घंटे बिजली देने के निर्देश दिये हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपके निर्देशों का पालन कहां होता है, कई-कई दिनों तक गांवों में बिजली चली जाने पर नहीं आती है और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसका कारण है कि कोई अधिकारी मंत्रियों से डरता नहीं है। उनको मालूम है कि रिपोर्ट भेज देंगे कि 10 घंटे बिजली की सप्लाई हुई और मंत्री जी उसको मान लेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आज सूखे की स्थिति में क्या मंत्री जी गांवों में गये हैं, किसानों से क्या बात किया है, क्या देखा गया है कि कितने घंटे बिजली मिल रही है। तो आपकी ढपोल शंखी घोषणाओं से कुछ होने वाला नहीं है। आप गांवों में जायें, किसानों से पूछें कि उनकी हालत क्या है, आज किसान रो रहा है।

मान्यवर, इतना ही नहीं मंत्री जी ने 70 पैसे से 1·10 रुपये बिजली का सरचार्ज बढ़ा दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों बढ़ा दिया गया। मान्यवर, दुनिया के इतिहास में कहीं सुना नहीं होगा कि 17 करोड़ रुपये 18 सालों का एरियर इंजीनियरों को दे दिया।

(सदन में बिजली जाने पर)

मान्यवर, आप देखें कि बिजली की यहां सदन में क्या हालत है तो गांवों की क्या कहें। जब सदन में यह हालत है तो प्रदेश में क्या हालत है होगी। यह तो बिजली का एक नमूना था। तो मैं कहना चाहता हूं कि इंजीनियरों को खुश करने के लिए 17 करोड़ रुपये दे दिया। आप उनको कितना खुश करेंगे। आज भी वह हड़ताल पर हैं। उसको आप समाप्त नहीं कर पायेंगे चूंकि ऐक्शन आप लेंगे नहीं। मैंने अपने समय में हड़ताल में ऐक्शन लिया था जिससे जल्दी हड़ताल पर वह नहीं गये थे। लेकिन आज एक इंजीनियर से झगड़ा हो गया तो हड़ताल हो गयी। 10 करोड़ रुपये कर्मचारियों को दे दिया जो 27 करोड़ रुपये विद्युत परिषद के इंजीनियर्स को दिया। उसका नतीजा है कि टैक्स बढ़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें उपभोक्ताओं का क्या कसूर है और उल्टे उसको तो बिजली मिलती नहीं है। मान्यवर, मेरे घर में बिजली चली गयी जो 5 घंटे तक नहीं आयी। तो यह आपकी कार्यक्षमता है। आप कहेंगे कि हम सब दुरुस्त कर रहे हैं। एक साल आठ महीने हो गये, पता नहीं कब तक दुरुस्ती होगी। दिन प्रतिदिन बदतर हालत होती जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। किसान तहसील में जाता है वहां कोई बिजली विभाग का कर्मचारी सुनने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि एक असिस्टेन्ट इंजीनियर को आप तहसील स्तर पर बिठायें जो किसानों और जनता के दुखों को महीने में दो दिन बैठकर दूर करे।

मान्यवर, इसी तरह अस्पतालों की हालत है। सरकारी अस्पतालों में आज कोई भर्ती नहीं होना चाहता है और मरना हो तो भर्ती हों। मान्यवर, प्रदेश में प्राइवेट प्रैक्टिस एलाउड है जबकि बिहार प्रदेश में बंद कर रहे हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस से गरीब आदमी को एक भी पैसे की दवा अस्पतालों में नहीं मिलती है और सभी दवायें बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। जब तक प्रक्टिस में डाक्टर को फीस नहीं दी जाती

तब तक वह चाहे मर जाये लेकिन उसको अस्पतालों में कोई देखने वाला नहीं आता है। वहां सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, इलाहाबाद में जहां 7-8 लाख की आबादी है वहां 7-8 प्राइवेट नर्सिंग होम्स है जहां सरकारी अस्पतालों के जितने हेड आफ डिपार्टमेंट्स हैं वह सब सरकारी सुविधाओं को उन नर्सिंग होम्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। वी० आई० पी० यदि भर्ती हो जायें तो उनको सभी डाक्टर देख लेंगे और दवा भी दे देंगे। सब दवा का भी प्रबन्ध कर देंगे, लेकिन वह गरीब आदमी जीवनोपयोगी दवाओं के बिना दम तोड़ देता है, किन्तु इनके अस्पतालों से उसको दवा नहीं मिलती है। यह हालत है इस सरकार की जो कहती है कि हम जनता की सरकार है।

कानून व्यवस्था की बदतर हालत के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। यह मेरा कहना नहीं है, यह भारत सरकार के राज्य मंत्री, गृह का कहना है। पिछले सप्ताह भारत सरकार के आन्तरिक सुरक्षा मंत्री श्री अरुण नेहरू ने ने कहा कि राज्यों में अपराधों के तुलनात्मक आंकलन से यह पता चलता है कि 1985-86 में उत्तर प्रदेश इस मामले में देश का सर्वप्रथम राज्य रहा है। अपराध में उत्तर प्रदेश का सर्व प्रथम राज्य रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं, केन्द्र सरकार के राज्य मंत्री श्री अरुण नेहरू का लोक सभा में यह बयान हुआ है। इतना ही नहीं उन्होंने आगे यह भी कहा है कि प्रदेश में 62,000 हत्यायें यानी प्रतिदिन 17 से अधिक मारे गये हैं। क्या मान्यवर, मैं उनका नाम ले सकता हूं या नहीं, क्यों कि उन लोगों को बड़ा गुस्सा आ जाता है इनके किसी आदमी का नाम लेने पर। मान्यवर, यही नहीं यह भी दिया है कि प्रदेश में 2829 यानि प्रतिदिन 8 डकैतियां पड़ी हैं। यह भी उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार के 8888 मामले दर्ज किये गये हैं एक साल में। इतना ही नहीं यह आंकड़े तो पुलिस के द्वारा दिये हुए हैं। किन्तु जो अपराध लिखे नहीं जाते हैं उनकी बड़ी भारी संख्या है वह इससे अलग हैं। क्योंकि गरीब आदमी की कोई रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है। डकैती को चोरी में दर्ज करना पुलिस के बांयें हाथ का काम है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और बिहार इस दृष्टि से दूसरे और तीसरे नम्बर पर जाते हैं और उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। इस प्रदेश में जबसे कांग्रेस की हुकूमत दुबारा बनी है साम्प्रदायिक दंगे रोजाना हो रहे हैं और मुख्य मंत्री जी का बयान है कि साम्प्रदायिक दंगों में 45 आदमियों को जानें गई हैं। यह क्यों होता है, इनको आप क्यों नहीं रोक पाते हैं?

(व्यवधान)

मैं कहता हूं कि कुर्सी पर आप बैठे हैं, हमें आप पकड़ नहीं पाते हैं। यह आपके कितने शर्म की बात है। यह इसलिए होता है कि इनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी सोच समझ खत्म हो गई है। जब राम जानकी रथ निकाला जाने लगा तो क्यों नहीं उसी समय उस पर रोक लगाई गई। जब कत्ले आम शुरू हो गया, कई जाने चली गई, तो उस पर रोक लगाई गई। इस सरकार की सोचने समझने की क्षमता भी समाप्त हो गई है। एक नहीं कई नरसंहार इनके राज्य में हुए हैं। 80 के बाद इतनी इनमें बढ़ोत्तरी हुई है कि लगातार इनका प्रतिशत बढ़ता गया। पहले दंगे एक-दो जगह होते थे, अब पूरे प्रदेश में उसकी संवेदनशीलता व्याप्त हो जाती है और शीघ्र ही दूसरी जगहों पर भी यह फैल जाते हैं। क्रिमिनल्स या पकड़े नहीं जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो छोड़ दिये जाते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी को चुनौती देना चाहता हूं, अभी गौरी शंकर भैया ने कहा ददुआ का नाम लिया जा सकता है या नहीं, ददुआ हमारे क्षेत्र में आया और

वहां रात भर रहा है । वह जिस आदमी के पास रहा, वह 8 कत्ल का मुल्जिम है । उसके यहां रात भर रहा । उससे उनका सम्बन्ध है । जब पुलिस ने गिरोह बन्दी कानून में उनको पकड़ा तो दूसरे दिन इनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य जो कभी भूतपूर्व मंत्री थे, श्री के0 पी0 तिवारी, उन्होंने प्रदर्शन किया । वहां के कलेक्टर और एस0 एस0 पी0 ने लिखकर भेजा कि इनका हाथ है । तो क्या आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं । इतना दमखम है आपकी सरकार में । मुख्य मंत्री जी ने अनेकों बार घोषणायें की हैं कि जो क्रिमिनल्स को संरक्षण देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी । जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने रिपोर्ट भेजी है, आप में हिम्मत हो तो कार्यवाही करें । जेल भेजें या एन0 एस0 ए0 में उनको भेजें । मैं रामू का पुरवा गया था । वहां पर 3 हजार पुलिस और 5 हजार पी0 ए0 सी0 है । वहां कहां लगी है, सड़कों के किनारे । ददुआ है ददुआ जंगल में वहां पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती वहां के लोगों ने पुलिस वालों से 3 दिन पहले कहा था कि हमको धमकी मिली है । हमको जान से मारा जायगा या लूटा जायगा । लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की । मुख्य मंत्री ने डी0 आई0 जी0, एस0 पी0, दरोगा का ट्रांसफर कर दिया । यह ट्रांसफर क्या है, क्या यह पनिशमेंट है । इससे कुछ नहीं होता । 9 आदमी मार दिये गये, औरतों के साथ-बलात्कार हुआ । 3 लाख का सामान लूटा गया । आज भी वहां लोग भयाक्रांत हैं । उन्होंने कहा कि हमने बन्दूक के लाइसेंस के लिये आवेदन दिया है लेकिन, आज तक इस संवेदनशील सरकार ने उनको बंदूक के लाइसेंस नहीं दिये हैं । वहां के लोग कहते हैं कि जिस दिन पी0 ए0 सी0 हटी फिर हमको मारा जायगा । यह कैसी सरकार है । यह सरकार अपने को हरिजनों का रक्षक कहती है ।

माननीय, मुझे 10 मिनट का समय दे दें । मैं थोड़ी सी बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

5 मिनट और हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

यह सरकार अपने को हरिजनों का रक्षक कहती है लेकिन इस सरकार से बड़ा भक्षक हरिजनों का कोई हो नहीं सकता । आज खुले आम हरिजनों की जमीनों पर कब्जे किये जा रहे हैं और उनके घर जलाये जा रहे हैं । सरकार मूकदृष्टा की तरह देखती है कुछ बोल नहीं सकती । माननीय, जैसी घटना बलिया में हुयी ऐसे ही तमाम जगहों पर हो रहा है । हरिजन आज गांव छोड़कर भाग रहे हैं । सरकार कहती है कि हम हरिजनों के रक्षक हैं । माननीय, आप स्वयं जानते हैं आई0 आर0 डी0 योजना हरिजनों के लिये देश और प्रदेश में चलायी जा रही है । इसमें इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि हरिजनों को 50 प्रतिशत पैसा घूस में देना पड़ता है कर्ज लेने के लिये । हरिजन आज तहसीलों में बन्द हो रहे हैं जबकि उनको पैसा मिला ही नहीं है । जो सामान उनको मिलता भी है वह निकृष्टतम होता है । लाउडस्पीकर ऐसा होता है कि बोलता ही नहीं है । इक्का ऐसा होता है कि चलता ही नहीं है । उसका कारण यह है कि इन्होंने जो दुकानें एलाट कर दिया है अपने एजेंटों को खुश करने के लिये उन दुकानों पर सामान ही नहीं है और जो सामान मिलता है वह रद्दी किस्म का होता है । उससे कोई फायदा नहीं होता है । इसीलिये गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है । इतना ही नहीं इनकी पुलिस आज बेलगाम हो गयी । आपने फैजाबाद में देखा, करहना में देखा । यह जांच करवा लेते हैं । आप कुछ ऐक्शन भी करिये तो कुछ दिखायी पड़े, लेकिन सरकार में दमखम नहीं है । करहन,

में सी० आई० डी० को जांच आपने बैठा दी है। सी० आई० डी० की रिपोर्ट आयेगी तब तक पता नहीं आपकी सरकार रहे या न रहे, कोई दूसरी सरकार आ जाय। इनकी क्रियाशीलता में इतनी गड़बड़ी है कि इनको पुलिस इनके काबू में नहीं है।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

90 प्रतिशत थाने के दरोगा और सिपाही शराब पीते हैं। इनके दरोगा और सिपाहियों में कुश्ती हो रही है। थानों में गोली तक मार दे रहे हैं। तो मान्यवर, यह क्या हो रहा है घूस के लिए? एक-एक थाने में 10-10 हजार रु० घूस लिया जा रहा है। लेकिन ये कार्यवाही नहीं कर सकते। मैं इनके कुछ बड़े-बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में दो मिनट बोलना चाहूंगा। इनके एक सचिव थे पी० डब्लू० डी० के मुख्य मंत्री ने दर्जनों आर्डर किये, मंत्रालय यहां बना दिया जाय, जहां गोविन्द बल्लभ पन्त जी का स्टेचू है। मुख्य मंत्री ने आर्डर किया कि कैंटीन बना दी जाय, जिससे कि कोई सम्मारोह हो, तो कैंटीन के द्वारा व्यवस्था कराई जाय। सचिव ने कहा कि 5 सितारा होटल में हो काम हो, कैंटीन की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से दो जायज आर्डर किये गये, परन्तु किसी का पालन नहीं हुआ। इन आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ? हम लोग मुख्य मंत्री नहीं बने, हम मंत्री थे, माननीय मुलायम सिंह जी मंत्री थे, माननीय रमाशंकर कौशिक जी मंत्री थे, माननीय कल्याण सिंह जी मंत्री थे, कक्ष में बुला कर आदेश होते थे हिम्मत नहीं थी सचिवों की कि आर्डर का उल्लंघन हो। मान्यवर, एक कायदा है कि कोई भी आफीसर अपने जिले में पोस्ट नहीं होगा। माननीय नारायणदत्त तिवारी ने एक जूनियर इंजीनियर का ट्रान्सफर कर दिया, फिर पांच महीने के बाद उन्होंने उसे इलाहाबाद में पोस्ट कर दिया, जहां उसका घर था। मान्यवर, यह आपके प्रशासनिक अधिकारी आपके आर्डर का जितना उल्लंघन कर रहे हैं, यह शर्म की बात है। जितने आई० ए० एस०, पी० सी० एस०, अधिकारी हैं, ये अगर आर्डर का उल्लंघन रते हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, इन्होंने जनता से जो वादा किया था, उसको इन्होंने निभाया नहीं है और इसी का नतीजा है कि आज जनता के बीच जाने में, चहे कोआपरेटिव का चुनाव हो, चहे आज नो बाइ-एलेक्शन होने वाला हो, उसमें इनको जाने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये जनता जनार्दन की अदालत में गये, तो इनको मुंहकी खानी पड़ेगी।

मान्यवर, आप देखें कि आज इस प्रदेश में और देश में मंहगाई की क्या हालत है और मंहगाई से आदमी कितना त्रस्त है। मंहगाई का आलम यह है कि 83-84 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 546 था, 84-85 में 582 था और 85-86 में 618 हो गया। मान्यवर, अभी भी कीमतें सुधरती नहीं नजर आ रही हैं। जो गरीब आदमी अपनी कमाई का अधिकांश पैसा खाद्यान्न खरीदने में खर्च करता था, मुश्किल से दो वक्त का भोजन ही पाता था, आज वह गरीब आदमी एक वक्त भोजन कर रहा है और एक वक्त भूखे सो जा रहा है। आज रिजर्व बैंक के अनुसार कीमत 16 पैसे हो गयी है। इनके रुपये का मूल्य 16 पैसे जो गया है, तो इस 16 पैसे में कोई आदमी क्या कर सकता है। 10 रु० भी अगर उसको मिले, तो वह भी दो दिन का भोजन नहीं कर सकता। तो आज मान्यवर, हालत ऐसी है। अभी केन्द्रीय सरकार ने जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जरा उसको भी एक नजर देख लें। आई० ए० एस० अधिकारी को तनख्वाह 9,000 रु० और और चपरासी की तनख्वाह 750 रु० क्या इन्होंने गुणात्मक फर्क रखा है, मान्यवर, गरीब आदमी के परिवार में ज्यादा आदमी होते हैं। उसका वेतन एक हजार

से ऊपर कर देते, लेकिन मान्यवर, यह गरीबों की सरकार तो है नहीं, यह तो बड़े-बड़े पूंजीपतियों की, बड़े-बड़े सामन्तों की सरकार है। इसलिये इन्होंने इन गरीबों के हित में कोई काम नहीं किया है और न ही आगे आने वाले वर्षों में करने वाले हैं। इसलिये मैं सत्ता पक्ष के भाइयों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप भी इस अविश्वास के प्रस्ताव में शरीक होकर बहती गंगा में हाथ धो लीजिये।

(मेज थपथपाई गई)

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अहम मसले पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, इसके पहले कि म कुछ बात कहूं एक घटना के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। आपने वैज्ञानिक आर्किमिडीज का नाम सुना होगा, उनसे सम्बन्धित यह घटना है। मान्यवर, जब वह अपने टब में नहा रहे थे, तो उनके टब से पानी बाहर निकला ...

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)।

(शोर)

तो श्रीमन्, जब पानी बाहर निकला, तो वह बाहर भागे, जितने लोग बाहर खड़े थ उन्होंने देखा कि वह "यूरेका-यूरेका पालिया-पालिया" कहते हुये भागे, उन लोगों ने यह देखकर कमेन्ट्स करने शुरू कर दिये, किसी ने कहा पागल है, किसी ने कहा दीवाना है इसी तरह कई कमेन्ट्स हुये, तो मान्यवर, इस तरह से बीरबहादुर सिंह जी अपनी पंच वर्षीय योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं यह कहते हुये कि "यूरेका पालिया" लेकिन मान्यवर, आपने देखा कि पूरा अविश्वास का प्रस्ताव असिस्टेंट इंजीनियर आदि पर आकर ठहर गया। तो सम्भवतः इनकी निगाह उस पर नहीं पहुंची, जो विकास का कार्य हो रहा है। मान्यवर, इस बार योजना आयोग ने सबसे ज्यादा 2150 करोड़ रुपया दिया जबकि महाराष्ट्र से हमको हमेशा कम रुपया मिलता था, लेकिन इस बार ज्यादा मिला है। इस बार हिन्दुस्तान भर में सबसे ज्यादा रुपया हमको मिला। इस तरह से सिंचाई क्षमता, जो पूरे उत्तर प्रदेश में 45 से 55 थी, वह बुन्देलखंड और पहाड़ को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में 45 से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह मान्यवर, अभी मानवेन्द्र सिंह जी ने बुन्देलखंड के बारे में कहा, तो वह भी अब 7 परसेन्ट से बढ़कर 33 तक आ गया है। लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा अविश्वास जाहिर किया है। मान्यवर, स्वतः रोजगार योजना में 25 से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दिया गया है, लेकिन इसमें माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि मुझ इसमें विश्वास नहीं है।

श्रीमन्, 20 सूत्री कार्यक्रम जिसम प्रदेश प्रथम आया, प्रथम किस तरह से आया, क्यों आया, उसकी वह स्थिति क्या है? श्रीमन्, होता क्या है वार्षिक बजट के लिये जो पैसा होता है उसको यदि आप नियोजित ढंग से खर्च करें तो उसकी एक मानीटरिंग होती है तो यह तय हो जाता है कि वर्तमान में सुव्यवस्था को प्रमाणित किया गया है जिसका यह परिणाम आया। अब सुव्यवस्थित ढंग से खर्च कर रहे हैं। नेता विरोधी दल ने कहा कि हम इस पर अविश्वास प्रकट करते हैं। मान्यवर, सुव्यवस्थित है तो भी अविश्वास और फिर आपने उस अविश्वास को कह दिया कि भ्रष्टाचार की बात है। श्रीमन्, इतने बड़े काम में, हजारों की संख्या में जाकर एक जूनियर इंजीनियर के भ्रष्टाचार में पहुंचे हैं। मान्यवर, इसी तरह से कोई भी परिवार कल्याण के कार्यक्रम में सहयोग नहीं कर रहा है। मान्यवर, विद्युत के उत्पादन में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम पीछे नहीं दिखाई दिये, लेकिन मान्यवर, परिवार नियोजन में हम 19 नम्बर पर आये हैं।

(इस समय 2 ब कर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए) ।

आप इसमें हतोत्साहित करते हैं, उनको रोकते हैं । जो हमने नियोजित ढंग से एक प्लान चला रखा है उसमें वह इन जाति विशेष में इस बात का प्रचार करते हैं कि आपके धर्म में लिखा है कि नसबन्दी की तरफ न जायं । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि शासन के एक कोर्ट के निर्णय के बाद एक संघर्ष समिति बनायी थी, उस संघर्ष समिति के सदस्यों से पूंछना चाहता हूं कि क्या इस देश के सम्बन्ध में उनके उन आर्थोडक्स परम्पराओं से जो कि उन्होंने उसके आधार पर इस देश की समस्याओं के ऊपर खींचा है, काफी नहीं । तो मैं आपको यह बता रहा था कि प्रदेश में वह कौन-कौन सी व्यवस्थायें हैं जिनके कारण इस प्रदेश की काम ठीक से चल रहा है विपक्ष के लोगों ने जिनके पास इस देश के कुछ अन्य प्रदेश भी हैं जैसे तामिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल यहां पर सेल्स टैक्स को लेकर इन्होंने इस प्रदेश में आन्दोलन चलवाया कि सेल्स टैक्स को समाप्त किया जाय और सेल्स टैक्स के स्थान पर उत्पादन कर लगाया जाय क्योंकि इस प्रदेश का सबसे बड़ा संसाधन सेल्स टैक्स है । जिन प्रदेशों ने मांग की, वहां पर श्रीमन्, इन्हीं के मुख्य मंत्रियों ने जब दल में इसको समाप्त करने के लिये और उत्पादन कर लगाने के लिए दुबारा मीटिंग की तो इन्हीं लोगों ने वहां पर उसका विरोध किया । तो यह दोहरी नीति एक जगह क्यों चलवाते हो और दूसरी जगह उसकी ताइद करते हैं । तो यह डबुल नीति चल रही है, इस मापदण्ड के कारण ही न केवल प्रदेश की बल्कि देश की व्यवस्था गड़बड़ हो रही है ।

इसी तरह से श्रीमन्, दूसरी चीजों की, आपने भ्रष्टाचार, अराजकता और हरिजनों का जिक्र किया । अब श्रीमन्, आप इसको देखें, वैसे मैं इसको दूसरे तरीके से मानता हूं । मैं कुछ इसको इस तरह से मानता हूं कि जब आदमी पैदा होता है तो उसमें कुछ प्राकृतिक गुण होते हैं कि वह क्रोधी होता है, वह हठी होता है, डरपोक होता है, वह दूसरों को अपनी शक्ति से आतंकित करता है तो समाज में इस तरह की घटनायें उनकी वजह से घटती रहती है लेकिन श्रीमन्, लोग साधना और अनुशासन से उन सब चीजों से जिससे समाज में एक भय पैदा होता है, उससे अलग जाते हैं और अलग समझते हैं लेकिन जब कोई व्यक्ति और कोई संस्था ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती रहती है, तब ऐसी स्थिति क्रियेट हो जाती है कि बहुत चाहने के बाद भी जिस तरह की समाज की हम कल्पना करते हैं वैसा समाज हमको नहीं मिल पाता है ।

श्रीमन्, आप देखें जैसा कि मुझे याद है कि पिछले सत्र में स्टेट मिनिस्टर गृह ने सदन में बताया था कि किन्हीं माननीय सदस्य ने 465 आजीवन कारावास के लोगों को पैरोल पर छुड़वाया था तो श्रीमन्, जब यह स्थिति है तो अराजकता पर कैसे अंकुश लगेगा । इसी तरह से श्रीमन्, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब गुलाब सेहरा जी गृह मंत्री थे तब उन्होंने भी एक उदाहरण दिया था कि उस समय एक ही जिले में 26 हजार लाइसेंस बन्दूक आदि के दिये गये तो फिर कैसे अराजकता पर प्रभावशाली अंकुश लगाया जा सकता है क्योंकि उसके पीछे बहुत प्रभावशाली लोगों का वरदहस्त होता है । इसी तरीके से श्रीमन्, भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया, उस सम्बन्ध में मैं ज्यादा न कहकर एक बहुत छोटी सी क्षणिका जो मैंने कादम्बिनी में पढ़ी थी जिसे माननीय सदस्य सूर्य प्रताप शाही ने नहीं लिखा है । अपनी लड़की की शादी के ऊपरी कमाई का लड़का ढूंढना, अव्यस्था व भ्रष्टाचार का अस्तित्व किसी और में खोजना कुछ ऐसा ही है जैसे सूर्य के अस्तित्व के लिये गरम चट्टान की परतें उधेड़ना । श्रीमन्, यह भ्रष्टाचार की बात करते हैं । जब माननीय सदस्य ने कहा कि हमको अपनी बेटी यानी आपकी

बहन की शादी करनी ह, कोई लड़का बतलाइये तो मैंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हैं और एक असिस्टेंट इंजीनियर हैं तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर को गोली मारो, असिस्टेंट इंजीनियर को देखना हैं तो श्रीमन, जब उनकी भावना ही भ्रष्टाचार की हैं, उनका चाल-चलन ही भ्रष्टाचार का हैं तो वह कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार इधर-उधर होना चाहिये। श्रीमन, भ्रष्टाचार की जड़ें कहां हैं, अगर भ्रष्टाचार की जड़ों को नहीं उखड़ा जायेगा तो भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। एक आरोप और लगाया गया कहा गया कि सूखा पड़ गया तो क्या सरकार भगवान का अवतार हो गई जिसका वर्षा पर कन्ट्रोल हो गया। श्रीमन, मैं नहीं समझता कि जो आरोप लगाये गये हैं उनके अनुसार माननीय मुख्य मंत्री जी खुद ही जाकर ट्यूबवेलों का स्विच आन करें और पानी खोलें मुख्य मन्त्री का काम आदेश देना हैं, मन्त्रि परिषद का काम आदेश देना हैं और यह आदेश देने का काम कर रही है और उसका पालन हो रहा हैं। आप कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा हैं। क्या कृषि के क्षेत्र में हमने विकास नहीं किया। क्या विपणन के क्षेत्र में हमको शील्ड नहीं मिली। ऐग्रो में जहां 7 करोड़ का घाटा था वह 2 करोड़ के फायदे में आ गयी। यदि आदेशों का पालन न होता तो अपट्रान प्राफिट में न चलता आलू उत्पादन में ग्रासवेयर में, कालीन में तथा जरी के कामों में उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में प्रथम न होता। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा हम वह लोग हैं जो पान की दुकान पर खड़े हो जाते हैं और जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती हैं और न जिसके बारे में हम जानते हैं अपना कमेन्ट प्रारम्भ कर देते हैं। जब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी और आप यह महसूस नहीं करेंगे कि विपक्ष का रोल भी जनतन्त्र में कुछ होता है, माननीय सदस्य राणा जी, राम जी की तरह रामलीला मे रावण का रोल अदा करते रहेगें, तब तक कुछ होने वाला नहीं हैं। आपने कहा हरिजनों को कब्जा नहीं दिलाया जा रहा हैं। श्रीमन, शासन ने एक सुनिश्चित प्रक्रिया चलाई थी कि प्रत्येक महीने के पहले सोमवार को क्षेत्र के माननीय विधायक एस0 डी0 एम0 के साथ मौके पर जायेगें और देखगें कि कब्जा हैं या नहीं। लेकिन श्रीमन, एक भी विधायक विरोधी दल का नहीं गया। इसलिये कि उनको मालूम था कि मौके पर जायेगें तो देखेगें कि इन्हीं के लोगों ने कब्जा कर रखा हैं तो हम कैसे मना करेगें। श्रीमन, विरोध पक्ष का कोई नहीं गया, सत्ता पक्ष के दो लोग गये उन्होंने मौके पर देखा कि कितना प्रतिशत लोगों का कब्जा हैं, कितने को मिलना है और कितने रह गये हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और आज भी यह व्यवस्था की जा रही हैं। श्रीमन, आप जानते हैं कि किसी चीज की आलोचना करना बहुत ज्यादा सरल है, लेकिन हकीकत यह होती है कि अच्छी चीज को अच्छा कहकर स्थापित कर लेना बहुत मुशकिल हैं। शाही जी ने यह जानना चाहा कि इस प्रदेश के विकास में और क्या काम हो रहा है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पर-कैपिटा आउट ले क्या रही है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन, शाही जी पर-कैपिटा आउटले जानना चाहते हैं। यदि आप केवल एक काम करा दें आबादी पर कन्ट्रोल करा दें तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 साल के बाद, एक पंचवर्षीय योजना के बाद आपका प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में होगा। लेकिन आप सहयोग तो करें। आपने जो संघर्ष समिति बनाई ह साम्प्रदायिक

बंगों के लिये, उनसे कहिये कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में लगें ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, यह पता कर लें कि मुख्य मन्त्री जी के कितने बच्चे हैं और नेता विरोधी दल के कितने बच्चे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या उनकी सरकार के सरगना श्री वीर बहादुर सिंह न नसबन्दी करवा ली है, या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

समय आने पर बताया जायगा, अभी नहीं ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

अन्त में श्रीमन्, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय नेता विरोधी दल और रेवती रमण सिंह जी ने केवल एक ही चिंता व्यक्त की है और उनको यह महसूस हो रहा है कि प्रदेश की व्यवस्था की ओर शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिय अविश्वास प्रकट करते हैं । मैंने श्रीमन्, बताया कि अगर शासन, व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं देता तो प्रदेश के लिये योजना आयोग से इतनी धनराशि नहीं मिलती, 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हमारा प्रदेश, देश में सबसे आगे नहीं होता, कृषि के क्षेत्र में हमें वंजयन्ती नहीं मिलती । इससे आपको महसूस होगा कि निश्चित रूप से वस्तुस्थिति यह है कि यह शासन ठीक ढंग से काम कर रहा है और प्रदेश आगे बढ़ रहा है । आशा है कि माननीय नेता, विरोधी दल अपना अविश्वास प्रस्ताव वापस लेंगे ।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, मैं गन्ना राज्य मन्त्री को बड़े ध्यान से सुन रहा था । उन्होंने विश्व के एक महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज की ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया । उनकी बात सुनकर मुझे एक बात ध्यान में आयी कि आर्किमिडीज के साथ एक ऐतिहासिक घटना घटी थी और उसने एक वैज्ञानिक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, तो वह पागल होकर नाचता हुआ "यूरेका" "यूरेका" यानी "पा लिया" "पा लिया" चिल्ला उठा । उत्तर प्रदेश के इतिहास में घटना तो नहीं एक दुर्घटना घटित हो गयी है जो वीर बहादुर सिंह के रूप में मुख्य मन्त्री मिला । उन्होंने रिछारिया जी को मन्त्रि मंडल में ले लिया, वे इसके लायक तो नहीं थे, लेकिन वीर बहादुर सिंह के मुख्य मन्त्री होने की दुर्घटना के कारण "यूरेका" "यूरेका" यानी पा लिया, पा लिया, मन्त्री का पद पा लिया, ये भी चिल्लाने लगे । माननीय रिछारिया जी तो केवल प्रतीक के रूप में हैं । यहां अनेकों मन्त्री बैठे हैं जो "यूरेका" यूरेका" चिल्ला रहे हैं, मन्त्री पद के लायक तो नहीं थे, इसलिये "यूरेका" "यूरेका" चिल्ला रहे हैं, मन्त्री पद मिलने पर । इनको हर बुराई अच्छी नजर आ रही है, हर सूखी चीज हरी नजर आ रही है । माननीय नेता विरोधी दल ने बड़ी खूबी के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ की है । उन्होंने बड़े तथ्य प्रस्तुत किये हैं । मेरी कठिनाई है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि उन तथ्यों में विस्तार से जाऊं । केवल कुछ नीतिगत बात आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं ।

मान्यवर, हम एक ऐसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की औपचारिकता निभा रहे हैं जो इस प्रदेश की जनता का विश्वास बहुत पहले ही खो चुकी है । माना कि आज सदन में उनका बहुमत है और बहुमत के आधार पर आज वे सरकार में बैठे हैं । सदन में तो उनका बहुमत है, परन्तु प्रदेश के शोषित, प्रदेश के किसान, प्रदेश के मजदूर, प्रदेश के गरीब लोगों के मन में न तो विश्वास शेष रह

गया है और न आस्था ही शेष रह गयी है। हम अविश्वास का प्रस्ताव इसलिये लाये हैं कि आज समूचा समाज त्रस्त है। कोई एक वर्ग बता दें आपवाद के लिये भी जो इस सरकार के कार्यकलापों से सन्तुष्ट हो। अध्यापक वर्ग सन्तुष्ट नहीं है। 2-2 लाख अध्यापकों की रैली होती है। विद्यार्थियों में असन्तोष व्याप्त है, उनको दाखिले नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों में असन्तोष व्याप्त है, उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। मजदूरों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। किसान, मजदूर, विद्यार्थी आदि प्रत्येक वर्ग के अन्दर असन्तोष इस सरकार के विरुद्ध व्याप्त है। जो यह अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा रहा है, वह जनता की भावनाओं के अनुसार लाया जा रहा है क्योंकि प्रदेश की जनता विश्वास बहुत पहले ही खो चुका है। इस सरकार के कर्मचारी स्वयं विधिवत रूप में लिखित रूप में अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। जिस सरकार को अपने कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त न हो जिस सरकार के विरुद्ध कर्मचारिगण भी विवश हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिये उस सरकार को सरकार को कुर्सी पर एक मिनट भी बने रहने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है और न ही कोई उपयोगिता प्रतीत हो रही है। माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि यह दिशाविहीन सरकार है एक वाक्य में कहा जाय तो यूं कह सकता हूं कि यह विफलताओं की सरकार है हर मोर्चे पर इसकी विफलतायें हैं। आर्थिक शोषण हो रहा है आर्थिक मोर्चे पर सरकार विफल है। समाज में गैर बराबरी की खाई और चौड़ी होती जा रही है। राजनीतिक अराजकता को समाप्त करने में भी यह सरकार असमर्थ है प्रशासनिक क्षमता लाने में विफल है। कानून व्यवस्था कायम रखने में यह सरकार पूरी तरह से विफल है। कानून व्यवस्था की स्थिति पर जितनी चर्चा की जाय कम है। कुम्भ से लेमर करहना तक जो नरसंहार का सिलसिला चल रहा है वह आज भी बन्द नहीं है। पीलीभीत का निरोरिया, धामपुर, नहरौर, नगीना, इलाहाबाद, बाराबंकी मेरठ आदि-आदि। स्थानों पर इस शासनकाल के अन्दर छोटे-बड़े कुल मिलाकर 45 दंगे हुये हैं यह माननीय मुख्य मन्त्री जी का स्टेटमेंट है यह सरकार दंगे रोकने में असफल हुई है, कानून व्यवस्था को बनाये रखने में असफल हुई साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने म असफल हुई है। जनजीवन की सुरक्षा किसी भी सरकार का पहला दायित्व होता है उस दायित्व के निर्वहन में यह सरकार विफल हो चुकी है। कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि मुख्य मन्त्री किसी छोटे थाने के किसी छोटे दरोगा से भी अपनी हैसियत छोटी समझने लगे हैं, कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। पुलिस का दरोगा किसी के साथ कोई अत्याचार कर दे इस सपकार में हिम्मत नहीं रह गई है कि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर दे, बदमाशों के गिरोंहों के साथ कोई कारगर कार्यवाही कर दे। इसका भी एक कारण है। आप बहुमत में बैठे हैं, क्षमा करें, आपकी नीतियों को जनता ने पसंद नहीं किया है आप बहुमत में इसलिए नहीं आये हैं कि जनता में आपके कार्नकलाप बहुत पसंद कर लिए हैं या आपके व्यक्तित्व तथा कृतित्व से जनता कोई बहुत प्रभावित है। आप बहुमत में आये केवल दो ताकतों के सहारे एक ताकत पुलिस की है और दुसरी बदमाशों की है। इसलिए आज आप में इतना भी नैतिक बल नहीं है कि आप किसी पुलिस के दरोगा के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें और किसी बदमाश को आप पकड़कर उसे दण्ड दे सकें। कानुन के राज के बजाय आज प्रदेश में जंगल का राज कायम है। मुख्य मंत्री के राज के बजाय दरोगा का राज कायम है। इस समय यहां पर जो मंत्री चहक रहे हैं, इसमें से एक भी माई का लाल ऐसा नहीं है, जो यह कह सके कि मेरे द्वारा जितने भी

आदेश दिये जाते हैं, उनका पालन नीचे के अधिकारी करते हैं। आज आप लोग अधिकारी के मातहत हो गये हैं और अधिकारी आपके ऊपर। कुम्भ के नरसंहार पर जब हम लोग न्यायिक जांच की मांग करते हैं तो उसके लिए आप तयार नहीं होते, करहना के कांड पर न्यायिक जांच के लिए कहते हैं तो उसके लिए आप तैयार नहीं होते। बुलन्दशहर में दो निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी गई, उसकी जांच के लिए हम कहते हैं तो उसके लिए आप तैयार नहीं होते। मैं कल ही गोरखपुर से आया हूं। वहां पर थाने की दहलीज से लगे हुए एक मकान के घनश्याम नामक नौजवान को पुलिस के एक दीवान ने मार दिया। सी० ओ० मौके पर हैं, लेकिन वह उसे बचा नहीं सके। मृतक की बुढ़िया मां आज बिलख रही है। वहां से एक कान्स्टेबल फरार है, आज तक आप उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सके। चाहे रामपुरवा का काण्ड हो या कोई अन्य काण्ड हो, आज प्रदेश के अन्दर आतंक का वातावरण छाया हुआ है। लेकिन रासुका का उपयोग आप कहां कर रहे हैं। किसी बदमाश के खिलाफ नहीं, गिरोहबन्दी के खिलाफ नहीं, तस्करों के खिलाफ नहीं, बन्दूक की नोक पर ठेका लेने वालों के खिलाफ नहीं, सामूहिक हत्या करने वालों के खिलाफ नहीं और सामूहिक बलात्कार करने वालों के खिलाफ नहीं, लेकिन इस रासुका का प्रयोग किया जा रहा है राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हमारे एक आजमगढ़ के कार्यकर्ता हैं श्री नन्द किशोर जी, इनके खिलाफ रासुका का प्रयोग किया गया। माननीय, अगर वह क्रिमनल है तो मैं कहता हूं कि उधर बैठने वाले सब लोग क्रिमनल हैं। मुरादाबाद के अन्तर्गत विजय प्रकाश त्यागी, जो हमारे पार्टी के महामंत्री हैं, उन्हें रासुका में बन्द कर दिया गया। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। उपाध्याय जी मैं आपसे ज्यादा ऊंचे चरित्र की बात कर रहा हूं, आप उनके सामने कुछ नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं लेकिन गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त और नष्ट हो चुकी है। इसी से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि आज प्रदेश में जन-शासन सुरक्षित नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं जिन्दा हूं तो इसलिए नहीं कि इनकी कानून-व्यवस्था की वजह से जिन्दा हूं, बल्कि इसलिए कि अभी मुझे किसी बदमाश ने गोली से मारने का फैसला नहीं किया है। जिस दिन वह फैसला कर लेगा, उस दिन वह मुझे मार देगा, इनका कानून मुझे किसी भी हालत में नहीं बचा पायेगा। इसी प्रकार गृह मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज वह जिन्दा हैं तो इसलिए नहीं कि वह अपनी कानून की व्यवस्था से जिन्दा हैं बल्कि अभी किसी बदमाश ने उन्हें मारने का फैसला नहीं लिया है। जिस दिन वह मारने का फैसला ले लेगा तो आपको उस दिन कोई नहीं बचा सकता है। यदि उसने चार बजे मारने का फैसला लिया होगा तो वह चार बजे ही मार देगा सवा चार मा नहीं होने देगा। उसके बाद दो चीजें शेष बच जायेंगी। एक तो इस सदन में दोनों का कन्डोलेन्स और अस्पतालों में दोनों का पोस्ट मार्टम। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग जो यहां पर अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं वह इसलिये कि यह सरकार जन-विरोधी है और किसान विरोधी भी है। बिजली का रेट बढ़ाया। आठ महीने के अन्दर-अन्दर इस सरकार ने 2 अरब रु० के बिजली के रेट बढ़ाये हैं। पिछले दिनों 75 करोड़ रु० का डाका डाला है किसानों के ट्यूबवेल पर जो 22.50 रु० प्रति हार्सपावर लिया जाता था, उसे बढ़ाकर 30 रु० प्रति हार्सपावर प्रति माह कर दिया है। बिजली की सप्लाई घट रही है, रेट बढ़ रहा है। इस सफेद हाथी बने

बिजली बोर्ड को समाप्त करिये। बिजली बोर्ड के भ्रष्टाचार को समाप्त करिये। बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर बकाये की धनराशि को वसूल कीजिये। 1985 में यह बकाया 142.83 करोड़ का था। दिसम्बर, 1985 में यह बकाया 200 करोड़ रु0 का हो गया। आज हमारी सूचना के अनुसार बड़े-बड़े धनपतियों पर 240 करोड़ रु0 का बकाया पड़ा हुआ है। बड़े-बड़े खून चूसने वाले जो लोग हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। इस पर भी किसान को जितनी बिजली मिलनी चाहिये, उतनी बिजली यह सरकार नहीं दे पा रही है। खाद नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आज चारों ओर सूखे की स्थिति व्याप्त है। 22 जिलों की चर्चा की थी, किसी ने कहा कि 36 जिले हो गये हैं। मैं तो नहीं समझता कि कौन सा एक भी जिला है, जो सूखे से प्रभावित नहीं है। किन्तु सरकार "हाली डे" मूड में है। रोम जल रहा है नीरो बंसी बजा रहा है। आज पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में है। अकाल की स्थिति आ गयी है। लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं रहेगा, पशुओं के लिए चारा नहीं रहेगा। इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं क्योंकि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। मैं बाकी चीजें बाद में कहूंगा, लेकिन यह जो 12 जिलों में नगर भूमि सीमांकरोपण अधिनियम, 1976 लागू हुआ है—अलीगढ़, आगरा, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, देहरादून, गाजियाबाद इन 12 जिलों में जो जमीन ली जा रही है, वह जमीन जो 200-250 रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर पर सरकार द्वारा बेची जा रही है किन्तु वह किसान से मात्र 2.00 रु0 प्रति वर्ग मीटर के भाव से ली जा रही है। अलीगढ़ में आन्दोलन चल रहा है। मैं मांग करता हूं कि यह सरकार घोषणा करे कि किसान की कृषि भूमि को नहीं लिया जायगा और लिया भी जायगा तो बाजार भाव से एकमुश्त नगद मुआवजा दिया जायगा। अरबन लैण्ड सीलिंग ऐक्ट के आधार पर किसानों की जमीन छीन रहे हैं, उनकी हकतलफी हो रही है। यह किसी एक जिले की बात नहीं है। अन्तिम बात कहता हूं। हम अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं, प्रदेश की वर्तमान वीर बहादुर सिंह की सरकार लोकतंत्र विरोधी सरकार है, जनतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। ग्राम सभाओं का चुनाव हुए 4 साल से ज्यादा हुए हैं, लेकिन अभी तक न्याय पंचायतों का गठन नहीं हो पाया। जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव हो गये लेकिन जिला परिषद के अध्यक्षों के चुनाव नहीं कराये गये हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव, सहकारी समितियों के चुनाव, बार-बार घोषणायें की जा रही हैं, इस सदन के अन्दर, आश्वासन देते जा रहे हैं लेकिन उन चुनावों को नहीं कराया जा रहा है। हाउस टैक्स वाटर टैक्स, सीवर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, लेकिन नालियां टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, लेकिन टैक्स अनापशनाप बढ़ाया जा रहा है। हमारी मांग है कि टैक्स लगाने का अधिकार लोकतंत्र के अन्दर किसी अफसरशाही को नहीं दिया जाना चाहिये।

जनता पर कर लगान का अधिकार जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को हुआ करता है। नो टैक्सेशन विद आउट रिप्रेजेन्टेशन। अगर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं। अभी 5 सितम्बर, 1986 को भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर पूरा उत्तर प्रदेश बन्द रहा इसी बात को लेकर, नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने की मांग को लेकर, जनता ने अपनी व्यापक भावनाओं का प्रदर्शन किया परन्तु ये उसको भी मानने को तैयार नहीं हैं। यह विधि तोड़ सरकार है, वचनभंगी सरकार है। अगर आपमें नैतिकता है, नैतिक बल है तो आप चुनाव कराने की हिम्मत करिये, लेकिन आपमें हिम्मत नहीं है, आप नगरीय क्षेत्र के चुनाव कराने की अभी हिम्मत नहीं जुटा पाये हैं। उस दिन यहां सदन में

जब सहकारी समितियों के चुनाव की बात आ ी तो मंत्री महोदय ने एक अजीब बात कह दी कि जब दुबारा फार्म और पैसा जमा किया जायेगा तब यह मान्य होगा । इसमें बेचारे उस गरीब की क्या गलती थी ? चुनाव तो आपने स्थगित कराये फिर क्यों दुबारा फार्म भरवाने की, पैसे जमा करने की आप उससे आशा करते हैं ?

(व्यवधान)

(लाल बत्ती होने पर)

मैं केवल अपनी अन्तिम बात कह कर ही समाप्त करता हूं कि आज वह वक्त आ गया है जब इस बात को सरकार भी जानती है कि यह सरकार जनता विरोधी है, किसान विरोधी है, गांव विरोधी है, गरीब विरोधी है, बुद्धि विरोधी है बल्कि यों कहा जाय कि इसे बुद्धि से कोई ताल्लुक ही नहीं है । अतः मैं कहता हूं कि अगर आपमें नैतिक साहस है तो मैं मांग करता हूं कि आप रिकमेण्ड करिये कि विधान सभा भंग की जा और नये सिरे से चुनाव कराये जायं । तब आटे-दाल का भाव पता लगेगा कि कौन माई का लाल लौट कर आ पाता है या नहीं । अगर ह हिम्मत तो विधान सभा भंग करके, करिये घोषणा कि नये चुनाव कराने की । जनता की अदालत में सब जाइये । इस सदन में विश्वास प्राप्त करने से कोई फायदा नहीं । ये लोग तो आपके बन्धुआ मजदूर हैं, हाथ उठा कर समर्थन दे ही देंगे । इसलिये मैं आपसे मांग करता हूं कि आप हिम्मत करिये और जनता की अदालत में जाइये, आपको सही फैसला पता चल जायगा । पुनः जनादेश प्राप्त करिये ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा लाल प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, अविश्वास का प्रस्ताव हमारा है, उन्हें इससे क्या वास्ता ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपको भी मौका मिलेगा ।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत गौर से माननीय कल्याण सिंह की तकरीर को सुन रहा था । उसके पहले जनता पार्टी के नेता को और उससे पूर्व नेता विरोधी पक्ष की बात को भी मैंने बड़े ध्यान से सुना ।

मैं कुछ बुनियादी सवाल यहां उपस्थित करना चाहता हूं, कुछ बेसिक बात यहां उपस्थित करना चाहता हूं । ऐसा कुछ जिक्र यहां किया गया कि दंगे, साम्प्रदायिक दंगे हुए, साम्प्रदायिक तनाव व्याप्त है । इसका भी जिक्र आया कि साम्प्रदायिक वातावरण खराब है । तो मैं इस रिफरेन्स में, इस संदर्भ में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको मुकम्मल शिनाख्त होनी चाहिये ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, कमला साहनी जी किस बात पर बोल रही हैं ।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय राणा जी को जलन क्यों हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

राणा जी को जलन का सवाल ही क्या है ?

श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हुआ है, उसको देने की कृपा करें, मेरा टाइम बढ़ा दें । तो मैं निवेदन कर रहा था कि इसको मुकम्मल शिनाख्त होनी चाहिये कि कौन से संगठन हैं, कौन सी पार्टियां हैं और कौन से दल हैं जो कम्युनलिज्म

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को बढ़ावा दे रहे हैं, साम्प्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं । इसकी छान-बीन होनी चाहिये । वह कौन सी पार्टियां हैं जो समाज को जड़ से उखाड़ रही हैं, जो वातावरण को दूषित कर रही हैं और जो समाज में तनाव पैदा कर रही हैं । यह मान्यवर, एक बुनियादी सवाल है । मैं कहना चाहता हूं और माननीय सदस्य का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और मैं बड़ी ईमानदारी से और सत्यता से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, हिन्दू महासभा, शिव सेना और विद्यार्थी परिषद् आदि ऐसी संस्थायें हैं जो पूरी तौर से कम्युनल हैं और मुकम्मल तरीके से साम्प्रदायिक हैं और यहां की व्यवस्था को खराब करने में उनका पूरा हाथ है । म आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह संगठन साम्प्रदायिक तनाव को सहयोग दे रहे हैं, वह बड़े दुर्भाग्य की बात है । हमें इस बात पर नियंत्रण करना होगा कि वह कौन सी साम्प्रदायिक संस्थायें हैं जो दंगों को बढ़ावा देती हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय लाल प्रताप सिंह जी कह रहे थे, अभी उनसे पहले एक मुद्दा सदन में उठाया गया था जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे कि उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जायेगा जो इस सदन में जवाब न दे सके और इस पर माननीय अध्यक्ष का निर्णय भी हो गया । यह आरोप जिन संस्थाओं पर लगाया है, तो मैं कहता हूं कि केरल में आपकी सरकार ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनायी है, जो एक कम्युनल पार्टी है, जो दंगे कराती है, तो जो आरोप माननीय लाल प्रताप सिंह ने लगाया है, उसका खंडन करता हूं और उसका प्रतिवाद करता हूं ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

आपको उत्तर देने का पूरा हक है, लेकिन आपको बात सुनने की क्षमता नहीं है । 1969 में जबरदस्त झगड़े हुए, गुजरात में अहमदाबाद में झगड़े हुए । 1966 में पटना में झगड़े हुए इन सब में आर0 एस0 एस0 का हाथ था ।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है, माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मैं आरोप नहीं लगाता हूं, यह सब इनक्वायरी रिपोर्ट में है ।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, मैं उनके इस कथन को चुनौती देता हूं, आज तक हिन्दुस्तान में कहीं पर भी आज देखें, जितनी भी रिपोर्टें आयी हैं, कहीं पर भी आर0 एस0 एस0 का नाम नहीं है और जनता पार्टी का नाम नहीं आया है ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

मैं आपको जानकारी देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

उनको उत्तर देने दीजिये ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

अभी भी जो दंगे हो रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य अगर बीच-बीच में बोलते रहें तो समय का परिपालन नहीं हो पायेगा । जिसको जितना समय मिला है, उसको उतना बोलने दें ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

उसके बाद भी जो दंगे हुए हैं, उसमें भी आर0 एस0 एस0 का हाथ

हूं । मैं इस सम्बन्ध में पूरी मुकम्मल लिस्ट दे सकता हूं कि किसने दंगे कराये हैं । "टाइम्स आफ इंडिया में अभी हाल ही में एक आर्टिकिल निकला था और वह डाक्टर कर्ण सिंह का था । उन्होंने लिखा था कि हिन्दू समाज में रिनासां (नव जागरण) हो रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यूरोप में जो रिनासां हुआ था उसका दूसरा मतलब था । वह सामाजिक जड़ता को उभारकर और किसी के विरुद्ध नफरत पैदा करने वाला रिनासां नहीं था । वह तो ब्रिलियेंट इन्टेलेक्चुअल मूवमेन्ट था । जिसने कि सारे समाज को बदल दिया । लेकिन आपकी जो नवचेतना है, नव जागरण है, जो आप चला रहे हैं वह उस किस्म का रिनासा नहीं है । आप जो चला रहे हैं या दूसरी पार्टियां चला रही हैं वह इस तरह का जहर देश और प्रदेश में फैला रही हैं कि जिससे सारी सामाजिक व्यवस्था नेस्तनाबूत हो जायेगी ऐसी भावना आर० एस० एस० फैला रही हैं । आप जरा इतिहास को उठा कर देखें, अगर यह मुल्क टूट गया, तो क्या स्थिति होगी । कभी-कभी कहा जाता है कि क्या मुल्क टूट जायेगा, क्या मुल्क का स्वरूप कायम रहेगा, क्या स्वतंत्रता कायम रह सकेगी । यदि इस तरह की स्थिति आती है तो वह ऐसी ही पार्टियों और आर्गेनाईजेशन बी० जे० पी० और आर० एस० एस० के जरिये होगी, यही जिम्मेदार होंगी इस मुल्क को कमजोर और गरीब करने में । मेरा निजी अनुभव है, उसी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जो हमारा यह विरोध पक्ष है उसने आज भी और इसके पहले भी मुल्क के अन्दर एक खतरा पैदा कर दिया है । वह खतरा आज भी बना हुआ है । आपकी तरफ से कहा गया, नेता विरोधी दल ने कहा कि यहां पर अहिंसा का वातावरण बढ़ता जा रहा है ।

मैं एक चीज आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं, हम लोग डिबेट करते हैं कि यहां पर अहिंसा, तसद्दुद, अराजकता हंगर स्ट्राइक, सेल्फ इम्मोल्यूशन हमारे पब्लिक और राजनीतिक जीवन में हो रही है । इसका क्या ईफेक्ट होगा । आपने रास्ता रोको आन्दोलन चलाया, क्या वह हिंसात्मक नहीं हुआ । आप मुझसे बात कर लें । आप तो नेता विरोधी दल हैं, आपका दूसरा हिसाब-किताब है । आप खुद समझ लें । मैंने खुद देखा है कि कैसे रास्ता रोको आन्दोलन को हिंसात्मक बनाया गया है । इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता है । श्रीमन्, किसी ने कहा है कि

"इफ आइडीयाज पलाई टू आर्मी देयर इज नो रूम इन सोसाइटी फार लिबरल डाक्ट्रिन्स ।"

इस तरह से होगा तो कैसे लोकतंत्रीय व्यवस्था रह सकेगी, वह नहीं रह सकती है ।

(व्यवधान)

श्रीमन्, एक मिनट में समाप्त करता हूं । जो सेक्युलर फोर्सेज हैं, जो कम्युनल फोर्सेज हैं उनसे हम संघर्ष कर । यदि आप चाहते हैं कि यह देश और प्रदेश आगे बढ़े तो यह तभी सम्भव है । आज मुल्क खतरे में है, खतरे से गुजर रहा है । इसके लिये हम सब पार्टियों को एक होना चाहिए । इन शब्दों के साथ में इस अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

श्री राम सरन--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नेतागण बोल रहे हैं उनको आपने 20 मिनट का समय दिया है मैं कोई कटौती नहीं करना चाहता हूं । लेकिन बीच में एक आदमी जो हम जैसे छोटे लोग हैं उनको भी बुलवा दें जैसे उधर से श्री लाल प्रताप सिंह और श्री बासुदेव सिंह जी बोले हैं ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी माननीय नेता विरोधी दल ने एक अविश्वास का प्रस्ताव वर्तमान मंत्रिमंडल के खिलाफ पेश किया है । मैं उन तमाम बातों को नहीं दुहराऊंगा जो मेरे पहले लोग बोल चुके हैं । मान्यवर, आज इस देश और प्रदेश की 75 प्रतिशत जनता का इस सरकार में विश्वास नहीं रह गया है । चुनाव के कुछ कायदे हैं जिसके कारण यह अल्पमत में होते हुये भी कांग्रेस पार्टी की यह सरकार श्री वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में यहां बैठी हुई है । 50 प्रतिशत से अधिक लोगों ने इनके विरुद्ध वोट दिया था और आज वह संख्या 75 और 80 प्रतिशत हो गयी है ।

(व्यवधान)

शुक्ला जी अगला चुनाव रिजल्ट बतायेगा कि आप कहां हैं और हम कहां हैं उससे पता चल जायेगा ।

मान्यवर, इस समय जो कल को आने वाली पीढ़ी है यानी जो विद्यार्थी वर्ग है उसमें त्राहि-त्राहि मची हुई है । आज स्कूलों में नाम नहीं लिखे जा रहे हैं । 9वीं और 11वीं कक्षा में बराबर की मैं, बात बता दूं दो हजार लड़के एडमिशन नहीं पा रहे हैं मारे-मारे फिर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है । यही स्थिति सारे प्रदेश में है । जो सरकार अपने बच्चों को, अपने बच्चों को इसलिये कह रहा हूं कि आपके बच्चे जिस वर्ग से यह आते हैं वह तो कानवेंट और दून स्कूल में पढ़ते हैं उनको तो एडमिशन मिल जाता है लेकिन हम लोगों के बच्चे स्कूलों में दाखिल नहीं पा रहे हैं । जो सरकार प्रदेश के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दे वह कैसे दावा करती है कि स्वच्छ प्रशासन देंगे और प्रगति खाली फर्जी आंकड़े के दम पर होगी । प्राइवेट फार्म तक लड़कों को नहीं मिल पा रहे हैं आज लाखों लाख लड़के प्राइवेट हाई स्कूल और इंटर परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे हैं ऐसी है आपकी सरकार । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रदेश में कोई सरकार नहीं है सरकार है लेकिन यह सामंतों की, नौकरशाही की और उद्योगपतियों की सरकार है जिसका नेतृत्व श्री वीर बहादुर सिंह कर रहे हैं । तो यह कैसे निश्चय किया जाय कि यह किसकी सरकार है । एक तरफ जहां किसान पिट रहा हो, कारखाने में काम करने वाला पिट रहा हो और विद्यार्थी और नौजवान मारा-मारा घूम रहा हो, वहां दूसरी तरफ उद्योगपति को कंसेसन पर कंसेसन मिल रहा हो, जिसको फर्जी अदायगी में 10 साल तक छूट मिल रही हो वहीं किसान की जमीन और उसके ट्रैक्टर को नीलाम कर दिया जा रहा है । जब यहां पर किसी एक आदमी का नाम आता है तो माननीय सदस्यगण नाराज हो जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं लेकिन आपके पास बैठे हुये सत्ता पक्ष के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 15, 20 साल से भूमि वितरण की बात निरन्तर कही जाती है जो अवशेष भूमि है उसे आप भी जानते हैं तो उसमें अगर किसी का नाम आ जाता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी भूमि छीनी जा रही है । आप जानते हैं कि भूमि अवशेष है जो खेतिहरों और हरिजनों को बंटनी चाहिये । कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ी थी उस वक्त कांग्रेस में वह सभी लोग रहें या उनके पूर्वज रहे हैं जो आज विपक्ष में हैं ।

उस समय सबसे बड़ी लड़ाई देश के अन्दर सामंतों के खिलाफ लड़ी गयी थी लेकिन आज क्या स्थिति है, आप बुरा न मानें, आपकी पार्टी पर राजा महाराजे ऊपर से नीचे तक, हावी हैं जिसका दुष्परिणाम है कि उनके विरुद्ध कोई कदम आप नहीं उठा पा रहे हैं । मान्यवर, नौकरशाही के बारे में कहना चाहता हूं कि इस कार्यपालिका को सरकारी कर्मचारी जैसे चपरासी, छोटे-

मोटे बाबू, हेड क्लर्क एक कड़ी है। उनके वेतन और महंगाई-भत्ते में बढ़ोत्तरी केन्द्रीय कर्मचारियों के समान यह सरकार नहीं कर रही है। लेकिन अधिकारी कितने बढ़ाये जा रहे हैं यह देखने की बात है। पहले जब एक आई० जी० था तो प्रदेश में कानून व्यवस्था आज की तुलना में अच्छी थी किन्तु जब आज 26 आई० जी० हैं तो कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। अब क्या आप एक जिले में एक एस०पी० पर एक आई० जी० और दो डी०आई० जी० आप लगायेंगे तब कानून व्यवस्था में सुधार होगा ?

मान्यवर, आप देखें कि सिंचाई विभाग में पहले एक चीफ इंजीनियर था तो काम ठीक से होता था लेकिन आज दर्जनों चीफ इंजीनियर हैं तो भी काम जहां का तहां है बल्कि पहले से रद्दी हो रहा है। मान्यवर, आप देखें एक तरफ उच्च अधिकारी वर्ग अपनी सुविधायें बढ़ा रहा है और सरकार उनके सामने झुकती जा रही है। दूसरी तरफ चपरासी और बाबू का वेतन और सुविधायें बढ़ाने में सरकार के पास, कहा जाता है कि वित्तीय संसाधन नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वे संसाधन आपके पास हैं लेकिन वह फिजूलखर्ची और बड़े अधिकारियों के ऐशो-आराम पर फिजूलखर्ची के लिये हैं।

मान्यवर, कुंवर रेवती रमण सिंह ने जैसा कहा था कि बिजली इंजीनियर्स को 17 सालों का 18 करोड़ रुपये एरियर का दिया गया और बिजली कर्मचारियों को हड़ताल के लिये मजबूर किया गया चूंकि उनके जो एग्रीमेन्ट्स थे उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा था तबतक नहीं देगी जबतक कि प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान नहीं हो जाता और वही हुआ। आज आप देखें कि बिजली कर्मचारियों की स्ट्राइक के दौरान आपने निऊ ट्रान्डस लगायें जिससे बिजली की लाइनें ध्वस्त हो गयीं जो आज तक ठीक नहीं हो पायीं और इस तरह काफी नकसान हुआ। तो जबतक कर्मचारी संघर्ष न करें, आपको विवश न कर तबतक आप उनको कुछ देने वाले नहीं हैं और न सुनने ही वाले हैं। यही हाल रहा तो सरकारी कर्मचारी आने वाले समय में आंदोलन करने जा रहे हैं। इस सरकार के रहते-रहते वर्तमान मुख्य मन्त्री के काल में केवल दो चीजों को साम्प्रदायिकता और भ्रष्टाचार को व्यापक पैमाने पर बढ़ाया गया है।

मान्यवर, श्री लाल प्रताप सिंह जी ने कहा था, मैं उसकी सफाई नहीं देना चाहता हूं, तो इसके लिय कौन जिम्मेदार है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपसे कि 1967 से 1969 तक एस०बी०डी० की सरकार रही, 1977 से 1980 तक जनता पार्टी की सरकार रही और इसके अलग-अलग आजादी के बाद से बराबर कांग्रेस सरकार रही है। आज भी कांग्रेस से विपक्ष का कोई दल मिल-कर शासन में नहीं है, आज भी आप हैं, तो साम्प्रदायिक दंगे होंगे तो उसके जिम्मेदार आप और आपकी नीतियां होंगी। यह सब पूंजीपरस्त सामंती और नौकरशाही से मिल-जुलकर चलने वाली नीतियों के कारण है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं आगाह करना चाहूंगा कि इस समय कितनी भयंकर स्थिति है, प्रदेश में दो धर्मों के मानने वाले हैं-बहुमत में हिन्दू और माइनारिटी में मुसलमान। लेकिन स्थिति क्या है, इसको आप देखें तो आज मुसलमानों को भी देश की एकता और अखंडता में विश्वास है, इधर या उधर के माननीय सदस्यों को इस समस्या को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि आज अल्पसंख्यकों के लोग इस प्रदेश में रहकर भी अपने को नम्बर दो का नागरिक महसूस कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो मुझे बताया गया है कि दिल्ली में मस्जिदों के अन्दर एक सम्प्रदाय के लोग जूता पहनकर चले गये। तो मंदिर, मस्जिद और गिरिजा-घर का अपमान करें तो जो लोग यह

कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कायवाही होनी चाहिए। यदि देश को एकता और अखंडता को आपको बचाना है।

खाली यहां नहीं, गांव-गांव में जब यह साम्प्रदायिकता का जहर फैल रहा है। यह हकीकत है, यह वास्तविकता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जब तक आप सरकार में हैं, आप दूसरों पर इसके लिये उंगली नहीं उठा सकते हैं। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बीस सूत्री कार्यक्रम में इस प्रदेश ने बड़ी उन्नति की है, भले ही यह उन्नति कागज पर आंकड़ो उन्नति हो, लेकिन आप इसके लिए खूब कार्यवाही लूट रहे हैं। तो इस बीस सूत्री कार्यक्रम की सफलता के लिए आप जिम्मेदार होंगे और जब सम्प्रदायिक दंगे होंगे तो उसके लिए कोई अन्य व्यक्ति कोई संगठन कोई दल जिम्मेदार हो जाएगा। इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज पूरे के पूरे मुसलमान वर्ग के लोग अपने को नम्बर दो का नागरिक मानकर चल रहे हैं, वह अपने को नम्बर दो का नागरिक आपकी नीतियों के चलते मान बैठे हैं। आप देखें कि सरकारी नौकरियों में आजादी के बाद उनका जो परसन्टेज था, वह आज घटकर कितना कम रह गया है। सम्प्रदायिक समस्या के बारे में तो मेरा सुझाव है और हमारे दल की ओर से सर्वप्रथम यह सुझाव आया था, यह जो आज विषाक्त माहौल बन गया है उसकी समाप्ति के लिए पुरातत्व विभाग, रामजन्म भूमि की विवाद स्पद भूमि को ले ले। पुरातत्व विभाग इसको अपने कब्जे में लेकर आज वह जिस हालत में है, उसी हालत में करार रखे। क्षेत्र भर में और हमारे पूरे प्रदेश भर में तमाम मिली जुली चीज हैं, जिनको हम लड़ाई-झगड़े के जरिए नहीं तय कर सकते हैं मैंने देखा था कि अखबारों में आया था कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि इसे अर्कोलिजिकल डिपार्टमेन्ट को दे दिया जाय। यह बात यदि आपके ज्ञान में नहीं है तो आप केन्द्र सरकार से कहें कि उसे भारत सरकार अपने हाथ में ले और जितने भी ऐसे विवाद के स्थान हैं, उस पर इसी तरह की पाबन्दी लगाए। ऐसा करने से शक्ति आप पूरे प्रदेश में स्थापित कर सकेंगे और रह सकेंगे कि यह सेक्युलर स्टेट है और देश की अखंडता और एकता के लिए यह काम कर रही है।

अब मैं किसानों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के 50 प्रतिशत किसान केवल खेती पर जिन्दा हैं। हम सब किसान हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उसने वोट आपको दिया होगा और हो सकता है कि फिर दे, लेकिन इस वक्त वह वर्ग त्रस्त है। 50 जिले 85 की बाढ़ में प्रभावित हुए थे, इस समय हम उन चीजों पर भी हम विवाद करेंगे तो यह उचित नहीं होगा। प्रदेश में सब कहीं 50 प्रतिशत से ज्यादा सूखा पड़ गया है। इस भयानक स्थिति को भी यह सरकार नकारती है, तो पूरे किसान वर्ग का इस सरकार पर विश्वास नहीं रह जाएगा। सबसे सितम की बात यह है कि यह सब जानते हुए भी कि 85 की बाढ़ में 50 जिलों की फसल चौपट हो गई थी और इस बार सूखे के चलते पूरा प्रदेश बर्बाद हो गया है, यह सरकार, सरकारी, वसूलियां सरकारी और बैंकों के कर्जों आदि की वसूली उनसे निर्ममतापूर्वक और एक अभियान के तहदत करने से बिल्कुल बाज नहीं आ रही है। पता नहीं इस स्थिति में कार्यवाही करने के लिए कैसे आपकी आत्मा गंवारा करती है। आप वास्तविकता से अवगत नहीं हैं, आपके बड़े-बड़े अधिकारी शायद आपको सही स्थिति से अवगत नहीं कराते हैं। इस शासन की चकाचौंध में आप अपनी आंखे खो चुके हैं। यह सरकार यदि वास्तव में सरकार है तो वह यहीं पर घोषणा करे कि किसानों पर से सारे देय की वसूली तत्काल से स्थगित की जाती है, जब तक कि आगे अच्छी फसल न हो। किसानों

के सम्बन्ध में कृषि मंत्री जी उस दिन कह रहे थे कि कोल्ड स्टोरेज का किराया हमने नहीं बढ़ाया है । लेकिन वह बढ़ गये हैं और वह बढ़ा हुआ किसानों से वसूल किया जा रहा है । मान्यवर, अगर 17 रुपये रेट है तो कोल्ड स्टोरेज के मालिक किसानों से 27 रुपये और 32 रुपये वसूल कर रहे हैं आपकी जानकारी में यह बात लायी जाती है लेकिन आप इसकी नोटिस नहीं लेते हैं । आप इसकी नोटिस लीजिये और इसको रुकवाइये वरना यह बात साफ है कि सरकार किसानों की और जनता को लूट कर रही है । मान्यवर, किसानों का कितना उत्पीड़न होता है, आपके राज्य के हो वह टैक्स देते हैं लेकिन कुछ स्पेशल टैक्स भी आपके जरिये उसको देने पड़ते हैं । चाहे लेखपाल हो या तहसीलदार हो या पुलिस का सिपाही हो या कोई अधिकारी हो स्पेशल टैक्स के रूप में रिश्वत का भुगतान किसानों को करना पड़ता है । ऐसी बात नहीं है कि आप इस बात को जानते नहीं हैं । आप सब जानते हैं । कभी-कभी इधर और उधर दोनों ओर से आवाज प्रश्न के रूप में आती है लेकिन कौन सी मजबूरी है सरकार की सरकार इतने बड़े समुदाय की रक्षा नहीं कर सकती है । मान्यवर, 5 मिनट और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

2 मिनट हैं ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, आज सबसे बुरी दशा है श्रमिकों की । मैंने बिजली मजदूरों की मिसाल दी थी । इस समय प्रदेश में 8217 औद्योगिक इकाइयां फैक्टरीज ऐक्ट में 1985 तक रजिस्टर्ड थीं । इनमें से एक चौथाई फैक्टरियां हमेशा बन्द रहती हैं और लाखों मजदूर बेकार रहते हैं । श्रम मंत्री जो बहुत शरीफ हैं, मैं इनकी शराफत का कायल हूं । श्रम विभाग मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिये है लेकिन वह आज कारखाने के मालिकों की हिमायत करता है और उनकी पीठ थपथपाता है कि जितना जुल्म मजदूरों पर कर सकते हो करो । मैं दो-चार मिसाले देना चाहता हूं । कांशीपुर में कताई मिल है । यह गवर्नमेन्ट अंडरटेकिंग है । राजकीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत है । 17 जून से वहां पर हड़ताल चल रही है । वहां के 35 सौ मजदूर हड़ताल पर हैं । एक मजदूर की हत्या कर दी गयी है । माननीय नेता विरोधी दल और मेरे समेत सभी दलों के नेताओं ने मुख्य मंत्री जी से इस विषय से कहा था । लेबर कमिश्नर को मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया । लेकिन लेबर कमिश्नर नेगोशियेशन वार्ता नहीं करा रहे हैं । इसी तरह से राजकीय निर्माण निगम है । कान्ट्रेक्ट एबोलीशन ऐक्ट पास हुआ जो इस प्रदेश में लागू है । लेकिन वहां काम करने वाले 10 हजार मजदूरों को काम करते हुये दसियों साल हो गये हैं । इस निगम को करोड़ों रुपयों का फायदा है, लेकिन एक भी मजदूर को स्थायी नहीं किया जा रहा है । सारे के सारे केजुअल लेबर हैं । सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने वादा किया था लेकिन कुछ नहीं किया है । अन्त में मैं भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं । भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर निर्माण कार्य में 50 प्रतिशत कमीशन के रूप में अधिकारियों की जेब में चला जाता है और 50 प्रतिशत से निर्माण कार्य होता है । उपाध्याय जी चाहे आपका वह आर० ई० एस० विभाग हो या सिंचाई विभाग हो या पी० डब्लू० डी० विभाग हो । मान्यवर, बाराबंकी में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में एक सहायक अभियन्ता को इक्जीक्यूटिव इंजीनियर का चार्ज मिला था । उसने 50 लाख रुपये के ह्यूम पाइप खरीद लिये । फैजाबाद रुदौली से मिला है । लेकिन जो फैजाबाद में खरीदा गया उसको देवां भेजा और जो लखनऊ में खरीदा उसको रुदौली भेजा गया । 7-8 लाखों रुपये वह खा गया फर्जी फरेज के नाम भुगतान हुआ इस तरह से

आज भ्रष्टाचार हो रहा है। अन्त में मैं माननीय नेता विरोधी बल ने जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री राम सबल तिवारी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी बल के अविश्वास के प्रस्ताव के संदर्भ में मैं सबसे पहले यह अर्ज करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन के समक्ष अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उससे ऐसा आभास होता है कि उन्होंने अपने क्षोध को, अपने आक्रोश को इस अविश्वास के प्रस्ताव के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। उसका कारण यह है कि जिन विभिन्न मुद्दों को लेकर सम्मानित राजनैतिक दलों का जनवरी, 1986 से लेकर आज तक जो विभिन्न स्तरों पर चाहे वह राज्य व्यापी आन्दोलन रहा है या राष्ट्र व्यापी आन्दोलन रहा हो, जो आन्दोलन इन्होंने छेड़ा, उसमें जनता का समर्थन नहीं मिल पाया। जन समर्थन न मिलने के कारण इनका क्रोधित होना स्वाभाविक था और उसी को व्यक्त करने के लिए यह अविश्वास का प्रस्ताव आज लाया गया है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो साम्प्रदायिकता की बात हमेशा की जाती है, सब लोग जानते हैं कि यह साम्प्रदायिकता की बात कोई नई बात नहीं है। यह आजादी के पहले से 1902 से आजादी का इतिहास देख लीजिए, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले से यह सम्प्रदायिकता की बात चली आ रही है, जिसका एक लम्बा इतिहास है। लेकिन आजादी हासिल करने के बाद हम जब स्वतन्त्र हुए, तो हम एक धर्म-निरपेक्ष राज्य की हैसियत से एक साम्राज्य बनाने उसमें हमारा राज्य किसी भी राज्य किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीं करता है। ऐसी व्यवस्था है। लेकिन किसी भी धर्म को किसी भी मजहब को कुचलने का न इरादा है और न नफरत करने का इरादा है। कोई भी व्यक्ति अपना जिस मजहब में, जिस धर्म में विश्वास रखना चाहे, रख सकता है। लेकिन दूसरे के धार्मिक और व्यक्तिगत मामलों में किसी भी धर्म के धर्मावलम्बी को यह अधिकार नहीं है, जो किसी भावना को ठेस पहुंचाये, उसकी धार्मिक भावना को आघात पहुंचाये। ऐसी स्थिति में आप जितने मुसलमानों के हमदर्द हैं, उससे कम हम नहीं हैं, फर्क सिर्फ यह है कि आज आप उधर बैठे हैं, तो आप आज मुसलमानों के बहुत हमदर्द हैं। जब इधर बैठते थे, तो नहीं थे। अलीगढ़ में साल भर दंगा हुआ आपके जमाने में, उस समय आप कहां गये थे? मुरादाबाद में, बनारस में, सम्भल में जो दंगा हुआ था, उस समय आप कहां थे? उस समय आप घड़ियाली की आंसू बहा रहे थे। एक शेर अर्ज करना चाहता हूं।

नोट करिये।

"न जाने क्या मुसीबत आने वाली है जमाने ये,
सितम ही जिनकी फितरत है वह करम की बात करते हैं।"

यह हैं हमारे विरोधी पक्ष के लोग। मैं यह जानता हूं। मैं भी जहां रहता हूं वहां भी मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है। वहां भी मुसलमान रहते हैं। लेकिन वहां पर हिन्दू-मसलमान का किसी प्रकार का दंगा या झगड़ा आज तक नहीं हुआ। क्षमा कीजिएगा, वहां आप पहुंच गये होंगे, तो जरूर दंगा हुआ होगा। लेकिन जहां न पहुंचेंगे तो वहां पर दंगा नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो बाराबंकी का 30 अप्रैल, 1986 को साम्प्रदायिक दंगे का रूप देकर यह कहा गया कि साम्प्रदायिक दंगा वहां पर हुआ, मैं उसको साम्प्रदायिक दंगा नहीं मानता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तथ्यों के आधार पर, तर्क के आधार पर आप इसी बात को साबित कर दीजिए कि वह साम्प्रदायिक दंगे थे ? मान्यवर, यह पुलिस और उन असामाजिक तत्वों के बीच झगड़ा हुआ था । उसका एकमात्र प्रमाण है कि कोई भी हिन्दू या कोई भी पब्लिक का आदमी नहीं मारा गया । पुलिस वालों को चोटें पहुंचाई गई, उनका एक कमान्डर मारा गया, बावरी ऐक्शन कमेटी के करीब चार सौ लोग गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी देने के बाद जुलूस लेकर न्यायालय की तरफ धरना देने के लिए चले । पुलिस द्वारा जो रोके गये उनके ऊपर पथराव किया गया । उसमें पुलिस के एक आदमी ने दम तोड़ दिया । उसके बारे में तो किसी ने नहीं कहा, वह भी तो समाज का अंग था । उसके भी बीवी बच्चे हैं । तमाम पुलिस कर्मियों को चोटें आई ।

(शर्म-शर्म की आवाजें)

आपने तो सीधी बात कही कि साम्प्रदायिक दंगे हुए । साम्प्रदायिकता को फैलाने वाले चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों मैं यह कह देना चाहता हूं, कि उससे आप भी प्रभावित होंगे और हम भी होंगे कोई वंचित नहीं रहेगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप खत्म कीजिये ।

श्री राम सकल तिवारी--

मान्यवर, एक मिनट और दे दीजिए । मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत लम्बी-चौड़ी बात कही गई मैं यह जानना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को हर अधिकारी को, हर कर्मचारी को हर सदस्य को, हम और आप सन्देह की नजर से देखते रहेंगे तो उस देश का नाम बता दीजिये जिस देश से ईमानदार व्यक्ति का आयात किया जा सके । इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करते हुए, माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं ।

श्री राम सरन—

प्यारे भाइयों, उपाध्यक्ष महोदय सुनो और बहनों आप भी सुनो मैं बहनों से भी कहना चाहता हूं भाइयों से भी कहना चाहता हूं । हमारा टाइम बढ़ाते चले जाइये ।

श्री उपाध्यक्ष--

टाइम आपको 10 मिनट मिलेगा ।

श्री रामसरन--

मान्यवर, यह लोग डिस्टर्ब करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आप कहिये ।

श्री रामसरन--

हां तो मान्यवर, मैं इन प्यारे भाइयों से कहना चाहता हूं प्यारे भाइयों, यह सप्लीमेन्ट्री सरकार है आपकी, इलेक्ट्रेट सरकार तिवारी जी की थी । पंडित जवाहर लाल नेहरू जब इस देश के प्रधानमन्त्री रहा करते थे उनके जमाने में उत्तर प्रदेश में तथा सभी प्रान्तों में लोग यह करते थे कि अपने नेताओं को यहीं चुनते थे । पन्त जी को चुना गया । सम्पूर्णानन्द जी को चुना गया । इसी तरह से रिवाज चलता रहा । उसके बाद प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी आई, उनके जमाने में तो प्रथा ही बदल गई आंन डेपूटेशन आने शुरू हो गये । श्रीमन्, आज जो मौजूदा हमारे प्रधान-मन्त्री हैं श्री राजू भी उनके जमाने में यह प्रथा चल गई है अब आन कमीशन आना शुरू हो गया, जो ज्यादा रेट देगा वही मुख्य मन्त्री बनेगा । अरुण नेहरू साहब को या किसी भी साहब को वही

यहां का मुख्य मन्त्री बनेगा, यह रिवाज पड़ गया। यह चिन्तनीय विषय है। मैं, कहता हूं कि रोज सांध्य समाचार पढ़ा कर, बैठा है कमला साहनी

(हंसी)

चली गयी ह बेनीबाई, सच्चिदानन्द बाजपेई नहीं है और दीपक कुमार भी नजर नहीं आ रहा है, शिवनाथ सिंह कुशवाहा भी नहीं है। डेली जो सांध्य समाचार निकलता है "मेरी उपेक्षा करी गयी है" यह इन अखबारों में है। आपके अन्दर डिफेक्शन है, विरोधाभास है। आप कहती है कि मंत्रिमंडल का गठन ठीक नहीं है। आप कहती हैं कि हमारी उपेक्षा की गयी है। इनकी फोटो छपी है। बनी बाई ने कहा कि हमारी उपेक्षा की गयी है मैं बहुत पुरानी थी मुझे छोड़ दिया गया। लेकिन कमला साहनी जी आप और बेनी बाई, आप उत्तर प्रदेश की नश्ल की हैं, आप बैकवर्ड हैं, आप हरिजन हैं, वहां तो काश्मीरी नश्ल की चाहिए।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया शान्ति बनाये रखे।

श्री राम सरन--

प्रधान मन्त्री की मान्यवर, 3-3 मौसियां है। आप मौसी हैं प्रधानमन्त्री की, आप हो हो नहीं सकती। आप उत्तर प्रदेश की है आप काश्मीर की नहीं हैं, आप बैकवर्ड है, आप हरिजन है, आप काश्मीरी पंडित नहीं हैं, आपका रंग मेरे जैसा है। श्रीमन्, आप कह रहे है कि हमारी सरकार ठीक चल रही है। मैं परिषद् की गैलरी में बैठा था वहां उन्नाव के ऊपर चर्चा हो गयी। मैंने कह दिया कि उन्नाव क्या है, ऊबड़ खाबड़ जिला है, सहारनपुर जिला इतना अच्छा जिला है। उन्नाव क्या है ऊपर ही ऊपर, लेकिन श्रीमन्, उन्नाव का इतिहास बहुत निराला है वहां के व्यक्ति ने कहा कि अगर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों से चन्द्र शेखर आजाद को निकाल दिया जाय तो स्वतन्त्रता संग्राम शून्य हो जायगा, बात सही है। फिर कहा कि अगर हिन्दी साहित्य से निराला जी को निकाल दिया जाय तो हिन्दी साहित्य शून्य हो जायेगा। मैंने कहा सुन लीजिए अगर भ्रष्टाचार से गोपीनाथ दीक्षित का निकाल दिया जाय तो भ्रष्टाचार शून्य हो जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, दुबारा बता दीजिए, कुछ लोग सुन नहीं पाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग कृपया शान्ति बनाये रखे।

श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, विरोधी पक्ष के नेता की तरफ से अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है यह मंत्रिमडल का रोना कहां से रोने लगे ? क्या यह अविश्वास का अंग है ?

(व्यवधान)

श्री राम सरन--

मान्यवर, मुझे इन्हीं की तरफ से रोना पड़ रहा है, मैं इन्हीं का रोना रो रहा हूं। हमारे कल्यान सिंह जी कह रहे थे कुम्भ से लेकर करहना तक जो घटना हुई है।

मैं उसे रिकार्ड तोड़ सरकार कहता हूं। इन्होंने सारे पुराने रिकार्ड उत्तर प्रदेश के तोड़ दिये हैं। मान्यवर, कुम्भ में अगर यह न जाते तो कुम्भ की दुर्घटना न होती, यह मैं डंके की चोट पर कहता हूं। आपने पाप किया है आप बचेंगे नहीं। जहां पर आप नहा रहे थे, मुझे मालूम है। कोई आप इतने खूबसूरत तो थे नहीं जो पर्दे के पीछे नहा रहे थे। श्रीमन्, जिस तरह से इन्होंने वहां पर पुलिस के जरिये

भीड़ को रुकवाया और भीड़ में पचासों की जानें चली गई और जो दोषी अधिकारी हैं, उनकी यह तरक्की कर रहे हैं, सबको तरक्की करके अच्छी-अच्छी जगहों पर भेज रहे हैं। कहां है वह कुम्भ की रिपोर्ट। यह जांच करवायेंगे, कहीं वह अधिकारी इन्हीं की जांच न करे। इसी तरह से फर्जी मुठभेड़ों का मामला है। सहारनपुर में 2 तारीख को लाठी चार्ज हुआ। आपके सिटी मैजिस्ट्रेट ने हाथ में लाठी लेकर लाठी चार्ज किया। आज तक किसी ने सुना था कि मैजिस्ट्रेट हाथ में लाठी लेकर चलाये और श्रीमन्, आपकी इतनी बहादुर पुलिस है कि करहना में तो इतने लोगों को मार दिया और जब फूलनदेवी या ददुआ की बात आई तो यह 30 किलो मीटर की रफ्तार से बैक मारती है। इतनी बहादुर आपकी पुलिस है। सुनील शास्त्री जो यहां पर बैठ हुए हैं, इनके पिता लाल बहादुर शास्त्री बहुत बढ़िया आदमी थे, उनका बहुत सम्मान था परन्तु आप अपना सम्मान घटवा रहे हैं। महाराष्ट्र में किसानों को 10 रुपये प्रति हार्सपावर बिजली मिलती है और आप 30 रु0 में दिलवा रहे हैं। मैं कहता हूं कि बाढ़ के जरिये आप आये थे और सूखे के जरिये चले जायेंगे। बाढ़ आपके लिए वरदान साबित हुई थी और सूखा अभिशाप साबित होगा। यह सूखा आपको हवा में उड़ा ले जायेगा। माननीय नेता विरोधी दल ने एक घोषणा की, मैं राजा साहब का नाम नहीं लूंगा, वह बहुत खूबसूरत हैं 25 साल पहले बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने जो सजेशन दिया है इन्होंने आठ नाम दिये हैं, मैं चाहता हूं कि आप नौ दे दें, 10 दे दें, 11 दे दें। यहां सदन की एक कमेटी उस ट्रस्ट की जांच करें तो क्या हर्ज है। जांच करा लीजिए इससे राजा साहब की इज्जत बढ़ेगी ही घटेगी नहीं। माननीय नेता विरोधी दल द्वारा दिये गये नाम हैं---श्री राम सरन दास, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री अशोक वाजपेयी, श्री राज किशोर, श्री राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री कौशिक रमाशंकर।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने जब अविश्वास का प्रस्ताव रखा तो मैं उम्मीद करता था कि हमारी योजनाओं का हमारे कार्यक्रमों की कुछ आलोचना करेंगे और अमूल्य सुझाव देंगे कि किस तरह से हम उन्हें क्रियान्वित करें। लेकिन मैं बड़े गौर से उनके भाषण को सुन रहा था और हमने देखा कि माननीय नेता विरोधी दल का भाषण बहुत निम्न कोटि का भाषण था। उनका स्तर आलोचना करने का जूनियर इंजीनियर, पतरौल और गांव में रहने वाले छोटे-छोटे कार्यकर्ता तक था। दूसरी जो आलोचना हमने इनके भाषण में सुनी वह राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की। शायद नेता विरोधी दल को नहीं मालूम है कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन भूदान समिति को दान दिया है।

श्री राम आसरे वर्मा--

व्यवस्था का सवाल है थोड़ी देर पहले जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे और उन्होंने विश्वनाथ प्रताप का नाम लिया तो पीठ से यह व्यवस्था दी गई कि वह सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए उनका नाम नहीं लिया जायेगा। माननीय मंत्री जी को यह इजाजत कहां से मिल गई कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम लें।

श्री उपाध्यक्ष--

वह नाम ले रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

पीठ से व्यवस्था होने के बाद नाम ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

नाम लिया जा सकता है, आलोचना नहीं होनी चाहिये ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मैं यह कह रहा था कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी हजारों एकड़ जमीन भूदान समिति को दान किया है । राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की जमीन पर जिन हरिजनों एवं आदिवासियों का कब्जा था, मुकदमें में बयान देकर उनके नाम उस जमीन को उन्होंने दर्ज करवाया है । राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को मुआवजे की जो बात कही गई, पेड़ों के बारे में, पूरा प्रदेश जानता है कि जब पेड़ों की गिनती हुई थी, उस समय जनता पार्टी का शासन था और नेता विरोधी दल उस शासन में सहकारिता मंत्री थे 1979 में । राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हुए तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए पत्रावली में श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने ही आदेश दिया था । ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो इस सदन का सदस्य नहीं है, जो इतना ईमानदार है, जिसकी ईमानदारी पूरे प्रदेश और देश में मशहूर है, उसके बारे में नेता विरोधी दल ने अविश्वास के प्रस्ताव के माध्यम से एक अनर्गल आरोप लगाने का काम किया है । मैं समझता था नेता विरोधी दल 20 सूत्रीय कार्यक्रम की चर्चा करेंगे ग्रामीण अंचलों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उन्होंने उन पहलुओं पर एक वाक्य नहीं कहा । नेता विरोधी दल को बधाई देना चाहिये हमारे मुख्य मंत्री बीर बहादुर सिंह को जिनके कार्यकाल में पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में पहला स्थान प्राप्त किया है । वर्ष 1982–83 में उत्तर प्रदेश को 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भारत में 13वां स्थान था, 1983–84 में 10वां स्थान था और 84–85 में 6ठां स्थान था । मान्यवर, यह सदन पूरी तरह से जानता है कि 85–86 में पूरे उत्तर प्रदेश में 6 महीने सूखा और बाढ़ रही, केवल 6 महीने काम करने का मौका मिला था । यह बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश की कि 6 महीने के अन्दर पूरे भारत में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है । इसके अलावा मान्यवर, जो हमारे गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम हो, चाहे ग्रामीण भूमिहीन गारंटी योजना हो या और कोई योजना हो या मजदूरों के पुनर्वास की योजना हो, इस सब योजनाओं में पिछले वर्ष हमारी जो उपलब्धियां हैं, सराहनीय हैं, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में । श्रीमन्, इसी के साथ–साथ अतिरिक्त भूमि के आवंटन में पिछले वर्ष हमने 365.5 प्रतिशत की उपलब्धि की है जो लक्ष्य से अधिक है । इसी तरह से समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कार्यक्रम में हमने 229 प्रतिशत उपलब्धि की है । ग्रामीण आवास हेतु जो मद है उसमें हमने 179 प्रतिशत की उपलब्धि करके पूरे देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान दिलाया है । श्रीमन्, इसी के साथ–साथ, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम, जैसा वृक्षारोपण या परिवार–कल्याण के कार्यक्रम हैं, हमने इन कार्यक्रमों में भी सराहनीय कार्य किया है और उत्तर प्रदेश का नम्बर आगे बढ़ाया है । श्रीमन्, इसी के साथ–साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में हम ग्रामीण अंचलों में विकास तेजी से करना चाहते हैं और इसके कार्यक्रम भी बना रहे हैं । आप लोग जानते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की तादाद पूरे प्रदेश में 51 प्रतिशत थी, लेकिन जो हमारे गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चले, उनके सही क्रियान्वयन के कारण जब सातवीं योजना शुरू हुई तो जो गरीबी की रेखा के नीचे गुजर–बसर कर रहे थे, उसमें से 10 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे । सातवीं पंचवर्षीय योजन,

के प्रारम्भ में प्रदेश के 41 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे, जिनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं और उनको सुचारु रूप से चलाने के लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग देकर केवल आलोचना करना विरोधी दल के साथियों ने अपना कार्य बना रखा है, यह जानकर दुख होता है। आप हमें इन कार्यक्रमों में सहयोग दें। आपको जानकारी है कि इस वर्ष प्रदेश के 6 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ने 7.72 लाख जो भूमिहीन, बेरोजगार मजदूर हैं, उनको रोजगार दिलाया जा रहा है

(बिजली चली गयी)

माननीय कल्याण सिंह जी कह रहे थे कि उन्हें गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बड़ी तकलीफ है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में बाबू बीर बहादुर सिंह की सरकार ने मजदूरों की दैनिक मजदूरी को साढ़े आठ रुपये से बढ़ाकर साढ़े ग्यारह रुपये कर दी है। यह मजदूरों के हित का काम सरकार ने किया है। इसमें आपको हमारी मदद करनी चाहिये। इसी तरह से मान्यवर, गांवों में जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब लोग हैं, जिनके लिये आवास की व्यवस्था नहीं है, उनको भी हमने आवास उपलब्ध कराने के लिए 21 करोड़ 92 लाख रुपये का आवंटन किया है।

जिसके तहत पूरे प्रदेश में 18,346 इन अनुसूचित जातियों जन जातियों के लोगों के लिए मकान की व्यवस्था की जायेगी प्रति मकान लागत इसमें 6 हजार रु0 है। इस तरह के तमाम कार्यक्रम हम उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो गांवों में रहते हैं अधिकांश में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उनको भी हम पानी उपलब्ध करा रहे हैं। 3 करोड़ 38 लाख रु0 का प्राविधान इसके अन्तर्गत किया गया है, जिसके तहत 4 हजार हरिजन बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था करायेंगे। मान्यवर, स्वच्छता पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में 41 हजार अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के मकानों में शौचालय की व्यवस्था हम इस वर्ष करने जा रहे हैं। ऐसे 41 हजार शौचालय बनने जा रहे हैं।

मान्यवर, जो राष्ट्रीय लक्ष्य है, निर्देश है 1990 तक हम डेढ़ हजार की आबादी के गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ें। एक हजार की आबादी तक के गांवों में से 50 प्रतिशत गांवों को, 1990 तक मुख्य सड़कों से जुड़े। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक हजार की आबादी और इनके ऊपर की आबादी के गांवों को हमें 1990 तक पक्की सड़क से जोड़ेंगे। जो सड़के ग्रामीण अंचलों में बनायी जा रही हैं विभिन्न योजनाओं के तहत चाहे जिला परिषद् द्वारा, आर0 ई0 एस0 के द्वारा, गांव सभा के द्वारा उनके अनुरक्षण की समुचित व्यवस्था पहले नहीं थी पिछली बार प्रथम बार माननीय वीर बहादुर सिंह की सरकार ने इस मद में 11 करोड़ 38 लाख रु0 की व्यवस्था की। इस 11 करोड़ 38 लाख के द्वारा सड़कों की मरम्मत का भी काम किया जायेगा। माननीय नेता विरोधी दल को बधाई देनी चाहिये माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध करके जो हमारी एन0 आर0 ई0 पी0, आर0 एल0 डी0 पी0

योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्य हो रहे हैं, इन कार्यों के लिए आवंटित धनराशि में से 10 प्रतिशत अनुरक्षण कार्य करा सकते हैं यह स्वीकृति भी भारत सरकार ने हमको दे दी है। मान्यवर, विपक्ष आलोचना करता है, मान्यवर 1977-80 तक यह शासन में रहे जो गेहूं कांग्रेस ने इकट्ठा कर रखा था उसे श्रम के बदले आज की योजना के तहत अंधाधुन बांटा, सड़कों पर मिट्टी डलवायी, कोई नीति नहीं थी। परिणाम क्या हुआ नीतिपूर्वक कार्य न होने की दशा में दो साल बाद वह मिट्टी भी बहनी शुरू हो गयी, उन्हीं अधूरे कार्यों को जो आप अधर में ही छोड़ आये थे, उसे हम सुदृढ़ कर रहे हैं, उस पर कार्य करवा रहे हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की। इसके साथ ही मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हम विकेन्द्रीयकरण की नीति को गांवों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमने बहुत से अधिकार मण्डलायुक्तों को दिये हैं, बहुत से अधिकार जिला स्तर के अधिकारियों को सौप दिये हैं और बहुत से अधिकार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु खण्ड विकास अधिकारी को सौप दिये हैं। अब हम न्याय पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रमों को सुचारु रूप से चलाने हेतु विकेन्द्रीयकरण की योजना को लागू करना चाहते हैं, इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि हर विकास खण्ड के दो न्याय पंचायत क्षेत्र में सामुदायिक विकास केन्द्र हों, क्योंकि ग्रामीण स्तर के जो कर्मचारी हों, उनके लिए आज तक एक स्थान नहीं था जहां वह इकट्ठा बैठ सकें और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका निदान कर सकें। यह भी निश्चय किया है कि बी0 डी0 ओ0 कम से कम महीने में एक दिन वहां जाकर लोगों की समस्या को सुन सके और उनका निदान कर सके। मुझे विश्वास है कि नेता विरोधी दल माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देंगे और यह महसूस करेंगे कि उन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव रखकर गलती की है और वह भविष्य में ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे।

श्री कौशिक रमाशंकर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केयर-फ्री मुख्य मंत्री जी वीर बहादुर सिंह जी की सरकार के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है, उसके संबंध में मैं चन्द शब्द निवेदित करना चाहता हूं। वह स्वयं कहते हैं कि मैं टेन्शन फ्री और केयर फ्री रहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी की केयर फ्रीनेस उस समय अपना सम्पूर्ण आकार ग्रहण कर लेती है, जब वह अपने कार्यालय में कुछ कुछ वज्रासन मुद्रा में बैठकर एक बटन दबाते हैं। बटन दबते ही एक स्वर लहरी गूंजती है "अंखिया मिलाकर चले नहीं जाना"। प्रकृति के सबसे मनोहारी चित्र किसी रूपसी नारी के लिए यह गाना नहीं, बल्कि कुर्सी के लिए होता है कि अंखिया मिलाके चले नहीं जाना। पिछले 4 महीनों से लगातार माननीय मुख्य मंत्री जी इसी कोशिश में दिल्ली और लखनऊ के चक्कर लगा रहे हैं। आज स्वयं कांग्रेस पार्टी अस्थिरता लाने को कायल है, जिसकी वजह से पिछले 4-5 वर्षों में 4 मुख्य मंत्री कांग्रेस के हुए हैं। इसमें किसी विरोधी दल का हाथ नहीं है। इसमें आपके दल का हाथ है। इस पर आपको विचार करना होगा। इसका भयानक दुष्परिणाम यह हो रहा है कि आपकी सरकार को मानने वाला कोई नहीं है और प्रशासन आपके आदेशों पर चलने को तैयार नहीं है। पिछले 5-6 साल से लगातार प्रदेशीय सरकारों के स्तर को गिराने का कार्य, केन्द्र में बैठी कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है। इसी की वजह से आज आपके मंत्रि परिषद में अन्तर विरोध है। सचिवालय के गलियारे के हर मोड़

पर पिछले 4 महीने से यह कहा जा रहा ह कि मुख्य मंत्री जा रहे हैं। हैं। परिवहन मंत्री जी तो कहते हैं कि "सजनी हमहुं राजकुमार"। हम मुख्य मंत्री बनेंगे। मुझे तो यहां तक पता चला है कि प्रधान मंत्री के घर से जो रिपोर्ट मिली है प्रधान मंत्री ने यह कहा कि अमेठी से ही, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने वाला है, राष्ट्रपति हो जायें, प्रधान मंत्री हो ही गये और मुख्य मंत्री भी वहीं से हो जायं। सवाल यह नहीं है कि कौन मुख्य मंत्री रहे, सवाल यह है कि प्रशासन तंत्र जो टूट गया है, उसका कारण क्या है। आपके जो बड़े अधिकारीगण हैं, वे आपकी क्यों सुनें इस अस्थिरता के वातावरण को बनाने के लिये आपको, आपकी सरकार को और आपकी पार्टी को दोषी ठहराता हुं।

आज पूरे उत्तर प्रदेश में सूखे की समस्या को लेकर हाहाकार है। आपका राजस्व मन्त्रालय है, वहां से सूखे के सम्बन्ध में जो बयान आया है, तो उसने पूरे प्रदेश में औसत वर्षा हुई, वह निकालकर रख दी। इन औसतों से क्या होता है, यह आप जानते हैं। "पानी का औसत ज्यों का त्यों और कुनबा डूबा पड़ो"। यह बात अच्छी तरह जानते है कि 2 लाख 94 हजार वर्ग किलो मीटर का यह प्रदेश, कहीं सूखा कहीं बाढ़ से प्रभावित रहता है। हिन्दुस्तान की मानसून की स्थिति ऐसी रहती है कि वर्षा का औसत एक सा रहता है लेकिन कहीं पर सूखा और कहीं पर बाढ़ रहती है। आपने मन्त्रि-परिषद में अभी विस्तार किया है, लेकिन आप मजबूर हैं। आप सक्षम बरारों कौशल किशोरों को या अन्य सक्षम व्यक्तियों को ले नहीं सकते, किसी को ले नहीं सकते आप नेहरुओं को लेंगे, आप बख्शियों को लेंगे और कौलों को लेंगे क्योंकि इनको लेने के लिये आप मजबूर किये जाते हैं इसीलिये इस प्रदेश की हालत ऐसी चल रही है। जहां पूरे उत्तर प्रदेश में और प्रदेश के बहुत से हिस्सों म ज्यादा सूखा पड़ा हुआ है, वहीं आपकी क्या योजनायें चल रही हैं। बिजली की जो स्थिति चल रही है, 4-4 घण्टे और 5-5 घण्टे आ रही हैं। माननीय बिजली मन्त्री ने इसी सदन में घोषणा की कि 10 घण्टे बिजली दे रहे हैं। माननीय सहकारिता मन्त्री अभी मुरादाबाद गये थे उनके समक्ष जब स्थिति आयी तब पता चला कि 4-5 घण्टे भी औसत नहीं पड़ता है। बिजली का पैसा बढ़ाते चले जायेंगे। आप जानते हैं कि 18 अरब रु0 का घाटा आज बिजली बोर्ड में है, लेकिन आप अपनी अक्षमताओं को छिपाते हैं। उसे दूर नहीं करते हैं। जो चोरी हो रही है उसे दूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पैसा बढ़ाते चले जायेंगे। 90 करोड़ रु0 का कर बिजली के रूप में बढ़ा दिया। लोकतांत्रिक जो व्यवस्थायें हैं, इनका आप मानते नहीं हैं। बजट का मामला एक साल में एक बार आता है। एक बार में परिवहन की कीमतें बढ़ा दें, बिजली की कीमतें बढ़ा दें, कोई टैक्स जो लगाना हो, लगा दें ताकि साल भर जो व्यवस्था है, वह तो चले, ऐसी लोकतांत्रिक परम्परायें होनी चाहिये। बिजली की कीमत कभी भी बढ़ा देंगे, परिवहन की दरें कभी भी बढ़ा देंगे, बजट का कोई महत्व ही नहीं है। आज कोई सुनिश्चितता नहीं है, अनिश्चितता की स्थिति है। कोई आदमी अपना साल भर का बजट नहीं बना सकता। बिजली के बारे में जो 18 अरब रु0 की बात कही, तो इसमें 40 प्रतिशत की चोरी हो रही है। जो बकाया राशि है इसमें छोटे लोगों की बकाया राशि ऐसी है कि वह दे नहीं सकते, वह भी चोरी है, उसे आप रोक नहीं सकते। बिजली की स्थिति गांवों में देहातों में कभी कोई आदमी मर जाता है कभी कोई पशु मर जाता है, कोई बिजली के तारों को ठीक करने वाला नहीं है।

अभी मोहम्मद गनी नाम का एक आदमी जिला मुरादाबाद के गजरौला गांव में मर गया क्योंकि खम्भे में बिजली आ रही थी। उसी बस्ती में पांच पशु मर गये क्योंकि खम्भे में बिजली आ रही थी। कोई यह कहने वाला नहीं है कि जो बोर्ड के कर्मचारी हैं वे काम क्यों नहीं करते? चारों तरफ हा-हा कार मचा हुआ है। चारों तरफ मंहगाई बढ़ी हुई है। मंहगाई का तो आलम यह है यदि आप सूचकांक देखें तो 1970-71 की तुलना में जहां वह 100 प्रतिशत थी, आज वह 380 प्रतिशत हो गया है। आम आदमी को थोक भाव से आपका मतलब नहीं है, उसको तो फुटकर भावों से मतलब है। आपने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अधिक से अधिक आप प्रदेश की जनता की लूट करा रहे हैं। टेक्सेशन पालिसी आपकी इतनी दोषपूर्ण है कि आम आदमी को कोई सुविधा मिल नहीं सकती है।

किसानों की पैदावार का मूल्य आप तय करते हैं जबकि मिलों में बनने वाली चीजों के चाहे वह सीमेन्ट हो लोहा हो, कपड़ा हो या अन्य कोई वस्तु, उनके भाव निर्माता तय करते हैं और टैक्स कीमत पर लगाते हैं। निर्माता जितनी कीमत अपनी निर्मित वस्तुओं को बढ़ायेंगे, टैक्स आपका उतना ही बढ़ता जायेगा केवल शराब को छोड़ कर, आपकी सरकार कीमतों पर टैक्स लगा रही है। न तो निर्माता मंहगाई घटाना चाहते हैं और न यह सरकार उसे घटाना चाहती है। मिलों में बनने वाली चीजों के दाम पांच गुना छः गुना, सात गुना, आठ गुना, यहां तक कि दस गुना बढ़ते चले जा रहे हैं और इधर किसानों की पैदावार को जिसे कि आप तय करते हैं। उसकी कीमतों को उस अनुपात में आप तय नहीं कर रहे हैं। आज 300 रु0 की चीनी 700 रु0 में बिकती है। 30 पैसे यूनिट की बिजली 70 से 90 पैसे प्रति यूनिट में दी जाती है। 50 पैसे वाला मिट्टी का तेल आज बाजार में 2 रु0 30 पैसे में मिल रहा है। यह आपकी करतूतें हैं जो कि प्रदेश की बारह करोड़ जनता को भुगतनी पड़ रही हैं।

अभी ग्राम्य विकास मंत्री जो बोल रहे थे कि हमने बहुत से लोगों को, गरीबी की रेखा के नीचे जो रहने वाले थे, ऊपर उठाया है। मेरा चैलेन्ज है कि हजारों करोड़ों रुपय खर्च करके आपने जो गरीबों को ऊपर उठाने की योजना बनायी वह आपकी प्रशासनिक अक्षमता के कारण रिश्वतखोरी के कारण भ्रष्टाचार के कारण वैसी की वैसी ही धरी रह गयी। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले को गरीबी और मार गयी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि विकास के कार्यों के लिए लाभार्थियों को जो 100 पैसा मिलना चाहिये था उसमें से उनको 40 प्रतिशत पैसा तक नहीं पहुंच पाया है और शेष 60 फी सदी पैसा क्या हुआ इसका हाल आप एम0 एल0 ए0 से अलग जाकर पूंछ लें तो सही स्थिति क्या है इसे वह आपको बतला देंगे कि लाभार्थियों को मदद देने के मामले में पैसा उस तक नहीं पहुंचता है क्योंकि आपका सारा सिस्टम, सारी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी है। आप बड़े-बड़े घोटाले साफ नहीं कर पा रहे हैं।

आप किसी का नाम लेने पर भले ही पाबन्दी लगा दें कि नाम न लो लेकिन तथ्य वहीं बने रहेंगे। इलाहाबाद में भूमिहीनों को पांच हजार एकड़ भूमि दी जाने वाली थी, वह भूमिहीन किसानों को नहीं बांटी गयी है, वह भूमि उसी डईया स्टेट की थी। हमें तो उससे कुछ मतलब नहीं कि उसमें राजा साहेब हैं या नहीं लेकिन यह पता है कि वह भूमि जो कि भूमिहीनों को दी जाने वाली थी, वह उनको नहीं बंटी, इसे आपको देखना चाहिये। क्यों नहीं बंटी क्या कारण है इसे आपको देखना चाहिये। अब मैं कृषि विभाग के बारे में कहना चाहता हूं, पश्चिमी जिलों में बुलन्दशहर है, वहां पर एक खाद विक्रेता

है जिससे खाद हम लोगों के क्षेत्र में जाती है, वह नकली खाद होती है और उसके बारे में बार बार शिकायत की गयी है। सेन्ट्रल से टीम जांच करने के लिए भी आयी और वह जांच करके चली गयी, लेकिन अभी तक उस खाद विक्रेता का कुछ नहीं हुआ है और वह नकली खाद को बेच रहा है। एन0 पी0 के0 खाद पर हरियाना सरकार ने पाबन्दी लगा दिया है। पिछले सत्र में जब यह सवाल उठा तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि पाबन्दी लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन वह पाबन्दी अभी तक नहीं लगायी गयी है और यह प्रयास हुआ है कि अगर कोई पाबन्दी लगायी गयी हो तो उसको समाप्त किया जाये। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कृषि विभाग का करोड़ों रुपया निरर्थक पड़ा हुआ है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। किसानों को जो अनुदान मिलता था, उसको सहकारिता में समितियों के नाम डाल दिया गया है और उस का परिणाम यह होगा कि किसानों को इस बार खाद नहीं मिल पायेगी और अनुदान भी उनको नहीं मिला। तो मान्यवर, इस तरह के हालात इस प्रदेश में हैं। ठीक है अगर अच्छी तरह से सरकार चले और जो घोषणायें की गयी हैं जिनको माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ लेने के समय किया था, उन पर अमल नहीं हो रहा है। जो उनके साथी हैं वह उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी टांग पकड़ कर खींच रहे हैं। आप कहेंगे कि यह तो अपने की बात है, मान्यवर यह आपस की बात तो जरूर है, लेकिन इस का असर जनता पर पड़ रहा है, प्रदेश पर पड़ रहा है और प्रदेश का विकास रुक गया है। आप शिक्षा के मामले को ठीक नहीं कर पाये हैं, जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है, उसका हालत बराबर गिरती जा रही है, वहां पर अच्छे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं और 4थी या पांचवीं कक्षा तक भी नहीं पढ़ पाते हैं। जो गरीब हैं, अनुसूचित जाति के हैं, वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं।

मान्यवर, अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो गरीबों के बच्चे हैं, वह अपनी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं आपके पास बहुत गेहूं पड़ा हुआ है, तो आप उनको डेढ़ दो किलो गेहूं दे दें जिससे वह अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें। प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर तमाम रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान इस ओर नहीं गया है कि जो बच्चे कल बड़े होंगे, उनकी शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। बेचारे गरीबी के कारण पढ़ नहीं सकते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था आपको करनी होगी कि हर गरीब बच्चा भी शिक्षा प्राप्त कर सके, कल वही हमारे देश का कर्णधार होगा। आप 50 साल के लोगों को पढ़ा रहे हैं और रुपया खर्च कर रहे हैं, जो बेकार है। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा वर्तमान बिगड़ गया है, उसको छोड़े लेकिन कल को तो सुधारें। आपने जो अनौपचारिक शिक्षा चलाई है वह न तो निरक्षरता को समाप्त कर सकती है और न अच्छे नागरिक ही बना सकती है, तो जो इस समय परिस्थिति पैदा हो गयी है, जो परेशानी हमारी जनता को है और जो भी समस्यायें हमारे प्रदेश में हो सकती हैं चाहे वह बिजली की हों या सूखे की हों, उनको हल करने में यह सरकार अक्षम रही है। इन शब्दों के साथ मैं अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव पर उसके विरोध में बोलने के लिए मुझे अवसर दिया है।

मान्यवर,

बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो एक कतरा खूं न निकला।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आशा तो यह की गई थी और अपेक्षा तो यह थी कि माननीय नेता विरोधी दल अपने उस प्रभावशाली स्थान से ऐसी कुछ नीतिगत आलोचनायें करेंगे जिससे शासन को कुछ दिशा लगे और वह आत्मचिन्तन करने के लिये बाध्य होगा और आत्म चिन्तन करेगा। मान्यवर, मुझे याद आता है भरथरी का वह संदर्भ, जिसमें उन्होंने लिखा है--

अनन्त रत्न प्रभवस्य यस्यः इमम् न
सौभाग्य विलोपिजातम्,
एकोहि दोषो गुण संधि पाते, निजतोन्दो
किरणेशुशांकः।

कहने का मतलब यह है कि हिमालय पहाड़ जिसकी गोद में अनन्त रत्न है लेकिन दोषी व्यक्ति ढूंढने पर यह दोष निकालता है कि वह सब बर्फ से आच्छादित है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि यदि हिमालय पहाड़ बर्फ से आच्छादित न हो गंगोतरी और जमनोत्री से बहने वाली पवित्र धारायें हमें जीवन दान नहीं दे सकती थीं। इसी तरह से नेता विरोधी दल ने इस शासन पर दोष लगाया है। गुणों तथा दोषों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि चन्द्रमा पर लगी कालिमा से उसके जो गुण हैं, वे लुप्त नहीं हो जाते हैं। इसी तरह से माननीय नेता विरोधी दल से कहना चाहता हूं कि जो अच्छे कार्य इस शासन ने किये हैं, उनके बारे में भी प्रशंसा के दो शब्द कह देते। मान्यवर, जो दार्शनिक होता है उसको आधा गिलास खाली और आधा भरा हुआ नजर आता है। जो आशावादी होता है उसको आधा गिलास भरा हुआ नजर आता है और जो निराशावादी होता है उसको आधा गिलास खाली नजर आता है। खाली व्यक्ति को, खाली मस्तिष्क को खाली दुनिया नजर आती है। मुझे आश्चर्य है कि हमारे नेता विरोधी दल जो स्वयं शासन में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, हमारे दूसरे नेतागण भी माननीय कल्याण सिंह, जनता पार्टी के रेवती रमण सिंह माननीय कौशिक जी इन सबके जैसे महान व्यक्तियों के सान्निध्य में मुझे बैठने का अवसर मिला है और सन् 74 से 77 तक सन् 80 और सन् 85 में मेरा यह चौथा टर्म है, एक नजर से कार्य करते देखा है। मैं इस लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी दृष्टि की अपेक्षा करता था कि शासन ने जो अच्छे कार्य किये हैं, उनकी तरफ आपने क्यों नहीं देखा।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार यहां पर अहमदनगर जैसी प्रणाली लागू की है--लखीना पद्धति। अब आप कहेंगे कि यह प्रणाली क्या है। यह पद्धति महाराष्ट्र के लखीना नामक कलेक्टर ने लागू की थी। अहमदनगर में कलेक्ट्रेट में फाइलों के ऊपर धूल जम जाती थी, इस बात का प्रयोग किया गया कि साफ सुथरी और अच्छी कार्य प्रणाली के अन्तर्गत कर्मचारियों की दक्षता बढ़ जाती है, कागजों का ठीक से आदान-प्रदान हो जाता है और अन्ततः इसका परिणाम जनता को प्राप्त होने वाली सेवा की शीघ्रता तथा जनता के साथ अच्छे और सम्मानजनक व्यवहार होता है। इस तरह की प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 12 जनपदों में लागू करने का निश्चय किया है। प्रथम चरण में इस प्रणाली को बदायूं, फर्रुखाबाद, नैनीताल, देहरादून, गाजियाबाद, मिर्जापुर, रायबरेली गोरखपुर, रामपुर, सुल्तानपुर, एटा और झांसी जनपदों में चलाया गया है। प्रत्येक मण्डल के एक जिले में यह प्रणाली लागू कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत जनपदों के जिला कार्यालयों में सूचना कक्ष स्थापित करना आवश्यक उपादान जैसे टेलीफोन, इन्टर-काम, आगन्तुकों के बैठने के स्थान, कुर्सियां आदि, स्वच्छ तथा कतिपय जनपदों के भवनों में बिजली के पुराने तारों का बदलना, रिकार्ड रूम में सुधार प्रशिक्षण एवं कर्मचारियों को उत्साहित करना आदि प्रमुख हैं। इन जनपदों में लागू की गई इस योजना की समीक्षा करने के उपरान्त अन्य जनपदों में भी इसे लागू किया जायेगा...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया शान्त रहें ।

श्री गौरी शंकर--

मैंने माननीय सदस्यों की बात ध्यान से सुनी, इस लिये मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी बात भी ध्यान से सुनें । माननीय गौरी शंकर भैइया आपके नाम के आगे भइया लगा हुआ है इसलिये भइया का ख्याल कर मेरी बात सुनने की कृपा करें और अपना नाम सार्थक करें । तो मैं कह रहा था अनुसूचित जाति का जिस तरह से ढिंढोरा आपने पीटा तो जो इस सरकार ने उनके लिये किया है उसकी तरफ आपका ध्यान जाता जो कीर्तिमान इस सरकार ने स्थापित किया है और जो क्रांतिकारी निर्णय लिये गये हैं उनका हवाला दिया होता तो हम आपकी प्रशंसा करते । प्रसन्नता की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय वीर बहादुर सिंह जी के नेतृत्व में भूमि आवंटन के मामले में पात्रता क्रम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऊंचा स्थान दिया है । इसी तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खातेदारों द्वारा अपनी जाति से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में भूमि के ट्रांसफर पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है ताकि समाज के प्रभावशाली लोग उनकी जमीन न खरीद सकें और उनको भूमि-हीन होने से बचाया जा सके । इसी तरह से आपका कृपापूर्ण ध्यान जाना चाहिये था कि अनुसूचित जाति के खातेदारों के सम्बन्ध में यह विधिक व्यवस्था की गयी है कि कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बाद ही अपनी भूमि का अन्तरण अपनी जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति के पक्ष में तभी कर सकते हैं जब अन्तरण के बाद भी उनके पास 3.125 यानी 3 1/4-ए0 अधिक भूमि शेष रहे ।

इसी तरह से एक क्रांतिकारी कदम यह किया गया है जिसमें विधिक व्यवस्था कर दी गयी है कि अनुसूचित आदिम जाति के खातेदारों को भूमि पर किसी व्यक्ति को कोई मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे ।

आपको सराहना करनी चाहिये थी कि अनुसूचित आदिम जाति के खातेदारों के सम्बन्ध में अग्रेतर व्यवस्था यह की गयी है कि उनकी भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों को असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा बलपूर्वक बेदखल किया जायेगा और यदि वह दुबारा कब्जा करता है तो उस दशा में उसके विरुद्ध फौजदारी की कार्यवाही की जायेगी और उसमें उसे कम से कम तीन महीने का कारावास का दण्ड तथा एक हजार रु0 अर्थदण्ड दिया जा सकेगा । यदि फिर अध्यासन करेगा तो अपराध को संज्ञेय तथा अजमानती बना दिया गया है ।

तो यह कीर्तिमान हमारी सरकार ने स्थापित किया है जिसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये था । इसके अलावा राजस्व परिषद् में हमने माइक्रोफिल्म की व्यवस्था की है । पूर्वांचल जिलों में हमने मुख्य राजस्व अधिकारी की व्यवस्था की है । इसी तरह से सीलिंग के वादों में जो प्रक्रिया थी उसमें काफी विलम्ब हो जाता था, जिला जजों के पास कार्य अधिक होने से भूमि सम्बन्धी मामलों का निस्तारण समय से नहीं हो पाता था तो उसमें हमने अपील का अधिकार जिला जज से लेकर मण्डलायुक्त को दे दिया है । इस बात की आपको सराहना करनी चाहिये थी । इसी तरह गांव समाज की भूमि के सम्बन्ध में जो इंदराज के लिये कलेक्ट्रेट और तहसील में जाकर वहां चक्कर काटने पड़ते थे उसको खतम करके वह अधिकार कानूनगो को दिया गया है । इस तरह से जो सीलिंग की भूमि के आवंटी हैं उनको इससे लाभ मिल सकेगा ।

अभी-अभी आपके समक्ष हमने जो एक सितम्बर, 1986 को उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है जिसमें आपका कृपापूर्ण समर्थन मिलेगा उस पर आपको जरूर दृष्टिपात करना चाहिये था । तो यह माननीय

वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है ।

मान्यवर, सीलिंग भूमि के आवंटियों को जिस तरह का अधिकार दिया गया है उसी तरह से गांव समाज की भूमि के सम्बन्ध में दिया जा रहा है । अनुसूचित जाति के लोगों का जिस जमीन पर 30 जन, 85 तक कब्जा था उसमें उनको कानूनी अधिकार हम देने जा रहे हैं । इससे ज्यादा और क्या क्रांतिकारी कदम हो सकता है । इसको आपको प्रसंशा करनी चाहिए थी । इसी तरह जहां कोई मकान या झोपड़ी बना लेता था और गांव में बड़े-बड़े लोग उनको 10 गालियां सुनाते थे और कहते थे कि तुम्हारी झोपड़ी और मकान ध्वस्त कर दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में यह क्रांतिकारी कदम उठाया गया है कि 30 जून, 1985 तक जो जहां मकान झोपड़ी बना लिया है उसको कानूनी अधिकारी है और उसको कोई बेदखल नहीं करेगा ।

मान्यवर, इसी तरह सीलिंग भूमि के आवंटियों को "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" बनाया जा रहा है, ताकि उनको भी 3·125 एकड़ तक की जोत भूमि की मालगुजारी के भुगतान से छूट दी जायेगी ।

इसी तरह गांव सभा तथा सीलिंग भूमि के अनियमित पट्टों को भी निरस्त करने के लिए "कारण बताओ नोटिस" दिये जाने की अवधि 9 नवम्बर 1987 तक बढ़ाई जा रही है ताकि प्रदेश व्यापी स्तर पर किये गये अनियमित पट्टों के निरसन में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न हो और अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जा सके ।

मान्यवर, इसी तरह अभी यहां बहुत ही शोर किया बाढ़ और सूखे के सम्बन्ध में । तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने 3 अप्रैल, 1986 को निर्देश जारी करके अपने नेतृत्व में मीटिंग किया था उसमें कहा था कि सभी नहरों को रोस्टिंग से चलाने की व्यवस्था की जाय और नलकूपों को भी अधिक से अधिक चलाया जाये । सिंचाई विभाग के क्षेत्राधिकारी दौरा करें । बड़ी पम्प नहरों को विद्युत उपलब्ध कराई जाये और विद्युत आपूर्ति ठीक हो सके इसके सम्बन्ध में निर्देश जारी किये हैं ।

मान्यवर, स्टैंडिंग आर्डर्स हैं कि इस तरह का कोई दैवी आपदा आये तो जिला अधिकारी तीन महीने तक वसूली स्थगित कर दें और यदि वह समझते हैं कि आगे भी स्थगित करना आवश्यक है तो उसका बोर्ड आफ रेवेन्यू में प्रस्ताव भेज दें और फिर शासन स्तर पर छूट दे दी जाये । मान्यवर, मथुरा जिले में 7 वर्षों तक लगातार इसी शासन ने लाखों रुपये की छूट दी है जिसके सम्बन्ध में श्री सरदार सिंह जी को मालूम होगा । मान्यवर, सूखा जहां-जहां पड़ा है, 26 जिलों से सूचना आयी है, और अन्य जिलों जहां से सूचनायें आ रही हैं उनको राहत देने के लिये हमारी सरकार ने 8 करोड़ 47 लाख रुपये की धनराशि दे दी है कि इससे काम चलायें, लेकिन सूखे से कोई मरने न पाये । मान्यवर, ए०आ०ई० पी० योजना के तहत जो दिया गया है, जिसकी सूची हमारे पास है, पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जायेगा, इसलिये मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये, यह सूची उपलब्ध करा दी जायेगी जब सूखे पर चर्चा होगी ।

मान्यवर, डाईया ट्रस्ट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने इस पर विस्तार-पूर्वक वर्णन पहले ही कर दिया है । लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने इलाहाबाद विश्व विद्यालय के छात्र जीवन को देखा है । मैं पहले पार्लियामेन्ट चुनाव से सम्बन्धित मीटिंगों से लेकर जनसभाओं, छात्र नेताओं की जनसभाओं में कहा है कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऊपर जो अंगुली उठायेगा और आसमान प

थूकेगा तो वह उसी पर आयेगा वह ईमानदार हैं। उन्होंने स्वयं मुख्य मंत्री बनने के बाद में हाई कोर्ट में अपील किया और अपील करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। आज इस तरह की फिर अनर्गल बात करना, माननीय सदस्यों और नेताओं को शोभा नहीं देता है। डईया ट्रस्ट से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह पाक-साफ हैं और उनकी सदस्यता इस बात की प्रतीक है कि अपने मुख्य मंत्री काल में इस बात का आदेश दिया। और उसको रिट करो, जो अपील करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। गलती आपकी है, पेड़ों को गिनती आप कर रहे हैं और फिर मुआवजे आदि को लेकर इस तरह के बेबुनियादी बखेड़ खड़े करें, यह आपको शोभा नहीं देता है। यह आपके लिए एक शर्म की बात है। इसलिए मेरी आपसे दस्तबस्ता आरजू है, मिन्नत है कि आप इसका विश्लेषण करें। आप एक बात समझ लें कि आने वाली पीढ़ी इस मामले में आपके लिए यही कहेगी कि--

"बड़े शौक से सुन रहा था जमाना,
हम ही सो गये दास्ता कहते-कहते।"

तो एक बात फिर मैं निवेदन करूंगा नेता विरोधी दल से और दूसरे नेताओं से कि जो नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव पर बल दिया है, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको कृपा करके वापस ले लें। और हमारे प्रिय नेता राजीव गांधी ने जो रचना और विकास की आंधी पैदा की है, उसे वीर बहादुर सरकार को बल प्रदान करें, जिसमें हम गली, खेत, खलिहान को जोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकें। मैं पुनः एक बार नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और चाहूंगा कि आप स्वयं विश्लेषण करें ताकि आने वाली पीढ़ी आपको माफ कर सकें।

(व्यवधान)

(श्री शतरुद्र प्रकाश का नाम पुकारे जाने और उनके साथ श्री राजकिशोर सिंह के भी खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष--

राजकिशोर जी, अभी आपको समय दे दूंगा। इस समय बैठें।

श्री राज किशोर सिंह--

20-20 मिनट हर दल के नेता को पहले बोलना था। यह व्यवस्था की गई थी। आपके पूर्व अध्यक्ष जो यही व्यवस्था कर गये थे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी राष्ट्रीय औसत आय की तुलना में घटी है। जबकि पूरे देश में राष्ट्रीय औसत आमदनी 260 रुपया थी, उस समय उत्तर प्रदेश में 248 रुपया थी, यानी केवल 12 रुपया ज्यादा थी और अब 84-85 का आंकड़ा देख लें। इस समय हिन्दुस्तान में 2344 रुपया औसत आमदनी है और उत्तर प्रदेश में 1764 रुपया औसत आमदनी है। 580 रुपया, उत्तर प्रदेश के औसत आय राष्ट्रीय आय के मुकाबले में घटी है और जो 7वीं पंचवर्षीय योजना केन्द्र सरकार को भेजी गई है, उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि योजना के आखिर यानी 1990 के अखिर तक यह राष्ट्रीय आय के मुकाबले में 580 रुपया कम प्रदेश की औसत आय बढ़कर 675 रुपया हो जायगी। मैं कहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम में देश भर में नम्बर एक स्थान पाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय घटती है तो यह शर्म की बात है। एक तरफ औसत प्रति व्यक्ति आय घट रही है और दूसरी तरफ प्रदेश के आई० ए० एस० अफसरों के भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। वीर बहादुर

सिंह ने जब अपनी सरकार की शपथ ली थी तो उन्होंने एक नारा अपनाया था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और उसको खत्म करने में बड़े-बड़े आदमियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस समय उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े अफसर हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जहां एक तरफ औसत आमदनी घट रही है, सारे कानूनों और नियमों को तोड़कर और काले धन का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश में न जाने कितने अफसर हैं जिन्होंने अपनी सम्पत्ति को आनन फानन में बढ़ाने का काम किया ह। गाजियाबाद में ढ़ाई सौ आई० ए० एस० अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके, काले धन से अपनी कोठियां बनवाई हैं। मान्यवर, मेरे पास ढ़ाई सौ ऐसे अधिकारियों की सूची है और सौ-सवा सौ अधिकारियों की तो इस समय यहां मौजूद हैं आप सूची चाहेंगे तो मैं सूची दे दूंगा। लेकिन जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं जिनके बारे में ईमानदारी का डंका पीटा जाता है उनके उदाहरण में देना चाहता हूं। इस सरकार के यहां पर 7 मुख्य सचिव ऐसे रहे हैं जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करके अपनी कोठियां गाजियाबाद में बनवायी है। श्री आर० बी० सक्सेना, ए-10, सूर्य नगर, इन्होंने 358.43 वर्गमीटर जमीन पर अपनी कोठी बनवायी है। इसी तरह से श्री के० एन० श्रीवास्तव, ने आर 2/22, राजनगर में 990 वर्ग मीटर पर अपनी कोठी बनवायी है। श्री सी० के० भट्टाचार्य ने केसी 53, कविनगर में 500 वर्गमीटर जमीन पर अपनी कोठी बनवायी है। श्री गिरीश मेहरा, सी-7 चन्द्र नगर में 834.61 वर्गमीटर जमीन पर, इन्होंने अपनी कोठियां बनवायी है। श्री सूरतदास श्रीवास्तव, श्री पी० के० कौल ने भी अपनी कोठियां बनवायी हैं। श्री एस० के० सहगल, ने बी-8 सूर्य नगर में 668.09 वर्गमीटर जमीन पर अपनी कोठी बनवायी है। इन लोगों ने नियमों का उल्लंघन करके अपने प्लाट खरीदे हैं तथा कोठियां बनवायी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े अफसर हुये हैं। जिस समय माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी इनका नाम ईमानदार अफसरों में लिया जाता था कभी बनारस के जिलाधिकारी हुआ करते थे। एक कस्टम कमिश्नर हैं और एक हैं श्री लाल साहब जो इस समय बिक्री कर आयुक्त हैं, इन तीनों आई० ए० एस० अफसरों ने 9 हजार वर्गमीटर जमीन अपनी पत्नियों के नाम खरीदी ह। 19 जनवरी, 1983 में चकबन्दी के पहले 5 रुपये 30 पैसे वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन ली है। 1985 में चकबन्दी हो गयी तो इन्होंने जहां नेशनल हाइवे है, जहां पर टोयटा कम्पनी बन रही है वहां पर अपनी जमीन स्थानांतरित करवा ली। किसानों की जमीन काट कर इन बड़े-बड़े अधिकारियों को चक दे दिये गये। आज उस जमीन की कीमत 500 रुपये और 1 हजार रुपये वर्गमीटर है। हमारे माननीय वीर बहादुर सिंह जी इसकी जांच करवा लें कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। जिन आई० ए० एस० अफसरों ने मकान बनवाये हैं उन्होंने अपने मकान किराये पर दे दिये हैं। रेजीडेंशियल एरिया में, आवासीय इलाके में वह लोग व्यापार कर रहे हैं। अपनी-अपनी कोठियां इन्होंने किराये पर दे दी हैं। इनकी कोठियों में दफ्तर खुले हुये हैं। मेरे पास ऐसी जानकारी है। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि आयुक्त मेरठ मंडल श्री वी० के० गोस्वामी के सूर्य नगर, ए-12 नम्बर के मकान में जिला सहकारी बैंक का दफ्तर चल रहा है। इसी तरह से श्री जगमोहन लाल बजाज के मकान में बैंक चल रहा है लता सिंह के मकान में बीमा निगम का दफ्तर चल रहा है। श्री बी० डी० त्यागी के मकान में प्रौढ़ शिक्षा का दफ्तर चल रहा है। श्री कर्नेल सिंह के मकान में श्रम विभाग का दफ्तर चल रहा है। श्री डी० एस० बागला, श्रम सचिव के कविनगर के

सी–34 नम्बर के मकान में सहकारी बैंक का दफ्तर चल रहा है। श्री बी० एम० बोहरा के मकान सी–4 में उद्योग विभाग का दफ्तर चल रहा ह। श्री दिवाकर देव जो भूतपूर्व आवास आयुक्त हैं उनके मकान बी–19, सूर्य–नगर में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा का दफ्तर चल रहा है। इसी प्रकार से जिलाधिकारी का जो घर है वह रिटायर आई० ए० एस० के घर को उन्होंने अपना घर बना रखा है। इसी तरह से अनेक लोग हैं जिनके मकान किराये पर चल रहे हैं। मेरे पास इनकी तस्वीरें हैं। इन लोगों ने सवा लाख रुपये मकान बनाने के लिये ऋण लिया है लेकिन 5, 10, 15 लाख रुपयों की कोठियां बनवायी हैं और किराये पर दे दी हैं। रेजीडेंशियल इलाके में सारे दफ्तर चल रहे हैं। वहां पर व्यापार किया जा रहा है। यह आई० ए० एस० अफसर हैं अगर हिम्मत हो तो इनके खिलाफ कार्यवाही करें। आपने कहा था कि चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों न हो भ्रष्टाचार के आरोप यदि उसके खिलाफ लगाये जायेंगे तो उसे बख्शा नहीं जायगा। सवा सौ अधिकारी ऐसे हैं, यह आई० ए० एस० अफसर हैं आप जांच कराना चाहें तो मेरे पास इनकी केहरिस्त मौजूद ह।

मान्यवर, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के सांसद श्री केदार नाथ सिंह हैं यह पहले सरकार में मिनिस्टर भी हुआ करते थे। इन्होंने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये हैं। वह मुख्य मन्त्री जी से मिले थे। उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर आरोप है, भ्रष्टाचारी आदमी है लेकिन प्रधान मन्त्री निवास का इतना दबाव है कि मैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा, माननीय वीर बहादुर सिंह जी से कि जो आई० ए० एस० अफसर भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये। मान्यवर, धर्म देव मिश्र, यह कर्नाटक केडर के आई०ए०एस० हैं। श्री संजय गांधी का चुनाव लड़ाने के लिये इनका कैडर बदला गया। इनके पिता राजा रणंजय सिंह के सचिव रहे हैं। मान्यवर, इनके लिये दबाव डाला जा रहा है कि इन पर कार्यवाही न की जाय इनके खिलाफ आरोप हैं। अगर कोई अमेठी का रहने वाला है और भ्रष्टाचार करता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। बंगलोर में इन्होंने कोठी बनवायी है जिसका 13 हजार रुपये किराया आता है। नोयडा में इनके पिता श्री राम किशोर मिश्रा ने आलीशान कोठी बनवायी है। जो० डी० ए० का 5 करोड़ रुपया विजया बैंक से जमा कराया और इनको इनाम के तौर पर यह गृह आवंटन दिया गया। इलाहाबाद, अल्लापुर में एक मकान अपने छोटे भाई के नाम से 10 कमरों का बनवाया। लखनऊ में माननीय वीर बहादुर सिंह आपकी नाक के नीचे राजधानी में बिन्डसर प्लेस, सरोजनी नायडू मार्ग पर अपनी पत्नी श्रीमती कमला मिश्रा के नाम से बनवाया। यह मकान 19 कमरों का है। 20 हजार रुपया आज तक विकास प्राधिकरण का नहीं जमा किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि इतने गम्भीर–गम्भीर आरोप हैं, भ्रष्टाचार के इतने बड़े–बड़े सबूत हैं। गाजियाबाद में 480 वर्ग मीटर का प्लाट संजय सिंह को दिया। देवी दयाल जो कि इस समय डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने डी०–10, 685, 47 वर्ग मीटर का मकान बनवाया। श्री जी०एल० पुनियां–डी–22, पर मकान बनवाया। श्री अखण्ड प्रताप सिंह ने कीर्ति नगर में के०डी०–76, 600·39 वर्ग मीटर की जमीन ली है। श्री आर० एस० सेठी ने राज नगर आर० 5/49–800·00 वर्ग मीटर की जमीन लिया। श्री सुरेन्द्र सिंह ने के० डी०–53–2415·40 वर्ग मीटर की जमीन लिया। श्री एस० डी० बागला ने के० सी०–50, सूर्य नगर में

565·00 वर्ग मीटर की जमीन लिया । श्री एस0 के0 भटनागर ने के0 एन0-99, कवि नगर में 987·00 वर्ग मीटर की जमीन लिया । श्री जे0 पी0 सिंह ने चन्द्र नगर में मकान बनवाया । श्रीमती नीरा यादव ने राज नगर में आर0 13/11-990·00 वर्ग मीटर की जमीन लिया । श्री सुरेन्द्र मोहन एक हैं सचिवालय प्रशासन के सचिव है, इन्होंने पांच आवासीय प्लाट अपने रिश्तेदारों के नाम से आबंटित कराये हैं ।

मान्यवर, मै कहना चाहता हूं कि क्या आप इन आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? आप एक भी आई0 ए0 एस0 अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप एक भी आई0ए एस0 अधिकारी के खिलाफ जांच करा लीजिए, तथ्य सामने आ जायेंगे । जिन लोगों ने गरीब किसानों की जमीन लेकर भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ आप जांच करा लें । श्री धर्मदेव मिश्र, जोकि गाजियाबाद डेवलपमेंट एथारिटी के उपाध्यक्ष है, आप उनके खिलाफ जांच करा लीजिए, आपके सामने तथ्य आ जायेंगे । श्री केदार नाथ मिश्र पर जो आरोप हैं, वह माया में छपा है । आप उनके खिलाफ कार्यवाही करें, वरना एम0 एल0 एज0 और एन0 पीज0 इसके विरोध में आंदोलन करेंगे । अगर आप कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिये । इन शब्दों के साथ में माननीय मुलायम सिंह यादव जो द्वारा ये अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, अभी कुछ क्षण पूर्व हमारे सम्मानित सदस्य श्री राम सरन जी ने एक बात कही कि ये कश्मीर की महिला हैं । तो मैं यह कहना चाहती हूं कि चाहे महिला कश्मीर की हो, चाहे कन्या कुमारी की हो, चाहे आसाम की हो, चाहे सौराष्ट्र की हो, पूरे देश की महिला एक हैं । कोई भी भेद-भाव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, चाहे कहीं की भी महिला हो, लेकिन माननीय राजीव गांधी की मौसी जरूर हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मेरा आपके ऊपर चार्ज है । आप गरीब विरोधी हैं और किसान विरोधी भी हैं, बल्कि आप महिला विरोधी भी हैं । जितन लोग उधर से बोलें, मैं खामोशी से सुनती रही, लेकिन आप लोग मेरे बोलने में शोर कर रहे हैं । जितने लोगो ने उधर से बोला है किसी नेता के मुख से महिलाओं के विकास के सम्बन्ध में कुछ भी सुझाव सुनने को नहीं मिला । मुझे नाउम्मीद होना पड़ा । मान्यवर, यह जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया है, मुझे क्षमा कीजियेगा, यह अविश्वास का प्रस्ताव न रह कर केवल चरित्र हनन का प्रस्ताव रह गया । चाहे वह नेता हों चाहे वह अफसर हों, यह केवल पूरे प्रस्ताव में एक ही रट लगाये हैं फलाना भ्रष्टाचारी है, फलाने ने गलत काम किया है और कई बार निराधार आरोप दिये गये हैं । माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी कर्तव्यनिष्ठा के लिए, अपनी न्यायप्रियता के लिये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि काश्मीर से कन्या कुमारी तक सर्वप्रसिद्ध हैं और वह सिद्ध कर चुके हैं कि हर व्यक्ति के मन में उनके प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति निष्ठा है, उनके बारे में जो आरोप लगाये गये हैं वह सब निरर्थक हैं । हमारे ग्रामीण विकास मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जी ने उन सब आरोपों का खंडन किया है । बड़े दुख की बात है इस सदन में जिसकी गरिमा का ख्याल रखा जाता है चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, उसका इस तरह से जो व्यक्ति यहां मौजूद नहीं हैं और जो पूरे उत्तर प्रदेश का नेता है, जिसने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाये हैं, उनके खिलाफ इस माननीय सदन में आवाज उठाई जाय, यह सही नहीं है । मैं इसका प्रतिवाद करती हूं । मान्यवर, शुरू से अन्त तक जो बातें कही गई, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के खिलाफ, उसका एक ही कारण है वह यह है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाये हैं । जो भ्रष्टाचारी हैं, जो टैक्सों की चोरी करते हैं जो तस्करी करते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने छापे का इन्तजाम किया है । यह उसी का नतीजा है जो आपके शब्दों में बोल रहे हैं । यह आप नहीं बोल रहे हैं, यह विरोध पक्ष नहीं बोल रहा है यह भ्रष्टाचारियों की आवाज गुन्जायमान हो रही है आपके कण्ठ से ।

(इस समय 5 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

आप भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कहते हैं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइये । आप आगे आइये और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का साथ दीजिये । हमारे माननीय वीर बहादुर सिंह जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, उनका साथ दीजिये, लेकिन एक पक्ष भ्रष्टाचार के आवाज उठाये और दूसरा अनुमोदन करे इसमें विरोधाभास है । इसमें तो मिलकर एक्शन लेना चाहिए । मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी । हमारे प्रदेश में जो सबसे बड़े दीन-दुखी हैं वह हैं एक तो महिला और दूसरे हरिजन । मैं आपसे पूछती हूं कि आपने महिलाओं के लिए अब तक किया क्या है ? आज से कई वर्ष पूर्व जब माननीय चौधरी चरण सिंह जी, जिनका हम सब सम्मान करते हैं जिनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का आदर करते हैं तो उस समय उन्होंने महिला मंगल योजना को एक दम से बन्द कर दिया, जब महिलायें उनके पास रोती हुई गईं, तो उन्होंने कहा आपका काम रसोई घर में है, तो महिलाओं ने कहा हमारा काम रसोईघर में है, लेकिन हम रसोई में आटे की रोटी बनायें या मिट्टी को, उन महिलाओं ने रो-रोकर कहा, लेकिन आपकी पार्टी ने उनके आंसूओं की कोई परवाह नहीं की, लेकिन आज चाहे माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार हो, चाहे सर्व लोक प्रिय, सर्वसम्मानित वीर बहादुर सिंह जी हों ...

श्री विजय सिंह राणा--

आप लज्जित हो रही हैं ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, इन्होंने स्वर्गलोक प्रिय कहा है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

यदि आपत्तिजनक होगा तो कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इन्होंने अभी कुछ दिन हुए निर्णय किया है कि 5 हजार महिलाओं को पुलिस विभाग में लिया जायेगा । यही तो आप लोगों को बुरा लग रहा है । वही तो सारा रोना है कि पुलिस में भी महिलाएं आ गयी ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, एक ही महिला भारी पड़ रही है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभी तो बीसवीं सदी है, 21वीं आने दीजिये । आगे-आगे देखिये होता

है क्या। मान्यवर, वीर बहादुर जी के नेतृत्व में हमने बाल विकास समन्वित योजना में कार्यकत्री से लेकर बाल विकास योजना अधिकरी तक के पद महिलाओं के लिये सुरक्षित कर दिये हैं प्रत्येक वर्कर महिला होगी। मान्यवर, हमारी 17,600 आगन बाड़िया हैं, और इन 17,600 आंगन बाड़ियों में 17,600 महिलाओं को हमने कार्यकत्री के रूप में नौकरी दी है, मुख्य सेविकाओं की नौकरियां दी हैं और सी० डी० पी० ओ० की हमने नौकरियां दी हैं, और पुरुषों का दरवाजा कर दिया बन्द। अब बोलिये यह हालत हो गयी और इसी हाउस में पुरुष लोग आये हाथ जोड़ते हुए कि पुरुषों को आरक्षण दे दीजिये, उनको रोना आ गया।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त कभी आपने विधवाओं के लिये सोचा था। आज हमारे मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर जी की छत्रछाया में 1,22,276 महिलाओं को, विधवाओं को, घर बैठे मनीआर्डर से उनको पेंशन मिल रही है। मान्यवर, हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने जिन्होंने अपने मां के शव पर कहा था कि कल यह मेरी मां थी आज पूरे भारतवर्ष की महिलाएं मेरी मां हैं, तो उनकी भावनाओं का आदर करते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कोई भी निराश्रित विधवा न बचे जिसको कि घर बैठे 60 रुपया महीना पेंशन न मिले, यह हम क्रान्तिकारी कदम उठाने जा रहे हैं। मान्यवर, कन्याओं के विवाह के लिये हमने 1984-85 में हरिजन कन्याओं के विवाह के लिये 3 लाख रुपया रखा था उसको हमने बढ़ाकर 1984-85 में 9 लाख 50 हजार रखा और 950 महिलाओं की, कन्याओं की उसमें शादी की। इस वर्ष आपको जानकर खुशी होगी कि हमने हरिजन कन्याओं के विवाह के लिए 17 लाख 50 हजार रुपये रखे हैं जिससे एक हजार सात सौ पचास कन्याओं की विदाई का आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा।

मान्यवर, जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, उसके विषय में काफी कुछ कहा गया। मान्यवर, जहां तक हरिजन बच्चों की शिक्षा का सम्बन्ध है हमने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है वह यह है कि जो एक से कक्षा आठ तक छात्रवृत्ति इन बच्चों को मिलती है वह सीधे उनके घर पर मनीआर्डर से भेजी जायेगी जैसे विधवाओं और अपंगों की पेंशन जाती है वैसे ही छात्रवृत्ति भी भेजी जायेगी ताकि बिचौलिये खत्म हो जायं। पिछले वर्ष हमने 6 करोड़ 63 लाख रु० 11 लाख 60 हजार लाभार्थियों को दिये। 86-87 में 8 करोड़ 23 हजार रु० रखे गये जिसमें लाभार्थी 12 लाख थे। इस वर्ष हम सब छात्रों को छात्रवृत्ति दे रहे है।

श्री अध्यक्ष—

समाप्त कीजिये। माननीय मंत्री जी आपका समय समाप्त हो गया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूं मान्यवर, वित्त विकास निगम के द्वारा हमने लगभग साढ़े तीन लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ में मैं अविश्वास के प्रस्ताव का घोर विरोध करती हूं।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बीर बहादुर सिंह की सरकार के खिलाफ प्रस्तुत अविश्बास प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। कानून व्यवस्था तो एकदम रामभरोसे पर है। पुलिस का जुर्म इतना बढ़ गया है कि अगर उसको सिलसिलेवार पिछले जनवरी से लिखा जाय तो एक बहुत बड़ा काला पोथा बन जायेगा।

ऐसी-ऐसी घटनायें हुई हैं जो इसके पहले की सरकारों के समय काल में कभी भी नहीं हुई हैं। पुलिस का रवैया जो इस वक्त है वह पूरी जनता के लिये काल है और आज की पुलिस न तो माननीय वीर बहादुर सिंह के वश की रह गई है और न इनके पीछे चलने वाले मंत्रियों के वश की है। वह खुले आम कहते हैं कि चाहे श्री वीर बहादुर सिंह के पास जाओ, चाहे डाइरेक्टर जनरल पुलिस के पास जाओ, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आज स्थिति है कि आज हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा अफसर दरोगा है और दरोगा अपनी झोली में लेकर मंत्रियों को चलता है। उनकी एक बात नहीं सुनने वाला है और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में पुलिस जुर्म बढ़ रहा है। दूसरी तरफ दूसरे मोर्चे पर अभी महिलाओं की बात आई। महिलाओं की तो इस राज के अन्दर कत्तई सुरक्षा है ही नहीं। दिन दहाड़े बलात्कार हो रहे हैं, उनको दहेज के नाम पर जलाया जा रहा है। थानों में उनकी अस्मत लूटी जा रही है। महिलाओं को कहीं से भी कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। आज माननीय स्वरूप कुमारी बख्शी जो चाहें वह वकालत करें लेकिन उसमें कोई दम नहीं है और न तो वह महिलाओं की संरक्षक ही बन सकती हैं और न उनकी हिमाकत ही कर सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार पूरी तरह से निकम्मी साबित हो रही है। स्वास्थ्य के मामले में भी यह सरकार पूरी तरह से निकम्मी साबित हो रही है।

(समय 5 बजकर 20 मिनट पर)

ग्राम्य विकास की योजना पूरी तरह से विफल हो गई है। आवासीय योजना इनकी पूरी तरह से विफल है आवास विकास परिषद् पूरी तरह से विफल है। कोई ऐसा मोर्चा बता दीजिये कि जहां पर इस सरकार की कामयाबी है। कोई भी ऐसा मोर्चा नहीं है जिसमें कहा जाय कि कामयाब हुई है। इसीलिये इस सरकार को माननीय वीर बहादुर सिंह की सरकार को हर गली कूंचे की जनता पूरी तरह से यह कह रही है कि इससे निकम्मी सरकार आज तक उत्तर प्रदेश में आयी ही नहीं। इसलिये ऐसी निकम्मी सरकार को जल्द से जल्द हट जाना चाहिये। यह कोई झूठी बात नहीं है। मैंने अपने राजनीति के 45 साल के जीवन में ऐसी भ्रष्ट और सड़ी गली सरकार तो देखी ही नहीं। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है, जरा गौर करके नजर डालिये। एक घंटे में 1986 में दंगे जनवरी से जुलाई तक 5,305 दंगों के मुकदमें कायम हुए, जबकी पिछले वर्ष 5 हजार के आस-पास थे। कुल 45 दंगे हुए दण्डनीय अपराधों की संख्या पिछले वर्ष 99,899 थी। इस वर्ष 1,37,891 जनवरी से जुलाई के बीच हुए। 1 हजार एक सौ तिहत्तर डकैतियां पड़ीं। सवा घंटे में एक हत्या होती है, उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननवर, ऐसी सरकार को फौरन हटा देना चाहिये और जनता में जा करके फिर से जनादेश लेना चाहिये। अब पुलिस के बारे में क्या बताएं। अभी हाल की घटनाओं पर दृष्टिपात करें। करहना अपने आप में पूरी कहानी बता रहा है। अखबारों में रोज आ रहा है। फैजाबाद की घटना सबके सामने है। फतेहपुर में 13 जून को शिव मंगल नाम का एक जवान, जो डाकुओं की गोली से घायल हो गया था, पुलिस ने उसको ले जा करके मार-मार कर खत्म कर दिया। ये कहते हैं कि ऐसी पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। अभी फैजाबाद में बेवाना में शमसुद्दीन नाम का एक तीस वर्ष का नौजवान अपने खेत जोत रहा था। पुलिस उसको वहां से थाने ले आयी और थाने में उसे मार करके मिट्टी का तेल डाल करके जला डाला। फिर भी आप कहते

हैं कि बड़ी अच्छी सरकार है। ऐसी सरकार दुनिया में न कभी देखी और न सुनी। आप दिखवा लीजिये कि पुलिस कितनी निरंकुश हो गई है। इसको आप नकेल नहीं पहना सकते। नकेल तब पहनाई जायेगी, जब कभी विपक्ष के लोग सत्ता में होंगे। पश्चिम बंगाल में भी सरकार है। वहां पुलिस से कह दिया गया है कि उसका काम अपराध रोकना है, नहीं रोक सकते तो वर्दी उतार ली जायेगी। यहां की सरकार कहती है अपराध करते जाओ, डकैतों से धन लेते जाओ। आज आई० ए० एस० ही नहीं दरोगाओं के भी मकान बन रहे हैं। लाखों की लागत के मकान बन रहे हैं। अभी पिछली बार आपके मुख्य मंत्री ने कहा कि गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, जो बना है, वह माफिया गिरोह और बदमाशों को जेल भेजने और उनको सजा दिलाने के लिये यह अधिनियम बनाया गया है। लेकिन उस गिरोहबन्द अधिनियम का इस्तेमाल कहां हो रहा है उसका इस्तेमाल हो रहा है राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ उनको पकड़ कर जेलों में बन्द किया जा रहा है। न ही गिरोहबन्द पकड़े जा रहे हैं और न समाज विरोधी कार्यकलाप करने वाले तत्वों को पकड़ा जा रहा है। यह है आपके गिरोहबन्द अधिनियम का नतीजा, जो उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है। आपकी सरकार स्वयं फिरकापरस्त बन गयी है। यहां जो सत्तापक्ष के लोग बैठे हैं, हां जो कांग्रेस आई शासन के रूप में है मैं कहना चाहता हूं कि वे स्वयं साम्प्रदायिकता के शिकार हैं।

रामजन्म भूमि का ताला खुलवाया, वह आपने खुलवाया, आपकी सरकार ने खुलवाया और उससे प्रदेश के अन्दर एक साम्प्रदायिकता की आग फैलायी गई। माननीय श्रम मंत्री सईदुल हसन जाकर चादर चढ़ा रहे हैं। दूसरे मंत्री जाकर पत्थरों पर पानी और फूल चढ़ा रहे हैं, विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं विंध्यवासिनी के यहां जाकर सिर मुड़वा रहे हैं। यह कहा जाता है कि हम धर्म निरपेक्ष शासन चला रहे हैं। आप सेक्युलर नहीं हैं। आपकी वजह से साम्प्रदायिकता उत्तर प्रदेश में फैल रही है। साम्प्रदायिकता अगर हमारे प्रदेश में है हमारे देश में है तो वह आपकी नीतियों के परिणामस्वरूप है। आप चाहते हैं कि साम्प्रदायिक दंगे फैले इसलिये कि आप पुलिस जुल्म रोक नहीं सकते। आप महंगाई रोक नहीं सकते। आप शान्ति व्यवस्था बना नहीं सकते। इसलिये आप चाहते हैं कि यह हिन्दू-मुस्लिम लड़ते रहें और हम हुकूमत चलाते रहें और कहते रहे कि हमसे अच्छी सरकार है ही नहीं। कुछ मंत्री लोग अभी अपने भाषण में, जो माननीय वीर बहादुर सिंह के चेले चपाटी हैं, कह रहे थे कि यह बहुत बढ़िया सरकार है बड़ी वाहवाही उसकी कह रहे थे उपलब्धियां गिना रहे थे।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री राजकिशोर सिंह--

मान्यवर, अब मैं शिक्षा पर कहना चाहता हूं। रोज कहा जाता है नयी शिक्षा नयी शिक्षा। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जो नयी दुल्हन आती है पता नहीं वह कहां गायब हो जाती है। मैंने कहा था कि आप 12वीं कक्षा तक फीस माफ कर दीजिये। पश्चिम बंगाल की सरकार ने, त्रिपुरा की सरकार ने 12वीं कक्षा तक फीस माफ कर दी है। दर्जा 8 तक के बच्चों को खाना कपड़ा दिया जा सकता है, वहां तो आप फीस माफ नहीं कर सकते। जो वहां मजदूर हैं गरीब हैं उनके बच्चों को 15 रु० भत्ता दिया जाता है। नयी शिक्षा आप कम्प्यूटर से चलायेंगे और दूसरी तरफ प्रदेश में अधिकांश जगह बच्चों के लिये समुचित साधन उपलब्ध नहीं है शिक्षा के पर्याप्त स्थान नहीं है, भवन नहीं हैं बैठने की जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में 20 हजार प्राइमरी

पाठशालायें जिन पर भवन नहीं है यह कहा गया कि हर ब्लाक में 5 ऐसे स्कूलों को चुना जायेगा जहां भवन नहीं है उसमें भवन बनाये जायेंगे आप बतायें कि वह कब लागू होगी योजना अपने जवाब में। दूसरी तरफ स्वास्थ्य का मामला है। श्री लोकपति त्रिपाठी जी उसके मंत्री हैं और श्री श्याम सूरी जी सचिव। एक बार श्री सूरी जी ने श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल, कबीरचौरा, बनारस का निरीक्षण किया और उन्होंने मरीजों से पूछा, तो मान्यवर, वह अस्पताल नहीं नरक है बल्कि रौरव नरक है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री राज किशोर जी, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राज किशोर सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री किशोर जी, अब आप बैठ जाय। जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री राजकिशोर सिंह--

[× × ×]

(मुख्य मंत्री, श्री बीर बहादुर सिंह, के खड़े होने पर।)

श्री राम सरन--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, पहले सब बोल लें, उसके बाद माननीय सदस्य बोलें तो अच्छा रहेगा।

मुख्य मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह--

इस सदन में पहले भी यह हो चुका है। उसके बाद आप बोल लेना, मैं उनका भी जवाब दे दूंगा।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, हो सकता है, माननीय नेता सदन बीच में बोल सकते हैं। मेरा यह कहना था कि पहले इस पर सभी लोग बोल लेते तब माननीय नेता सदन उन सबका एक साथ जवाब दे देते।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने यहां पर जो अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा, उसे सुना। खासतौर से माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही कि अगर 15 दिनों के लिये एसेम्बली बुला ली गई होती, तो हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाते। मान्यवर, मैं नहीं समझता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव एसेम्बली बुलाने के लिये लाया गया है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि पूरे सदन को कि आज प्रदेश में सूखे की स्थिति काफी गम्भीर है। हमारी तरफ से यह प्रस्ताव है कि 18, 19 सितम्बर, 1986 को यह सदन दो दिन केवल सूखे पर बहस करेगा क्योंकि समस्या गम्भीर है जितने भी यहां पर सवाल आये हैं उनमें यह एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मान्यवर, अभी नेता विरोधी दल जब बोल रहे थे और उसके साथ अन्य नेताओं ने जो अपने विचार यहां पर व्यक्त किये उससे ऐसा लग रहा था कि कोई उत्तर प्रदेश में कुछ दिखायी नहीं दे रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने कभी उत्तर प्रदेश को देखा ही नहीं है। बहुत से लोग उधर के सरकार में भी रहे हैं और बहुत दिन तक यहां विधायक के रूप में भी काम किया है। इसके बावजूद भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं उन्हें नहीं मालूम है कि सरकार का क्या काम है? मान्यवर, सबसे पहले जब यह सरकार आयी तो यह कहा गया कि हम स्वच्छ प्रशासन देने के लिये प्रयास करेंगे। इस प्रदेश में लोग अपना काम समय से नहीं करते थे, जितनी जिसकी ड्युटी थी उतनी काम नहीं करते थे।

हमारी गरीबी का यह बहुत बड़ा कारण है । 13 करोड़ की आबादी के लोग जहां पर रहते हों, जो प्रदेश गरीब हो, उस प्रदेश में जिनकी जिम्मेदारी है इस गरीबी को दूर करने की, जो इस काम के लिये रखे गये हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर वे अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करते हैं तो गरीबी छूमंतर तो हो नहीं जायगी, काम करने से ही दूर होगी । यही कारण है कि विधान सभा में बाहर का गेट जब बन्द कराया तो काफी रिजेन्टमेन्ट हुआ, लोग नाराज हुए । उसका परिणाम यह हुआ कि आज लोग समय से कार्यालय में आते हैं, काम करते हैं । जितना काम करना चाहिए उतना काम करते हैं, जिलों में समय से आते हैं, ब्लाकों में आते हैं, तहसील में आते हैं । यह छोटी बात नहीं है । अगर लोगों को काम करने का अभ्यास हो जाय, अपनी-अपनी जिम्मेदारी महसूस कर लें और काम पूरा कर दें, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है । अगर आप लोग लाइटली लेना चाहते हैं तो ले लेकिन यह सही है कि जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में हमारा प्रदेश प्रथम आया है, उसका कारण यही है कि हमारे अधिकारियों ने कर्मचारियों ने काम किया है । इसीलिये पूरे देश में हमारा प्रदेश प्रथम आया है । इतना बड़ा प्रदेश, जिसमें इतने ज्यादा लक्ष्य रखे गये हों, उसका प्रथम आना बड़ी बात है । यह हरियाणा और पंजाब जैसा छोटा प्रदेश नहीं है । इसे गम्भीरता से देखना चाहिये कि कैसे आया । आपकी सरकार थी 2-3 साल तक, मैंने देखा कि आपने क्या किया है । समय कम है इसलिये मैं उसको यहां उठाना नहीं चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि जो कार्य हो रहा है, उसकी सही समीक्षा की जाय । आपको मालूम है कि जो छठी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा था, जो गल्ले की पैदावार बढ़ाने के लिये खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिये, उस लक्ष्य को बहुत बढ़ा दिया है । हमने कहा कि खेतों की पैदावार बढ़ायेंगे, किसानों की हालत सुधारेंगे । यही कारण है कि इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन हमारे प्रदेश में हुआ है और इतनी पैदावार कभी नहीं हुई । इसी प्रकार खेती के मामले में गल्ले की अधिक पैदावार हुई । सब चीजों के बारे में हम जब विस्तार में जायेंगे तो बतायेंगे कि प्रदेश कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है । हम चाहते हैं कि प्रशासन को कैसे चुस्त बनाया जाय उसके लिये यह भी है कि इतने बड़े प्रदेश को लखनऊ से पूरा नहीं चला सकते । मंडलायुक्तों को अधिकार दिया है । बार-बार मांग आती है, सही भी है कि स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं करा लेते हैं, जनप्रतिनिधियों को काम नहीं सौप देते हैं, इसीलिये हमने निश्चय किया है कि जिला परिषद् के चुनाव कराने जा रहे हैं । जो काम जिला परिषदों को करना है, ब्लाक को करना है, उसे जल्दी से करेंगे । इसी प्रकार हमें देखना है कि ब्लाक स्तर पर कैसे लोगों का सहयोग लें । हमने कहा है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, एक्स-सर्विसमैन हैं उनका कैसे सहयोग लिया जाय । राजनीतिक लोग तो काम करते हैं, साथ ही साथ ऐसे लोग जिनका सहयोग लेकर जनता की सेवा ज्यादा कर सकते हैं, उनका भी सहयोग लेने जा रहे हैं । हमें देखना है कि कैसे इस प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं । यही कारण है कि हम इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रहे हैं और हमने निश्चय किया है कि जिले में, तहसील में, ब्लाक में जो अधिकारी कर्मचारी हैं, हर मंगलवार को अपने-अपने कार्यालय में बैठेंगे, जनता में बैठेंगे और उनकी बात को सुनेंगे तथा उस पर कार्यवाही करेंगे । उनकी दरख्वास्त जो भी होगी, रजिस्टर पर नोट होगी और उसके बाद अगर कोई दिक्कत होगी तो उसकी मानीटरिंग जिलाधीश करेंगे और उसकी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे कमिश्नर भी उसे देखेगा और शासन उसे देखेगा । हम चाहते हैं कि स्थानीय समस्यायें

उसी स्थान पर ही तय हो जाय, इसके लिये हमने आदेश दे रखा है और इस पर सख्ती के साथ अमल किया जायेगा और हमें आशा है कि इस पर तेजी के साथ अमल होगा ।

राजस्व विभाग के अन्तर्गत जो भूमि को लेकर गांवों में झगड़े होते हैं, भूमि के झगड़े कैसे कम हों, उसके लिये भी हमने निर्णय लिया है बहुत बड़ा और हमें आशा है कि उससे जल्दी ही फायदा होने वाला है और उससे इस समस्या समाधान हो जायेगा ।

कानून व्यवस्था की बहुत बात उठायी जाती है । आज कुछ साथियों ने यहां पर कहा कि कोई कानून व्यवस्था नहीं है, अराजकता है । मैं कहता हूं कि कानून और व्यवस्था आज के समय में ही है, इतनी अच्छी पहले कभी नहीं थी । आपके समय में तो बिल्कुल ही नहीं थी । बहुत से लोग जबरदस्ती मकानों में कब्जा कर लिये थे, जबकि आज कोई ऐसा नहीं कर सकता है । मैं नहीं कहता कि यह दोष पूरा खत्म हो गया है, अगर कुछ शेष है तो वह अब नहीं कर पायेगा, यदि करेगा तो सरकार उसके साथ सख्ती से निपटेगी । जो पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करेंगे, उन्हें अपने स्थान पर रहने का कोई अधिकार नहीं होगा, यह हमारा निश्चय है । अभी बहुत से लोग यहां कह रहे थे कि जो जहां चाहे रहेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है । इसमें प्रयास किया जायेगा यदि कोई आदमी इससे नाराज होता है तो होता रहे, इसकी चिन्ता हम नहीं कर सकते हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा गिरोह बन्द अधिनियम जब आया तो उसके बारे में काफी लोगों ने कहा कि इसे ऐसे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जायेगा, इसे राजनीतिक लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जायेगा । मैंने कहा था कि राजनैतिक लोगों के खिलाफ इसे इस्तेमाल नहीं किया जायेगा । यह प्रयास किया गया है कि जो इसका पात्र होगा उसके खिलाफ ही इसका इस्तेमाल किया जाय । मेरे पास 11-12 अगस्त तक की फागर हैं जिनके अनुसार 1139 लोगों को इसमें बन्द किया गया है । बात तो बहुत कही जाती है लेकिन शायद आपको मालूम हो कि दो-तीन महीने पहले आपके प्रदेश में कम्यूनल टेन्शन था । आप देखें कि आज इसमें सख्ती न की गयी होती तो ये साम्प्रदायिक तनाव कम नहीं हो पाते । बहुत से लोग जनता के लोगों लूटना चाहते हैं और इस तरह से नेतागीरी करना चाहते हैं । वह समाज के लिये सबसे ज्यादा घातक है । समाज को तोड़ने के लिये जो ऐसे काम करते हैं वे समाज के लिये बहुत घातक हैं । जो तथ्य समाज में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करते हैं वह समाज के दुश्मन है । इस सरकार के समय में सबके साथ एक बराबरी का व्यवहार किया जायेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं बरता जायगा । यही कारण है कि आप देखें कि उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी नहीं कह सकता है कि पक्षपात हो रहा है । कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही है । इस सरकार ने इस बात के लिये तय कर लिया है कि जो लोग माइनारिटी में हैं, अल्प संख्यक हैं, उनको जितना भी प्रोडेक्शन दिया जा सकता है, वह किया जायेगा, और उसको देने का हर तरह से प्रयास किया जायेगा, चाहे वह किसी को अच्छा लगे या न लगे । यह हमारी जिम्मेदारी है । कुछ लोग तनाव पैदा करना चाहते हैं और बोलते रहते हैं तो उसके लिये मैं क्या कह सकता हूं । यही दिक्कत है कि यह लोग यही चाहते हैं कि किसी प्रकार से काम न हो सके, लेकिन हमें करना है । माननीय, यह देखा गया है कि अभी बकरीद का त्योहार हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश में एक जगह भी एक छोटी सी भी घटना नहीं हुई है । इस पर आपका कोई भी आदमी नहीं

बोला है, प्रदेश में 13 करोड़ लोग रहते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, सभी कौम के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं और बिरादरी के लोग रहते हैं और वहां इस प्रकार से शान्ति पूर्वक त्योहार हो जाये इसके लिये आपने सरकार के लिये और सरकार के अधिकारियों के लिये कुछ नहीं कहा, कितनी शांति से हुआ इसके लिये आपको सरकार को प्रशंसा करनी चाहिये, आपने कभी नहीं कहा । अच्छा हो तो आप अच्छा कहें, कहना चाहिये, मैं यही कहना चाहता हूं । आपने जब उठाया तो 2–4 जगहों के इनकाउन्टर की बात कही । जो अभी घटना घटी बस्ती में, करहना में, उसके बारे में कहा । आपको मालूम है, आपने मांग भी की थी कि इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच होनी चाहिये । सी0 आई0डी0 के अधिकारियों द्वारा जांच हो रही है । जो अधिकारी वहां पर प्रभाव डाल सकते थे उनको हटा दिया गया है । हम किसी अधिकारी या कर्मचारी को बचाना नहीं चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी को हम बचाना नहीं चाहते हैं । यह सरकार किसी का पक्ष करने के लिये नहीं है । निष्पक्ष रूप से जो भी कार्य होगा वह करेगी, पक्षपात नहीं करेगी, मैं इसको साफ करना चाहता हूं । आपका आश्वस्त रहना चाहिये कि रामू का पुरवा में जिस दिन घटना घटी आप में से कोई नहीं पहुंचा था, मैं ही वहां पहुंचा था और वहां जाकर जो भी सहायता दी जा सकती थी उसको दिया और उनके प्रोटेक्शन के लिय और उनकी सुरक्षा के लिये इन्तजाम किया । आपने लाइसेन्स के बारे में कहा, तो मैं बताना चाहता हूं कि उसके आदेश कर दिये गये हैं, बन्दूक का लाइसेन्स मांगा तो आदेश कर दिये गये हैं कि दे दिये जायें ।

श्री मुलायम सिंह यादव––

सरकारी पैसे से ?

श्री बीर बहादुर सिंह––

उन्होंने मांगा था । इसी तरह से माननीय नेता विरोधी दल ने गोरखपुर के बारे में उठाया था । अभी यह घटना गोरखपुर में हुई थी, राजघाट थाने में और जल्दी की घटना है । आपको मालूम होना चाहिये उस घटना में दो आदमियों को जेल भेज दिया गया है और उनको 302 का मुल्जिम बना दिया गया है, तो जिसके खिलाफ शिकायत होगी और गलती पकड़ी जायेगी उसको छोड़ा नहीं जायेगा और जो तरीका है उसी तरह से काम किया जायेगा, जो सरकार को करना चाहिये सरकार ने उसको किया, जो अधिकारी थे उनका ट्रान्सफर कर दिया गया है और जिन लोगों का हाथ पाया गया उनको जेल भेज दिया गया, तो जो करना चाहिये वह किया गया । जो भी कर सकते हैं वह करते रहते हैं, जो शिकायत होती है, अगर मालूम होती है, तो उसको तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

मान्यवर, हमें यह भी देखना है कि उत्तर प्रदेश कितना बड़ा प्रदेश है । 10 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और आप जब तुलना करते हैं तो छोटे–छोटे प्रदेशों से इसकी तुलना करते हैं । जब आप इसकी तुलना करें तो यह भी देखें कि यहां की समस्यायें क्या हैं, कितना बड़ा प्रदेश है । मान्यवर, हमारे पास जो क्राइम रिपोर्ट आयी है उसके अनुसार पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 19 जुलाई, 1986 तक जो स्थिति है वह इस प्रकार है––होल्ड–अप्स जो हैं वह 24.5 प्रतिशत कम हुये, डकैती 11.27 प्रतिशत कम हुई, लूट 2.33 प्रतिशत कम हैं और चोरी आदि में 3/4 प्रतिशत की कमी हुई है । इसलिये यह कहना कि यह बढ़ रहे हैं, अपराध कम नहीं हुये हैं, यह मैं नहीं मानता हूं कि अपराध बढ़ रहे हैं । मान्यवर, हमारा प्रयास होगा कि यह अपराध बढ़ने न पाये ।

जो साम्प्रदायिक झगड़े होते हैं उनके बारे में बहुत हल्ला किया जाता है। लेकिन आंकड़ों के अनुसार आप देखेंगे कि जो प्रमुख राज्य हैं उनको 1 अप्रैल, 1986 से लेकर 15 अगस्त, 1986 तक साम्प्रदायिक घटनाओं का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है--उत्तर प्रदेश में 9 घटनायें हुईं जिसमें 11 आदमी मारे गये, महाराष्ट्र में 20 घटनायें हुईं जिसमें 21 आदमी मारे गये, बिहार में 12 घटनायें हुईं जिसमें 22 आदमी मारे गये, कर्नाटक में 5 घटनायें हुई जिसमें 10 आदमी मारे गये और गुजरात में 36 घटनायें हुईं जिसमें 48 आदमी मारे गये। इसे आप देखेंगे तो मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में कम हुई हैं। पता नहीं कौन से आंकड़े आप ले आते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा हैं। इसलिये अगर आप आंखें खोलकर देखेंगे तो सारी बातें दिखायी देंगी और बन्द करके देखेंगे तो कैसे दिखाई देंगी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई बात आप देखें तो सारी बातों को देखते हुये कहें।

मैंने कहा था कि हम दो चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। हम खेती की पैदावार बढ़ायेंगे और उद्योग-धन्धे ज्यादा लगायेंगे क्योंकि अगर लोगों को रोजगार देना है तो उद्योग-धन्धों और खेती की पैदावार को बढ़ाना होगा। वह हम कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि 1985-86 में 314 लाख टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन और जो चावल की उत्पादकता थी, वह 12 क्विंटल के स्थान पर 14 क्विंटल हो गई और गेहूं की 19 से 20 हो गई। हमारा प्रयास यह है कि प्रति एकड़ हमारी पैदावार बढ़े। अगर नहीं बढ़ाते हैं, खाली जमीन देखते हैं तो इससे काम नहीं चलेगा। जब हम प्रति एकड़ पैदावार बढ़ायेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको मालूम है कि छठी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था, हम उस लक्ष्य से आगे हैं। यही कारण है कि छठी पंचवर्षीय योजना में हमने बिजली और सिंचाई के ऊपर ज्यादा ध्यान रखा। मान्यवर, बिजली ऐसी चीज है जिसके बगैर न तो खेती की पैदावार बढ़ सकती है और न उद्योग धन्धे चल सकते हैं और न रोजमर्रे के काम हो सकते हैं। सिंचाई के बगैर पैदावार नहीं बढ़ सकती है। आज सूखा पड़ा है। जहां पर नहरें हैं वहां पर तो पैदावार हो सकती है लेकिन जहां हमारे सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां पर सूखा रहता है। अगर हम अपने प्रदेश में सिंचाई के साधन नहीं बढ़ाते हैं और वर्षा के भरोसे बैठे रहेंगे और इतने बड़े प्रदेश को सुविधा दे देंगे, तो यह सम्भव नहीं है। हमें इसके लिये सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तिलहन और दलहन के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। हम आशा करते हैं कि जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे।

खेती के बाद आपको देखना है कि हमारे पास उद्योग धन्धे हैं। इन 38 वर्षों में जितने हमने छोटे-छोटे उद्योग धन्धे लगाये हैं उसमें जितना रुपया हम दे सकते हैं उतना बड़े उद्योगों के लिये नहीं दे सकते हैं।

अगर एक करोड़ रुपया हम छोटे-छोटे उद्योगों में खर्च करते हैं तो उससे कम से कम 100, 200 लोगों को रोजगार मिलता है लेकिन बड़े उद्योगों में 50 करोड़ खर्च करते हैं तो 100,50 आदमियों को रोजगार मिलता है। जैसे फर्टिलाइजर प्लान्ट लगाते हैं जिसकी लागत 750 करोड़ आती है, लेकिन उसमें रोजगार दो हजार को मिलता है तो अगर उसे छोटे उद्योगों में लगाते हैं तो दो लाख आदमियों को रोजगार दे सकते हैं। हमारा प्रयास है कि छोटे-छोटे उद्योग लगें। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 38 वर्षों में जितने उद्योग लगे थे करीब 1 लाख 10 हजार छोटे-छोटे उद्योग लगे थे उतने हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में यानी पांच साल में लगायेंगे।

इसी तरह से मध्यम और बड़े उद्योग भी हमारे प्रदेश में कम हैं। मेरी यह शिकायत भी है कि हमारे प्रदेश में पब्लिक अंडरटेकिंग जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं हैं जो हमारी गरीबी का कारण है। हमारा प्रयास है कि छठी पंचवर्षीय योजना तक जो बड़े और मध्यम उद्योग लगे 22 सौ 48 करोड़ के वह 7वीं पंचवर्षीय योजना में 7 हजार करोड़ के लगे, यानी, तिगने लगने चाहिये जो हम 38 साल में लगाये हैं उसका तिगुना 5 साल में लगायेंगे। तो यह रफ्तार क्या छोटी है तो उससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा उसे हमने आगे बढ़ाना है बिना इसके वह आगे नहीं बढ़ सकता है।

पहाड़ों में छोटे-छोटे उद्योग जैसे इलेक्ट्रानिक तथा घड़ियों के कारखाने हैं। इसी तरह से बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, मध्य उत्तर प्रदेश है तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां पर ब्लाकों में उद्योग नहीं हैं। अगर इस तरह से उद्योग लगते हैं तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे और जो इस समय गरीबी है वह नहीं रहेगी क्योंकि हमारे पास साधन हैं सुविधायें हैं उस दिशा में हम काम कर रहे हैं मुझे विश्वास है कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

इसी तरह से सिंचाई के लिये परिव्यय ज्यादा रखा है और जितना हमारा परिव्यय है उसका 1/3 हिस्सा बिजली पर व्यय होगा। जैसा इस वर्ष हमारा परिव्यय 21 सौ 50 करोड़ का है उसमें 706 करोड़ रुपया केवल बिजली पर रखा है। यह इसलिये रखा है ताकि बिजली ज्यादा पैदा हो। बिजली को हमें चाहे खेती की पैदावार बढ़ानी है या उद्योग लगाने हैं सब में जरूरत पड़ती है इसी तरह से घर के काम में भी बिजली की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा बिजली देकर हम रोजगार के कार्यों को बढ़ा सकते हैं। आप हमारे अगल-बगल के प्रदेशों को भी देख लें कि वहां कितनी बिजली मिल रही है। जब रबी की पैदावार आई थी तो उस समय किसानों को 15, 15 घंटे बिजली मिली थी उस समय कोई कटौती मिलों में हमने नहीं की। हो सकता है, इस समय कुछ समस्या पैदा हो गयी हो, उसे भी मैं देख रहा हूं कि कैसे उस पर काबू पाया जा सकता है। विद्युत विभाग की ठीक करके जनता की जो दिक्कतें हैं, उसे हम दूर कर रहे हैं।

हमारे सामने बहुत सारी समस्यायें हैं जैसे बाढ़ है सूखा है। इस साल सूखा पड़ा हुआ है पिछले साल इसी समय बाढ़ की समस्या पैदा हो गयी थी। उस समय राम सरन दास जी कहते थे कि यमुना से गांव कट रहे हैं। आज वह मुंह बन्द किये हैं बोल नहीं रहे हैं।

मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा है कि विद्युत उत्पादन में जो प्लान लोड फैक्टर बढ़ा वह 49 प्रतिशत तक पहुंच गया है जबकि इससे पहले 31 प्रतिशत था। अब यह कम हुआ है, कोशिश करेंगे कि बढ़े और 49 से 55 प्रतिशत तक हो जाये।

मान्यवर, अभी नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो कहा कि हमारी विकास दर कम हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि छठी पंच वर्षीय योजना में हमारी विकास दर 5 प्रतिशत बढ़ी है जबकि हमारे देश की विकास दर 4.3 प्रतिशत है। यही कारण है कि सातवीं पंच-वर्षीय योजना में हमने विकास दर 6 प्रतिशत रखी है ताकि तेजी से आगे बढ़ सकें।

मान्यवर, इसी तरह से हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा अपने प्रदेश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सकें और पर्यटन को बढ़ावा देकर लोगों को, काम दे सकते हैं, इसके लिए हमारे जो बुद्धिस्ट एरिया है, जहां विदेशों से यात्री आते है किन्तु वहां उनके लिए सुविधाएं नहीं है जैसे आगरा, मथुरा और जहां टूरिस्ट आते है जैसे पहाड़ वहां हम ज्यादा सुविधायें बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

जहां प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये से कम खर्च करते थे उसको हम बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया है। यह बहुत बड़ा काम है, इससे हजारों लोगों को काम मिलेगा। पर्यटन उद्योग में इस प्रकार उत्तर प्रदेश नक्शे में संसार में आ जाएगा।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने अपने भाषण के दौरान यह भी कहा कि स्थानान्तरण की जो पालिसी है वह 30 जून तक समाप्त हो जानी चाहिये। उनकी बात सही है, यही हमारी पालिसी है और कहा भी था कि 30 जून तक स्थानान्तरण समाप्त हो जाने चाहिए और मान्यवर, ज्यादा से ज्यादा स्थानान्तरण 30 जून तक हो गए। लेकिन कहना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट से जहां जरूरी होता है वहां स्थानान्तरण करना होता है और किया जाता है। लेकिन जो पालिसी है उसके तहत हमने काम किया है केवल थोड़े बहुत जो जरूरी थे वही इधर ट्रांसफर हुये हैं और भविष्य में प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर 30 जून तक ही हों।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने एक चीज और कही है कि मुख्य सचिव इनकी बात नही सुनते है और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के लिए कहा कि 2300 रुपये से 2700 रुपय और 2700 रुपये से तीन हजार रुपये के वेतनमान में, जो वृद्धि किया था, हमने क्रमशः 30 पदों के लिए और 7 पदों के लिये कहा था, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि, वह तो आर्डर हो रहे हैं, उसमें परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है। और उसको कोई बदल ही नहीं सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि वह हुआ ही नहीं? एक उसमें थोड़ी डिले अवश्य हुई। उसके कारण रहे, यह देखना रहा कि वह पद कौन से हैं जिनपर उनको बिठालना है। इसको तय करने में थोड़ा विलम्ब हुआ। पद तो तय हो गये, पद हमने कहा था, जो दे दिया। अब बिठालना प्रशासन का काम है। कोई बात यदि आप समझे नहीं और यह कह दें कि मुख्य मंत्री की बात मानते नहीं है, तो बिना समझे नहीं बोलना चाहिए। मैं वह जो0 ओ0 भी आपको दिखाए दे रहा हूं।

नेता विरोधी दल और अन्य लोगों ने कहा कि यह दिल्ली बहुत जाते हैं। किन्तु मैं देखता हूं कि मुलायम सिंह मुझसे ज्यादा जाते हैं। जब जाता हूं, मैं उनको दिल्ली में देखता हूं। मैं तो मुख्य मंत्री हूं। हमारा तो काम रहता है, मीटिंग रहती है भारत सरकार से। मैं नहीं जाऊंगा तो प्रदेश सरकार का नुकसान होगा। जनता का अहित होगा लेकिन आप क्यों जाते हैं बार-बार यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए जो आप अपनी बात मेरे ऊपर डालना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है।

एक बात यह कही गई कि वायुयान की उड़ान बहुत होती है यह बात आपको समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और मुख्य मंत्री प्रदेश का कितना भी दौरा करके देखरेख करेगा, समस्याओं को देखेगा, पूरे प्रदेश के लोगों से सम्पर्क रखेगा, तब प्रदेश ज्यादा अच्छा चलेगा। यदि मुख्य मंत्री लखनऊ में बैठा रहेगा, तो कोई काम होने वाला नहीं है। क्या आप यह चाहते है कि उत्तर प्रदेश का कोई काम न हो? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह शिकायत आपने क्यों की।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने छोट-छोटे, बेचारे कर्मचारियों की चर्चा की।

(व्यवधान)

जो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उनको राज्य मंत्री वगैरह देखते हैं।

(व्यवधान)

और आपने एक बात कही कि जूनियर इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही हुई और

जूनियर इंजीनियर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लेकर पड़ा हुआ है। हम कोर्ट के आदेश का पालन न करें, तो कैसे चलेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव—

लेकिन सी0 आई0 डी0 जांच का आदेश किसने दिया? जो 317 का मुकदमा था, चार्जशीट लग गई थी, उसके बाद आपने सी0 आई0 डी0 जांच का आदेश क्यों दिया?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसको हम देखेंगे, लेकिन जो आपने कहा कार्यवाही नहीं हुई, तो कार्यवाही जो होनी थी, वह उसके खिलाफ हो गई। लेकिन उच्च न्यायालय से इसने स्टे लिया था। स्टे लेकर पड़ा हुआ है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी प्रकार से अपने जिला इटावा के बारे में उन्होंने कहा है, कोई गिरवर लाल अधिशासी अभियन्ता हैं, तो मान्यवर उसके बारे में जांच कराई गई। एक बात जरूर है, किसी के खिलाफ कोई बात कही जाती है, आज कोई बात कहे तो कल ऐक्शन कैसे हो जायगा। आप कहियेगा, उसकी जांच होगी और अगर कोई बात पायी जायगी तो कार्यवाही होगी। तो मान्यवर, उनके खिलाफ जांच करायी गयी और जांच में आरोप सही पाये गये और उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो गई है। उनको प्रत्यावर्तित करके, अधिशासी अभियन्ता से असिसटेंट इंजीनियर, सहायक अभियन्ता बना दिया गया है। तो कार्यवाही हो गयी है। आप उसके लिए परेशान क्यों हैं। यह बात हमसे पूछ लिया होता या राज्य मंत्री जी से पूछ लिया होता।

मान्यवर, यह कहा गया कि पब्लिक सेक्टर ठीक से नहीं चलता है। पब्लिक सेक्टर के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। कुछ के बारे में तो यह सही है लेकिन सबके बारे में ऐसा नहीं है। कुछ पब्लिक सेक्टर ऐसे बनाये गये हैं, जो बीकर सेक्शन को मदद करने के लिए बनाये गये हैं। हमारा प्रयास है कि हम कैसे बुनकरों को फायदा पहुंचायें, उनको कैसे सूत दे पायें, कच्चा धागा और रा-मटीरियल उनको कैसे मिले, छोटे-छोटे उद्योग लगाने वालों को रा-मटीरियल कैसे मिले और उनको कैसे सुविधायें दी जायं, जो छोटे कमजोर वर्गों के लोग हैं या छोटे-छोटे इन्टरप्रिन्योर हैं उनको कैसे मदद पहुंचायें। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों की मदद करें, वह तो सरकार को करनी पड़ेगी। आप समझें कि हर चीज में सरकार व्यवसाय करेगी, यह ठीक नहीं है। लेकिन यह बात भी देखनी चाहिये कि उसमें जान-बूझकर कोई गलती या गड़बड़ी करने का मौका किसी को न मिले और जिस तरह से ठीक चलना चाहिये इस तरह से हमारी अंडरटेकिंग्स चलें। हमारा प्रयास है, हम इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। हमारे कई पब्लिक सेक्टर जो हैं वह फायदा दे रहे हैं। कुछ ऐसे हैं, आटो ट्रैक्टर का नाम लिया गया, आटो ट्रैक्टर काफी खराब चल रहा है। उसके ट्रैक्टर की जो डिजाइन बनी उसमें कमियां हैं। उसको देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। उसके लिये सोचा जा रहा है। बहुत से हमारे कारपोरेशन मुनाफा दे रहे हैं। आप कहते हैं कि कारपोरेशन इंटरेस्ट वापस नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट से जो लोन लिया है उसका इंट्रेस्ट वापस करते हैं। अभी हमने एक हाई पावर कमेटी बैठायी है सभी कारपोरेशनों के लिये कि जो कमियां उनमें हैं उनको कैसे ठीक करें। उसके सुझाव आ गये हैं। हम देख रहे हैं कि उसमें क्या कार्यवाही कर सकते हैं। उनमें सुधार लाने की कुछ बातें सोची जा रही हैं। उस दिशा में हम तेजी से काम रहे हैं ताकि इनको ठीक कर सकें। आपने बिना जाने कह दिया कि सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव शासन के सामने है। आपने कहा कि इसको समाप्त करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसे समाप्त करने का

कोई प्रस्ताव शासन के सामन नहीं है । हमारा प्रयास है कि ब्यूरो को और सुदृढ़ किया जाय ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

डायरेक्टर वित्त के बारे में बता दें।

श्री वीर बहादुर सिंह--

निदेशक (वित्त) की सेवायें संतोष-जनक न होने के कारण समाप्त कर दी गयी है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

दूसरे आ गये हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसको देखेंगे । मान्यवर, कोई काम नहीं करता है हम उसको बैठाये रहें, पेंशन दें यह अच्छा नहीं है । जो काम करेगा उसी को रखेंगे जो काम नहीं करेगा उसको हटना पड़ेगा । मान्यवर, बहुत सी बातें कही गयी हैं अभी हमारे साथी ने कहा काशीपुर कताई मिल के हड़ताल के बारे में कहा था । मैं उनको बताना चाहता हूं कि काशीपुर कताई मिल में पूरी तरह से हड़ताल नहीं है, आंशिक हड़ताल है । इसके लिए हमने लेबर डिपार्टमेंट से कहा है कि वह वहां पर जाकर देखें और वहां की व्यवस्था ठीक करावें । उसको मान्यवर, हम देख रहे हैं । अभी जब माननीय कौशिक जो बोल रहे थे, तो उन्होंने बहुत सी चीजों के बारे में कहा, बहुत से अच्छे सुझाव भी दिये । मान्यवर, हमें देखना है कि सरकार के सामने दिक्कतें क्या-क्या हैं और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम सरकारी मशीनरी का तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन जब तक हम जनता का सहयोग नहीं लेंगे, तब तक हम पूरी तरह से काम नहीं कर पायेंगे ।

मान्यवर, जब साम्प्रदायिक तनाव फैला था, तो उस समय हमने जिलों का दौरा किया था, उस दौरे का मान्यवर परिणाम यह रहा कि लोगों का सहयोग हमको मिला और सारी बातों की जानकारी लोगों को हुई । हमारा यह प्रयास है कि हम जगह-जगह लोगों का सहयोग प्राप्त करें और जिस तरह से हम और तेजी से काम कर सकें उसके लिए हम प्रयास करेंगे । मान्यवर, अभी एक बात कही गयी बइया चैरिटेबुल सोसाइटी के बारे में । इसका मान्यवर, मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं । मान्यवर, इस सदन में दइया चैरिटेबुल सोसाइटी के बारे में जवाब दिया जा चुका है । मान्यवर, बार-बार उसको उठाने से कोई फायदा होता नहीं है । किसी को राजनैतिक द्वेष की भावना से किसी को बदनाम करने की भावना से उसके बारे में बार-बार कहना अच्छा नहीं । हम प्रदेश के काम के लिए यहां पर बैठते हैं । किसी को लाभ या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बैठते हैं । एक दूसरे की आलोचना में हम सारा समय बरबाद कर दें, यह कोई अच्छी बात नहीं है । इसकी चर्चा आप पहले कर चुके थे । यह मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था कि यह मामला काफी पुराना है । माननीय मुलायम सिंह की सरकार जब थी, तब भी यह मामला था । पता नहीं उन्होंने उस समय इसको क्यों नहीं देखा । अब उनको ध्यान आ रहा है । पेड़ की गिनती उन्होंने ही करवाई थी । तो मान्यवर, यह-यह बातें बार-बार उठाने से कोई फायदा नहीं है और इस ट्रस्ट से श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का कोई सम्बन्ध नहीं है । इसके बारे में हमने साफ कह दिया, तो बार-बार वही बात कहने से फायदा क्या है ? किसी चीज से जिसका कोई सम्बन्ध न हो, उसका बार-बार नाम लेने से फायदा क्या है ? मान्यवर, यह कहा गया कि भ्रष्टाचार है, ऐक्शन नहीं लिया जाता है । मान्यवर, शायद आपको मालूम भी है कि शुरू के दो-तीन चार महीनों तक हमने यह प्रयास किया कि लोगों के खिलाफ सख्ती की जाय । उसके बाद विधान

सभा का सत्र यहां पर चल गया और जिसमें काफी समय इसमें लग गया। मान्यवर, मेरा जो प्रयास था, वह प्रयास जारी है। कोई भी भ्रष्टाचार और गलत काम करने वाला आदमी हो, उसके खिलाफ कार्यवाही जो हो सकती है की जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम एक हजार आदमी के खिलाफ हमने कार्यवाही की है। इतनी कार्यवाही कभी भी नहीं हुई होगी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने शासनकाल में इतनी कार्यवाही नहीं किये होंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मेरे द्वारा बरखास्त किये हुए लोगों को इस सरकार ने रखा है।

श्री वीर बहादुर सिंह--

सरकार का यह प्रस्ताव है कि भ्रष्टाचार को दूर किया जाय और इस प्रदेश के स्वच्छ प्रशासन कैसे आये और किस तरह से हम इस प्रदेश को आगे ले जाय। जहां तक सूखे का सम्बन्ध है, आपको मालूम है कि सूखे का बहुत बुरा असर पूरे प्रदेश पर पड़ा है। तो लोग कहते हैं कि हमारे जिले का नाम लिया जाए। पूरे प्रदेश में सूखे का असर पड़ा है, किसी जिले में ज्यादा हो सकता है किसी में कम हो सकता है। इसलिए इसके महत्व को देखते हुए मैं चाहता हूं कि दो दिन बहस के लिए रख लिए जाएं। माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जायें और जाकर देख लें। यहां बैठकर उल्टा-पल्टा करें यह ठीक नहीं है।

(हंसी)

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगा। सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है, नहर की व्यवस्था की जा रही है। जहां तक यह कहा गया है कि ट्यूबवेल खराब हैं या कहा गया है कि 9 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब हैं, तो मैं इनको दिखवाऊंगा बिजली ठीक से मिले इसको भी देखूंगा। मैंने आदेश दे रखे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके इसके लिए और काम में तेजी लाई जाए। ज्यादा न बोलकर इतना कहना चाहूंगा कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है, वह उसको वापस लेने की कृपा करें।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, अभी जो अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है उसमें मैं चाहता हूं और समझता हूं कि अविश्वास का प्रस्ताव इसलिए पेश किया जाता है उसमें सबके सोचने का अलग अन्दाज होता है। हो सकता है, कुछ दल ऐसे हों जो मान्यता प्राप्त आपके हिसाब से न हों, लेकिन उनको बाहर मान्यता प्राप्त है बाहर की जनता का अविश्वास प्रस्ताव आए इसको हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को इस मंत्रीमंडल पर विश्वास है या नहीं, इसकी वजह से इसको रखना है। इस सदन में सिर्फ दहिया-महिया का सवाल नहीं है।

(शोर)

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह सरकार जो बैठी है जनता की चुनी हुई सरकार है किसी की मर्जी पर यह सरकार नहीं है।

(मेजें थपथपाई गई)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं माननीय नेता सदन का भाषण बहुत गौर से सुन रहा था, मेरे मन में कल्पना थी कि कुछ नई घोषणायें की जायेंगी कुछ नयी उपलब्धियों की जानकारी माननीय मुख्य मन्त्री जो अपने भाषण में देंगे। मैं एक बात से सहमत हू लेकिन खुले संशोधन के साथ, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा प्रदेश की बहुत सी समस्यायें हैं

उसका कारण है इस प्रदेश की विशालता। हमारा प्रदेश बड़ा है इसमें समस्यायें हैं, लेकिन मैं इसमें संशोधन करता हूं कि हमारा प्रदेश विशाल है, दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश के संचालन का दायित्व जिस व्यक्ति पर है उसका व्यक्तित्व बौना है यही समस्या है। अभी मुख्य मन्त्री जी भाषण दे रहे थे उन्होंने आरोप लगाए "मकानों पर कब्जा कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे।" मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। ये आरोप लगाते हैं तो भूल जाते हैं किस पर जा रहे हैं। मान्यवर, एक बात कहना चाहूंगा लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन में लिखा है यह 1983 का है, इस प्रतिवेदन के पृष्ठ-13 पर माननीय मुख्य मन्त्री जी देखने की कृपा करेंगे। पृष्ठ-13 पर लोकायुक्त ने यह सिद्ध कर दिया है। इनकी पार्टी के एक विधायक की लोकायुक्त के पास शिकायत गई मान्यवर, शिकायत यह की गयी कि इन्होंने किसी डाक्टर के मकान पर कब्जा कर लिया। यह परिवाद सिद्ध भी हुआ और परिवाद सिद्ध होने के बाद में दो पंक्ति पढ़े देता हूं अतः यह संस्तुति की गयी कि विवादास्पद भवन का कब्जा तुरन्त प्रतिवादी को प्राप्त करवाया जाय। यह भी कार्रवाई की गयी कि इस सम्बन्ध में ऐसी कोई कार्रवाई करने पर भी विचार किया जाय कि जनप्रतिनिधि भविष्य में इस प्रकार का व्यवहार करें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह बात सही है कि लोकायुक्त ने कहा था तो माननीय सदस्य ने उस मकान को छोड़ दिया है। उन्होंने लिखकर दिया है कि मकान छोड़ दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो लोकायुक्त की रिपोर्ट हमारे पास है इसमें कहा गया है और यह भी संस्तुति की गई है कि इस तरह का कार्य करने पर कार्रवाई किया जाय कि भविष्य में इस प्रकार का व्यवहार जनप्रतिनिधि न करें। सक्षम प्राधिकारी से कार्यान्वियन रिपोर्ट आज तक प्रतीक्षित है। यह माननीय मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह और इनके पहले वाले मुख्य मंत्री ने कहा था कि अब हमने निर्देशित कर दिया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज तक उन विधायक ने मकान खाली नहीं किया है। इसलिए मेरा आरोप है कि गलत सूचना दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है वह मकान जिला कांग्रेस कमेटी का दफ्तर था और आज भी एक पार्टी का दफ्तर जिला परिषद के कार्यालय में चल रहा है। माननीय बुधपाल सिंह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। वह मकान खाली कर दिया गया है और वह मकान अब एक दूसरा आदमी खरीदकर उसमें रह रहा है। इनका कहना गलत है। यदि उस मकान पर उस आदमी का कब्जा न हो तो मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूं। या गुप्ता जी मौके पर जाकर बुलन्दशहर में देखें कि जिस आदमी ने उस मकान को दुबारा खरीदा है आज के समय में कब्जा उसका है या नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शांत रहें।

श्री बुधपाल सिंह "खुर्जावाले"—

अध्यक्ष जी, यह मुझसे सम्बन्धित मामला है क्योंकि मेरा नाम लिया गया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि मकान खाली कर दिया गय है।

श्री अध्यक्ष—

आपका नाम कहां लिया गया है, आप कृपा करके बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कही कि कर्मचारियों के ऊपर सख्ती की जा रही है, जो काम नहीं करते हैं उनको बख्शा नहीं जायेगा यह सब सुनने के बाद मान्यवर, मैं तीन उदाहरण देना चाहता हूं। एक तो एस0 पी0 पीलीभीत का है। एस0 पी0 पीलीभीत ने नेता सदन को गुमराह किया है कि यह बताकर कि नेबरिया में जो हत्याकांड हुआ है उसमें 6 जानें गयीं। हमारे नेता ने, हम लोगों ने उसका प्रतिवाद किया और कहा कि संख्या ज्यादा है। यहां पर केन्द्रीय दल आया और उसने रिपोर्ट दी कि वह संख्या 6 नहीं 27 थी। मुख्य मंत्री जी को जब जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि एस0 पी0 को वहां से हटा दिया जाय। तो क्या यह बतायेंगे कितने दिन के प्रयास के बाद उसको हटाने का आदेश दिया गया। इसी लिए कहा है कि इस समय यहां का प्रशासन, यहां की ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ से निकलकर उनके ऊपर हावी हो गयी है।

दूसरा उदाहरण यह है कि यदि काम किया जाय, इसकी परिभाषा भी मुख्य मंत्री के पास दोहरे स्टैण्डर्ड की है मान्यवर, नगर विकास विभाग के एक संयुक्त सचिव थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने बलराम टावर के मामले में एक स्टेटमेन्ट दिया उनसे वह पत्रावली वापस ले ली गई और बाद में उस नगर विकास विभाग के अधिकार से वह विभाग भी छीन लिया गया। यह है माननीय मुख्य मंत्री का दोहरा मापदंड इसी प्रकार जिस समय बस्ती जिले के नरसंहार की बात हो रही थी माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि हमने सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी करा ली है, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं 1983 में एक फर्जी मुठभेड़ का मामला आया था। अपराध संख्या 266 वर्ष 1983 की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच की गई और सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट शासन को प्रेषित हो गई है और उसमें आपसे अनुमति मांगी गई है कि आप अनुमति दें वहां के सब सिपाहियों, दरोगा, इन्सपेक्टर, गवाह सबके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की गई है। 6 महीने हो गये हैं सी0 आई0 डी0 रिपोर्ट, चार्जशीट आपकी पत्रावली में सड़ रही है। आज तक आप लोगों ने आदेश नहीं दिया है। कहते हैं कि फर्जी मुठभेड़ों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, मैं फर्जी बात नहीं करना चाहता अगर माननीय गृह मंत्री जी कहेंगे तो सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट की कापी भी मैं उनको सदन के बाद हस्तगत कर दूंगा। यह आपके वर्ग कल्चर का नमूना है। एक और उदाहरण है सन् 1982 में मैंने एक कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाया था। कानपुर जिले में एक डिप्टी एस0 पी0 की फर्जी मुठभेड़ में मृत्यु दिखाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि वहां के एस0 पी0 ने ही गलत ढंग से उसकी हत्या करवाई है। उस समय स्वरूप कुमारी बख्शी जो गृह मंत्री थीं उन्होंने कहा कि नहीं लेकिन मान्यवर, हाथ कंगन को आरसी क्या। मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और सी0 आई0 डी0 द्वारा इन्क्वायरी हुई और सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी में यह पाया गया कि उसमें एस0 पी0 का हाथ था लेकिन आपने उसको कानपुर महानगर का एस0 एस0 पी0 नियुक्त कर दिया है यह आपका वर्ग कल्चर है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे, माननीय नेता विरोधी दल की किसी बात का उदाहरण देकर कि हमने कार्यवाही कर दी लेकिन हाईकोर्ट आड़े आ गया। अगर हाईकोर्ट में आपका सम्मान है तो मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा एक उदाहरण माननीय स्वास्थ्य मंत्री को उत्तर प्रदेश के एक लाख लोगों को केन्द्र सरकार के आदेश के अनुसार हटा दिया गया। मैंने 26 तारीख को विधान सभा में सवाल किया था लेकिन उसके बाद कर्नाटक के निर्णय के अनुसार केन्द्र

सरकार का एक आदेश आया जिसमें लिखा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के कारण आगे आदेशों तक के लिए उन सबको सर्विस से निकालने की कार्यवाही रोक दें। उस कागज की भी फोटो स्टेट कापी है मेरे पास लेकिन सदन का समय कम लेने के कारण मैं उसको यहां उद्धृत नहीं कर रहा हूं। मुझे जानकारी मिली है कि आपने रोकने की बात कर दी लेकिन आपके जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने आपकी बात नहीं मानी और वह फिर दिल्ली गये हैं। दूसरी बात मैं माननीय नगर विकास मंत्री के बारे में कहना चाहूंगा। माननीय नगर विकास मंत्री जी सुन लें। इनके यहां कुछ जिला परिषद में कार्यधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, जिनको निकाल दिया गया। वे लोग हाईकोर्ट में गये तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया "पिटीशनर शुड बी पेड देयर सेलेरी एण्ड बी कान्टीन्यूड आन देयर पोस्टस"। अर्थात् वह अपने काम पर चलते रहेंगे और तनख्वाह मिलती रहेगी। नगर विकास मंत्री जी ने उनको सेलेरी दे दी, पोस्ट दे दी, लेकिन काम नहीं दिया। इस तरह से ये हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं। इसी सब कारणों से हम यह अविश्वास प्रस्ताव यहां पर लाये हैं। दइया चेरिटेबिल ट्रस्ट के बारे में अलग अलग-अलग लोगों ने अलग-अलत बातें कहीं। मैं नेता सदन, की बात सुन रहा था। राजस्व मंत्री जी की भी बात सुनी। मैं तो समझता था कि राजस्व मंत्री खड़े हुए हैं तो पत्रावलियों को देखकर सत्य बतायेंगे। पेड़ों की गिनती हो या और कोई मामला हो, बतायेंगे कि यह आरोप सही नहीं है। लेकिन उन्होंने ने बताया यह कि विश्वनाथ प्रताप सिंह बड़े ईमानदार हैं। हिमालय से लेकर कन्या कुमारी तक ईमानदार हैं अंग्रेजी में एक कहावत है जिसके अनुसार हर आदमी तब तक ईमानदार है, जब तक उसके विरुद्ध कोई बात साबित न हो जाय। इसी सदन में मैंने ही उनसे कहा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह बड़े प्रतिभाशाली हैं और उनका बड़ा शानदार व्यक्तित्व है, लेकिन आज उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है। उनकी ईमानदारी कलंकित हो गई है। एक बात कही गयी कि जनता पार्टी की सरकार के दौरान पेड़ों की गिनती की गयी थी। हम यह स्वीकार करते हैं कि जनता पार्टी ने गलती की, उसके लिए जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कीजिए। इसके लिए जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है, इसकी जांच के लिए एक समिति बना दीजिए, जिसमें प्रतिपक्ष के लोगों के नाम हमने दे दिये हैं। आप समिति बना दीजिए, वह समिति जा करके श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से सम्बन्धित दइया चेरिटेबिल ट्रस्ट पर लगे आरोपों की जांच करके उसकी रिपोर्ट सदन में दे दें, स्थिति साफ हो जायेगी। आज के इस प्रकरण से श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ईमानदारी की साख टूट चुकी है मैं एक बार फिर इस बात पर बल देते हुए कि माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तावित कमेटी का गठन तत्काल कर दें, मैं आज प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

श्रीमन्, जैसा कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में बताया कि आज जब राष्ट्र तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है तो हर तरफ बिजली की आवश्यकता भी तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और इसने क्षेत्रफल को देखते हुए जो इस समय हमारा विद्युत उत्पादन है, उसके विपरीत कहीं अधिक हमारी विद्युत् की मांग है और किस तरह से हम अधिष्ठापित क्षमता से अधिक से अधिक उत्पादन करके विद्युत् की आपूर्ति कर सकें और उपभोक्ताओं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को संतुष्ट कर सकें, हमारा यह प्रयास पूरी तरह से जारी है। मैं बताना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने 20 वर्ष पुरानी मशीनरी से अधिक से अधिक विद्युत का उत्पादन किया है और इन पुरानी इकाइयों की क्षमता को हम किस तरह से बढ़ाए इसके लिये हमने एक तीन वर्ष का कार्यक्रम बनाया है, जिसके द्वारा इनका हम नवीनीकरण करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, निरंतर मांग बढ़ती जा रही है और जब मांग से बराबर उत्पादन नहीं हो पाता है तो उपभोक्ताओं को कठिनाई होती है। आज आप सब जानते हैं कि सूखे की मांग कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिये काफी अधिक बढ़ गयी है। जबकि आप देखें पिछले वर्ष इसी माह में बिजली की मांग जहां 44-45 मिलियन यूनिट स्थिति में बिजली की प्रति दिन तक सीमित थी इस समय बढ़कर 52 से 54 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूखे के कारण इस समय किसानों के लिये बिजली कितनी आवश्यक है उनकी मांग कितनी जायज है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस बात का कि जो हमारे उप केन्द्र हैं उनके द्वारा हम किसानों को जितनी विद्युत देने की घोषणा करते हैं उतनी बिजली दी जाय। पुरानी हमारी वितरण व्यवस्था का एक जाल बिछा हुआ है उसके नवीनीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। हमारे उप केन्द्र, जिनकी क्षमता के अनुरूप कहीं अधिक भार उस क्षेत्र में स्वीकृत हो चुका है, उसको देखते हुए हम उपकेन्द्रों की क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे उप केन्द्र जिनसे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंचती है लगभग 700 हैं उन उप केन्द्रों की क्षमता निरन्तर बढ़ा रहे हैं। मांग को देखते हुए अगर आज नहीं बढ़ाते हैं तो आने वाले 5 वर्षों में एक उप केन्द्र वहां बढ़ाना होगा या उसी की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। मान्यवर, जैसे ही बिजली की मांग बढ़ती है यह इस बात का प्रतीक है कि हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं पिछले वर्ष की अपेक्षा हम लोगों ने विद्युत उत्पादन इस वर्ष कहीं अधिक किया है। जहां पिछले वर्ष अगस्त माह में ही 504 मिलियन यूनिट का उत्पादन इस वर्ष 603 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया गया। यही नहीं एक अप्रैल, 1985 से 31 अगस्त, 1985 के बीच हमने 2,900 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया इस वर्ष 3,600 मिलियन यूनिट उत्पादन किया। लेकिन सूखे के प्रभाव के कारण कठिनाई आ गयी है।

मान्यवर, अगर किसी तरह की कटौती उद्योगों पर लगाते हैं तो श्रमिकों का हित सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं पर किसी तरह की कटौती लगाते हैं तो भी कठिनाई आती है। जहां तक शहर का प्रश्न है और कस्बों का प्रश्न है विद्युत कटौती नहीं कर रहे हैं। लेकिन, जो मांग निरन्तर बढ़ रही है ऐसी स्थिति में, उसके लिये आपातकालीन कटौती के सहारे हम विद्युत आपूर्ति को बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक विद्युत की मशीनों का सवाल है, इस समय हमारे पास कम संख्या में उपलब्ध हैं। यही वर्षा ऋतु होती है जुलाई, अगस्त, सितम्बर जब हम अपनी तापीय इकाइयों के वार्षिक रख-रखाव के लिये खोलते हैं अगर इस समय हम रख-रखाव पर कार्य न करें तो आगे आने वाले समय में जब हमें तापीय विद्युत से विद्युत आपूर्ति करनी होगी तब हमारे सामने कठिनाई होगी। इस समय जल विद्युत के सहारे जो कमी है उसकी पूर्ति करके तापीय इकाइयों की मरम्मत का कार्य कराते हैं। इस समय हमारे पास तापीय इकाइयों कम हैं लगभग 800 से 1100 मेगावाट की तापीय उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि किसानों को हम सबसे पहले हम उनकी आवश्यकता की बिजली की पूर्ति करें लेकिन जैसा अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा यह मैं कहना चाहूंगा कि हमारे उपकेन्द्र पर जो अतिरिक्त भार है उसके कारण

बहुत से क्षेत्रों में हम 10 घंटे की बिजली देने की स्थिति में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि 10 घंट बिजली दें लेकिन अतिरिक्त भार होने के नाते उस केन्द्र को वितरित करना पड़ता है 2 हिस्सों में, इसलिए कम बिजली किसानों को दे पा रहे हैं। सूखे से निपटने के लिये हम योजना तैयार कर रहे हैं। जिस पर हमारी सरकार को ही निर्णय लेना है और कोशिश इस बात की होगी कि हम 10 घण्टे के बजाय 12–15 घण्टे तक ग्रामीण क्षेत्रों म बिजली दें, यदि आवश्यकता पड़ी तो उद्योग पर से कटौती करके हम किसानों को विद्युत् आपूर्ति करेंगे जिससे वह सूखे की स्थिति से निपट सकें।

माननीय, जब श्री रेवती रमण सिंह जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि वह मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि बड़ा भाई कभी भी छोटे भाई पर अविश्वास नहीं करता है। उन्होंने कहा अपने कार्यकाल के बारे में, जब वह इस प्रदेश के ऊर्जा मंत्री थे तो उस समय प्लान्ट लोड फैक्टर 41.6 प्रतिशत था, लेकिन हमने इस बात का प्रयास किया है कि प्लान्ट लोड फैक्टर 47 से 50 प्रतिशत तक रहे। यदि हम 15 परसेन्ट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन उसी क्षमता से करते हैं, जो हमारी क्षमता पिछले वर्ष थी, तो यह इस बात का प्रतीक है कि विद्युत् उत्पादन अधिक हो रहा है। मैं माननीय श्री शतरुद्र प्रकाश, जो को स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 49 प्रतिशत की बात कही है, वह सिर्फ एक महीने का है। फरवरी, मार्च और अप्रैल में यदि हम प्लान्ट लोड फैक्टर को 50 परसेन्ट रखेंगे तभी हम पूरे वर्ष औसतन 45 से 47 परसेन्ट तक प्लान्ट लोड फैक्टर रख पायेंगे।

दरों में वृद्धि की बात यहां पर कही गई। हम भी इस बात के इच्छुक नहीं थे कि अपने किसान भाईयों पर व बिजली के अन्य उपभोक्ताओं पर बिजली की दरें बढ़ावें। लेकिन माननीय, 1 नवम्बर, 1982 को जब पुनर्वीक्षण हुआ और तब से जनवरी, 1986 तक तापीय विद्युत् उत्पादन व रा–मैटीरियल में जो वृद्धि हुई है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। कोयले में 28.5 प्रतिशत की वृद्धि, लोहा व इस्पात में 38.2 प्रतिशत की वृद्धि, मिनरल आयल में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि, सीमेन्ट में 41 प्रतिशत की वृद्धि मशीनरी एवं परिवहन संयंत्रों में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि, फर्निस आयल में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हम तापीय विद्युत् उत्पादन करते हैं, उस पर हमारा खर्च 69 पैसे प्रति यूनिट आता है और उसके बाद वितरण करने में हमारा जो खर्च आता है वह 82 पैसे प्रति यूनिट आता है। किसानों से हम केवल 32 पैसे प्रति यूनिट नलकूपों पर ले रहे हैं और इस प्रकार हम उनको 50 परसेन्ट सब्सिडी दे रहे हैं। घरेलू उपभोक्ताओं से 70 पैसा प्रति यूनिट ले रहे हैं 70 पैसे से 1.10 पैसे की जो बात कही गई है दरों में वृद्धि की, उसका उल्लेख हमारे पुनर्वीक्षण में कहीं पर भी नहीं है। जहां तक मुझे लगता है 57 पैसे से 70 पैसे जो हुआ है, उसका जिक्र कर रहे थे। इस सम्बन्ध में भी पूरी तरह से प्रयास इस बात का रहा है कि किसी तरह का अतिरिक्त भार उपभोक्ताओं पर न डालें। बिजली के खर्चे को कम करके, प्रोडक्शन कास्ट को कम करके किसी तरह से उपभोक्ताओं पर मार न डालें। चोरी के सम्बन्ध में भी माननीय नेता, विरोधी दल ने कहा था। मैं माननीय नेता विरोधी दल के सूचनार्थ और अपने माननीय सदस्यों को बताने के लिये कहना कहूंगा कि 1–1–84 से 15–7–84 के बीच 7716 रेड्स किये, जिसके द्वारा 770 केसेज डिटेक्ट हुए और 14 लाख रु0

की चोरी को पकड़ा। 1-1-85 से 15-7-85 के बीच 6983 छापे डाले, 1090 केसेज पकड़े और 15 लाख रु० की वसूली की। 1-1-86 से मुख्य मंत्री माननीय बीर बहादुर सिंह ने एक नया अधिनियम दिया जो चोरी को किस तरह से पकड़ें और कम करें, इस विषय में बताता है। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी भी सम्मिलित हों तो उनको भी वही सजा दी जाय जो उपभोक्ताओं को देते हैं। पहले हमने मौका दिया उपभोक्ताओं को कि अगर अनियमित कनेक्शन्स हैं तो रुही करायें। उसमें लगभग 30 हजार से अधिक लोगों ने वालण्टरी डिस्क्लोजर किया और सामने आये, 30 हजार चोरी करने वाले सामने आ गये। उनके सब कनेक्शन्स को नियमित कर 1-1-86 से 15-7-86 के बीच 11777 छापे डाले, 2047 केसेज पकड़े और 55 लाख रु० की वसूली की। इस तरह से अगर आप देखें तो चोरी के मामले में भी यही प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक मौका दे दें कि वह अपने कनेक्शन्स को नियमित करा लें या नहीं कराते हैं तो छापे डालकर पकड़ने की कोशिश की जायेगी।

लाइन लासेज के बारे में कहा गया कि 40 प्रतिशत लाइन लासेज हो रहे हैं। पता नहीं कहां से यह फीगर आपको प्राप्त हुई है। भारत सरकार का जो विद्युत् प्राधिकरण है, सेण्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी है, उसके द्वारा जो सर्वेक्षण होता है और रिपोर्ट बनाई जाती है उसके अनुसार 84-85 में 20·8 प्रतिशत थी और वर्ष 1985-86 में 20·5 प्रतिशत था, जबकि राष्ट्र का औसत 21 प्रतिशत है। हमारा राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम यह नहीं चाहते कि यह और कम न हो, बल्कि हम इसके लिये सतत् प्रयत्नशील हैं। आशा है कि 18-19 प्रतिशत तक लाइन लासेज को ले आयेंगे और वितरण व्यवस्था को मजबूत करेंगे। 400 किलोवाट और 220 किलोवाट के सब-स्टेशन बनायेंगे, पारेषण लासेज इससे कम होंगे। जब वह कम होंगे तो लाइन लासेज की भी कमी होगी। यह मैं इसलिये बताना चाहता हूं कि यह एक टैक्निकल विभाग है, सभी को जानना चाहिये।

मीटर के सम्बन्ध में माननीय नेता, विरोधी दल ने कुछ शिकायत यहां पर की। उन्होंने कहा कि 30 प्रतिशत से अधिक मीटर खराब हैं।

(श्री जनार्दन प्रसाद झा एवं विरोधी पक्ष के कई अन्य सदस्यों के एक साथ खड़े होने से व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि केवल 15 परसेन्ट मीटर खराब हैं क्योंकि उनकी एनालिसेस की जाती है जिसमें कि 10 परसेन्ट मीटर डिफेक्टव हैं इसमें 5 परसेन्ट ऐसे भी मीटर शामिल हैं जिनके उपभोक्ता नहीं मिलते हैं, उनको भी गिनती इसमें शामिल है। डिफेक्टिव मीटर बदलने के लिये 25,000 मीटर क्रय करने की योजना तैयार की गयी है ताकि जो मीटर खराब हैं, उन्हें हम परिवर्तित कर रहे हैं।

(इस समय 6 बजकर 37 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

एक बात और बताना चाहूंगा कि इस समय उत्तर प्रदेश में सात परसेन्ट विद्युतीकरण दिया जा चुका है। 66,000 गांवों में विद्युतीकरण किया गया है जबकि अभी हमारा लक्ष्य 19,804 ग्रामों में विद्युतीकरण करने का है और उसे प्राप्त करने के लिये हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

यहां ट्रान्सफर्स के सम्बन्ध में भी कहा गया था। नेता विरोधी दल ने कहा कि उनको सन्देह है कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, असिसटेन्ट इंजीनियर्स के ट्रान्सफर में फेर-बदल कर दी जाती

है । मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि यदि कहीं थोड़ी बहुत ट्रान्सफर में तबदीली हुई है तो वह राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण से यह माडीफिकेशन हुआ है इसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं हुआ है ।

नेता विरोधी दल का भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी परिवार में किसी समारोह के अवसर पर या किसी शादी विवाह में सारे साधन परिवार के लोग एकत्रित करते हैं कि शादी अच्छी तरह से सम्पन्न हो जाय । उसी तरह से हम लोग सारे साधन जुटाते हैं कि शासन का कार्य अच्छे से अच्छा चले । आपने देखा होगा कि शादी में जो बाराती आते हैं उनकी पूरी खातिर की जाती है लेकिन जब बिटिया बिदा होती है तो जहां कुछ बराती प्रशंसा करते हैं कि बड़ी अच्छी खातिर हुई, सारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, वहां कुछ उनमें ऐसे बाराती भी शामिल होते हैं जो यह कहते हैं कि खाना नहीं अच्छा था या रहने का प्रबन्ध ठीक नहीं था । तो मैं नेता विरोधी दल को उन्हीं बारातियों की श्रेणी का समझता हूं । जैसा कि अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम चाहें जितना अच्छा कार्य करें, आप कहेंगे जरूर । तो मैं नेता विरोधी दल को उन्हीं बारातियों की श्रेणी में गिनती करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ में उनके द्वारा लाया गया जो अविश्वास का प्रस्ताव है, उसका कड़ा विरोध करता हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अभी माननीय ऊर्जा मंत्री ने चोरी के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े पेश किये । मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहूंगा कि जिस शहर से आप आये हैं गोरखपुर से वहां के बारे में मैंने पहली तारीख को आपको एक सूचना दी थी शुगर मिल घुघली के इंजीनियर ने एक लाख रु0 से ज्यादा का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का केबिल चुराया है और जिसे पुलिस ने पकड़ा है । मैंने कहा कि छापा मारा जाय । कर्मचारियों के द्वारा गोरखपुर में इस तरह से हेराफेरी होती है । मेरी सूचना पर न तो एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई और न यह अवैध रूप से बिजली की चोरी पकड़ी गयी ।

श्री उपाध्यक्ष--

ओझा जी, आप अपना स्पष्टीकरण पूछिये बस ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय ऊर्जा मंत्री जी बात कर रही हैं, मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हैं । चोरी का मामला पकड़ा गया और उसके यहां पर अनधिकृत रूप से बिजली का कनेक्शन भी पकड़ा गया, उसके बारे में शिकायत हुई, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने एक जानकारी चाही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय ऊर्जा मंत्री जी सुन तो रहे हैं, अगर देना चाहें तो देंगे । द्विवेदी जी, आप बैठिये ।

श्री फजलूल बारी--

मान्यवर, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उस पर आप अपना निर्णय दे दें....

श्री उपाध्यक्ष--

बारी साहब इस तरह से कैसे काम चलेगा । इससे तो आप का ही समय जा रहा है । एक आदमी को बोल लेने दें, सभी लोग एक साथ कैसे बोल सकते हैं ।

(व्यवधान)

सभी एक साथ तो नहीं बोल सकते हैं। सभी को मैं बुलवा दूंगा।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, माननीय बारी साहब ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर आप पहले निर्णय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

*श्री जमुना प्रसाद बोस—

मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी रामू का पुरवा के हत्या काण्ड के सम्बन्ध में कह रहे थे। जब माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर पहुंचे तो मैं भी पहुंचा था और मैंने कहा था कि दो महीने से जो ददुआ गैंग को समाप्त करने का अभियान चल रहा है, यह उसी का परिणाम है और उस अभियान को चुनौती है, और तब उन्होंने कहा था कि यह चुनौती नहीं है और कहा था कि यह आपसी रंजिश के कारण है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बांदा जिले में ददुआ गैंग के खिलाफ अभियान चल रहा था, उसको उसने चुनौती दी थी और इस हत्या काण्ड में 9 आदमी मारे गये। अगर मुख्य मंत्री जी ने वहां से डी0 आई0 जी0 को हटा दिया होता तो यह काण्ड न होता। मैं और रेवती रमण सिंह माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले थे, 9 महीना पहले मिले थे और उनसे अनुरोध किया था कि वहां के डी0 आई0 जी0 को हटा दिया जाये। राधा कृष्ण गोस्वामी जी पहले मंत्री थे उनके साथ भी मैं उनसे मिला था, अगर वहां के डी0 आई0 जी0 को हटा दिया होता तो यह काण्ड न होता। इस तरीके से जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन के ऊपर है। वहां पर नरसंहार हुआ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री के मुंह से एक शब्द निकला 'बुन्देलखन्ड'। मान्यवर, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अंग्रेजों ने उपेक्षित रखा, जिसे कांग्रेस शासन ने उपेक्षित रखा और आज 40 वर्ष हो गये हैं वहां पर बुन्देलखन्ड के 5 जिलों से कम से कम 4 लाख आदमी काम की तलाश में इस वक्त बुन्देलखन्ड को छोड़ चुके हैं। 4 लाख आदमी पंजाब, दिल्ली और गुजरात चले गये हैं, दूसरे प्रदेशों में काम की तलाश में चले गये हैं और घूम रहे हैं। अभी माननीय ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि हमने भूमिहीन रोजगार योजना के अन्तर्गत 7 लाख आदमियों को काम दिया है। आपने 1 करोड़ की आबादी में इतने लोगों को काम दिया होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 55 लाख की आबादी का बुन्देलखन्ड है जहां से कम से कम 4 लाख आदमी एक साल के अन्दर काम की तलाश में उस क्षेत्र को छोड़ चुके हैं। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बुन्देलखन्ड को एक अलग प्रदेश बनाने की जिम्मेदारी होगी तो वह उत्तर प्रदेश के वर्तमान शासन की होगी। गोरखालैंड की चर्चा चल रही है लेकिन जिस तरह से बुन्देलखन्ड को उपेक्षित किया जा रहा है उससे वहां की जनता को आन्दोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा और बुन्देलखन्ड अलग प्रान्त बनकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। मैं इस सदन के माध्यम से उन विधायकों से भी कहूंगा जो कांग्रेस के हैं या किसी भी दल के हैं। मैं चाहूंगा कि बुन्देलखन्ड के विकास के लिये बुन्देलखन्ड प्रान्त के लिये जनता की जो मांग है उसका वे समर्थन करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी के पहले यहां पर नारायण दत्त जी मुख्य मंत्री थे। उन्होंने डेढ़ साल पहले मई के महीने में बुन्देलखंड विकास समिति की एक बैठक बुलाई थी और डेढ़ साल हो गये लेकिन वर्तमान मुख्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी जो हैं उन्होंने इसकी बैठक बुलाने की तो सोची हो नहीं । वहां का स्वप्न तो जरूर है लेकिन बुन्देलखन्ड की समस्या उनके दिल में नहीं है । आज बुन्देलखन्ड की यह स्थिति है कि वहां पर न तो सड़कें हैं, न स्कूल हैं, न अस्पताल हैं, न जच्चा-बच्चा केन्द्र हैं । वह इतना उपेक्षित है । अभी ग्राम्य विकास मंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस शासन ने अनाज इकट्ठा किया और जनता शासन ने उस अनाज को बांट दिया । बांटा नहीं जनता शासन ने, लाखों आदमियों को काम दिया और कम से कम उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जहां पर सड़कें नहीं थीं, उनको सड़कों से जोड़ दिया । 5 हजार गांव बुन्देलखंड में है । अभी यह कहा गया कि हम डेढ़ हजार की आबादी वाले गांवों को सन् 1990 तक सड़कों से जोड़ देंगे । मैं कहता हूं कि अगर यही स्थिति रही तो सन् 2090 तक भी आप इन गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ सकते हैं । यह एक कल्पना मात्र है, केवल भाषण है, कोरे आश्वासन हैं, कथनी और करनी में अन्तर है । अगर आप बुन्देलखन्ड का विकास करना चाहते हैं तो कम से कम वहां के गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाय, वहां हर अस्पताल, जच्चा-बच्चा केन्द्र, सवेशियों के लिये अस्पताल, लड़के लड़कियों के लिये स्कूल खोल दिये जायं । वहां पर लड़कियों की शिक्षा का अनुपात केवल 8 प्रतिशत है । 40 साल की आजादी के बाद वहां पर आज भी शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत 8 है जिसमें वे केवल दस्तखत करना ही जानती हैं । 92 प्रतिशत महिलायें अशिक्षित हैं । पूरे बुन्देलखन्ड की यही स्थिति है । ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का शासन बुन्देलखन्ड कि समस्याओं की ओर ध्यान दें । शासन की ओर से जो पेयजल की योजनायें चल रही हैं, खेतों में पानी देने की योजना चल रही है ये सब वहां पर नगण्य हैं । मैंने वहां के अधिकारियों से वहां की इन समस्याओं के बारे में बात की तो मालूम हुआ कि वहां पर एक रिंग मशीन है जो केवल ट्यूबवेल का छिद्रण एक माह में कर सकती है । लेकिन शासन जो है वह छिद्रण की अनुमति नहीं देता है वह कहते हैं कि हमारे पास डीजल नहीं है । एक रिंग मशीन एक महीने में 7 ट्यूबवेलों का छिद्रण कर सकती है लेकिन साल में 14 ट्यूबवेल से ज्यादा का छिद्रण नहीं होता है । इनकी मशीनें वहां पर बेकार पड़ी हैं जब कि उसके लिये स्टाफ की कमी नहीं है, कमी है केवल योजना की, मशीनों को चलाने के यह आदेश नहीं देते हैं । इसी तरह से हैंडपम्प के लिये ग्रामीण अंचलों में व्यवस्था है, जो गांवों में पीने के लिये लगाये जाते हैं लेकिन उनकी भी यह सरकार नहीं लगाती है । बुन्देलखंड में जालौन, कालपी, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर आदि में लोग आज भी गर्मियों में प्यासे रह जाते हैं । हैण्ड पम्प की मशीनें वहां खड़ी हैं उनको लगाने के लिये मशीनें वहां हैं लेकिन उनको चलाने के लिये साधन नहीं है । इनके पास डीजल नहीं है । मैं शासन को आगाह करना चाहता हूं कि अगर बुन्देलखण्ड की इसी तरह से उपेक्षा की गयी तो बुन्देलखण्ड बनाने का दायित्व इस सरकार पर होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का जो नेता विरोधी दल ने रखा है समर्थन करता हूं ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज साढ़े 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है ।

(व्यवधान)

नसबंदी करायेंगे तो हमारी तरह आपकी अच्छी बुद्धि हो जायगी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

पहले माननीय मुख्य मंत्री जी से कहिये ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

यहां तो जन्मजात नसबंदी वाले हैं

(व्यवधान)

मान्यवर, में कह रहा था कि आज सारे सदन की कार्यवाही रोक कर इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ हुई। माननीय नेता विरोधी दल विधान परिषद् में भी विपक्ष के नेता रह चुके हैं। जनतंत्र में विरोध पक्ष और अविश्वास प्रस्ताव दोनों ही सम्मान की वस्तुयें होती हैं उससे शासन को जानकारी मिलती है कि किन-किन स्थानों पर और कहां-कहां कमजोरियां हैं और उनको कैसे सुधारा जाय। तो हमारा प्रदेश जो विकास के लिये आगे बढ़ रहा है उसमें जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो उसमें आना यह चाहिय था कि हम कहां पर त्रुटि कर रहे हैं लेकिन वह न आकर आया क्या व्यक्तिगत आक्षेप।

(व्यवधान)

7 घंटे से मैं सुन रहा हूं अपने कानों से सुन रहा हूं और आंखों से देख रहा हूं किसी की कही हुई बात नहीं कह रहा हूं अपने आंखों के द्वारा देखी हुई बात कह रहा हूं। 7 घंटे तक सम्मानित नेताओं ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो इस प्रदेश के लिये, विरोध पक्ष के लिये अथवा शासक दल के लिये कुछ मार्ग-दर्शन की बात होती। ऐसी कोई चीज नहीं है।

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी के बाद बोलने की प्रक्रिया उचित नहीं होती है। मैं उठता भी नहीं लेकिन यहां दो बातें आयीं, इसलिये मुझे उठना पड़ा। एक हमारे काशी के माननीय राज किशोर ने कही, वाराणसी में एक कार्यक्रम में 6 बच्चों की मृत्यु हो गयी। माननीय सदस्य को या माननीय इस सदन को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि 1976 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि 7,476 बालक या बालिकायें प्रतिदिन पैदा होने की थी और उस समय के दो सम्मानित मंत्री जी बैठे हैं, वह हैं श्री कौशिक, रमा शंकर जी और श्री कल्याण सिंह जो चले गये हैं। श्रीमन्, आज के दिन उत्तर प्रदेश की प्रतिदिन की जनसंख्या की बढ़ोत्तरी 11,666 है। 10 वर्षों में 1976 से 1986 में करीब 4,200 बालक या बालिकायें प्रतिदिन अतिरिक्त पैदा हो रहे हैं। इस मसले पर यह सदन बड़े हल्केपन से ले रहा है, तो विकास कैसे होगा। माननीय नेता विरोधी दल आपके यहां या किसी भी माननीय सदस्य के यहां प्रतिदिन एक बच्चा पैदा होने लगे तो घर कैसे चलेगा, यह बता दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आपके कितने बेटे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

[× × ×]

श्री राम गोविन्द चौधरी--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय त्रिपाठी जी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है जिसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, कार्यवाही देखकर यदि असंसदीय कोई शब्द है तो निकाल दिया जायेगा।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि साढ़े नौ लाख पोलियों के मरीज हैं जिनकी आयु एक वर्ष से लेकर 8 वर्ष की है, जिनको अपनी जिंदगी का 50 से लेकर 70 वर्षों तक भोगना, गुजारना है, यदि भविष्य में यह बच्चे बीमार न हों। अगर इस कार्यक्रम को चलाया गया तो भविष्य में बच्चों को पोलियों की

नोट [× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बीमारी न हो, इसलिए चलाया गया। उत्तर प्रदेश में आज 15 सौ से अधिक बच्चे प्रतिदिन मरते हैं। जो बच्चे 11,666 प्रति दिन पैदा होते हैं, इसमें 1500 बच्चे और जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा। तो बाल-मृत्यु प्रसव के समय न हो यह हमारा प्रयास है। आपके जनपद में इन तीनों को निकाल दिया गया तो आपके जनपद में प्रदर्शन हो गया।

(व्यवधान)

सारे देश में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 हजार टीके प्रतिदिन लग रहे हैं और पिछले साल में मात्र कुछ घटनाएं हुई। 12 बच्चों की बम्बई में, वहां गलत दवा लग गई थी। एक घटना हुई। आन्ध्र प्रदेश में 9 बच्चों की एक घटना हुई और उत्तर प्रदेश में 6 बच्चों की घटना हुई। क्यों उसी दिन बच्चे मर गये एक दिन पहले या एक दिन बाद क्यों वह नहीं मरे? निश्चय ही जो टीके लग रहे थे, उसका दोष था। हर जगह बुराई है, किन्तु उसको स्वीकार करना और बुराई को दूर करना बुरा नहीं है।

नेता विरोधी दल कहते हैं, सन् 49 के फैजाबाद के एक विषय को लेकर कि जो 49 के मुख्य मंत्री थे। तो विरोधी दल के नेता को यह भी नहीं मालूम कि 49 में उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री नहीं थे। उस समय भारत के हर प्रदेश में, सन् 35 में जहां-जहां प्रान्तीय शासन थे, प्रीमियर हुआ करते थे, मुख्य मंत्री नहीं। 26 जनवरी, 1950 को जब भारतीय संविधान सारे देश में लागू हुआ तो तबसे मुख्य मंत्री आए और जिनकी आपने चर्चा की वहां के

(व्यवधान)

1966 में यूनेस्को की एक टीम ने भारतवर्ष और अन्य डेवलपिंग कन्ट्रीज के औसत इन्टेलीजेन्स...

(व्यवधान)

(श्री भगवानदीन कुशवाहा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

कुशवाहा जी, अभी कुछ नहीं, आप बठें, मंत्री जो बैठे नहीं रहे हैं। वह बैठ जाएं, तब आप बोलें।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

वह बैठ जायेंगे, तभी व्यवस्था का प्रश्न उठेगा।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

यही नहीं, नेता विरोधी दल को तो यह भी पता नहीं है कि आप ठेकेदार रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पैण्ड कर दिये गये थ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

असंसदीय भाषा क्या है और संसदीय भाषा क्या है, यह बहुत बड़ा विवादास्पद विषय है और उत्तर प्रदेश में भारत के तत्कालीन संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति प्रदेश का नेता होता था, मुखिया होता था, अगर यह कहना असंसदीय है तो संसदीय क्या है। हमने जो कहा क्या असंसदीय था?

(व्यवधान)

मैंने माननीय चौधरी साहब से यह कहा कि जिसके पास है ही नहीं तो क्या कटेगा।

(व्यवधान)

क्या कहा, आप बता दीजिए।

(व्यवधान)

मान्यवर मुझे 20 मिनट ही बोलना है। बीच-बीच में इस तरह बोलियेगा तो मैं असली विषय पर नहीं आ पाऊंगा। नेता विरोधी दल ने कहा था कि मैं यह अविश्वास का प्रस्ताव इसलिए

लाया हूं--अब जरा आप इनका दृष्टि-कोण देखिए प्रदेश को आगे बढ़ाने का इनका दृष्टिकोण नहीं है। यह कहते हैं कि मैं अविश्वास का प्रस्ताव इसलिए लाया हूं कि मुख्य मंत्री जी ने यह गलत बयानी की है कि उत्तर प्रदेश सारे देश में 20 सूत्री कार्यक्रम में सफल है। भारतवर्ष में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश प्रांत प्रथम है, उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम है इसके बारे में अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं। ऐसे नेता के अन्तर्गत, उसके नेतृत्व में अगर आप चलेंगे तो कहां जावेंगे।

(मेजों की थपथपाहट)

श्रीमन्, आपको बधाई देनी चाहिये थी और उसी बधाई के साथ आप यहां जितने मंत्री बैठे हैं उन सबके हृदय में स्पंदन पैदा करना चाहिये था। उत्तर प्रदेश की गरीबी की चर्चा आपने की। 1738 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय है और देश की आय 2300 रुपये है। तो यह हम सबका दायित्व है। इस सदन में बैठे हुये हर विधायक का दायित्व है कि 5 वर्ष में इतनी औसत आमदनी बढ़ायें कि वह 23 सौ पर पहुंच जाय।

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा 20 सूत्रीय कार्यक्रम में प्रदेश ने टाप किया है। मैं बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद जनपद में, मेरा खुला चैलेंज है, वहां परिवार नियोजन के कितने फर्जी केस हुये हैं उसकी जांच करवायें। फर्जी केस हुये हैं इसीलिये टाप कर रहे हैं।

(शोर)

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, हर अच्छे काम में रुकावट आयी है। जबसे सभ्यता और संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है, जबसे मनुष्य ने जाना कि समाज क्या होता है, समाज की रचना कैसे की जाती है समाज को मान्यता क्या होती है तब से लेकर आज तक हर अच्छे काम करने में अवरोध आये हैं। अगर परिवार नियोजन का कार्यक्रम हो रहा है तो यह उत्तर प्रदेश के शासन के हित का कार्य नहीं है, यह आपके और हमारे के हित का व्यक्तिगत कार्य नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के 13 करोड़ निवासियों के हित का कार्यक्रम है। कोई प्रदेश जिसकी जनसंख्या 11666 प्रतिदिन बढ़ रही हो, जहां हर दिन एक नयी न्याय पंचायत खड़ी हो रही है उस प्रदेश के अन्दर कैसे उसका विकास हो सकता है। विरोध पक्ष के लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया तभी 36 वर्षों में उत्तर प्रदेश प्रथम आया है और ढाई करोड़ रुपये का इनाम पाने जा रहा है।

एक आवाज--

खुर्जा कांड हुआ है।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

खुर्जा का भी कांड हुआ, गलत हुआ लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होगा कि भविष्य में आंख के आपरेशन न हों। 15 लाख लोग मोतियाबिंद के शिकार हैं जिनके आपरेशन होने हैं। यह कोई वायरल बीमारी नहीं है। भारतवर्ष का हर व्यक्ति जिसकी उम्र 50 वर्ष हो गयी है उसके मोतियाबिंद के शिकार होने की सम्भावना हो सकती है। तो इसका आपरेशन होना चाहिये। सरकार ने नियम बनाये हैं। अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की है भले ही राम आसरे वर्मा जी कहें कि हम गलत कर रहे हैं। उनके खिलाफ 338 की एफ0 आई0 आर0 लाज है, पुलिस कार्यवाही कर रही है और मुकदमा कायम हो जायगा। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय नेता विरोधी दल अविश्वास का प्रस्ताव लाये। तो प्रदेश की वस्तुस्थिति को सामने रखकर प्रस्ताव

लाना चाहिये था । यह अविश्वास का प्रस्ताव तो चर्चा के लायक ही नहीं रहा अतएव मैं उसका विरोध करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में विगत तीन वर्षों में जितना खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, उतना कभी नहीं होता था । क्या यह भी गलत है ? अगर व्यक्ति संदेह करने लगता है, तो वह अपनी परछाई से भी संदेह करने लगता है । माननीय नेता कल्यान सिंह जी, आज हम चुनाव नहीं कराये, क्योंकि प्रदेश की जनता का आप पर विश्वास नहीं है । उसने आपको 1977 में अधिकार दिया और हम जितने यहां पर बैठे हैं, हमने कभी प्रयास नहीं किया कि आपकी सरकार गिरे । आप अपने में ही लड़े और आपकी सरकार अपने आप गिरी । मान्यवर ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय वीर बहादुर सिंह की सरकार लोकतंत्र पर एक बदनुमा धब्बा है । लोकतंत्र में सदन की भावना का सम्मान सदन और प्रशासन दोनों जगह पर किया जाता है ।

(व्यवधान)

माननीय नेता विरोधी दल ने तथ्यों पर आधारित अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है । मैं उस प्रस्ताव के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो सरकार सदन की भावनाओं के साथ जुड़कर न चले । वह लोकतन्त्र का दम भरने का दावा करने के काबिल नहीं है । मान्यवर, बड़ी-बड़ी समस्यायें जो हैं, उसकी बात तो छोड़ दें, नाक के नीचे की समस्यायें यह सरकार हल नहीं करपाई । 1977 में सदन की कमेटी ने यह सफेद वर्दी पहने हुये जो गार्ड खड़े हैं, इनका सम्वर्ग बनाया था और इनको यह जिम्मेदारी दी गयी कि सदन के परिसर में सदन के अन्दर शांति-व्यवस्था बनाये रखें और इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान सभा के अधिकारियों के आदेशों का पालन करें और उस समय यह व्यवस्था भी की गयी थी कि इनके वेतन और दूसरी सुविधायें पुलिस के कर्मियों के बराबर होगी । 1971 में एक कांस्टेबिल के लिये मिडिल स्कूल की योग्यता थी । लेकिन उस समय इनके लिये इंटरमीडिएट की योग्यता रखी गयी थी । 1971 के बाद सदन की पीठ की ओर से माननीय अध्यक्ष की तरफ से भी पत्र लिखे गये थे ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

जब वह बैठ जायं, तभी मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत दे सकता हूं, वरना नहीं ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

इनको क्यों बुलवा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

जब वह बैठ गये, तो बुलवा रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, विधान सभा के कर्मचारियों के बारे में, विधान सभा में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है न ही चर्चा हो सकती है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था मांग रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह तरीका ठीक नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होगा आप सब बैठ जांय।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जो बात में कहने जा रहा हूं वह बात इनकी व्यवस्था से ताल्लुक नहीं रखती है, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के शासन में क्या हाल हो रहा है। मान्यवर, जिस काम के लिये पुलिस के बराबर, विधान सभा के गार्डों को वेतन और सुविधायें....

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सब लोग इकट्ठे बोलते हैं।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, आप व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

जब सुनाई नहीं दे रहा तो व्यवस्था क्या दूं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं विधान सभा के कर्मचारियों के क्रिया-कलाप के बारे में नहीं कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग क्या कह रहे हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

विधान सभा के कर्मचारियों के बारे में कोई सवाल विधान सभा में नहीं उठाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

हां, विधान सभा के कर्मचारियों के बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं यहां के कर्मचारियों के क्रिया कलाप के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के वित्त विभाग के बारे में कह रहा हूं। जहां नौकरशाही का इतना बोलबाला है।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, माननीय वर्मा जी बहुत ही सीनियर और विद्वान मेम्बर हैं। विधान सभा में विधान सभा के कर्मचारियों के बारे में यहां तक कि विधान सभा का जो बजट होता है उस पर भी यहां चर्चा नहीं की जाती है।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, यह लोग किससे कहेंगे। यहां नहीं कहा जायेगा तो और कहां कहा जायेगा और सब की तनख्वाह बढ़ जाती है हम अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं इनके बारे में कौन कहेगा।

श्री उपयक्षा--

कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय उपाध्यक्ष जी, 150 विधायको ने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को और वह चली गयी वित्त मंत्रालय

को मान्यवर, आपकी पीठ से भी निर्देश दिया गया । खुद हमने वित्त विभाग को लिखा है मुख्यमंत्री के जरिये इस पर वित्त विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह स्पीकर के माध्यम से जाता है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, सन् 1982 में सचिवालय काण्ड यहां हुआ ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, यह फिर उठा रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह शासन के गार्ड हैं । इनको निलम्बित कर दिया गया । आज तक उस प्रकरण में कुछ नहीं कर पाये जब कि यह आश्वासन भी दिया गया । मान्यवर, वीर बहादुर सिंह जी की सरकार गेटबन्दी, नसबन्दी और नजरबन्दी की सरकार है । गेटबन्दी के बारे में मुख्यमंत्री ने यह कहा कि गतिशीलता आ गयी है । और काम में चुस्ती पैदा हो गयी है कर्मचारी काम करते हैं । मान्यवर, गेटबन्दी की कोई आवश्यकता नहीं थी । सचिवालय मैनुअल में भी व्यवस्था दी है जो कर्मचारी देर से आता है । इनको इतना भी नहीं आया कि कौन सा गेट उनके अधीनस्थ है और कौन सा नहीं । मान्यवर नसबन्दी की बात ले लें । अभी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा....

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं डिस्टर्ब किया गया हूं इसलिए समय और दें मान्यवर । [× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें, यह सब नहीं लिखा जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है । मान्यवर, सदन के चलते उसका सर्वाधिक समय मंत्रिमंडल के सदस्य अपने बचाव में बोल कर ले रहे हैं । क्योंकि वह डरे हुए हैं और अपना तर्क खुद रखना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उनका अधिकार है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, हम लोगों को समय नहीं मिल पा रहा है । इसका समय और बढ़ा दें ताकि हम सब लोगों को भी मौका मिल जाय । क्योंकि मंत्री तो डरे हुए हैं वह सबसे ज्यादा बोल रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष --

यह सब कुछ नहीं लिखा जायेगा । माननीय सदस्य शान्त रहें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई तरीका नहीं है, मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ नहीं लिखा जायेगा, मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, हम लोगों को भी बोलने का मौका दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

सबको बोलने का समान अधिकार है । मंत्री जो को भी बोलने का अधिकार हैं, वे बोल सकते है ।

श्री विजय सिंह राणा --

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है : माननीय मंत्री जी बोलना चाहते हैं बोलें । मान्यवर, मैं नियमावली के नियम 315 के अन्तर्गत माननीय नेता विरोधी दल द्वारा जो बहस रखी गई है उसका समय बढ़ाने की मांग करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर सदन समय बढ़ाना चाहेगा तो बढ़ा देगा । अगर सदन की इच्छा होगी तो समय बढ़ेगा । अगर सदन नहीं चाहेगा तो नहीं बढ़ेगा । मैं समय नहीं बढ़ा सकता ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री किरनपाल सिंह--

मंत्रीगण भी 10 मिनट बोलें, यह व्यवस्था कर द ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह मेरा अधिकार कहां है कि मंत्री नहीं बोलेंगे केवल एम0 एल0 ए0 बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह--

आप उनका समय कम कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं उनका थोड़ा समय कम कर दूंगा । आप बोलते रहेंगे तो आपका समय ही जा रहा है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मैं नियम 312 के अन्तर्गत आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है । राणा जी इनको बोलने दीजिये ।

कृषि मन्त्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में मुझे शिरकत करने का मौका दिया । मान्यवर, यह प्रस्ताव जो सम्मानित नेता विरोधी दल ने रखा है अविश्वास का, इसका हश्र क्या होने वाला है, इसको सभी सम्मानित नेता उधर के बैठने वाले जानते हैं । सभी जानते हैं कि निश्चित तौर पर यह प्रस्ताव गिरने वाला है । मान्यवर, इनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई पहलवान अखाड़े में जाता है और समझता है कि उसकी हार तो निश्चित ही है और वह निराशा से और निराशा की बात करता है :

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं आज गुप्त मतदान की मांग करता हूं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह जो बात बोल रहे हैं, यह बिल्कुल निराशा के वातावरण में बात हो रही है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप बैठ जाइये ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं निराशा की बात इसलिये कह रहा था कि जो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सम्मानित नेता विरोधी दल और सम्मानित विरोधी दल के सदस्यों ने बातें कहीं उनमें कहीं भी कोई रचनात्मक सुझाव नहीं था । सिर्फ आलोचना ही आलोचना की है, कोई रचनात्मक सुझाव विपक्ष की ओर से इस पूरी बहस के दौरान नहीं आया । वैसे तो मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने बहुत सी बातों का जवाब दे दिया है और मुझे बहुत बोलने की जरूरत नहीं है । लेकिन कुछ बिन्दु हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल ने और कुछ बातें माननीय कौशिक जी ने और राम सरनजी, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है कि किसके बारे में क्या कहें, अपने ही बारे में कब क्या कहने लगें उनका कोई ठिकाना नहीं है, इनकी बात तो अलग ही है, लेकिन मान्यवर, चूंकि राणा साहब ने राम सरन दास जी का नाम लिया तो इन्हीं से बात शुरू करता हूं । रामसरन दास जी ने कहा कि यह सरकार रेकर्ड तोड़ सरकार है । मान्यवर, उन्होंने बिलकुल सही बात कही है । मान्यवर, वीर बहादुर सिंह जी की सरकार रिकार्ड तोड़ सरकार है, इसमें दो राय नहीं है । हमने रिकार्ड तोड़ा है कृषि उत्पादन में और उत्तर प्रदेश को हिन्दुस्तान में पहले नम्बर पर लाए हैं । इस सरकार नें रिकार्ड तोड़ा है बिजली के उत्पादन में और मान्यवर, इसने रिकार्ड है दंगों को रोकने मे । पहले दंगे होते थे तो दो-दो माह तक चलते थे, लेकिन अब इस बार कहीं भी तीन दिन से अधिक दंगा नहीं चला यह रिकार्ड तोड़ा है । मान्यवर, सन् 1984 में 71 लाख टन चावल उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ था, लिहाजा 1985 में लक्ष्य रखा गया 75 लाख मैट्रिक टन चावल उत्पादन का और मान्यवर 75 लाख टन के बजाय उत्तर प्रदेश में 81 लाख मैट्रिक टन चावल का उत्पादन हुआ । यह रिकार्ड है । मैं यह बड़े दावे से साथ कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर इस सरकार ने बहुत से मसलों पर रिकार्ड तोड़ा है और मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में....

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शान्ति बनाये रखें । बारी साहब, आप बैठें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

यह कहा गया कि यह सरकार किसान विरोधी है मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार से अधिक किसान की हितैशी और पक्षधर कोई दूसरी सरकार नहीं हुई है । उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नयी योजना लागू की है अब कोई किसान अगर मंडी में अपना माल लेकर जायेगा और उसको

उसके माल का उचित पैसा नहीं मिलता है तो वह अपने माल को मंडी समिति के गोदाम में रख सकता है और 75 प्रति सैकड़ा एडवांस के रूप में ले सकता है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

सम्मानित नेता विरोधी दल ने कहा आलू की दर के सिलसिले में और मौजूदा सरकार ने कोल्ड स्टोरेज के मालिकों की मदद की है । मुझको बड़ा तरस आया माननीय भाई मुलायम सिंह की समझ पर । मान्यवर, 19 रु0 रेट था 1984 में 1985 में भी 19 रु0 रहा, 19 रु0 का रेट इस वर्ष भी रखा है । कम नहीं किया है । उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने प्रभावित कर लिया इस पक्ष के लोगों को । मैं कहना चाहता हूं कि हम किसानों के हमदर्द हैं अपने किसानों के हितों की हिफाजत की है । हम बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज मालिकों के प्रभाव में नहीं आये हो सकता है विपक्ष के लोग उनके प्रभाव में आ गये हों। मान्यवर, कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने मुकदमें दाखिल किये हैं हमारी तरफ से उनकी पैरवी हो रही है हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल उसका विरोध जाहिर कर रहे हैं हमें आशा है कि इसमें सरकार की विजय होगी और किसानों के हितों की रक्षा होगी। हमारे नेता विरोधी दल व कुछ अन्य मित्रों ने खाद के सिलसिले में बात कही, खाद में जो छूट दी गयी उसका सही उपयोग नहीं हुआ । मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहता हूं कि पिछले सालों में डेढ़-दो लाख किसानों से ज्यादा खाद अनुदान नहीं दिया गया इस बार 24 लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों को छूट दी गयी ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों थपथपाहट)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कृषि मंत्री जी, अब कृपया आप समाप्त करें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

इसमें कहीं-कहीं गड़बड़ियां हुई हैं मैं इस बात को स्वीकार करता हूं । जहां-जहां से शिकायतें आयीं वहां पर कार्यवाही की गयी है । माननीय नेता विरोधी दल ने देवरिया का जिक्र किया मैं बताना चाहता हूं कि देवरिया में 20 आदमियों को जेल भेजा गया है और हमने सख्त से सख्त कार्यवाही की है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, ऐसा लगता है कि उधर बैठे हमारे मित्र लोग कुछ हमदर्द जान पड़ते हैं टेडर्स के प्रति । हमने जो अनुदान दिया लिहाजा टेडर्स को बिक्री नहीं हुई विपक्ष के हमारे सम्मानित साथी टेडर्स के हित की बात कर रहे हैं किसानों के हितों की बात नहीं कह रहे हैं। मान्यवर, एक आखिरी बात कहना चाहता हूं प्रोन्नतियों के सम्बन्ध में । मुझे लगता है कि माननीय नेता विरोधी दल को शायद पूरी जानकारी नहीं है । सेवा अभियंत्रण में 22 स्थान श्रेणी एक के थे, जिन पर प्रोन्नति की जानी चाहिये थी, उन पर प्रोन्नति की गई बल्कि 79 लोगों की प्रोन्नतियां की गईं । ऐसा पहली बार किया गया । भ्रष्टाचार को रोकने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने व मैंने कृषि विभाग के अन्तर्गत कई कदम उठाये पिछले साल 79 अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा से पदच्युत किया गया और आज की तारीख तक 200 कर्मचारी निलम्बित हैं । मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल को सद्बुद्धि आयेगी और वह इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे ।

(विरोध पक्ष से कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा प्रस्ताव यह है कि इस अविश्वास के प्रस्ताव पर कल भी बहस जारी रखी जाय ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से कई माननीय सदस्यों ने खड़े होकर "नहीं" के संकेत के साथ हाथ हिलाये । शोर ।)

(इस समय 8 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, बहुत से माननीय सदस्य बोल नहीं पाये हैं इसलिये अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुये आप इस पर 2 घंटे का समय और बढ़ा दें।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जिस समय अविश्वास के प्रस्ताव पर बात हो रही थी और माननीय नेता विरोधी दल से जो परामर्श हुआ, वैसे 4 घंट का एक वर्किंग-डे होता है किसी कार्य को करने के लिये, उसके हिसाब से इस कार्य हेतु 8 घंटे दिये गये । इसका मतलब यह हुआ कि 2 दिन की कार्यवाही हो गई । इसलिये अब इस अविश्वास के प्रस्ताव पर समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिहाजा विभाजन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाय ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय नेता, विरोधी दल को पुकारा गया किंतु वे खड़े नहीं हुये) ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि 4-4 घंटे करके 8 घंटे तक दो दिन की चर्चा हो गयी । आपने जिस वक्त समय निर्धारित किया, माननीय नेता, विरोधी दल के लिये 45 मिनट, नेता सदन के लिये 45 मिनट और मन्त्रियों के लिये 20-20 मिनट तथा दलों के नेताओं के लिये 20-20 मिनट । दोनों ओर की सूची देख लें । अविश्वास प्रस्ताव हमारा और दो तिहाई समय लिया है ट्रेजरी बेन्च ने क्योंकि सारे मन्त्री बोले हैं और सबको 20-20 मिनट मिनट मिला । इस पक्ष के साथ न्याय हो सके इसलिये मैं केवल इस दृष्टि से अनुरोध करूंगा कि आप विचार कर लें और हमें संरक्षण प्रदान करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात से अवगत होंगे और सब मन्त्रिमण्डल के सदस्य भी अवगत होंगे कि लोक सभा में भी एक बार नहीं अनेकों बार इस तरह का अविश्वास का प्रस्ताव आया है और रात में 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक चला है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दो घंटा इसका समय बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष--

जो समय निर्धारित हुआ था, उसी के मुताबिक चल रहे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय...

(घोर व्यवधान)

श्री फजलुल बारी--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

आप कार्यवाही निकलवाकर देख लें, आज के 8 घंटे जो आप कह रहे हैं । इसकी कार्यवाही आप निकलवा कर देख लें कि उस कार्यवाही में अल्पसंख्यक वर्ग का किसी तरह से इस अविश्वास के प्रस्ताव पर क्या विचार है, उस सिलसिले में अगर कोई बात आयी हो तो बतायें ?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठे ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय...

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैंने नेता विरोधी दल को बुला लिया है, आप बैठे ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, आज आप पता नहीं गुस्से में क्यों हो गये हैं, वैसे तो आप हंसते रहते हैं। अभी माननीय बारी जी ने जो कहा वह बात काबिले गौर है। बुनियाद ही गलत हो गयी और हमारा शासन पक्ष भी साजिश का शिकार हो गया। अभी कृषि मंत्री ने कहा कि यह रिकार्ड तोड़ सरकार है। तो वास्तव में सरकार ने रिकार्ड तोड़ दिया और एक भी अल्पसंख्यक वर्ग का आदमी भाग नहीं ले पाया। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि इसमें अल्पसंख्यकों को और महिला प्रतिनिधियों को बोलने का मौका नहीं दिया गया है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि बख्शी जी महिला नहीं हैं और गौरी शंकर हरिजन नहीं है क्योंकि ये दोनों ही मंत्री हैं। इसलिये आप महिला को और अल्पसंख्यक सदस्यों को बुलवा दें और उसके बाद माननीय नेता विरोधी दल को मौका दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप लोग शान्ति बनाये रखें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं पक्ष के और विपक्ष के माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि मेरे अविश्वास के प्रस्ताव पर उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार रखें। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है तो मेरे सुझाव को और विपक्ष के सुझाव को किसी तरह से मानने के लिये तैयार ही नहीं है और यह सरकार केवल कागजों पर तरक्की कर रही है और यदि कागजों पर तरक्की नहीं कर रही है तो माननीय मुख्य मंत्री से मैं जानना चाहता हूं और फिर अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा है कि उत्तर प्रदेश प्रथम रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछड़े हुए सूबों में से आपका कौन सा स्थान रहा है? यदि राजस्थान और मध्य प्रदेश से हमारा सूबा आगे आया है तो वास्तव में अगर उसे पुरस्कार मिला है तो यह केवल कागजों पर ही है।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, नेता विरोधी दल को सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि उत्तर प्रदेश में बच्चों की मृत्यु दर 159 थी जो कि अब 130 है। अगर यह लक्ष्य पूरा नहीं होता तो मृत्यु दर गिरी न होती।

श्री मुलायम सिंह यादव—

हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बच्चों की मृत्यु होती है, इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं है। इस तरह से इस सरकार के सारे विकास कार्य केवल कागजों पर ही है और फर्जी है। तो मैं कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि 15 अगस्त, को प्रधान मन्त्री जी ने जब अपना भाषण दिया, तो कहा कि हिन्दुस्तान के प्रत्येक गांव में पक्की सड़क हो जायेगी। मुख्य मन्त्री जी बता दें कि क्या यह सही है। प्रधान मन्त्री जी ने दिल्ली में एलान किया था और अपना भाषण दिया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपा कर शान्ति बनाये रखें। आप बैठें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, इसी से साबित होता है कि जान-बूझकर आप यह कहते हैं और स्वीकार नहीं करते हैं, यह पढ़ते-लिखते हैं नहीं। 15 अगस्त, को प्रधान मन्त्री ने लाल किले से जो भाषण दिया है,

उसमें उन्होंने कहा है कि हिन्दुस्तान इस तरह से तेजी से तरक्की कर रहा है और प्रत्येक गांव में पक्की सड़क पहुंच गयी हैं ।

(व्यवधान)

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग खड़े होकर अव्यवस्था न पैदा करें, उनको सुनें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, इसी तरह से तरक्की हो रही है, क्या यह सच है । इसीलिये मैं कह रहा हूं कि कागजातों पर इन्होंने तरक्की की है और कहीं तरक्की नहीं की है । माननीय सदस्य जो शोर कर रहे हैं, पाण्डे जी से पूंछना चाहता हूं कि क्या उनके क्षत्र में तरक्की हो गयी है, बता दें ।

श्री नेक चन्द पाण्डे--

हो गयी है ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो मन्त्री हैं, वह अपनी नौकरी बचाने में हैं ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है । माननीय नेता विरोधी दल तरक्की किस चीज को कहते हैं । तरक्की तो एक प्रोसेस है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

तो कुछ माननीय मन्त्री लोग इसी में लग हैं जिससे कि उनकी नौकरी कायम रहे और नौकरी कायम रखने के लिये दिल्ली के एक मन्त्री की चापलूसी में लगे रहते हैं । दिल्ली के मन्त्री का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं । मैंने प्रस्ताव रखा विपक्ष की ओर से कि जांच हो जाय । कितने भी ईमानदार हों, सारे हिन्दुस्तान में चर्चा हो गयी है, वह हिन्दुस्तान में उच्च पद पर बैठे हैं और अब सार्वजनिक कामों को करने के लिये सन्देह पैदा हो गया है और उन पर बिलकुल सन्देह पैदा हो गया है । माननीय मुख्य मन्त्री जी कमेटी गठित करना स्वीकार करें, कमेटी स्वीकार नहीं है, तो मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों की कमेटी के सदस्यों के नाम बताये देता हूं--श्री राम सरन, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री अशोक बाजपेई, श्री राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री राज किशोर सिंह और श्री कौशिक रमा शंकर यह कमेटी विपक्ष की रहेगी । और यह कमेटी बइया चैरिटेबुल ट्रस्ट और राम जानकी मांडा ट्रस्ट, इन दोनों की जांच करेगी और जनता के सामने अपनी रिपोर्ट रखेंगी ।

(व्यवधान)

(समय 8 बजकर 20 मिनट पर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, ये लोग भी कुछ नाम देना चाहते हैं, उनको भी इसमें जोड़ दिया जाय ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित नेता विरोधी दल ने अभी सम्मानित केन्द्रीय मन्त्री के विषय में चर्चा की कि उनका चरित्र संदिग्ध हो गया है । मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि वे केन्द्र सरकार के मन्त्री हैं और केन्द्र सरकार के मन्त्री होने के नाते उन्होंने सम्मानित विरोधी दलों के नेताओं की एक कमेटी केन्द्र में बनाने के लिये मांग की है । उन्होंने कहा है कि विरोध पक्ष के लोग उनकी उस चुनौती को स्वीकार करें ।

यहां पर तमाशा करने से और नाटक करने से काम चलने वाला नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य राज्य मन्त्री कह रहे हैं केन्द्र में विरोधी दलों के नेताओं की एक कमेटी बनाने की बात कही गई है । मैं इस बात को अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपसे व्यवस्था की मांग करता हूं । चाहे नेता सदन हो या नेता विरोधी दल हो, उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार की चमचा नहीं है । यह उत्तर प्रदेश के चेरिटेबुल ट्रस्ट की बात है । उत्तर प्रदेश का मामला है । मिर्जापुर जैसी जगह पर अभिलेख चुरा करके 3 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन ली गई है । इसलिये यह सही है कि इस सदन की कमेटी होनी चाहिए और जो नता विरोधी दल कह रहे हैं, वह कमेटी होनी चाहिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने अभी कहा कि हमने गोरखपुर में कार्यवाही कर दी । कहीं भी पुलिस जुर्म की कार्यवाही तब तक नहीं हुई है जब तक कि जनता ने आन्दोलन नहीं किया है । मुझे आश्चर्य है कि क्या मुख्य मन्त्री जी को पता नहीं कि पूरा गोरखपुर आन्दोलित था और हजारों-हजारों लोगों को जेलों में भेज दिया । जब मजबूर हो गये तब पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की । इसी तरह से कालपी में जब तक रास्ता नहीं रोका तब तक पुलिस के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई । तब तक बुलन्दशहर में कार्यवाही नहीं की गई जब तक हजारों लोग सड़कों पर नहीं आये । आज तक सरकार ने अपनी मर्जी से किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की । यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जहां पर भी प्रतिष्ठित लोग मारे जाते हैं, जनता के लोग मारे जाते ह, तब कार्यवाही की जाती है । तो मान्यवर, सी० आई० डी० इन्क्वायरी करेहना कांड की आपने कब की, जब विपक्ष ने तय कर लिया था कि हम मुख्य मंत्री का घेराव करेंगे । 6 तारीख को मैंने चिट्ठी लिखी 7, से 13 तारीख तक जब कोई बात नहीं हुई तो अगस्त को यह तय हुआ कि मुख्य मंत्री का घेराव किया जायेगा तब आपने इस घटना की सी० आई० डी० जांच के आदेश दिये ।

एक बात जो सब से अफसोस की है, माननीय मुख्य मंत्री जी को अफसोस हो या न हो, हमें अफसोस है कि इनके एक दिल्ली के मंत्री हैं, [× ×] उन्होंने कांग्रेस के एक एम० पी० से कहा और उन्होंने मुझ से कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, [×] उन्होंने कहा कि [× ×] भ्रष्टाचार बढ़ने का एक कारण यह हो गया है कि गरीब घर के लोग सत्ता में आ गये, जो पहले से गरीब थे, गरीबी में पले थे, इसलिये इस देश को लूटा जा रहा है । यदि राजा महाराजाओं को सत्ता आती है तो यह भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय नेता विरोधी दल से मैं निवेदन करना चाहता हूं उन्होंने कहा एक व्यक्ति ने उनसे कहा [× × ×] जो राज्य सभा के सदस्य हैं और मंत्री हैं उन्होंने किसी से कहा माननीय नेता विरोधी दल को किसी जरिये से पता चला है, जो बात किसी के जरिये से, जिसका स्रोत वह सर्टीफाई नहीं कर सकते हैं उस बात को इस तरह से कहना और आरोप लगाना

नोट--[×××] यह अंश जो अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उचित नहीं है। इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। यह किसी तरह से उचित नहीं है। किसी कांग्रेसी नेता का नाम लेकर बात कही जाय, यह एक सुनियोजित ढंग से साजिश की जा रही है, षड्यंत्र है, इसके खिलाफ में आपका संरक्षण चाहता हूं किसी के खिलाफ इस तरह से कह दिया जाय यह परम्परा नहीं होना चाहिये।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, रविवार पत्रिका में छपी है [× × ×] उसका खंडन नहीं किया गया तो उसका खंडन न करना समर्थन करना है। अगर माननीया स्व0 इंदिरा गांधी होतीं तो [× × ×] उन्हें बरखास्त कर दिया होता। उसकी वकालत संसदीय मंत्री जी कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिये। हमें फख है हमारे माननीय मुख्य मंत्री गरीब घर के हैं हमें गर्व है। राजा ज्यादा बेईमान होते हैं एक राजा की कहानी आप सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल यह जो बात आपने कही इसका कोई बराहे रास्ता मालूम नहीं है। इसलिये यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव—

ऐसा न करिये। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को दोबारा नौकरी मिली है, उन्हें तो यह कहना पड़ेगा। तो जब गरीब घर के पले लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिस बात को उनके नेता कह रहे हैं तो उन्हें एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। यह [× × ×] कहना है

(व्यवधान)

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उनका जो उनकी पार्टी के नेता हैं,

(व्यवधान)

आप तो गरीब घर के पले हैं

(व्यवधान)

अब मालदार हो गये हैं, लेकिन गरीब घर से आये हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि रामू का पुरवा कांड जो हुआ माननीय मुख्य मंत्री जी सब से पहले वहां पहुंचे लेकिन आपकी पुलिस कब पहुंची थी ? क्या आपको मालूम है ?

(व्यवधान)

आपने क्या कार्यवाही की। पुलिस से पहले एस0 डी0 एम0 पहुंचे 7 बजे, वहां की हत्या हो जाती है, डकैतों द्वारा वहां से मऊ थाना 4 कि0 मी0 है मैं भी वहां गया था। दूसरे दिन दो बजे पुलिस वहां पहुंचती है। एस0 डी0 एम0 पहले पहुंच जाता है। आपने इसकी सजा पुलिस को क्या दिया, केवल ट्रान्सफर किया। यह कोई सजा नहीं होती है। दूसरी बात रामू के पुरवा के लोगों ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दिया था। इसी प्रकार इटावा में जब कांड हुआ तो एक लापरवाही में एस0 एस0 पी0 को मुअत्तल किया गया। डी0 आई0 जी0 को मुअत्तल नहीं किया गया। लेकिन मौके पर गये तो एस0 पी0 ने अलग जानकारी दिया और सारी बातें आपको अलग बतायी थीं और एस0 पी0 ने अपनी मजबूरी जाहिर किया था, डी0 आई0 जी0 की वजह से यह काम हो रहे हैं। लेकिन डी0 आई0 जी0 को मुअत्तल क्यों नहीं किया गया, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार अधिकारी था। इसी तरह गोरखपुर में डी0 आई0 जी0 सबसे बड़ा जिम्मेदार अधिकारी है।

करहना कांड योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, लेकिन आप कोई उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसलिये पुलिस के आज सारे के सारे मन्सूबे खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, आपने कहा कि डाइरेक्टर वित्त, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का स्थानान्तरण किया गया है क्योंकि वह काम काज नहीं करते थे, यह बात सही नहीं है। जिनके कारण यह घाटा हो रहा है, उनको आपने कितनी सजा दी है। जो निगमों को लूट रहे हैं, उनको कितनी सजा दिया है, मैं तो कहता हूं कि किसी को सजा नहीं दिया है। लेकिन उन अधिकारियों के विरुद्ध जो नुक्ताचीनी करते थे, उनको ही आपने हटाया है, यह मेरा आप पर आरोप है। यदि यह बात सही नहीं है तो जो जिम्मेदार हैं, जो निगम करोड़ों रुपये के घाटे में चल रहे हैं, उनमें आपने किसको सजा दिया है। आपने किसी बड़े अधिकारी को सजा नहीं दिया है। आज श्री शतरुद्र प्रकाश ने प्रमाण सहित सैकड़ों आई० ए० एस०, जिन्होंने बहुत बड़ी सम्पत्ति बनाई है और किसानों को लूटा है, किसी के खिलाफ क्या आप जांच कराने का आश्वासन अपने भाषण में देंगे। आपने ऐसा आश्वासन नहीं दिया है। आज जब आप खड़े हुए भाषण देने के लिये नो चपरासी या सिपाही या दीवान से ज्यादा किसी को सजा नहीं दिया है। आप में क्षमता नहीं है कि किसी बड़े अधिकारी को सजा दे सकें। यदि भ्रष्टाचार बनता है तो बड़े अधिकारी एक या दो को सजा दे दें, तो आई० ए० एस०/पी० सी० एस० बहुत ठीक हो जायेंगे। लेकिन आप उनको सजा नहीं देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे कि सहयोग दें, तो मैंने पहले ही प्रस्ताव रखा था। मान्यवर, आप कह रहे थे कि प्रदेश में विकास इसलिये नहीं हो रहा है कि जनसंख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है। मैंने तो आपसे कहा था कि कानून बनायें, बजट के दौरान कहा था और आपने वायदा किया था कि केन्द्र सरकार को लिखेंगे, क्या आपने लिखा है?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

लिखा है और मामला विचाराधीन है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, यदि स्वास्थ्य मंत्री जी वास्तव में जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो यह कानून बनायें, एक या दो से ज्यादा बच्चे कोई पैदा नहीं कर सकता है। इसलिये आप कानून बनवायें। लेकिन यह आप बनवायेंगे नहीं।

मान्यवर, अब मैं कहना चाहता हूं कि पक्षपात किस तरह से हो रहा है कि एक बड़े अधिकारी ने कानून बना दिया कि मिले हुए जिले का कोई दरोगा, सिपाही या दीवान नहीं रह सकता है और एस० पी० रह सकते हैं और वह रह रहे हैं जिले के बगल के जिले में। किन्तु सिपाही, थानेदार और दीवान हट रहे हैं। यह कहां का न्याय है। छोटे-छोटे लोगों को ही आप सजा देंगे (आप सिपाही दीवान और थानेदार को सजा दे रहे हैं और एस० पी० को बंगले के जिले में पोस्ट कर रहे हैं। मैं आजमगढ़ और कानपुर देहात का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां बगल के जिले के डी० एम० हैं। अजमगढ़ का डी० एम० बगल के जिले देवरिया का रहने वाला है। बड़े लोगों को आप सजा दे नहीं सकते हैं।

मैं आपसे अन्त में कहना चाहता हूं, मैं समझता था कि मुख्य मंत्री जी अपने भाषण में कोई नई दिशा देंगे और जो हम लोगों ने भ्रष्टाचार के मामले रखे हैं, उस पर कोई आश्वासन देंगे।

किन्तु उस ओर उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मेरा सरकार पर आरोप है कि यह सरकार भ्रष्टाचार की संरक्षक है। दूसरी बात अभी मेरे साथी ने कह दिया है, यह कहते हैं कि जो निगाह में आ जायेगा वह बख्शा नहीं जायेगा, एक गिरधर गोपाल, आई० ए० एस० अफसर पिछले लगातार 15 वर्ष से इलाहाबाद में पोस्टेड हैं। सदैव इलाहाबाद में अगल-बगल की सीटों पर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा अविश्वास प्रस्ताव सरकार की नीतियों के विरोध में उनकी आलोचना करने वाला है। आप कहते हैं कि यह प्रस्ताव में औपचारिकता के लिए लाया हूं। तो क्या आलोचना नहीं चापलूसी करने के लिए यह लाया हूं, क्या यह उसके लिए लाया जाता है। तारीफ करने के लिए तो अविश्वास प्रस्ताव आया नहीं था। मैं पुनः पूरे सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वह हमारे अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें इस देश और प्रदेश के हित में।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, पहले मैं थोड़ा सा बोल चुका हूं। पहले वक्ताओं ने जो बात कही थी, उसका थोड़ा उत्तर भी दे चुका हूं, लेकिन बहुत सी बातें रह गई थीं और बाद को अब जो माननीय सदस्यों ने बातें उठाईं, मैं समझता हूं कि उनका उत्तर देना आवश्यक है। लेकिन सारी बात का उत्तर देना एक साथ सम्भव नहीं हो सकता है। एक बात रामू के पुरवा के बारे में कही गई ...

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मेरा श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि क्या कोई नेता या सदस्य एक ही विषय पर दुबारा बोल सकता है, जैसा मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह पहले भी हो चुका है। आप बैठें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय नेता विरोधी दल चाहते हैं और आप जवाब नहीं देने देना चाहते हैं, तो कैसे चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल जवाब मांग रहे हैं और वह जवाब दे रहे हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह—

रामू के पुरवा के बारे में कहा गया। जब मैं वहां गया, तो उस समय हमें यह महसूस हो गया कि जितनी मुस्तैदी से वहां काम होना चाहिये था, उतनी मुस्तैदी से नहीं हुआ। तो वहां पर एस० ओ० से लेकर एस० पी०, डी० आई० जी० तक का तुरन्त ट्रांसफर कर दिया गया और दूसरे लोगों को पोस्ट कर दिया गया। यह कहते हैं कि दूसरी कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

(व्यवधान)

लेकिन जब तक साबित न हो जाए कि उसने गल्ती के अलावा और कुछ किया है, कुछ करना आसान नहीं होता है बिना जांच पड़ताल कराये।

मान्यवर, यहां तुरन्त कार्यवाही की गयी। ऐसा कभी नहीं हुआ है, वहां के डी० आई० जी० को तुरन्त वहां से हटा दिया गया। मान्यवर, यह भी कहा गया कि गोरखपुर में देरी की गयी तो मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। तुरन्त कार्यवाही की गयी है, कार्यवाही में विलम्ब नहीं किया गया है। गोरखपुर से फोन आया कि यह बात हो गयी है तो मैंने आदेश किया कि तुरन्त कार्यवाही की जाय। इसमें विलम्ब नहीं किया गया है। मान्यवर, माननीय नेता

विरोधी दल ने सवाल उठाया कि कानपुर के एस० एस० पी० यशपाल सिंह के बारे में जांच चल रही है लेकिन उनको पोस्ट कर दिया गया । उनके बारे में जांच कमिश्नर ने किया, सी० आई० डी० ने किया और जांच से आरोप निराधार पाये गये और उनकी पोस्टिंग की गयी । किसी के बारे में आरोप कह दें और वह साबित न हो और कहा जाय कि उसको पोस्टिंग न किया जाय । यह ठीक नहीं है । जांच की गयी और जांच में आरोप सही नहीं पाये गये तो पोस्टिंग की गयी । इसलिए कोई बात वैसे कह देना बिना जाने, मेरी समझ में उचित नहीं होगा ।

मान्यवर, इसी प्रकार से सीतापुर के बारे में माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा कि सी० आई० डी० की जांच रिपोर्ट आई है । वह रिपोर्ट अभी अप्रैल में आयी है उसका परीक्षण हो रहा है। मैं चाहूंगा कि उस पर तुरन्त कार्यवाही हो, उसमें विलम्ब नहीं होगा । मान्यवर, इसी प्रकार 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में कहा गया कि ऐसी बात नहीं है । 20 सूत्री कार्यक्रम की मानीटरिंग भारत सरकार खुद करती है । उसको प्रधान मंत्री देखते हैं । उसकी मानीटरिंग वह खुद करते हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है । उत्तर प्रदेश हर कैटेगरी में "ए" पर आया है । उसके बावजूद यह कह देना कि यह कैसे कहा जा रहा है तो यह कोई हमारा बनायी चीज नहीं है । भारत सरकार ने बनाकर भेजा है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है । इसके आंकड़े मंगाकर देख लें कि कौन से विभाग का पूरा नहीं हुआ है । यह बात कह देना उचित नहीं है । हमारे पास इसके आंकड़े हैं । आंकड़े आप ले सकते हैं, सरकार में आंकड़े पड़े हैं हम दे सकते हैं । मान्यवर, हरिजनों की बड़ी दुहाई दी जाती है । लेकिन जहां तक हरिजनों को सुविधा देने का सवाल है हमेशा इसी पक्ष ने हरिजनों के लिए काम किया है । जो काम किया है इसी पक्ष ने किया है । (मेजों की थपथपाहट) चाहे रिजर्वेशन का काम रहा हो ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, यह कह रहे हैं कि हम लोगों ने किया । मुझे अफसोस है कि इतने बड़े पद पर बैठे हैं, बिना जानकारी के नहीं बोलना चाहिए । कोआपरेटिव विभाग में हरिजनों का आरक्षण नहीं था । उस आरक्षण को किसने किया, आपने किया । आपको इसकी जानकारी नहीं है । यह आरक्षण जनता पार्टी और लोकदल की सरकार में कोआपरेटिव मिनिस्टर होकर मैंने किया । आपने पूरा किया था, बतायें ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह माननीय नेता विरोधी दल को मालूम होना चाहिए कि यह रिजर्वेशन जो है, संविधान में दिया हुआ है । यह तो देना ही पड़ेगा । आप चाहें या न चाहें देना पड़ेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, यह कह रहे हैं कि संविधान में आरक्षण है । मैं पूछना चाहता हूं सन् 77 में क्या यह मंत्री थे । सबसे ज्यादा हत्यायें किसने हरिजनों की करवायी हैं । देहुली कांड किसने करवाया, साढ़पुर में किसने हत्यायें करवायीं, हरिजनों की हत्यायें कराने वाली कांग्रेस की सरकार रही है ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रयास है कि जो भी हरिजनों के लिए कार्य हो रहा है चाहे गांवों में जमीनें देने का काम हो, चाहे सीलिंग की जमीनें देने का काम हो, चाहे आवास देने या मकान बनाने का काम हो, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है । जहां कहीं कमियां हैं उसके लिए जिस तरह से वार बेसिस पर काम होता है, उस तरह से काम हम करने जा रहे हैं । उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जायेगी ।

उसके लिए हमन मंत्रि मंडल की कमेटी बनाई है । उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं कि जहां कहीं पर हरिजनों को जो सुविधा दी जानी चाहिये, वह दी जाय । माननीय मनेजर सिंह ने बख्शी जी को क्या कहा, मैं नहीं कह सकता । यह जो नया 20 सूत्री कार्यक्रम आया है, उसमें महिलाओं को बड़ी सुविधा देने की बात कही गयी है और कहा गया है कि उनको पुरुषों के बराबर समान अधिकार दिया जायेगा । दूसरी बात अभी मान्यवर, यह कही गयी कि बड़े अधिकारियों के खिलाफ यह सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है, जांच नहीं कराती है । मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि जहां कहीं कोई शिकायत आती है, चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों न हो, सबके खिलाफ जांच कराई जाती है । पहले जो जांच के आदेश दिए गए थे, उसमें 11 आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए जा चुके हैं । इसी प्रकार तीन आई0 पी0 एस0 अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं, 43 पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिये गये हैं और भी विभाग के अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ जांच चल रही है । जांच में जब किसी के खिलाफ कोई बात पाई जायगी तभी कार्यवाही होगी । जब तक जांच में कोई तथ्य नहीं पाया जायेगा, तब तक कोई कार्यवाही करना न्याय संगत नहीं है । तो मैं मान्यवर, ज्यादा न कह कर माननीय नेता विरोधी दल, सारे नेताओं, सारे सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपना सुझाव दिया है । बहुत से लोगों ने तो यह अविश्वास का प्रस्ताव समझा ही नहीं है । वे समझें कि चर्चा हो रही है और मैं भी चर्चा ही इसको मानता हूं और चर्चा मान कर मैं चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल अपना प्रस्ताव वापस ले लें । मैंने कहा है, दो दिन तक हाउस और चलेगा ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल आप इसको वापस ले रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

नहीं, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन वर्तमान मंत्रि मंडल में अविश्वास प्रकट करता है ?

श्री राम सरन—

मान्यवर, डिवीजन कराइये । हम डिवीजन की मांग करते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप सब शान्त रहें, हाथ उठा कर मतदान होगा ।

श्री विनोद कुमार—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

बैठ जाइए आप सब ।

5 मिनट घंटी बजेगी ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न घंटी बजने में नहीं होता । घंटी बजनी बन्द हो जाएगी, तो दरवाजे बन्द हो जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यहां पर अपर हाउस के लोग बैठे हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

उनका वोट नहीं गिना जाएगा ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से नारे लग रहे थे--जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, मुहर तुम्हारी कहां लगेगी, हाथ वाले खाने में ।)

(विरोध पक्ष की तरफ से नारे लग रहे थे--खूनी पंजा तोड़ दो ।)

हाथ उठाकर विभाजन होने पर प्रस्ताव निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

प्रस्ताव के पक्ष में	108
प्रस्ताव के विरोध में	250

श्री अध्यक्ष--

चूंकि प्रस्ताव के विरोध में मत ज्यादा हैं, इसलिए यह प्रस्ताव गिर गया ।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 54 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,

लखनऊ : सचिव, विधान सभा,

8 सितम्बर, 1986 उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर।)

आरोपों की सूची

1—संशोधित प्रशासन योजना का अनुमोदन न करना।

2—पूर्व सूचना देने पर भी फरवरी सन् 1981 में उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ को आडिट इकाई द्वारा इस आधार पर आडिट न करना कि सम्बन्धित लिपिक अवकाश पर हैं।

3—3 मई, 1981 को मण्डलीय आडिट इकाई के सहायक लेखा अधिकारी द्वारा जांच हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

4—नियमान्तर्गत इंटर की मान्यता हेतु विद्यालय के पास बीस हजार रुपये प्राभूत हेतु होने चाहिए, किन्तु विद्यालय के पास पन्द्रह हजार रुपये का कन्वर्जन लोन बताया गया। प्राभूत की धनराशि को जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बन्धक करने की पुष्टि में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

5—विद्यालय सुरक्षित कोष में 28-10-81 को रु० 18,200.00 के 7 वर्षीय बचत-पत्र क्रय किये गए, किन्तु इनको जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बन्धक नहीं किया गया।

6—विद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत प्रधानाचार्य को रु० 250.00 प्रतिमाह अनुमन्य भत्ते के स्थान पर रु० 290.00 प्रतिमाह दिया गया।

7—विद्यालय की सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा आस्तियों के अपव्यय का निवारण अधिनियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष सितम्बर में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किन्तु इसका अनुपालन नहीं किया गया।

8—प्रबन्धाधिकरण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के इंटर कालेज के नियन्त्रणाधीन भूमि भवन एवं अन्य सम्पत्ति में से कुछ को प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव दिनांक 2-4-81 के अन्तर्गत नया संचालित आई० सी० एस० ई० कक्षाओं के लिए दिया गया।

9—कक्षा 6 से 12 तक छात्रों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया जाना।

10—विद्यालय में 1 से 12 तक की कक्षाएं एक ही प्रधानाचार्य के अधीन संचालित की जाती थीं, किन्तु वर्ष 1981 में आई० सी० एस० ई० के अन्तर्गत संचालित कक्षाओं के लिए एक अन्य प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गई।

11—वर्ष 1973-74 से विभाग का, निर्धारित प्रपत्र पर आय-व्ययक तथा महंगाई का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया।

12—सहायक लेखाधिकारी, मण्डलीय आडिट इकाई द्वारा 1-7-81 से 4-7-81 तक विद्यालय के लेखे की जांच की गई। विद्यालय द्वारा क्रीड़ा एवं छात्र निधि की कैश-बुक प्रस्तुत नहीं की गई तथा उनका बैंक से समाधान नहीं कराया गया।

13—अप्रैल, 1978 से विद्यालय की कैश-बुक में 1-7-78 तक लेखाकार, प्रधानाचार्य अथवा प्रबन्धक के हस्ताक्षर नहीं हैं।

14—बिना विभागीय आदेशों को प्राप्त किये विद्यालय को निर्धारित तिथि को नहीं खोला गया तथा विद्यालय को बिना विभागीय आदेशों के इस प्रकार बन्द कर, आदेशों की अवहेलना की गई।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर।)

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	पदनाम / पद संख्या	1-7-79 के पूर्व का वेतनमान	1-7-79 से पुनरीक्षित वेतनमान	एतद्द्वारा स्थीकृत वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
			रु०	रु०	रु०	
1	लखनऊ	डायरेक्टर, फिजिकल इन्स्ट्रक्शन (1)	550-1200	850-1720	700-40 1100-50 1300-50 1600	पदनाम प्रवक्ता रखा जाये
		एडीशनल डायरेक्टर, फिजिकल इन्स्ट्रक्शन (2)	400-750	625-1240		
2	इलाहाबाद	अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा (1)	550-1200	850-1720		
		सहायक अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा (2)	400-750	625-1240		
3	गोरखपुर	फिजिकल एजूकेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट (1)	550-1200	850-1720		
		इन्स्ट्रक्टर शारीरिक शिक्षा (1)	400-750	625-1240		
4	कानपुर	निदेशक, शारीरिक प्रशिक्षण (1)	550-1200	850-1720		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर।)

आरोपों की सूची

1—संशोधित प्रशासन योजना का अनुमोदन न करना।

2—पूर्व सूचना देने पर भी फरवरी सन् 1981 में उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ की आडिट इकाई द्वारा इस आधार पर आडिट न करना कि सम्बन्धित लिपिक अवकाश पर है।

3—3 मई, 1981 को मण्डलीय आडिट इकाई के सहायक लेखा अधिकारी द्वारा जांच हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

4—नियमान्तर्गत इंटर की मान्यता हेतु विद्यालय के पास बीस हजार रुपये प्राभूत हेतु होने चाहिए, किन्तु विद्यालय के पास पन्द्रह हजार रुपये का कन्वर्जन लोन बताया गया। प्राभूत की धनराशि को जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बन्धक करने की पुष्टि में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

5—विद्यालय सुरक्षित कोष में 28-10-81 को रु0 18,200.00 के 7 वर्षीय बचत-पत्र क्रय किये गए, किन्तु इनको जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बन्धक नहीं किया गया।

6—विद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत प्रधानाचार्य को रु0 250.00 प्रतिमाह अनुमन्य भत्ते के स्थान पर रु0 290.00 प्रतिमाह दिया गया।

7—विद्यालय की सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा आस्तियों के अपव्यय का निवारण अधिनियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष सितम्बर में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किन्तु इसका अनुपालन नहीं किया गया।

8—प्रबन्धाधिकरण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के इंटर कालेज के नियन्त्रणाधीन भूमि भवन एवं अन्य सम्पत्ति में से कुछ को प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव दिनांक 2-4-81 के अन्तर्गत नया संचालित आई0 सी0 एस0 ई0 कक्षाओं के लिए दिया गया।

9—कक्षा 6 से 12 तक छात्रों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया जाना।

10—विद्यालय में 1 से 12 तक की कक्षाएं एक ही प्रधानाचार्य के अधीन संचालित की जाती थीं, किन्तु वर्ष 1981 में आई0 सी0 एस0 ई0 के अन्तर्गत संचालित कक्षाओं के लिए एक अन्य प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गई।

11—वर्ष 1973-74 से विभाग का, निर्धारित प्रपत्र पर आय-व्ययक तथा महंगाई का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया।

12—सहायक लेखाधिकारी, मण्डलीय आडिट इकाई द्वारा 1-7-81 से 4-7-81 तक विद्यालय के लेखे की जांच की गई। विद्यालय द्वारा क्रीड़ा एवं छात्र निधि की कैश-बुक प्रस्तुत नहीं की गई तथा उनका बैंक से समाधान नहीं कराया गया।

13—अप्रैल, 1978 से विद्यालय की कैश-बुक में 1-7-78 तक लेखाकार, प्रधानाचार्य अथवा प्रबन्धक के हस्ताक्षर नहीं हैं।

14—बिना विभागीय आदेशों को प्राप्त किये विद्यालय को निर्धारित तिथि को नहीं खोला गया तथा विद्यालय को बिना विभागीय आदेशों के इस प्रकार बन्द कर, आदेशों की अवहेलना की गई।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर।)

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	पदनाम / पद संख्या	1-7-79 के पूर्व का वेतनमान	1-7-79 से पुनरीक्षित वेतनमान	एतद्द्वारा श्रेणीकृत वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
			रु०	रु०	रु०	
1	लखनऊ	डायरेक्टर, फिजिकल इन्स्ट्रक्शन (1)	550-1200	850-1720	700-40 1100-50 1300-50 1600	पदनाम प्रवक्ता रखा जाये
		एडीशनल डायरेक्टर, फिजिकल इन्स्ट्रक्शन (2)	400-750	625-1240		
2	इलाहाबाद	अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा (1)	550-1200	850-1720		
		सहायक अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा (2)	400-750	625-1240		
3	गोरखपुर	फिजिकल एजूकेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट (1)	550-1200	850-1720		
		इन्स्ट्रक्टर शारीरिक शिक्षा (1)	400-750	625-1240		
4	कानपुर	निदेशक, शारीरिक प्रशिक्षण (1)	550-1200	850-1720		

5	काशी विद्यापीठ	फिजिकल इन्स्ट्रक्टर	400–900 (2 पद) 350–700 (1 पद)	570–1100	
6	कुमायूं विश्वविद्यालय—				
	(1) डी० एस०वी० घटक महाविद्यालय, नैनीताल	फिजिकल इन्स्ट्रक्टर (1)	400–750	625–1240	
	(2) घटक महाविद्यालय, अल्मोड़ा	शिक्षा, शारीरिक शिक्षा (1)	400–750	625–1240	
7	गढ़वाल विश्वविद्यालय—				
	(1) बिड़ला घटक महाविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)	फिजिकल इंस्ट्रक्टर (1)	400–750	625–1240	
8	(2) घटक महा-विद्यालय, टेहरी-गढ़वाल	इंस्ट्रक्टर, फिजिकल ऐजूकेशन (1)	400–750	625–1240	

अनुबंध 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर ।)

मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई कार्यालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का विवरण

कुल स्वीकृत पद	सीधी भर्ती के पदों का विवरण		पदोन्नत पदों का विवरण	
	कुल स्वीकृत पद	अनुसूचित जाति के कार्यरत कर्मचारी	कुल स्वीकृत पद	अनुसूचित जाति के कार्यरत कर्मचारी
1	2	3	4	5
29	17	4	12	2

पी0 एस0 यू0 पी0—25 वि0 सभा—12-12-86—813 (पी0डी) ।

5	काशी विद्यापीठ	फिजिकल इन्स्ट्रक्टर	400–900 (2 पद) 350–700 (1 पद)	570–1100
6	कुमायूं विश्वविद्यालय— (1) डी0 एस0वी0 घटक महाविद्यालय, नैनीताल	फिजिकल इन्स्ट्रक्टर (1)	400–750	625–1240
	(2) घटक महाविद्यालय, अल्मोड़ा	शिक्षा, शारीरिक शिक्षा (1)	400–750	625–1240
7	गढ़वाल विश्वविद्यालय— (1) बिड़ला घटक महाविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)	फिजिकल इंस्ट्रक्टर (1)	400–750	625–1240
8	(2) घटक महाविद्यालय, टेहरी-गढ़वाल	इंस्ट्रक्टर, फिजिकल ऐजूकेशन (1)	400–750	625–1240

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर ।)

मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई कार्यालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का विवरण

सीधी भर्ती के पदों का विवरण			पदोन्नत पदों का विवरण	
कुल स्वीकृत पद	कुल स्वीकृत पद	अनुसूचित जाति के कार्यरत कर्मचारी	कुल स्वीकृत पद	अनुसूचित जाति के कार्यरत कर्मचारी
1	2	3	4	5
29	17	4	12	2

पी0 एस0 यू0 पी0—25 वि0 सभा—12-12-86—813 (पी0डी) ।